योजनाएं / नीतियां

- जनकल्याणकारी
- स्वरोजगार / रोजगारपरक
- कौशल विकास / प्रशिक्षण
- निवेशपरक

मूलभूत सेवायें

प्रमाण पत्र

मेरी योजना मेरा अधिकार , अपनी सरकार जनता के द्वार

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

लाभ

पात्रता

आवेदन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया

पोर्टल

मा0 प्रधानमंत्री जी का गढवाल मण्डल में श्री बदरीनाथ

और

कुमांऊ मण्डल में आदि कैलाश का भ्रमण।

संकलन एवं निर्देशन

श्री पुष्कर सिंह धामी– मा० मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड, श्रीमती राधा रतूड़ी–अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं श्री दीपक कुमार–सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सम्पादन

श्री दीपक कुमार–सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं सुश्री रंजना–समीक्षा अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विभागीय समन्वयन एवं नियम/अधिनियम/शासनादेशों का संकलन तथा सूची तैयार करना

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, के अधिकारी/कार्मिक श्री एन०एस० डुंगरियाल–संयुक्त सचिव, श्री रावेन्द्र चौहान–विशेषकार्याधिकारी, श्रीमती वन्दना चाटर्नी–विशेषकार्याधिकारी, श्री सन्तोष चन्द्र मिश्रा–पूर्व अनुभाग अधिकारी, श्री रमेश कुमार–समीक्षा अधिकारी, श्री उत्सव सेमवाल–सहायक समीक्षा अधिकारी।

पुस्तक प्रूफ रीडिंग

श्री दीपक कुमार–सचिव, श्री एन०एस० डुंगरियाल–संयुक्त सचिव, श्री अनिल प्रकाश उनियाल–अनु सचिव, श्रीमती संध्या नेगी–अनुभाग अधिकारी, सुश्री रंजना–समीक्षा अधिकारी।

सहयोग

समस्त विभागीय अधिकारी/कार्मिक, सचिवालय के कतिपय वरिष्ठ अधिकारी, अनुभाग अधिकारी एवं निजी सचिव, मीडिया सेंटर सचिवालय, ई-आफिस टीम, एनआईसी, मा० मुख्यमंत्रीजी की मीडिया टीम।

कम्प्यूटर कम्पोजिंग एवं पेज डिजाइन

सुश्री रंजना–समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार–समीक्षा अधिकारी, श्रीमती कुसुम–कम्प्यूटर सहायक, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

मुद्रण

(संबंधित पुस्तक आमजन हेतु डिजिटल रूप में उपलब्ध एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के सर्वाधिकार सुरक्षित)

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

"मेरी योजना"

"इस पुस्तक को प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य, पात्र लाभार्थियों को जनकल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/प्रशिक्षणपरक, निवेशपरक योजनाओं का लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया को सरल शब्दों में अवगत कराना है, जिससे पात्र लाभार्थी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें और हमारा उत्तराखण्ड "सर्वश्रेष्ठ उत्तराखण्ड" बन सके।" प्रथम बार, इस प्रकार की पुस्तक बनाने का सफल प्रयास किया गया है। यह पुस्तक जहाँ पात्र लाभार्थी को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहयोग करेगी वहीं नीतिनिर्धारणकर्ताओं, शोधकर्ताओं, पाठकों के लिए अधिकार एवं सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के प्रति सजग बनायेगी। इस पुस्तक में संशोधन/सुधार/सुझाव/आपत्ति हेतु कृपया निम्न पते/ईमेल में प्रेषित करना चाहें ताकि आगामी संस्करण को सुधारों के साथ प्रस्तुत किया जा सके।"

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पहली समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। [illegible]

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
ई0मेल–sopi-1@uk.gov.in

पुष्कर सिंह धामी

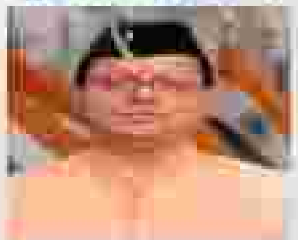

मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय
देहरादून- 248001
सचिवालय फोन: 0135-2716262
0135-2650433
फैक्स: 0135-2712827
विधान सभा फोन: 0135-2665100
0135-2666477
फैक्स: 0135-2666444
Email: cm-ua@nic.in

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी, विकासपरक, रोजगारपरक, कौशल विकास, प्रशिक्षण योजनाओं को आम जन-मानस तक सुगमता से पहुँचाये जाने के उद्देश्य से नीतियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों को संकलित करते हुए एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के साथ-साथ डिजिटल माध्यम से भी आम जन-मानस को सुगमता से उपलब्ध कराये जाने का अनूठा एवं अभिनव प्रयास किया गया है। इससे समाज के प्रत्येक वर्ग/आम जन-मानस की अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार की नीतियों को जनसामान्य तक पहुँचाने में अत्यन्त सुलभता होगी। मुझे आशा है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से प्रदेश के सभी वर्गों को सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी, विकासात्मक योजनाओं एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त होने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे यह भी आशा है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सरकार की विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं का लाभ आम जन-मानस को पहुँचाये जाने के उद्देश्य से प्रकाशित होने वाली पुस्तक एवं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना एक सकारात्मक पहल के साथ ही मील का पत्थर साबित होगी। इस पुस्तक के प्रकाशन से विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं की जानकारी इस पुस्तक में उपलब्ध होने एवं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होने पर निःसन्देह यह भविष्य के लिए भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे यह भी अवगत कराया गया है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड का यह प्रथम प्रयास है इसके लिए इस विभाग से जुड़े सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं।

मेरी ओर से पुस्तक के सफल प्रकाशन एवं इन महत्वपूर्ण जानकारियों को आम जन-मानस तक डिजिटल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें।

(पुष्कर सिंह धामी)

डा० सुखबीर सिंह संधु
Dr. Sukhbir Singh Sandhu

मुख्य सचिव
Chief Secretary

उत्तराखण्ड शासन
Government of Uttarakhand
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन
Netaji Subhash Chandra Bose Bhawan
सचिवालय, देहरादून
Civil Secretariat, Dehradun
Phone [illegible]
Fax [illegible]
E-mail [illegible]

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित, जनकल्याणकारी, योजनात्मक योजनाओं का संकलन करते हुए आम जनमानस तक सुगमता से पहुंचाये जाने के उद्देश्य से पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। पुस्तक को आम जनमानस तक सुगमता से पहुंचाये जाने के लिए डिजिटल माध्यम से भी पुस्तक को उपलब्ध किया जा रहा है।

ऐसा विश्वास है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक सरकार की विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी राज्य के अंतिम गांव के व्यक्ति तक पहुंचाये जाने में सहायक सिद्ध होगी।

पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

(डॉ० सुखबीर सिंह संधु)
मुख्य सचिव।

राधा रतूड़ी, भा०प्र०से०
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
गृह एवं कारागार विभाग
4 सुभाष मार्ग, देहरादून-248001
दूरभाष : 0135-2712805,
फैक्स : 0135-2712814

दिनांक–22.11.2023

संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य सरकार के अन्तर्गत राज्य के विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी संकलित कर जनोपयोगी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाए जाने के उद्देश्य से पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग प्रकाशित होने वाली पुस्तक को डिजिटल रूप में भी उपलब्ध करा रहा है जिससे राज्य में निवासरत युवा ही नहीं बल्कि प्रवासी युवा भी लाभान्वित होंगे।

मुझे आशा है कि पुस्तक के प्रकाशन से राज्य के सभी वर्गों के जनमानस जिनको सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है, उन्हें सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी सुलभता से उपलब्ध हो पाएगी।

पुस्तक के सफल प्रकाशन हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

दीपक कुमार
सचिव

उत्तराखण्ड शासन।
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
4 सुभाष मार्ग,
देहरादून–248001
दूरभाष : 0135–2664127

करने के क्रम में मा0 मुख्यमंत्री जी की भी भावनाओं के अनुरूप कार्य किया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को सरल भाषा में संकलित किया जाये जिससे प्रदेश के आम जनमानस (विशेषकर प्रदेश के युवाओं एवं वंचित वर्ग, विशेष रूप से लाभान्वित हो सकें) को वर्तमान में संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी, आवेदन कहां और कैसे किया जाये?, योजनाओं की पात्रता क्या है? चयन प्रक्रिया क्या है? आवेदन हेतु भिन्न-भिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? इत्यादि की जानकारी को सुगमता से समझाने का प्रयास किया गया है। मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक से जहां एक ओर आम जनमानस को सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो पायेगी वहीं सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में पुस्तक लाभकारी सिद्ध होगी एवं युवाओं एवं वंचित वर्ग के भविष्य के लिए यह पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी।

पुस्तक के प्रकाशन में योजनाओं से संबंधित शासनादेशों, नीतियों, दिशानिर्देशों, अधिनियमों आदि दस्तावेजों की आवश्यकता थी और इन दस्तावेजों के संकलन में [illegible] विभाग द्वारा [illegible] की तैनाती /मूलभूत संसाधनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, श्रीमती राधा रतूड़ी जी का मार्गदर्शन एवं सहयोग सदैव मिलता रहा और उनके सहयोग से ही इस पुस्तक का प्रकाशन किये जाने में सफलता प्राप्त हो पाई।

समस्त विभागों से प्राप्त दस्तावेजों का अध्ययन कर उन्हें प्रस्तुत रूपरेखा के रूप में लिपिबद्ध किया जाना सदैव चुनौतीपूर्ण होता है अर्थात इस पुस्तक की भूमिका के रूप में सुश्री रंजना, समीक्षा अधिकारी का महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ। समस्त विभागीय अधिकारियों के अथक प्रयास और कड़ी लगन के बिना पुस्तक का प्रकाशन संभव नहीं था और इसी कड़ी में डा0 श्री मेहरबान सिंह बिष्ट, अपर सचिव, श्री [illegible] सिंह [illegible], संयुक्त सचिव, श्री [illegible], उप सचिव, अनु सचिव, श्री संतोष चन्द्र मिश्रा (पूर्व अनुभाग अधिकारी), श्रीमती संध्या देवी (वर्तमान अनुभाग अधिकारी), श्री [illegible] सिंह राणा, श्री राकेश कुमार, समीक्षा अधिकारी, श्री [illegible], सहायक समीक्षा अधिकारी, श्रीमती [illegible], कम्प्यूटर सहायक, के साथ ही विशेष कार्याधिकारी के रूप में सहयोगी एवं मार्गदर्शक के रूप में श्री [illegible], श्री [illegible] चौहान, श्री [illegible] कुमार शर्मा, डॉ0 [illegible] कुमार [illegible], श्री [illegible], श्रीमती [illegible] आर्य और श्रीमती [illegible] के द्वारा किये गये परिश्रम की प्रशंसा के साथ ही इनके द्वारा प्रदत्त अथक प्रयासों के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके अतिरिक्त समस्त विभागों के शासन स्तर पर विभिन्न पदों पर सुशोभित उच्चाधिकारियों, विभिन्न विभागाध्यक्ष जिनके द्वारा अपने विभागों से सम्बन्धित आवश्यक तथ्यों/शासनादेशों/आदेशों/नियमों/अधिनियमों/नीतियों/योजनाओं का संकलन, संबंधित सूचनायें तथा विवरण उपलब्ध कराये जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, का भी आभार व्यक्त करता हूं साथ ही मैं समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव गणों के सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अन्त में विशेष मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणास्रोत रहे प्रदेश के यशस्वी मा0 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश के मुखिया के रूप में डॉ0 सुखबीर सिंह संधु, मुख्य सचिव महोदय का "मेरी योजना" पुस्तक को पूर्ण रूप दिये जाने में अभिप्रेरित/प्रोत्साहित किये जाने हेतु भरपूर योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

(दीपक कुमार)
सचिव।

अनुक्रमणिका

क्र.	सम्बन्धित विभाग, बोर्ड, आयोग,केन्द्र, सरकार, निगम, संस्थानों के नाम	जन कल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/प्रशिक्षणपरक, योजनाओं/कार्यक्रमों, विभागवार सेवाओं तथा [illegible] सेवाओं का नाम एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु उपयोग होने वाले प्रपत्रों/पत्रों के नाम।	पृष्ठ संख्या
1.	समाज कल्याण विभाग	1. वृद्धावस्था पेंशन 2.निराश्रित विधवा पेंशन 3.दिव्यांग पेंशन 4.तीलू रौतेली पेंशन योजना 5.किसान पेंशन योजना 6.किन्नर पेंशन 7.परित्यक्ता पेंशन 8.अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना 9. निराश्रित विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना 10.दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन योजना 11.राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (भारत सरकार द्वारा सहायतित) 12.अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की कक्षा 01 से 08 तक की छात्रवृत्ति 13. अनुसूचित जाति/जनजाति कक्षा 09 एवं 10 की छात्रवृत्ति योजना 14. अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति 15. पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति 16. पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति 17. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना 18. राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवासीय गृह का संचालन	10-21
2.	सैनिक कल्याण विभाग	1.पेन्युरी ग्रान्ट 2.मैडिकल ग्रान्ट 3.विवाह हेतु अनुदान 4.शिक्षा अनुदान 5.व्यावसायिक ट्रेनिंग अनुदान 6.100 प्रतिशत अपंगता वालों हेतु अनुदान 7. निराश्रित अनुदान 8.विशेष चिकित्सा सहायता 9.भवन निर्माण हेतु लिए गये ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति 10. [illegible] अतिरिक्त सहायता 11. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 12.एन0डी0ए0/आई0एम0ए0/ओ0टी0ए0 में चयन 13. वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी 14.विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान राशि 15. उत्तराखण्ड शहीद कोष अनुदान 16. आकस्मिक सहायता अनुदान 17. [illegible] 18.इंजीनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति 19. निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण 20. निःशुल्क सेना पूर्व प्रशिक्षण।	22-30
3.	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	(1) समेकित बाल विकास सेवायें (आई0सी0डी0एस0) (2) किशोरी बालिका योजना 3. मिशन शक्ति योजनान्तर्गत वन स्टॉप सेंटर (4) मिशन शक्ति योजना-सामर्थ्य के अन्तर्गत प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (5) नारी निकेतन (अल्पावासी महिला गृह) (6) नन्दा गौरा योजना (7) मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना (8) मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना (9) मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना (10) मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना (11) तीलू रौतेली पुरस्कार (12) सैनेटरी नैपकिन योजना (13) आंगनवाड़ी कर्मी कल्याण कोष (14) राष्ट्रीय महिला हैल्पलाईन 181	31-36
4.	महिला कल्याण विभाग	(1) [illegible] योजना (महिला [illegible]) (2) [illegible] हेतु [illegible] का लाभ प्राप्त करने के लिए [illegible] प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया (3) राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र तथा महिला गृह में प्रवेश की प्रक्रिया (4) राजकीय बाल देखरेख संस्थान (5) [illegible] बच्चे ग्रहण करने की प्रक्रिया।	37-40
5.	अल्पसंख्यक विभाग	(1) [illegible] योजना (अल्पसंख्यक वर्ग के [illegible] हेतु) (2) मुख्यमंत्री हुनर योजना (3) मौलाना आजाद [illegible] योजना (4) अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100प्रति0के0पो0) (5) अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना (100प्रति0के0पो0) (6) अल्पसंख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना (100 प्रतिशत [illegible]) (7) अल्पसंख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना (8) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना (9) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना।	41-47
6.	श्रम विभाग	(1) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया (2) असंगठित कामगारों का [illegible] प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) (3) राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders)	48-50
7.	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण	(1) श्रमिक कार्ड एवं श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण (2) पुत्र/पुत्री विवाह सहायता (3) [illegible] सहायता (4) साईकिल/सिलाई मशीन सहायता (5) सौर ऊर्जा सहायता (6) [illegible] सहायता (7) सैनेटरी नैपकीन (8) [illegible] निर्माण आर्थिक सहायता (9)	51-58

	कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)	[illegible] (9) भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु (10) प्रसूति आर्थिक सहायता (11) पुत्री विवाह आर्थिक सहायता (12) नि. शक्तता पेंशन (13) वृद्धा पेंशन 60 वर्ष पूर्ण होने पर (14) वृद्धा पेंशन 65 वर्ष पूर्ण होने पर (15) [illegible] पेंशन (16) [illegible] आर्थिक सहायता।	
8.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय अन्न योजना–गुलाबी राशन कार्ड) (2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार–सफेद राशन कार्ड) (3) राज्य खाद्य योजना (पीले राशन कार्ड) (4) मुख्यमंत्री [illegible] योजना (5) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।	[illegible]
9.	गृह (पुलिस) विभाग	(1) [illegible] सेनानियों तथा उनकी विधवाओं को मासिक/पारिवारिक पेंशन (2) [illegible] (3) [illegible] सेनानियों की [illegible] (4) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान [illegible] आन्दोलनकारियों को पेंशन (5) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान [illegible] आन्दोलनकारियों को पेंशन योजना (6) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान [illegible] आन्दोलनकारियों की [illegible] पेंशन दिये जाने की योजना (7) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान [illegible] राज्य आन्दोलनकारियों को [illegible] सम्मान पेंशन योजना (8) [illegible] दिनांक–25.06.1975 से दिनांक–21.03.1977 तक [illegible] लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना (9) [illegible] लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना।	[illegible]
10.	न्याय विभाग (उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	1. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता देना 2. [illegible] शिविर/ [illegible] शिविर/ विधिक सेवा शिविरों का आयोजन 3. पीड़ित प्रतिकर – [illegible] 4. 'उत्तराखण्ड [illegible] पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2022' 5. 'विधिक सेवा [illegible]' का संचालन/कार्यान्वयन।	[illegible]
11.	बेसिक शिक्षा विभाग	1. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना 2. निःशुल्क जूता एवं बैग योजना 3. प्रधानमंत्री पोषण [illegible] (पी0एम0 पोषण) योजना 4. [illegible] विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया।	[illegible]
12.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible] छात्रवृत्ति (5) [illegible] छात्रवृत्ति (6) [illegible] छात्रवृत्ति (7) [illegible] (8) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना [illegible] (9) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना [illegible] (10) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना [illegible] कक्षा 11 एवं 12)	[illegible]
	समग्र शिक्षा परियोजना	1. ECCE (प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा) 2. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका [illegible] 3. [illegible] 4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 5. प्रधानमंत्री [illegible] योजना [illegible] 6. [illegible]	[illegible]
13.	उच्च शिक्षा विभाग	(1) [illegible] आर्थिक सहायता योजना (2) [illegible] (3) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना (4) [illegible] छात्रवृत्ति योजना (5) [illegible] (6) [illegible] छात्रवृत्ति योजना (7) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा [illegible] योजना (8) [illegible] https://uttarakhand.samarth.ac.in/index.php/site/login	[illegible]

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

14	संस्कृत शिक्षा विभाग	उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम – (1) संस्कृत छात्र प्रतियोगिता (2) अखिल भारतीय संस्कृत [illegible] सम्मेलन (3) संस्कृत [illegible] सम्मान (4) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना (5) संस्कृत शोध छात्रवृत्ति योजना। **उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम** – (1) पी.जी. डिप्लोमा (P.G. Diploma) (2) सर्टिफिकेट (Certificate) (3) मैरिट के आधार पर छात्रवृत्ति (4) निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति **संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम**– (1) [illegible] पुस्तकों का [illegible] एवं निशुल्क वितरण (2) संस्कृत विद्यालयों के [illegible] छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।	89–93
15	संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग	(1) सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन (2) उत्तराखण्ड राज्य के वृद्ध एवं निर्धन कलाकारों/साहित्यकारों एवं [illegible] हेतु पेंशन योजना (3) [illegible] हेतु विशिष्ट सहायता (4) धार्मिक [illegible] (5) [illegible] (6) [illegible]	94–97
16	प्राविधिक शिक्षा विभाग	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की निम्न छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जाती हैं – 1. प्रगति 2. सक्षम 3. [illegible]	98–99
17	कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग	1. [illegible] (ELSTP) 2. [illegible] योजना 3. मुख्यमंत्री [illegible] एवं [illegible] रोजगार योजना	100–101
18	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग	(1) प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0) स्वयंसेवकों को [illegible] (2) खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (3) युवक दलों को आर्थिक सहायता (4) [illegible] (5) [illegible] (6) [illegible] (7) युवाओं का साहसिक [illegible]।	102–106
19	खेल विभाग	1. खेल प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 2. खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर नकद पुरस्कार [illegible] 3. राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार 4. मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना 5. खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 6. [illegible] 7. [illegible] 8. [illegible]	107–113
20	उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू-सैक)	(1) [illegible]	114–116
	उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र	(1) E-Content का विकास एवं प्रसारण (2) STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics) की प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं संचालन (3) विभिन्न क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन (4) Experiential Learning के [illegible]	117–119
	उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	1. [illegible] 2. [illegible] 3. राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 4. [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible] 7. [illegible] 8. [illegible] 9. [illegible]	120–122
21	उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद हल्दी, पंतनगर (ऊधमसिंह नगर)	**कौशल विकास कार्यक्रम**– [illegible]	123–126
22	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	**महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य की योजनाएं** –1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible]	127–132

	विभाग	[illegible] करने की प्रक्रिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कार्यक्रम – 1. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) 2. जननी सुरक्षा योजना (JSY) 3. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) 4. [illegible] कार्यक्रम 5. [illegible] कार्यक्रम 6. [illegible] 7. [illegible] 8. [illegible] 9. [illegible] 10. [illegible] 11. [illegible] 12. [illegible] 13. [illegible] 14. [illegible] 15. [illegible] 16. राष्ट्रीय [illegible] कार्यक्रम 17. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) 18. राष्ट्रीय [illegible] कार्यक्रम (NPCB) 19. राष्ट्रीय [illegible] कार्यक्रम (NPPC) 20. राष्ट्रीय [illegible] स्वास्थ्य [illegible] कार्यक्रम (NPHCE) [illegible] 1. [illegible] 2. [illegible] योजना। [illegible] की प्रक्रिया	
	चिकित्सा शिक्षा विभाग	(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible]	138–143
23	होम्योपैथी	(1) [illegible] होम्योपैथिक [illegible] चिकित्सालय [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible]	144–146
24	आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग	(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible]	146–147
25	सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग	(1) मुख्यमंत्री [illegible] योजना [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible]–2022 (4) [illegible]–2022 (5) [illegible]–2022 (6) [illegible] (7) [illegible] (8) [illegible] योजना (9) [illegible] (10) [illegible]	148–151
26	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	(1) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) (2) मुख्यमंत्री [illegible] योजना [illegible] (3) [illegible]	152–153
27	पर्यटन विभाग	1. [illegible] योजना 2. [illegible] योजना 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible] 2022 [illegible]	164–172
28	ऊर्जा विभाग (अतिरिक्त)	1. राष्ट्रीय [illegible] कार्यक्रम 2. मुख्यमंत्री [illegible] योजना 3. [illegible] योजना 4. Grid Connected Rooftop Phase-II योजना, MNRE भारत सरकार द्वारा संचालित	173–176
	[illegible]	[illegible]	176–177
29	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग	1. [illegible] 2. [illegible]	178–180
30	ग्राम्य विकास विभाग	1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) 2- [illegible]– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) 3- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUGKY) 4- प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (PMAY-G) 5- [illegible] (RBI) 6- [illegible]	181–188

		[illegible] 2011 SECC सूची	
31.	सहकारिता विभाग	(1) [illegible] योजना (2) [illegible] योजना (3) [illegible] (4) ई-[illegible] योजना	188-194
32.	कृषि विभाग	1 [illegible] (PM-Kisan) 2 [illegible] (PM-KMY) 3 [illegible] (PMFBY) 4 [illegible] (SMAE) 5 [illegible] (NFSM) 6 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.) 7 [illegible] (S.H.C.) 8 [illegible] (NMSA-RAD) [illegible] (PKVY) 10 [illegible] 11 [illegible] (SMAM) 12 [illegible] (SMAM) 13 [illegible] e-NAM [illegible]	195-208
33.	उद्यान विभाग	(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible] (5) [illegible] (6) [illegible] (7) [illegible] (8) [illegible] (9) [illegible] (10) [illegible] (11) [illegible] (12) [illegible] (13) [illegible] (14) [illegible] (15) [illegible] (16) [illegible] (17) [illegible] (18) [illegible] **[illegible]** – (1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible] **[illegible]** – (1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] **[illegible]** – [illegible]	209-226
34.	[illegible] केन्द्र (केन्द्र) [illegible] देहरादून	(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible] (5) [illegible] (6) [illegible] (7) [illegible] (8) [illegible] (9) [illegible]	227-232
35.	पशुपालन विभाग	(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible] (5) [illegible] (6) [illegible] (7) [illegible] (8) [illegible]	233-236
36.	डेरी विकास विभाग	(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible]	237-239
37.	रेशम विभाग	1 [illegible] 2 [illegible] 3 [illegible]	240-242
38.	समाज विभाग	(1) [illegible] (2) अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible] (5) [illegible] (6) [illegible]	243-248
39.	वन विभाग	1 [illegible] 2 [illegible] 3 [illegible] 4 [illegible]	249-255
40.	आवास विभाग	1 [illegible]	256-257
41.	शहरी विकास विभाग	1 [illegible] 2 [illegible] 3 [illegible]	258-259
42.	[illegible]	(1) [illegible] (2) [illegible]	260-261
43.	[illegible] विभाग ([illegible])	(1) [illegible] (2) [illegible]	262-264

44.	पंचायती राज विभाग	1.जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र 2. मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र 3. परिवार रजिस्टर 4. निजी भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र 5. [illegible] प्रमाण-पत्र	266-268
45.	राजस्व विभाग	1. स्थाई निवास प्रमाण पत्र 2. [illegible] प्रमाण पत्र 3.[illegible] प्रमाण पत्र 4.[illegible] प्रमाण पत्र [illegible] हेतु 5. [illegible] प्रमाण पत्र 6.[illegible] प्रमाण पत्र 7. [illegible] प्रमाण पत्र 8. [illegible] 9. [illegible] 10.[illegible] 11.[illegible] 12.[illegible] 13.[illegible] 14.[illegible] 15.[illegible] 16.[illegible] 17.[illegible] 18.[illegible]	269-278
46.	परिवहन विभाग उत्तराखण्ड	1.वाहनों का पंजीयन कार्य 2. चालक/परिचालक लाइसेंस संबंधी कार्य 3.[illegible] वाहनों के [illegible] संबंधी कार्य 4. [illegible] वाहनों के परमिट संबंधी कार्य 5. वाहन स्वामी [illegible] 6.निजी क्षेत्र में [illegible] की मान्यता 7. निजी क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण स्कूलों की मान्यता	279-287
47.	आधार केन्द्र	1.आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016	288-289
48.	निर्वाचन आयोग	मतदाता पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया	290-291
49.	सूचना प्रौद्योगिकी (ITDA)	1. मुख्यमंत्री हेल्प लाईन 1905 पोर्टल https://cmhelpline.uk.gov.in/ 2- अपुणी सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ 3- आईटीडीए [illegible]-2020	292-295
50.	कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)	1. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोलने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण 2. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान	296-298
51.	नागरिक उड्डयन विभाग	उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)।	299-300
52.	आपदा प्रबन्धन विभाग	1.आपदा में जनहानि मृत्यु 2. [illegible] की क्षति होने पर अनुग्रह भुगतान 3.[illegible] हेतु चिकित्सालय में [illegible] 4. घर बह जाने या प्राकृतिक आपदा के कारण घर के [illegible] [illegible] 5. कृषि भूमि एवं अन्य की क्षति के लिये सहायता 6. कृषि निवेश अनुदान [illegible] 7. [illegible] कृषि भूमि [illegible] किसानों को निवेश अनुदान 8. [illegible] 9. मछली पालन 10. हथकरघा-कारीगरों को सहायता 11. भवन [illegible] 12.[illegible] हेतु [illegible] के सम्बन्ध में।	301-305
53.	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में जानकारी।	306
54.	सेवा का अधिकार आयोग	सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 के संबंध में जानकारी।	307
55.	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	उत्तराखण्ड राज्य में समूह 'ख' व 'ग' की सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में।	308-309

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
			आवेदन करेंगे।	चयन किया जाता है। पुरस्कार 8 अगस्त को वितरित किया जाता है।
12.	सैनेटरी नैपकिन योजना	किशोरी बालिकाओं / महिलाओं को रू0 6.00 में सैनेटरी नैपकीन का वितरण किया जाता है।	किशोरी बालिकाएं एवं महिलाएं	समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों से खरीद सकते हैं।
13.	आंगन बाड़ी कर्मी कल्याण कोष	न्यूनतम धनराशि रू0 30,000/– दिये जाते हैं एवं 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर रू0 1,30,000/– दी जाती है तथा जमा धनराशि पर प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि का प्राविधान है।	मानदेय सेवा पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/ मिनी कार्यकर्त्री/ सहायिका को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर।	आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष अन्तर्गत, पारितोषिक धनराशि प्राप्त करने हेतु उन्हें संबधित सीडीपीओ कार्यालय में आवेदन करना पड़ता है। आवेदन के साथ आंगनबाड़ी केन्द्र से सेवानिवृत्त होने का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संलग्न करना होगा।
14.	राष्ट्रीय महिला हैल्प लाईन 181	महिलाओं एवं किशोरियों को आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक एवं त्वरित सहायता प्रदान करने हेतु 181 राष्ट्रीय महिला हैल्पलाइन नम्बर संचालित किया जाता है।	महिलायें / किशोरी	पीड़ित एवं जरूरतमंद महिला द्वारा 181 नम्बर पर 24 घंटे में से कभी भी काल कर अपनी समस्या को बताया जाता है। यदि किसी योजना की जानकारी प्राप्त करनी हो तो, तत्संबंधी सूचना भी एवं विभाग संबंधी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

न्याय विभाग (उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)

PROO

सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

कारगिल विजय दिवस (शौर्य दिवस) पर गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित करते हुये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। दिनांक 26 जुलाई, 2023

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				करने हेतु सूचित करती है।
19.	**निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण।**	सेना / अर्द्ध सैनिक बलों एवं पुलिस बल में भर्ती हेतु 6 सप्ताह का भर्ती पूर्व निशुल्क प्रशिक्षण।	पूर्व सैनिकों के पुत्र जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक तथा 21 वर्ष से कम हो और हाईस्कूल में 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो, को निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण पर होने वाले समस्त व्यय (प्रशिक्षकों का मानदेय + खाना + आवास) का भुगतान निदेशालय सैनिक कल्याण द्वारा किया जाता है। **नोट** :– वर्ष में 5 कोर्सो का संचालन किया जाता है।	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रचार– प्रसार के माध्यम से पूर्व सैनिकों के पुत्रों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक है :– साधारण प्रार्थना पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षिक संबंधी प्रमाण पत्र (कम से कम हाई स्कूल / हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण), चिकित्सा प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक पहचान पत्र, डिस्चार्ज बुक। उक्त दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा किया जाता है। इसके उपरांत प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु सूचित किया जाता है। तदोपरान्त् राज्य के गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल में प्रशिक्षण शुरू किया जाता है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

जनपद नैनीताल के रामनगर में गोदभराई कार्यक्रम में मा0 मंत्री जी

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार वितरण समारोह वर्ष 2022

महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
			दत्तक ग्रहण के लिए दोनों पति–पत्नी की सहमति आवश्यक होगी। • कोई भी एकल महिला किसी भी लिंग के बालक का दत्तकग्रहण कर सकती है। परन्तु कोई एकल पुरूष बालिका को दत्तकग्रहण का पात्र नहीं होगा। किसी दम्पत्ति का कम से कम दो वर्ष का स्थिर वैवाहिक संबंध न होने पर बालक का दत्तक ग्रहण नहीं किया जाएगा। बालक और भावी दत्तक माता–पिता में से किसी के बीच न्यूनतम आयु का अंतर 25 वर्ष से कम का नहीं होगा। भावी दत्तक माता–पिता, जिन्हें 03 वर्षों के भीतर एक भी अभिदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, की ज्येष्ठता की गणना रजिस्ट्रेशन की तारीख से की जायेगी।	करते हुए विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में भेजा जाता है जो वर्तमान में अल्मोड़ा, देहरादून हरिद्वार में हैं। जब गोद लेने वाले माता–पिता ऑनलाइन आवेदन करते हैं तथा सम्बंधित प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उनको उक्त अभिकरणों से बच्चे गोद दिये जाते हैं। • **जिला मजिस्ट्रेट के उत्तरदायित्व –** 1. आवेदन भरने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर दत्तकग्रहण आदेश जारी किया जायेगा। 2. विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान या जिला बाल संरक्षण कार्यालय और बालक के सम्बन्धी परिवार या दत्तकग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिये आवेदन लेना। 3. सम्बन्धित जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा दस्तावेजों की उचित छानबीन के बाद मामले की सुनवाई के लिये आवश्यक प्रबंधन । 4. न्यायालय के समक्ष लम्बित दत्तकग्रहण मामलों से सम्बन्धित सभी मामले नियम 45 में प्रदत्त विनियमों की अधिसूचना की तारीख से जिला मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
		लेने के उपरान्त रू0 60,000/— समूह (ख)— AIIMS, IIS बंगलौर, IISAR (कोलकाता एवं बंगलौर), MCI भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज, AICTE (All India Council for Technical Education) द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थान एवं (NITs) राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, BCI(Bar Council of India) द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं CLAT (Common Law Admission Test) हेतु। उपर्युक्त संस्थानों/परीक्षाओं में प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त रू. 60,000/— दिये जाते हैं।		यदि अभ्यर्थी एक ही वित्तीय वर्ष में दो या अधिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है, तो उसे एक ही योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा। यह अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर निर्भर करेगा कि वह किस योजना के तहत लाभ लेना चाहता है।

नोट— अल्पसंख्यक वर्ग — (मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन समुदाय के व्यक्ति/लाभार्थी)

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

PROO ... MENT

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय बालिका इन्टर कॉलेज राजपुर रोड, देहरादून में श्रमिकों की पुत्रियों का विवाह उपरांत आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किये। दिनांक 16 सितंबर 2023

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड

गृह (पुलिस) विभाग, उत्तराखण्ड

समाज कल्याण विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	वृद्धावस्था पेंशन	प्रतिमाह रू0 1500/- पेंशन प्रदान की जाती है।	60 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे बुजुर्ग (पति-पत्नी दोनों) जिनके परिवार की मासिक आय रू0 4000/- से कम अथवा बी0पी0एल0 श्रेणी के हों। कोई अन्य पेंशन मिलने पर आवेदक को इस पेंशन का लाभ अनुमन्य नहीं है।	आवेदक, आवेदन स्वयं/कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाईन **विभाग के पेंशन पोर्टल** ssp.uk.gov.in **अथवा उमंग मोबाइल ऐप अथवा अपणि सरकार पोर्टल** https://eservices.uk.gov.in के माध्यम से करेगा। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य है – आवेदक का मोबाइल नम्बर, पासपोर्ट साइज फोटो (ग्राम प्रधान/वी0पी0डी0ओ0/पार्षद द्वारा प्रमाणित) तथा आधार कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड, सी0बी0एस0 बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक/सीड हो, की छायाप्रति। परिवार का वैध आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र। परिवार रजिस्टर की नकल। आवेदक ग्रामीण क्षेत्र हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्रों में सभासद की खुली बैठक में प्रस्ताव/पारित प्रस्ताव की प्रति। जिस जनपद में आवेदन करेंगे, उक्त सभी दस्तावेज उसी जनपद के होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र **ग्रामीण क्षेत्रों** में सत्यापन हेतु क्रमशः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है इसी प्रकार **शहरी क्षेत्रों** में सहायक समाज कल्याण अधिकारी व उपजिलाधिकारी द्वारा सत्यापन व संस्तुति उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन सही पाये जाने पर स्वीकृत कर पेंशन भुगतान की कार्यवाही की जाती है। आवेदन स्वीकृत होने के 1 माह बाद पेंशन खाते में आ जाती है।
2.	निराश्रित विधवा पेंशन	रू0 1500/- प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।	विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से कम न हो। परिवार की मासिक आय रू0 4000/प्रतिमाह से कम हो या बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र हो। अन्य पेंशन का लाभ न ले रही हो।	**वृद्धावस्था पेंशन** के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परन्तु उक्त दस्तावेजों के साथ पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा।
3.	दिव्यांग पेंशन	रू0 1500/- प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।	आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा मासिक आय रू0 4000/-प्रतिमाह से कम हो या बी0पी0एल0 श्रेणी का हो। अन्य पेंशन का लाभ न ले रहा हो।	**वृद्धावस्था पेंशन** के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परन्तु उक्त दस्तावेजों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र तथा यू0डी0आई0डी0 प्रमाण पत्र भी देना होगा।
4.		रू0 1200/-	18 वर्ष से ऊपर के महिला/पुरुष जो कृषि कार्य करते हुए 20 प्रतिशत	**वृद्धावस्था पेंशन** के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परन्तु उक्त दस्तावेजों के साथ कृषि कार्य करते हुए घायल होने का कृषि अधिकारी का

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।	से 40 प्रतिशत तक विकलांग हुए हों। पात्रतान्तर्गत आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।	प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 20 से 40 प्रतिशत तक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यू0आई0डी0 प्रमाण पत्र भी देना होगा।
५.	बौना पेंशन	रू0 1200/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।	21 वर्ष से ऊपर ऐसे बौने व्यक्ति जिनकी ऊंचाई 4 फुट से कम हो। पात्रतान्तर्गत आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।	**वृद्धावस्था पेंशन** के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं हस्तांतरण समान होंगे परन्तु बौना होने की स्थिति में विकलांग प्रमाण–पत्र की जरूरत नहीं है। सहायक समाज कल्याण अधिकारी बौने व्यक्ति की ऊंचाई नापते हैं।
६.	किसान पेंशन	रू0 1,200/- प्रतिमाह पेंशन	उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो तथा स्वयं की भूमि पर कृषि कार्य करते हैं।	**वृद्धावस्था पेंशन** के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं हस्तांतरण समान होंगे परन्तु उक्त दस्तावेजों के साथ खतौनी की नकल की प्रमाणित प्रति, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर स्वयं की भूमि पर खेती करने तथा 02 है0 अथवा 02 है0 से कम भूमि सम्बन्धी शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा। भूमि का प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा जारी/प्रपत्र पर निर्गत/प्रमाणित किया जाता है। इसमें आय प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है।
७.	परित्यक्ता पेंशन	रू0 1200 तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी को रू0 1400 प्रति माह दी जाती है।	उत्तराखण्ड में निवास करने वाली परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलायें (जो 40 वर्ष से अधिक की हो) जो बी0पी0एल0 की हों अथवा जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से आय रू0 4000/- प्रतिमाह से अधिक न हो। निराश्रित अविवाहित महिला का विवाह होने पर आर्थिक सहायता बंद हो जायेगी।	**वृद्धावस्था पेंशन** के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं हस्तांतरण समान होंगे परन्तु उसके अतिरिक्त :- • परित्यक्ता महिला के मामले में शादी की अवधि 01 वर्ष से अधिक हो जाने तथा पति को 01 वर्ष से अधिक समय से लापता होने/छोड़ जाने के सम्बन्ध में स्व–घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणित किया गया हो। • मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की स्थिति में— सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित पति अथवा पत्नी का मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की स्थिति को अंकित करते हुए मनोरोग हेतु [illegible] का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।
८.	अनु0 जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान।	अनु0जाति के परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रू0 50,000/- की दर से	अनु0जाति के परिवार की समस्त स्रोतों से मासिक आय रू0 4000/- अथवा बी0पी0एल0 श्रेणी में हो। शादी के समय युवक (दूल्हा) की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती (दुल्हन) की आयु 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हो।	आवेदक आवेदन पत्र/जनसेवा केन्द्र/पोर्टल ऑनलाईन पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in अथवा ई–सेवा पोर्टल/अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है :- आवेदक का मोबाईल नम्बर, आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवास प्रमाणपत्र, सीबीएस बैंक खाता जो आधार से लिंक/सीड हो। [illegible] आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु) युवती एवं युवक की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर/आधार कार्ड)। शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र। शपथ पत्र (आवेदक के परिवार में इसकी पूर्व सिर्फ 1 बार लाभ लिया हो

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			हो।	
11	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (भारत सरकार द्वारा संचालित)	परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उनके परिवार को रू0 20,000/- दिये जाते हैं।	जिन बी0पी0एल0 परिवार के कमाऊ सदस्य (जिनकी आयु 18 से 59 के मध्य हो) की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता परिवार को दी जाती है। परिवार के सदस्य, कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त एक वर्ष में आवेदन कर सकते हैं।	वर्तमान में ऑफलाइन आवेदन है। पात्र आवेदक द्वारा आवेदन प्रारूप, सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in/ से प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें पात्र आवेदक प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे -परिवार के सदस्य/आवेदक का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, प्रमाणित फोटो, बैंक खाता पासबुक जो आधार से लिंक/सीड हो, बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र तथा परिवार रजिस्टर की नकल, कमाऊ सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड। उक्त दस्तावेजों सहित फार्म, सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किये जाते हैं। जिला स्तर से आवेदन भारत सरकार को भेजने तथा धनराशि प्राप्त होने पर धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में भुगतान की जाती है।
12.	अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को कक्षा 01 से 08 तक की छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति धनराशि (राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	• आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। • उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। • अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राएं। • आवेदक सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले रहा हो।	विद्यार्थियों द्वारा भारत सरकार के (National Scholarship) एन0एस0पी0 पोर्टल (https://scholarships.gov.in) में ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे–आवेदक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, प्रमाणित फोटो तथा पी0एफ0एम0एस0 बैंकखाता जो आधार लिंक/सीड हो, पूर्व कक्षा उत्तीर्ण अंकपत्र, आवेदक सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले रहा हो का स्वघोषणा पत्र। आवेदन प्राप्त होने की आई0डी0 से अपने शिक्षण संस्थान को प्रेषित करना है। सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र को जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाइन अग्रसारित करना है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पूर्ण आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। अपूर्ण आवेदन पत्रों, जिसे सही किया जा सकता है को अस्थायी रूप से रिजेक्ट किया जाता है तथा जिन्हें सही नहीं किया जा सकता है, उनको स्थाई रूप से रिजेक्ट किया जाता है। पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि सीधे खाते में भेजी जाती है।
13.	अनुसूचित जाति/जनजाति कक्षा 09 तथा 10 की छात्रवृत्ति योजना	छात्रवृत्ति धनराशि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित का लाभ दिया जाता है।	• ऐसे छात्र/छात्राएं जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक हो। • उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। • अनुसूचित जाति/जनजाति का छात्र/छात्रा हो।	क्रमांक–12 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परन्तु छात्र के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक का आय प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।
14	अनुसूचित जाति/जनजाति	छात्रवृत्ति धनराशि केन्द्र/राज्य	अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे छात्र/छात्राएं जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0	क्रमांक–12 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परन्तु छात्र के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक का आय प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	संचालन	निःशुल्क सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है।	निवासियों हेतु संचालित। राज्य में 02 वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह संचालित है। वर्तमान में जनपद चमोली एवं बागेश्वर में हैं।	करवायी जाती है जिसमें राजस्व निरीक्षक की आख्या, तहसीलदार की संस्तुति, प्राप्त होती है तथा चिकित्सक द्वारा जारी दूसरे संवासीयों को संक्रमित नही करने वाली बीमारी का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाता है। जांच के उपरांत, दिये गये निवेदन / प्रार्थना पत्र के क्रम में जिलाधिकारी / मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित आवास में रहने हेतु आदेश पारित किया जाता है तथा संबंधित व्यक्ति उसके उपरांत आवास में निवास कर सकता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEP.

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
6.	100 % अशक्त बच्चों हेतु अनुदान	रू0 3000 / - प्रतिमाह	सभी रैंक के पूर्व सैनिक / सैनिक विधवा के शत–प्रतिशत विकलांग बच्चों हेतु अनुदान।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइन/आईडी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, आवेदक के बैंक पास बुक, आवेदक एवं अशक्त बच्चे का पहचान पत्र, तथा चिकित्सालय द्वारा जारी पूर्व सैनिक के शत–प्रतिशत अशक्त बच्चे का प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एनआईसीएम डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
7.	निराश्रित अनुदान	रू0 3000 / - प्रतिमाह	समस्त रैंक के पूर्व सैनिक तथा सैनिक विधवा दोनों की मृत्यु होने पर उनके निराश्रित बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक अथवा विवाह होने तक (जो भी पूर्व हो) अनुदान धनराशि दी जाती है।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइन/आईडी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – डिस्चार्ज बुक, आवेदक का पहचान पत्र, जन्म प्रमाण, बैंक पास बुक, माता–पिता मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक पुत्री होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अविवाहित प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एनआईसीएम डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
8.	विशेष चिकित्सा सहायता	अधिकतम रू0 1,50,000 (प्रथम बार)। आश्रित सदस्यों हेतु अधिकतम ...	समस्त रैंक के नान ई०सी०एच०एस० सदस्य की निम्न बीमारियों हेतु अनुदान – (1) एन्जियोप्लास्टी, एन्जियोग्राफी। (2) सी०ए०बी०जी०, डायलिसिस। (3) ओपन हार्ट सर्जरी। (4) प्रोस्टेट रिप्लेसमेंट। (5) पेस मेकर इम्प्लांट। (6) सिरेब्रल स्ट्रोक।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइन/आईडी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – डिस्चार्ज बुक, आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, चिकित्सा से संबंधित मूल बिल, जिसमें संबंधित चिकित्सक के मुहर सहित हस्ताक्षर हो, एडमिशन एवं डिस्चार्ज रिपोर्ट जिसमें चिकित्सालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित हो, अन्य स्रोत से उक्त हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त न करने का स्वघोषणा प्रमाण पत्र।

PROGRAMME IMPLEME

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		की कुल धनराशि का 75% एवं अन्य रैंक हेतु 90% (अधिकतम रु075000 प्रतिवर्ष)।	(7) प्रोस्टेट सर्जरी। (8) ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। (9) लिवर सिरोसिस। (10) कैंसर।	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को अग्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को अग्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त ई०सी०एस० के माध्यम से किया जाता है।
9.	भवन निर्माण हेतु लिए गये ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति	अधिकतम रु0 1,00,000 तक ब्याज की प्रतिपूर्ति।	युद्ध में शहीद सैनिक के आश्रित, युद्ध विकलांग सैनिक एवं सक्रिय क्षेत्र में सैन्य सेवा के कारण विकलांग सेवानिवृत्त सैनिकों को भुगतान किया जाता है। आवेदक द्वारा भवन निर्माण हेतु बैंकों से, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान जैसे एल.आई.सी., डी.आई.सी. एवं हुडको से लिये गये ऋण के ब्याज की आंशिक प्रतिपूर्ति।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा पंजीकरण के उपरान्त अपनी लॉगइन/आई०डी० के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – डिस्चार्ज बुक, पी०पी०ओ०, आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें ऋण भुगतान की किश्तें/ब्याज एवं धनराशि अंकित हो, भूमि व भवन का स्वामित्व प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को अग्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को अग्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त ई०सी०एस० के माध्यम से किया जाता है।
10.	मोबिलिटी इक्विपमेन्ट सहायता	मोटराइज्ड स्कूटर हेतु वास्तविक व्यय अथवा रु0 1,00,000 जो भी कम हो।	पूर्व सैनिक जो सेवामुक्ति के बाद 50% से अधिक (लोअर लिम्ब) की विकलांगता हेतु।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा पंजीकरण के उपरान्त अपनी लॉगइन/आई०डी० के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – डिस्चार्ज बुक, पी०पी०ओ०, आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पास बुक, सेना चिकित्सालय द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को अग्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को अग्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त ई०सी०एस० के माध्यम से किया जाता है।
11.	प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना	पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं के	व्यावसायिक शिक्षा (इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेन्टल, वेटनरी, एम०बी०ए० आदि ए०आई०सी०टी०ई० की वेबसाइट पर अंकित	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा पंजीकरण के उपरान्त अपनी लॉगइन/आई०डी० के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं –

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अहर्ता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		पुत्र को रु0 2500 प्रतिमाह एवं पुत्री को रु0 3000 प्रतिमाह।	स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स (पुत्री) अध्ययन कर रहे उ0प्र0 के मूल निवासी पूर्व सैनिक के आश्रित पुत्र/पुत्री। आश्रित पुत्र/पुत्री द्वारा 12वीं/Minimum Education Qualification (MEQ) की परीक्षा (जो भी अनुमन्य हो) में 60 % से अधिक अंक प्राप्त किए हो।	आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पास बुक, के0एस0बी0 की वेबसाइट पर एनक्लोजर एनेक्सचर-1, 2 एवं 3 को भरकर अपलोड करना, 10वीं की अंक तालिका, 12वीं/MEQ की अंक तालिका, पूर्व सैनिक की श्रेणी के आधार पर पी0पी0ओ0/भाग-2 आदेश/पहचान पत्र/पी0पी0ओ0 जो भी अनुमन्य हो, शपथ पत्र यदि पुत्र/पुत्री पूर्व सैनिक की सेवानिवृत्ति के बाद जन्म हुआ हो। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त भेजे गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किए जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किए जाते हैं। आवेदन स्वीकृत किये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाता है।
11	एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 में प्रवेश	केंद्र/राज्य सरकार की एमबीबीएस एवं बीडीएस सीटों में चयन में वेटेज।	शहीद सैनिक/पूर्व सैनिक/सेवारत सैनिकों के आश्रितों को निम्नवत् वरीयता क्रम के आधार पर सीटों का आवंटन :- (1) युद्ध में शहीद सैनिक। (2) युद्ध में घायल सेवानिवृत्त सैनिक। (3) शांति काल में सैन्य सेवा के दौरान शहीद सैनिक। (4) शांतिकाल में सैन्य सेवा के कारण दिव्यांग सैनिक। (5) वीरता पदक प्राप्त सैनिक।	केन्द्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in से संबंधित आवेदन-पत्रों का प्रारूप डाउनलोड कर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जहां संबंधित सैनिक पंजीकृत हो, वहां से प्रमाणित कराने के उपरान्त निदेशालय सैनिक कल्याण कार्यालय से काउंटर साइन होता है जिस हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :- आवेदन पत्र, 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, डिस्चार्ज बुक, पहचान पत्र। उक्त प्रमाण पत्र का उपयोग करने के बाद संबंधित सीटों में चयन हेतु वेटेज प्राप्त किया जा सकता है।
			राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा देय सहायता	
12	वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी धनराशि	एकमुश्त धनराशि अधिकतम 30 लाख तथा न्यूनतम 4 लाख दी जाती है, साथ ही वार्षिकी अधिकतम	वीरता पदक से अलंकृत राज्य के सेवारत सैनिकों/पूर्व सैनिकों को एकमुश्त अनुदान/वार्षिकी अनुमन्य है। सैनिक के शहीद होने अथवा मृत्यु होने की दशा में निम्नवत् अनुमन्य है :- (1) वीर नारी (पुनः जीवनपर्यन्त अथवा दूसरा विवाह करने तक)। (2) पुत्र (25 वर्ष की आयु तक)/पुत्री (विवाह होने तक)। (3) माता-पिता। (4) अविवाहित बहनें।	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर संबंधित कार्यालय में ही जमा करना होता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज :- आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं निरस्त किया हुआ चेक, यदि आवेदक आश्रित हो तो आश्रित का पहचान पत्र, उत्तराधिकार का मृत्यु प्रमाण-पत्र, जो वीरता पदक से अलंकृत किये जाने के सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति, इस आशय का शपथ पत्र (रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर) कि वीरता पदक पर उ0प्र0 एकमुश्त अनुदान/वार्षिकी धनराशि किसी दूसरे राज्य से प्राप्त न किया हो और पत्र की भांति में शपथ पत्र/प्रमाण पत्र की छायाप्रति, यदि आवेदक भूतपूर्व सैनिक हो तो डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर आवेदनों की जांच के पश्चात्

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अभ्यर्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			शहीद आश्रितों अथवा विधुर को विहित धनराशि जनपद–स्तर से दिया जायेगा।	
16.	आवासीय सहायता अनुदान।	रू0 2 लाख एकमुश्त अनुदान।	विभिन्न युद्धों व सैन्य अभियानों में शहीद सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों एवं युद्ध दिव्यांग सेवा मुक्त सैनिकों को पूरे जीवन में एक बार भवन निर्माण/मरम्मत हेतु अनुदान।	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर उसी कार्यालय में ही जमा करना होता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज – शहीद सैनिक/युद्ध दिव्यांग सेवामुक्त सैनिक की बैटल कैजुअल्टी रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि, बैटल कैजुअल्टी या पार्ट टू आर्डर की सत्यापित प्रतिलिपि, आश्रितों का प्रमाण–पत्र, भवन निर्माण/मरम्मत के कार्य का आगणन अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा जारी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक को पूर्व में राज्य सरकार से आवासीय सहायता भुगतान न करने का प्रमाणपत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर आवेदनों की जांच के पश्चात् सही पाये गये आवेदकों को डी.बी.टी. के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाता है।
17.	इंजीनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।	इंजीनियरिंग –12 हजार, मेडिकल–15 हजार, पीएचडी–10 हजार, प्रतिवर्ष	इंजीनियरिंग/मेडिकल एवं पीएचडी की कक्षाओं में अध्ययनरत पूर्व सैनिकों के आश्रितों को अनुमन्य धनराशि भुगतान की जाती है। नोट :– आवेदक का बैंक खाता एवं डिस्चार्ज बुक में नाम अंकित होना अनिवार्य है।	आवेदक द्वारा सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाईट www.sainikkalyan.org पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – आवेदक का आधार कार्ड, बैंक खाता, पूर्व सैनिक पहचान पत्र, डिस्चार्ज बुक, शिक्षा कोर्स में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय एवं निदेशालय स्तर पर आवेदनों की जांच के पश्चात् सही पाये गये आवेदकों को डी.बी.टी. के माध्यम से [illegible] शहीद परिवार [illegible] सहायता कोष से स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाता है।
18.	निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण।	01 वर्षीय कम्प्यूटर/एकाउंटिंग निःशुल्क प्रशिक्षण।	पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा एवं उनके आश्रित, जिनकी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास हो, हेतु अनुमन्य है, जिनमें उत्तराखण्ड की किसी संस्था में निम्न प्रशिक्षण वर्तमान में दिये जा रहे हैं – • डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग अवधि– 01 वर्ष • डिप्लोमा इन प्रोफेशनल एकाउंटिंग अवधि– 01 वर्ष	सर्वप्रथम निदेशक सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रचार–प्रसार के माध्यम से पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों से कोर्स हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – [illegible] आधार कार्ड, पूर्व सैनिक पहचान पत्र, डिस्चार्ज बुक, 12वीं पास प्रमाण पत्र। इसके उपरान्त संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था की सूची उपलब्ध करायी जाती है तथा संबंधित संस्था आवेदकों को प्रशिक्षण शुरू किये जाने से पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	समेकित बाल विकास सेवायें (आई.सी.डी.एस.)	आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से निःशुल्क निम्न सेवायें प्रदान की जाती हैं :- 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों को अनुपूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण/टीकाकरण, संदर्भ सेवायें। 03 वर्ष-06 वर्ष के बच्चों को प्रतिरक्षण/टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, संदर्भ सेवायें। गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रतिरक्षण/टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सेवायें।	[illegible] 06 माह से 06 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलायें एवं धात्री मातायें। इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु आय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है।	संबंधित क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा या स्वयं लाभार्थी द्वारा नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र पर जाकर योजना के लाभ हेतु पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकरण कराने हेतु गर्भवती/धात्री महिला/बच्चे का आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में नव पंजीकृत का योजना का निम्न प्रकार लाभ दिया जाता है :- **हॉट कुक्ड फूड** :- आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत 03 से 06 वर्ष के स्कूल पूर्व शिक्षा के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं ताजा पका भोजन, महीने में 25 दिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिया जाता है। **टेक होम राशन** -06 माह से 03 वर्ष के बच्चों, 03-06 वर्ष के ऐसे अतिकुपोषित बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से मासिक टी०एच०आर० के रूप में गेहूं एवं फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रतिरक्षण, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण प्रदान किया जाता है।
2.	किशोरी बालिका योजना	किशोरी बालिकाओं को पोषण, स्वास्थ्य एवं जीवन कौशल विषयों पर जागरूकता तथा वर्ष में 300 दिवस अनुपूरक पोषाहार (फोर्टिफाइड चावल एवं गेहूं प्रत्येक माह में 25 दिन के अनुरूप) दिया जाता है।	[illegible] के आकांक्षी जनपद– हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर की 14 वर्ष से 18 वर्ष की समस्त किशोरी बालिकाएं।	पोषण ट्रैकर एप के माध्यम से लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाता है, जिसके लिए किशोरी का आधार एवं जन्मप्रमाण पत्र आवश्यक है।
3.	वन स्टॉप सेन्टर	पीड़ित महिला/किशोरी को एक ही स्थान/छत पर अस्थाई/शरण के साथ-साथ परामर्श, चिकित्सा सुविधा, कानूनी सहायता, पुलिस सुविधा एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवाएं एक ही परिसर में 24x7 निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।	पीड़ित महिलायें/किशोरी (दुर्व्यवहार, बलात्कार, घरेलू हिंसा आदि से पीड़ित)	मिशन शक्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में 01 वन स्टॉप सेन्टर स्थापित किया गया है। पीड़ित महिला/किशोरी सीधे वन स्टॉप सेन्टर में जाकर अपनी समस्या से अवगत करा सकती है या राष्ट्रीय महिला हेल्पलाईन 181 पर फोन करके अपनी समस्या दर्ज करा सकती है। सेन्टर द्वारा तैनात साइकोलॉजिस्ट/काउंसलर/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पीड़ित महिला की समस्या अनुसार आवश्यकतानुसार चिकित्सा, पुलिस, कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	योजना	में कन्या के जन्म के समय रू0 11000/- एवं बालिका द्वारा **कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर** रू0 51000/- की धनराशि दी जाती है। **प्रथम किश्त हेतु कन्या के जन्म होने के** 06 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है तथा बालिका का जन्म किसी चिकित्सालय/एएनएम सेंटर में होना अनिवार्य है। **द्वितीय किश्त, बालिका द्वारा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर,** जिस वर्ष 12वीं पास किया हो, उसी वर्ष जुलाई माह से आवेदन मांगे जाते हैं तथा उसी वर्ष के नवम्बर माह तक आवेदन जमा करने पड़ते हैं। अगले वर्ष में आवेदन करने पर आवेदन मान्य नहीं होगा। बालिका द्वारा 12वीं पास उत्तराखण्ड बोर्ड/अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड/राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नई दिल्ली से किया होगा, तो ही मान्य होगा। बालिका अविवाहित होनी आवश्यक है।	वार्षिक आय अधिकतम रू0 [illegible]000/- हो तथा केटेगरी की 2 बालिकाएं पात्र होंगी। माता/पिता/अभिभावक द्वारा परिवार की अन्य बालिकाओं को पूर्व में कन्या के जन्म पर योजना का लाभ लिये जाने/न लिये जाने विषयक शपथ पत्र देना अनिवार्य है, जिसमें निम्न बिंदु अंकित किये जायेंगे – मेरे द्वारा भ्रूण लिंग जांच एवं अन्य जांच नहीं करवाया गया/कराया नहीं की गयी है। मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि यह लाभ मेरी प्रथम/द्वितीय पुत्री द्वारा लिया जा रहा है। मेरे द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। मेरे द्वारा परिवार के समस्त खातों का विवरण एक वर्ष के बैंक स्टेटमेंट सहित दे दिया गया है। 12वीं पास होने की स्थिति में संबंधी बालिका अविवाहित है, अंकित करना होगा। नारी निकेतन, बालिका निकेतन, अनाथ आश्रम, राज्य सरकार द्वारा	https://www.nandagaurauk.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है, पंजीकरण हेतु आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद निर्धारित अवधि के भीतर लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेज अपलोड करने अनिवार्य हैं – **कन्या के जन्म पर–** मातृशिशु सुरक्षा कार्ड/एम0सी0पी0 (टीकाकरण) कार्ड, जन्मे शिशु की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, माता का संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र, माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता जो आधार से लिंक/सीड हो, मोबाइल नंबर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। **बालिका के 12वीं पास करने पर–** बालिका की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता जो आधार से लिंक/सीड हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र, कक्षा 12वीं उत्तीर्ण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय/अन्य शिक्षण संस्थान से कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली बालिका द्वारा प्रधानाचार्य प्रमाण पत्र, ... शिक्षा से संबंधित के पूर्ण अभिलेखों की प्रति लगाने आवश्यक है, प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 12 उत्तीर्ण का निर्धारित प्रमाण पत्र ... ऑनलाइन करने के लिए आवश्यक है। **उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्न दस्तावेज, दोनों किश्तों का लाभ लेने के लिए आवश्यक है–** आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल या तहसीलदार/पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल प्रमाण पत्र, नगरीय/ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया गृह कर या किराया रसीदों के ... ... की स्थिति में गृह कर न होने का ग्राम प्रधान/पार्षद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, परिवार के समस्त सदस्यों के बैंक पासबुक की प्रति/विगत 01 वर्ष के बैंक स्टेटमेंट की प्रति, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) में परिवार की स्थिति के ... की प्रति (यदि उपलब्ध हो), शपथ पत्र, अन्य आवश्यक अभिलेख परिवार के विगत 03 वर्ष के बिजली के बिलों की प्रति तथा विगत 01 वर्ष के पानी के बिल की प्रति कनेक्शन न होने की स्थिति में शपथ पत्र में अवश्य उल्लेख करें। आवेदन ऑनलाइन जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा जांच

PROGRAMME IMP

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			महाविद्यालय अथवा गृहों में रहने वाली बालिकाओं को 12वीं उत्तीर्ण होने के उपरान्त उच्च शिक्षा के लिए उच्च अध्ययन एवं आश्रम निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या माता-पिता के नाम की अनिवार्यता से छूट प्रदान होगी।	की जाती है एवं जांच में सही पाये जाने पर प्रोत्साहन राशि की इलेक्ट्रानिक के माध्यम से लाभार्थी खाते में भुगतान की जाती है।
7	मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना	मध्याह्न भोजन बच्चों (3 वर्ष से 06 वर्ष) को सप्ताह में दो दिन अण्डा एवं दो दिन केले दिये जाते हैं।	3 वर्ष से 06 वर्ष बच्चे	आंगनबाड़ी केन्द्र पर जो बच्चे जाते हैं/पंजीकृत होते हैं उनको केन्द्र में ही लाभ प्रदान किया जाता है।
8	मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना	गर्भवती/धात्री महिलाओं को सप्ताह में दो दिन अण्डा एवं दो दिन खजूर दिया जाता है जिन पंजीकृत गर्भवती/धात्री महिलाओं द्वारा अण्डा नहीं लिया जाता उनको खजूर उपलब्ध कराया जाता है।	गर्भवती/धात्री महिलायें	आंगनबाड़ी केन्द्र पर महिला पंजीकृत होती है, उनको केन्द्र में ही लाभ प्रदान किया जाता है।
9	मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना	03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को फोर्टिफाइड मिल्क विटामिन ए व डी युक्त सुगन्धित दूध सप्ताह में चार दिन दिया जाता है।	03 से 06 वर्ष तक के बच्चे	आंगनबाड़ी केन्द्र पर जो बच्चे जाते हैं/ पंजीकृत होते हैं उनको केन्द्र में ही लाभ प्रदान किया जाता है।
10	मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना	राज्य में प्रसवोपरान्त महिला को प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर एक-एक किट एवं जुड़वा बच्चों के जन्म पर महिला को दोनों बच्चों को पृथक-पृथक दो **महालक्ष्मी किट** से लाभान्वित किया जायेगा।	गर्भवती महिलायें (जो इन्स्टीट्यूशनल डिलिवरी न हो), जो आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो, को प्रसवोपरान्त महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है।	आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत गर्भवती महिला का प्रसवोपरान्त प्रसव होने के उपरान्त, लाभ के रूप में **महालक्ष्मी किट** प्रदान की जाती है। किट के अन्तर्गत महिलाओं और बच्चों के लिए निम्न सामग्री निर्धारित की गई है -**माताओं के लिए** - ड्राई फ्रूट, तुलसी, स्कार्फ, तौलिया, शाल, कम्बल, बेडशीट, सैनेटरी पैड, सरसों तेल, साबुन, नेलकटर। **बालिका के लिए** - सूती/गर्म टोपी, तुलसी, आदि, तौलिया, बेबी सोप, मच्छरदानी, गर्म कपड़ा, टीकाकरण कार्ड।
11	तीलू रौतेली पुरस्कार	प्रत्येक जनपद से एक महिला अथवा किशोरी जिसने किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की हो, को राज्य सरकार द्वारा रू0 51000.00 की नकद धनराशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।	राज्य की ऐसी महिलायें एवं किशोरियाँ जिनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों- सामाजिक, शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, साहस व बहादुरी का उत्कृष्ट कार्य किया हो	विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से वर्ष में एक बार आवेदन मांगे जाते हैं। समस्त आवेदन विभागीय वेबसाइट https://wecd.uk.gov.in पर ऑनलाइन जमा होते हैं। प्राप्त आवेदनों को जनपद स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण कर निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय को तीन नाम प्रेषित किये जाते हैं। जिसे राज्य स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन कर अंतिम अभ्यर्थी का

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		घंटे होने पर रू. 4500/– प्रतिमाह अर्थात 300 घंटे होने पर प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान किया जाता है। चिन्हित प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से दी जाती है तथा प्रशिक्षण में उपस्थिति के अनुसार मानदेय दिया जाता है। उपस्थिति 90 प्रतिशत होनी अनिवार्य है।	अल्पसंख्यक वर्ग के हों, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर/ नेटवर्किंग/ एकाउण्टिंग इत्यादि व्यवसायों के प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हो। परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1,50,000 एवं शहरी क्षेत्र में [illegible] होनी चाहिए।	द्वारा आवेदक को साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र प्रेषित किया जाता है। आवेदक को उस समय भी सभी दस्तावेजों की मूल प्रति लानी होगी। चयन के उपरांत संस्थाओं/ एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। यदि किसी को प्रशिक्षण प्राप्त करना हो तो आवेदक विज्ञापन पूर्व भी प्रार्थना पत्र अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा कर सकता है ताकि प्रशिक्षण शुरू होने पर चयन में विचार किया जाये।
3.	मौलाना आजाद एजूकेशन फाईनेन्स कारपोरेशन योजना	अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु रू0 5 लाख तक का आसान सुलभ ऋण का लाभ दिया जाता है।	अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे छात्र–छात्राएं जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हों, आयु 16 वर्ष से 32 वर्ष के मध्य हो, 12वीं उत्तीर्ण हो तथा एक निजि विश्वविद्यालय/ कॉलेज/ संस्थान में अध्ययन हेतु प्रवेश हो/ प्रवेशित किया हो जो भारत सरकार/ राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू0 2,50,000 होनी चाहिए। ऋण प्राप्त करने वाले छात्रों को शिक्षा पूर्ण करने के 6 माह/ नौकरी मिलने के उपरांत अगले 5 वर्षों में ऋण की वापसी करनी होगी।	आवेदन पत्र जनपदीय कार्यालय से प्राप्त कर जनपदीय कार्यालय में दिनांक 31 अगस्त तक जमा किया जाता है तथा आवेदन पत्र में संलग्नक होता है। आवेदन पत्र के साथ आवेदक का वोटर आईडी/ आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, जन्मतिथि पत्र, पिछले वर्ष की मार्कशीट, कॉलेज/ संस्थान में एडमिशन प्रमाण पत्र, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज आईडी, राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक, इस आशय का शपथ पत्र कि ऋण योजना का लाभ प्रथम बार लिया जा रहा है। 02 गारन्टर के वेतन/ आय सम्बंधी प्रमाण पत्र, गारन्टरों के पैन कार्ड, वोटर आईडी/ आधार कार्ड, हैसियत प्रमाण–पत्र सिविल संलग्न करनी होगी। तत्पश्चात जनपदीय कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशालय मुख्यालय को प्रेषित किये जाते हैं। इसके उपरान्त उत्तराखण्ड शासन के गठित चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं जिसे ऋण चयन समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है एवं ऋण की स्वीकृत धनराशि संस्थान की मांग के अनुसार सम्बंधित जनपद को खाते में हस्तान्तरित कर दी जाती है। जनपदीय कार्यालय द्वारा सम्बंधित आवेदक को धनराशि खाते में दी जाती है। वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट सीमा के अंतर्गत ही ऋण स्वीकृत होते हैं अतः प्रथम आओ प्रथम पाओ नियम अपनाये जाते हैं।

श्रम विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया** **(असंगठित कामगारों का एकीकृत नेशनल डेटा बेस)**	ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने पर असंगठित कामगार को **ई-श्रम कार्ड** प्राप्त होता है, जो असंगठित कामगार की पहचान पत्र के रूप में उपयोग होता है। पंजीकरण के पश्चात पंजीकृत कामगार को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 02 लाख का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क 1 वर्ष के लिए होता है। इसके साथ ही इनके असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाया जा रहा है। ताकि उनको योजनाओं का लाभ प्रत्येक असंगठित कामगार को आसानी से मिल सके तथा भविष्य में कोविड जैसे आपातकालीन स्थिति में सीधे लाभ पहुंचाया जा सके।	असंगठित कामगार (प्रवासी कामगार, प्रवासी कामगार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, खेती करने वाले भूमिहीन कामगार, कृषि कामगार, भवन निर्माण के कामगार, सहयोगी कामगार, घरेलू कामगार, दुकानदार, स्व-नियोजित कामगार आदि) हो। ऐसा कामगार ईपीएफओ/ईएसआईसी के सदस्य न हो अथवा उसका ईपीएफओ/ईएसआईसी कार्ड न हो तथा उसका नियोक्ता न सरकार की तरफ सरकारी कर्मचारी न हो। ऐसे असंगठित कामगारों की आयु 16-59 वर्ष के बीच हो। ई-श्रम कार्ड हेतु पात्र होंगे।	असंगठित कामगार द्वारा पंजीकरण स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल https://eshram.gov.in पर तथा UMANG ऐप के माध्यम से किया जाता है। पंजीकरण हेतु आधार नंबर, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या आवश्यक है। नोट- यदि किसी भी व्यक्ति के पास उनका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वह अपने नजदीकी CSC से बायोमैट्रिक ऑथेन्टिकेशन के द्वारा पंजीकरण करवा सकता है। पंजीकरण के दौरान कामगार का नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रकार, परिवार के विवरण इत्यादि सूचनाएं भरी जाती हैं। पंजीकरण के उपरांत ई-श्रम कार्ड बन जाता है जिसे भविष्य हेतु सुरक्षित रखना पड़ता है।
2.	**प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)**	60 वर्ष की आयु के उपरान्त लाभार्थी को रू 3000/- की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर पत्नी/पति को 50% मासिक पेंशन हेतु पात्र। पति और पत्नी दोनों के योजना में शामिल होने की स्थिति में वे रू 6000/- मासिक पेंशन हेतु पात्र होंगे। यह योजना स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित है, जिसमें लाभार्थी को आवेदन करने के दौरान से ही मासिक अंशदान न्यूनतम रू 55/- से	18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित कर्मकार जैसे-घरेलू श्रमिक, कृषि मजदूर, भवन निर्माण श्रमिक, रेहड़ी पटरी, रिक्शा चालक, मजदूरी, धोबी, चर्म श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता इत्यादि जिनकी मासिक आय रू 15,000/- से कम हो तथा आयकरदाता न हो।	लाभार्थी अपना आवेदन स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भारत सरकार के पोर्टल https://maandhan.in पर आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के दौरान आधार, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, बैंक खाता जिससे मासिक अंशदान धनराशि का भुगतान किया

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		अधिकतम रू0 200/- तक का भुगतान (उम्र के अनुसार मासिक भुगतान सिस्टम पर स्वतः ही गणना के उपरान्त निर्धारित होगा) 60 वर्ष तक करना पड़ता है तथा उतना ही अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।	नई पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना (ESIC) या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) में पंजीकृत न हों।	जायेगा का विवरण देना होगा तथा नोमिनी का सही विवरण देना होगा है। लाभार्थी प्रथम किश्त/भुगतान स्वयं ऑनलाइन जमा करेगा अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जमा करेगा। भुगतान के उपरान्त पेंशन नम्बर प्रदर्शित होगा।
3.	**राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders)**	60 वर्ष की आयु के उपरान्त लाभार्थी को रू0 3,000/- की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलने का प्रावधान है। लाभार्थी की मृत्यु पर उत्तराधिकारी पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन हेतु पात्र। पति और पत्नी दोनों के योजना में शामिल होने की स्थिति में वे रू0 6,000/- मासिक पेंशन हेतु पात्र। यह योजना भी स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित है जिसमें लाभार्थी को आवेदन करने के दौरान से ही मासिक धनराशि न्यूनतम रू0 55/- से अधिकतम रू0 200/- तक का भुगतान (उम्र के अनुसार मासिक भुगतान सिस्टम पर स्वतः ही गणना के उपरान्त निर्धारित होगा) 60 वर्ष तक करना पड़ता है तथा उतना ही अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।	18 से 40 आयु वर्ग के लघु एवं खुदरा व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों हेतु। रूपया 1.50 करोड़ से कम वार्षिक टर्न ओवर वाले खुदरा व्यापारी/दुकानदार एवं स्व-नियोजित व्यक्ति। लाभार्थी आयकर दाता न हों।	उक्त जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त एक स्वघोषणा प्रमाण पत्र जनरेट होता है जिसमें लाभार्थी को स्वघोषणा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके पुनः अपलोड करना पड़ता है तथा उसके उपरान्त पेंशन कार्ड जारी होता है जिसे भविष्य के लिए सम्भालकर रखना पड़ता है। बैंक द्वारा स्वतः वैरिफिकेशन करने के उपरान्त भविष्य में ऑटो डेबिट खाते से अंशदान कटने लगता है। उक्त योजना का वित्तीय प्रबन्धन पेंशन फण्ड मैनेजर – भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है।

****

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/मानदंड	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	श्रमिक कार्ड एवं श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण	भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की समस्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु यह कार्ड अनिवार्य है। यह कार्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार की पहचान के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।	सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों के निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों जैसे पुल, सड़क, [illegible], सिंचाई, जल निकासी, तटबंध, सुरंग, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, जल-कार्य, तेल एवं गैस इन्स्टालेशन तथा नहर, जलाशय, [illegible] डाईक, टावर, टेलीविजन, टेलीफोन-टेलीग्राफ आदि से संबंधित निर्माण कार्य सम्पन्न, रख-रखाव आदि में कार्य रत यथा [illegible], बेलदार, मजदूर, मिस्त्री, पेन्टर, इलेक्ट्रिशियन आदि) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार पात्र होंगे। ऐसे कर्मकारों की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य तथा पिछले वर्ष में 90 दिन निर्माण श्रमिक/अन्य निर्माण सम्बन्धी कार्य किए जाने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।	भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार श्रमिक कार्ड हेतु अपना पंजीकरण/नवीनीकरण सरकारी जन सुविधा केन्द्र अथवा श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ पासपोर्ट आकार के 02 फोटो चाहिए। **आयु के निर्धारण हेतु**- 10वीं का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/किसी चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र/वोटर आईडी/निर्माण श्रमिक का शपथ-पत्र/[illegible] पंचायत/[illegible] अधिकारी, ग्राम प्रधान अथवा पार्षद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में से कोई एक प्रमाण पत्र। पिछले वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने का प्रमाण-पत्र तथा निर्माण श्रमिक द्वारा अपने आश्रितों के नामांकन हेतु नामांकन- पत्र भी पेश किया जाना आवश्यक है। श्रमिक का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता [illegible] जन सुविधा केन्द्र अथवा श्रमिक सुविधा केन्द्रों से ही मिल जायेगा। [illegible] होगी। [illegible] रू० 100/- (सौ रुपये मात्र) पंजीकरण शुल्क जमा करना होता है। [illegible] ऑनलाइन आवेदन संबंधित विभाग को जाता है। विभाग द्वारा [illegible] सही पाये जाने पर श्रमिक [illegible] में पंजीकृत करेंगे तथा [illegible] निर्माण श्रमिक का नाम दर्ज होगा वही [illegible] पंजीकरण संख्या होगी। पंजीकरण अधिकारी द्वारा निर्माण श्रमिक का पंजीकरण उसकी फोटो युक्त पहचान- पत्र जारी किया जायेगा। जिसे श्रमिक संबंधित विभाग के जन सुविधा केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं अथवा श्रम विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्ड तीन वर्ष तक वैध होता है। **नवीनीकरण**- तीन वर्ष पूर्ण होने के पहले ही नवीनीकरण हेतु आवेदन करना पड़ता है। प्रत्येक तीन वर्ष के लिए एक सौ रुपये मात्र का अभिदाय निर्माण श्रमिक को जमा करना आवश्यक होगा। यदि कोई श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण नहीं करेगा तो आगामी समय में लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगा। परन्तु प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से सदस्यता [illegible] प्रभावशील हो सकेगी, यह सुविधा भी 2 बार से अधिक नहीं होगी।
2.	पुत्र/पुत्री शिक्षा सहायता	निर्माण श्रमिक की पुत्र/पुत्री की शिक्षा हेतु निम्नवत धनराशि	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण	निर्माण श्रमिक द्वारा ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से जमा होगा। आवेदन के दौरान श्रमिक कार्ड, श्रमिक का आधार कार्ड, [illegible] खाता [illegible] बच्चे का आधार कार्ड, बच्चों की गत वर्ष की

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		राशि दी जाती है – कक्षा 1 से 8 तक रू0 1,800/– कक्षा 9 से 10 तक रू0 2,400/– कक्षा 11 से 12 तक रू0 3,000/– स्नातक स्नातकोत्तर अथवा उसकी समकक्ष उपाधि रू0 10,000/- व्यावसायिक पाठ्यक्रम/कोर्स करने पर जैसे [illegible] पॉलिटेक्निक एवं उच्च शिक्षा हेतु कोर्स की फीस [illegible] संस्थानों/कॉलेज के अनुसार देय होगी।	श्रमिक के 02 बच्चों हेतु। जिस वर्ष कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक की कक्षाओं में प्रवेश लिया हो उसी वित्तीय वर्ष में माह [illegible] से मार्च शिक्षा सत्र [illegible] वित्तीय वर्ष के माह जून तक आवेदन करना होगा इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई [illegible] विचार नहीं किया जाएगा। शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता वार्षिक आधार पर दी जाती है।	[illegible] की [illegible] कक्षा 01 में [illegible] आवश्यक नहीं, [illegible] द्वारा अध्ययनरत होने का प्रमाण–पत्र एवं स्वप्रमाणित पत्र। इस योजना में किसी अन्य विभाग/संस्थान से सहायता न लिए जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होता है। उसके उपरांत विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर सम्पूर्ण शैक्षणिक [illegible] हेतु आर्थिक सहायता एक बार में ही श्रमिक के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।
3	टूल–किट सहायता	रू0 10,000/– की सीमा तक टूल–किट सहायता दी जाती है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र जमा करना होता है। विभागीय जांच के उपरांत निर्माण श्रमिक को टूलकिट क्रय करने हेतु [illegible] निर्माण संबंधी टूल्स उपलब्ध किये जाते हैं। सम्पूर्ण जीवनकाल में केवल 01 बार लाभार्थी को लाभ मिलेगा।
4	साईकिल/ सिलाई मशीन सहायता	मैदानी क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों को साईकिल तथा पर्वतीय क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों अथवा उनके आश्रित को सिलाई मशीन उपलब्ध करायी जाती है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उनके आश्रित।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड तथा स्वप्रमाणित प्रमाण–पत्र जमा करना होता है। विभागीय जांच में सही पाये जाने के उपरांत साईकिल/सिलाई मशीन विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों को उपलब्ध करायी जाती है। यह सम्पूर्ण जीवनकाल में केवल एक बार दी जाती है।
5	सौर ऊर्जा सहायता	सौर ऊर्जा प्लेट/पैनल, [illegible] तथा रख–रखाव एवं सर्विस	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र, इस योजना में किसी अन्य विभाग से लाभ न लिए जाने

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				आवेदित का राशन कार्ड बनाया जाता है। संबंधित आवेदित जिला पूर्ति अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक / क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय से 10 दिन के भीतर सम्पर्क कर राशन कार्ड प्राप्त कर सकता है। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव न होने की स्थिति में, उक्त दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा करेगा। इसके उपरान्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय द्वारा जांच कर, जांच में पात्रता पाये जाने पर, निकट होने पर डिजिटलाइजेशन किया जाता है।
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार—सफेद राशन कार्ड)	प्रति यूनिट 5.00 कि0ग्रा0 खाद्यान्न 02 कि0ग्रा0 गेहूं रू0 2.00 प्रति किलो की दर 3 कि0ग्रा0 चावल रू0 3.00 प्रति किलो की दर से) वर्तमान में 01 जनवरी 2023 से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।	ऐसा परिवार जिसकी मासिक आय रू0 15,000 से कम / अन्त्योदय राशन कार्ड न हो। आदिवासी तथा सीमान्त क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी परिवार / विधवा महिला / अकेली महिला / असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति / दिव्यांग व्यक्ति / 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो परिवार का मुखिया हो परन्तु मासिक आय रू0 15,000 / — से कम हो। ऐसा परिवार जिसके पास राजस्व अभिलेखों में दर्ज सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल 2 है0 से कम हो अथवा 1 है0 सिंचित तथा 2 है0 असिंचित से कम हो अथवा कुल क्षेत्रफल 4 है0 असिंचित भूमि से कम हो। ऐसे व्यक्ति जो रिक्शा चालक, कुली, मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, मोची, लोहार, बढ़ई, ग्रामीण दस्तकार, घरों में काम करने वाले सेवक / सेविका, सफाई कर्मी का कार्य करते हों। ऐसा परिवार जो किसी अन्य किसान के अधीन उसकी भूमि के खेत जोतता है। शहरी क्षेत्रों में स्थापित मलिन एवं झुग्गी झोपड़ी में निवासित ऐसी आबादी, जो जारी शासनादेश की तिथि या उससे पहले उत्तराखण्ड राज्य में उस स्थान पर निवास करती हो। ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय पर	उक्त राशन कार्ड बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया गुलाबी राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया के अनुसार होगी परन्तु दस्तावेजों के साथ रू0 15,000 / — से कम का आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है तथा पात्रता (जो कॉलम 4 में अंकित है, उनको वरीयता प्रदान की जाती है) से संबंधित प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराने होंगे। इस योजना हेतु परिवार की मासिक आय रू0 15,000 / — से कम होनी चाहिए।

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			आयकर विभाग को देयता न बनती हो। ऐसे व्यक्ति जो बेघर हों तथा सामाजिक वर्ग से पृथक होकर संगठन या आश्रम में रहकर जीवन यापन करते हों तथा विधवा आश्रम, बाल/महिला सुधार गृह, भिक्षुक गृह, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, मानसिक रोगों से पीड़ितों का आश्रम, दिव्यांग एवं वृद्धाश्रम। उपरोक्त पात्रता के अनुसार चिन्हित करने के अनुसार अंत्योदय पात्र परिवारों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गये सर्वे के आधार पर बनायी बी0पी0एल0 सूची में से न्यूनतम प्राप्त क्रमांक में से आरोही क्रम से किया जायेगा।	
3	राज्य खाद्य योजना (पीला राशन कार्ड)	प्रति राशन कार्ड धारकों को 7.50 किग्रा चावल प्रति माह रू0 11.00 प्रति किग्रा की दर से वितरित किया जा रहा है।	ऐसा परिवार जिसकी आय 05 लाख वार्षिक या उससे कम हो, इस योजना के लिए पात्र होगा।	इस प्रकार के राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदक द्वारा सर्वप्रथम क्षेत्र के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/ जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से आवेदन प्राप्त किया जायेगा। आवेदन के साथ परिवार के समस्त सदस्यों का आधार कार्ड, मुखिया की फोटो, फोन नंबर, बैंक खाता, गैस कनेक्शन, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बिजली का बिल सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी /जिला पूर्ति कार्यालय/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में जमा करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा उक्त नाम अपने रिकार्ड से जोड़ा जाता है तथा संस्तुति सहित खाद्य आपूर्ति विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर डिजिटलाइजेशन किया जाता है। सम्बन्धित व्यक्ति जिला पूर्ति कार्यालय से 10 दिन के भीतर सम्पर्क कर राशन कार्ड प्राप्त कर सकता है। यदि सम्बन्धित राशनकार्ड धारक की आय अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह स्वयं सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को दी जायेगी। उसके उपरान्त विभाग द्वारा सम्बन्धित कार्ड धारक को उक्त योजना से बाहर किया जाता है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा भी समय–समय पर स्वयं भी निरीक्षण किया जाता है तथा ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पास करने पर भी हटाने की कार्यवाही की जाती है। किसी तीसरे पक्ष द्वारा सूचना देने

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				पर विभाग द्वारा संबंधित कार्डधारक की जांच की जाती है तथा जांच में सूचना सही पाये जाने पर संबंधित कार्ड धारक को राशन कार्ड निरस्त किया जाता है।
4.	मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना	वर्ष में 03 गैस सलेंडर निःशुल्क रिफिल।	राज्य के अन्त्योदय राशनकार्ड धारक (गुलाबी कार्ड)	जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा क्षेत्र की संबंधित गैस ऐजन्सी को अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों की सूची उपलब्ध करायी जाती है। अन्त्योदय राशन कार्ड धारक द्वारा नजदीकी गैस एजेंसी से अपने राशन कार्ड का विवरण, आधार कार्ड / बैंक खाता का विवरण एजेंसी में लिंक कराने के उपरांत निःशुल्क रिफिल का लाभ लिया जा सकता है। अन्त्योदय राशन कार्ड धारक द्वारा प्रत्येक 04 माह में 01 निःशुल्क रिफिल प्राप्त करने हेतु पहले गैस का पूरा मूल्य गैस एजेन्सी जमा कर सिलेण्डर प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात् गैस की धनराशि सीधे उपभोक्ताओं के खाते में डी०बी०टी० के माध्यम से वापस भुगतान की जाती है।
5.	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	गरीब परिवार को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।	गरीब परिवार की ऐसी महिला मुखिया को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिलता है जिनका पूर्व से कोई गैस कनेक्शन न हो तथा वह अनु जाति / जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थी (गुलाबी राशनकार्ड धारक), एसईसीसी हाउसहोल्ड अथवा कोई गरीब परिवार जो 14 बिंदुओं के अनुसार निर्धारित है, की महिला हो।	योजनान्तर्गत ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन न हो, उस परिवार की महिला के नाम से कनेक्शन निर्गत किया जायेगा। उसके लिए परिवार रजिस्टर / राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार के साथ निकटतम गैस ऐजन्सी में आवेदन किया जा सकता है।

****

गृह (पुलिस) विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनकी विधवाओं को मासिक/पारिवारिक पेंशन।	रूपये 25,000/- मासिक/पारिवारिक पेंशन दी जाती है।	उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी तथा उनकी विधवा।	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों एवं उनकी विधवाओं को आवेदन का प्रारूप जिलाधिकारी कार्यालय से मुफ्त उपलब्ध होता है। आवेदन के प्रारूप के साथ आवेदन हेतु वांछित दस्तावेजों का विवरण उत्तरप्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों और उनके आश्रितों को दिये जाने वाले अनुदान तथा स्वतन्त्रता संग्राम पेंशन संबंधी नियम, 1975 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के पृष्ठ संख्या 13 से 17 तक में वर्णित है। वांछित दस्तावेज लगाने के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा। जिलाधिकारी द्वारा जांच के उपरान्त आख्या/संस्तुति के क्रम में मा० विभागीय मंत्री/मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जाती है यह धनराशि भी मिलती है।
2	उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रथम पीढ़ी के सभी जीवित विधिक उत्तराधिकारियों को सम्मिलित रूप से अनुमन्य "सम्मान पेंशन" की योजना।	प्रतिमाह रूपये 4,000/- सम्मान पेंशन दी जाती है।	उत्तराखण्ड प्रदेश के अधिवासी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की प्रथम पीढ़ी के सभी जीवित विधिक उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे।	सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आवेदन प्राप्त किया जा सकता है तथा आवेदन के साथ वांछित अभिलेखों को संलग्न कर आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से जांच के उपरान्त ही सम्मान पेंशन स्वीकृत की जायेगी। उक्त पेंशन दिवंगत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की विधवा पत्नी/विधुर पति के जीवनोपरान्त ही प्रारम्भ होगी और दिवंगत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की प्रथम पीढ़ी के सभी जीवित विधिक उत्तराधिकारी, जिसमें उनके पुत्र एवं पुत्री चाहे वे विवाहित हों अथवा अविवाहित हों, के साथ-साथ प्रथम पीढ़ी की उत्तराधिकारी की विधवा भी सम्मिलित रूप से पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।
3	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पुत्रवधु को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा।	उत्तराखण्ड परिवहन नि0 की बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलता है।	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विधवा पुत्रवधू होना आवश्यक है और यात्रा हेतु परिचय पत्र होना अनिवार्य है।	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की विधवा पुत्रवधु को परिचय पत्र बनाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में सादे कागज पर आवेदन हेतु वांछित दस्तावेजों के साक्ष्य में सूचना प्राप्त करते हुए आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा सत्यापन के उपरान्त जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा उन्हें परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा। परिचय पत्र के आधार पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की जा सकती है।
4	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये	प्रतिमाह रूपये 6,000/- पेंशन दी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुए आन्दोलनकारियों जो किसी सरकारी सेवायोजित नहीं हो सके।	सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाता होगा, आवेदन हेतु कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है। आन्दोलनकारियों की चिन्हित सूची पूर्व में जारी है तथा चिन्हित व्यक्ति सूची में हों तो सम्बन्धी परिचय पत्र बनने के उपरान्त ही उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	आन्दोलनकारियों की पेंशन।	जाती है।		हेतु पात्र होंगे। उक्त श्रेणी के अन्तर्गत राज्य आन्दोलनकारी चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–772/XX(4)/28-पी0 ए0/2006-03 दिनांक 22.10.2006 तथा अन्तिम शासनादेश संख्या 1192/xx-4/2017-3(13)/2011 दिनांक 01.12.2017 में निहित मानकों के पूर्ण होने पर ही चिन्हीकरण मान्य होगा। आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट की संस्तुति/ संस्तुति के क्रम में मा0 विभागीय मंत्री/ मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी। **चिन्हीकरण**– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को जिलाधिकारियों एवं उनके द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा चिन्हित किया जाता है तथा चिन्हीकरण अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है– एल0आई0यू0 की रिपोर्ट, पुलिस के अन्य अभिलेख यथा डेली डायरी के प्रासंगिक अंश, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) जिस थाना में भी दर्ज की चिकित्सालय संबंधी रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेखों पर आधारित सूचना। जिनकी सत्यापित जिलाधिकारी द्वारा पुष्टि की जाये, के पश्चात ही पंजीकरण हेतु निर्णय लिया जाता है।
३	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलन कारियों की पेंशन योजना।	रूपये 4,500/– प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न समस्त ऐसे चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों, जिन्हें आन्दोलनकारी पेंशन अथवा किसी अन्य राजकीय स्रोत से पेंशन अनुमन्य नहीं थी अथवा जो राजकीय सेवा में सेवायोजित नहीं थे, को मासिक पेंशन अनुमन्य होगी।	सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाकर प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होगा। प्रार्थना पत्र के साथ वांछित अभिलेख जमा करने होंगे, तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से जांच के उपरान्त ही पेंशन स्वीकृत की जायेगी।
४	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों (पति/पत्नी) को आन्दोलनकारी की मृत्यु	रूपये 4,500/– प्रतिमाह आश्रितों को पेंशन दी जाती है।	राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न समस्त ऐसे चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों, जिन्हें आन्दोलनकारी पेंशन या किसी अन्य राजकीय स्रोत से पेंशन अनुमन्य नहीं थी या जो राजकीय सेवा में सेवायोजित नहीं थे के आश्रितों	सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाकर प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होगा। प्रार्थना पत्र के साथ वांछित अभिलेख जमा करने होंगे, तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से जांच के उपरान्त ही पेंशन स्वीकृत की जायेगी।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं भुगतान प्रक्रिया
	सम्मान पेंशन योजना।		(पति/पत्नी) होंगे।	
7	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त हुए राज्य आन्दोलनकारियों की विशेष सम्मान पेंशन योजना।	प्रतिमाह रूपये 20,000/- विशेष सम्मान पेंशन दी जाती है।	लाभार्थी वे होंगे जो उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त (Bedridden) हुए हों।	सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के क्रम में मा० विभागीय मंत्री/मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी। आवेदन हेतु प्रारूप उपलब्ध नहीं है किन्तु इस सम्बन्ध में विशेष सम्मान पेंशन हेतु आवेदक का पूर्णतः शय्याग्रस्त (Bedridden) होने के सम्बन्ध में स्टेट मेडिकल बोर्ड/ मेडिकल कॉलेज द्वारा निर्गत प्रमाण– पत्र के साथ सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया होगा।
8	आपातकालीन अवधि (दिनांक–25.06.1975 से दिनांक–21.03.1977 तक) में मीसा / डी०आई०आर० में कारागार में निरूद्ध प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों को "लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन" योजना।	प्रतिमाह रूपये 20,000/- "लोकतन्त्र सेनानी सम्मान पेंशन" दी जाती है।	लाभार्थी वे होंगे जो आपातकालीन अवधि (दिनांक–25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में मीसा/ डी०आई०आर० में कारागार में निरूद्ध रहे हों।	सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/ संस्तुति के क्रम में मा० विभागीय मंत्री/मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी।
9	आपातकालीन अवधि (दिनांक–25.06.1975 से दिनांक–21.03.1977 तक) में मीसा / डी०आई०आर० में कारागार में निरूद्ध प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों की विधवा पत्नी अथवा विधुर पति को "लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन" योजना।	प्रतिमाह रूपये 20,000/- "लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन" दी जाती है।	लाभार्थी आपातकालीन अवधि (दिनांक–25.06.1975 से दिनांक–21.03.1977 तक) में मीसा/ डी०आई०आर०) में कारागार में निरूद्ध रहे लोकतन्त्र सेनानियों की विधवा पत्नी अथवा विधुर पति होंगे।	सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/ संस्तुति के क्रम में मा० विभागीय मंत्री/मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी। आवेदन हेतु प्रारूप उपलब्ध नहीं है। आवेदन हेतु साक्ष्य के रूप में आवेदक/आवेदिका को इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि उनके स्व० पति/पत्नी लोकतंत्र सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे थे अथवा वे आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में मीसा/डी०आई०आर० में कारागार में निरूद्ध/जेल रहे।

****

न्याय विभाग (उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता देना।	निःशुल्क विधिक सेवा के लिए पात्र व्यक्ति जिनका कोई मामला न्यायालय में लम्बित है या वाद दायर किया गया है या किसी मामले में बचाव करना है इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति से जो भी हो, निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने का हकदार होगा।	निःशुल्क विधिक सहायता हेतु निम्न व्यक्ति पात्र होंगे :- - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक, - संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यापार/बेगार के शिकार व्यक्ति, - सभी महिलायें एवं बच्चे, - सभी दिव्यांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, - बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं भूकम्प, औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति, - औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर, - जेल/कारागार/अभिरक्षा, - गृह/ किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरुद्ध सभी व्यक्ति, - भूतपूर्व सैनिक, - ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्ति, - वरिष्ठ नागरिक, - एच.आई.वी./एड्स संक्रमित व्यक्ति, - ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 3,00,000 (रू0 तीन लाख) से कम हो। नोट :- क्रम संख्या-1 से 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिए वार्षिक	निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, समस्त जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील स्तर पर विधिक सेवा समितियां स्थापित हैं। मा0 उच्च न्यायालय परिसर (गेट संख्या-2) ई-सेवा केन्द्र पर स्थापित है जहां पर फार्म जमा कर तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति नैनीताल के दूरभाष नम्बर-05942/237838 पर सम्पर्क कर विधिक सहायता/परामर्श लिया जा सकता है। राज्य प्राधिकरण के फ्रंट ऑफिस में विधिक सहायता हेल्प लाइन नम्बर 15100 और टोल फ्री नम्बर 1800 180 4000 संचालित है, जहां पर फोन कर विधिक सहायता/परामर्श लिया जा सकता है। निःशुल्क विधिक सहायता हेतु यदि कोई व्यक्ति नागरिक/महिला/बच्चे सम्बन्धित कार्यालय में आने/ऑनलाइन फार्म जमा करने में असमर्थ हों उस स्थिति में सीधा वीडियो कॉल से जुड़ सकते हैं जो राज्य के सभी क्षेत्र में पैरा लीगल वॉलंटियर द्वारा किया जाता है जिनकी सूची तथा मोबाइल नम्बर वेबसाइट http://slsa.uk.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। जिला स्तर पर प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में फ्रंट ऑफिस स्थापित है जहां पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या फार्म जमा कर विधिक सहायता /परामर्श लिया जा सकता है। [illegible] इस लिंक पर नागरिक भी निःशुल्क विधिक सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फार्म राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखण्ड की वेबसाइट [illegible] से डाउनलोड किया जा सकता है। पात्र आवेदक को फार्म जमा करने हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :- आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, एस.सी./एस.टी. है तो जाति प्रमाण-पत्र, दिव्यांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए राज्य सरकार/ जिला प्रशासन द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण-पत्र, ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 3,00,000 (रू0 तीन लाख) या इससे कम हो तो आय प्रमाण- पत्र/शपथपत्र प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / अहर्ताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			भीतर आवेदन करना आवश्यक है।	सहायता प्राप्त न करने का स्व घोषणा प्रमाणपत्र, आवेदक की बैंक पास बुक। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किए जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
4.	शिक्षा अनुदान	रू0 1000/- प्रतिमाह	हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक / सैनिक विधवा के प्रथम दो बच्चों (स्नातक कक्षा तक) तथा सैनिक विधवा स्नातकोत्तर के लिए अनुमन्य।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा पंजीकरण के उपरान्त अपनी लॉगइन आई०डी० के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – डिस्चार्ज बुक, पी०पी०ओ० पूर्व सैनिक के अभिलेख कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र तथा आवेदक का पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पत्र एवं पुत्रियों की फीस रसीद की अंक तालिका, अन्य स्रोत से प्राप्त हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त न करने का स्व घोषणा प्रमाणपत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
5.	वोकेशनल ट्रेनिंग अनुदान	रू0 20000/- एकमुश्त।	जेसीओ/हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक विधवा जिन्होंने केन्द्र/राज्य/ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, हेतु अनुमन्य।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा पंजीकरण के उपरान्त अपनी लॉगइन आई०डी० के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – डिस्चार्ज बुक, आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पास बुक, केन्द्र/राज्य/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक के प्रशिक्षण के उपरान्त स्वरोजगार किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		1 लाख एवं न्यूनतम 40 हजार दी जाती है।	3) भाई (3 वर्ष की आयु तक)।	सभी पात्र पाये गये आवेदकों को डी०बी०टी० के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाता है जिसमें एकमुश्त धनराशि भुगतान की जाती है तथा वार्षिकी प्रतिवर्ष भुगतान की जाती है।
34.	**विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को एकमुश्त अनुदान राशि।**	अधिकतम 2 लाख तथा न्यूनतम 15 हजार दी जाती है।	विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत राज्य के सेवारत सैनिक/पूर्व सैनिकों को एकमुश्त अनुदान अनुमन्य है।	सम्पूर्ण आवेदन एवं चयन प्रक्रिया **क्रमांक** 13 के अनुसार होगी परन्तु उक्त दस्तावेजों के साथ विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किये जाने के सम्बन्ध में राजपत्र नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
35.	**उत्तराखण्ड शहीद कोष अनुदान।**	रू0 10 लाख एकमुश्त अनुदान	विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुये सैनिकों व अर्द्ध सैनिक बलों की विधवा/आश्रित को अनुमन्य। (क) शहीद के विवाहित होने की दशा में – (i)विधवा (वीर नारी)–विहित धनराशि 60% (ii)माता–पिता–विहित धनराशि 40% (ख) परन्तु यह कि यदि माता–पिता जीवित नहीं है तो पूर्ण विहित धनराशि विधवा (वीर नारी) को दी जायेगी तथा जहां विधवा (वीर नारी) जीवित नहीं है तो विहित धनराशि का 40 प्रतिशत माता–पिता को तथा 60 प्रतिशत सभी जीवित बच्चों में बराबर–बराबर बांट दिया जायेगा। **(ग)** ऐसी स्थिति में जहां माता–पिता तथा विधवा (वीर नारी) जीवित नहीं है तो विहित धनराशि सभी जीवित बच्चों में बराबर–बराबर बांट दिया जायेगा। (घ) ऐसी स्थिति में जहां विधवा (वीर नारी) जीवित न हो और बच्चे भी न हों तो सम्पूर्ण विहित धनराशि माता–पिता को दिया जायेगा। **(ङ)** ऐसी स्थिति में जहां	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर संबंधित कार्यालय में ही जमा करना होता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज – हेड क्वार्टर/यूनिट द्वारा युद्ध से सम्बन्धित प्रारम्भिक रिपोर्ट, युद्ध हताहत सम्बन्धित अभिलेख कार्यालय/महानिदेशालय कार्यालय का भाग–दो आदेश, शहीद सैनिक का बैटल कैजुअल्टी प्रमाण पत्र, आश्रितों का सम्बन्धित अभिलेख कार्यालय/महानिदेशालय कार्यालय द्वारा निर्गत पात्रता प्रमाण पत्र, हितधारक द्वारा आश्रितों का सत्यापन पत्र, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा अनुग्रह अनुदान भुगतान न किए जाने का प्रमाण पत्र, अर्द्धसैनिक बल के लिए – महानिदेशक अर्द्धसैनिक बल द्वारा जारी बैटल कैजुअल्टी/आपरेशनल कैजुअल्टी का प्रमाण पत्र, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए – महानिदेशक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा जारी बैटल कैजुअल्टी/आपरेशनल कैजुअल्टी का प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर आवेदनों की जांच की जाकर सही पाये गये आवेदकों को डी०बी०टी० के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाता है।

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4	प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना	**प्रथम बच्चे के जन्म पर प्रथम किश्त के रूप में रू0 3000/– मिलते हैं।** प्रथम किश्त हेतु [illegible] के बाद आवेदन करना होता है जिस हेतु दस्तावेज – मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP कार्ड), गर्भावस्था का पंजीकरण और कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच (ANC) अंतिम LMP से छह माह के भीतर। **प्रथम बच्चे की द्वितीय किश्त के रूप में रू0 2000/– मिलते हैं।** बच्चे के जन्म के 270 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है जिस हेतु दस्तावेज – बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, MCP कार्ड की प्रति जिसमें बच्चे के टीकाकरण का प्रमाण दर्ज हो [illegible] 14 सप्ताह / [illegible] और [illegible] या इसके समकक्ष का टीकाकरण प्रमाण पत्र। **दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि जन्मा बच्चा बालिका हो तो रू0 6000/– मिलते हैं।** बालिका के जन्म के 12 माह के भीतर आवेदन करना होगा जिस हेतु दस्तावेज – बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, गर्भावस्था का पंजीकरण और कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच (ANC) अंतिम LMP से छह माह के भीतर, MCP कार्ड की प्रति जिसमें बच्चे के टीकाकरण का प्रमाण दर्ज हो [illegible] 14 सप्ताह / [illegible] और [illegible] या इसके समकक्ष का टीकाकरण प्रमाण पत्र।	सभी गर्भवती एवं धात्री महिलाएं जिनकी आयु 19 से 55 वर्ष के मध्य होगी – पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिला, ई-श्रम कार्ड धारक, किसान सम्मान निधि की लाभार्थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) आयुष्मान भारत की लाभार्थी, आंशिक (40%) या पूर्ण दिव्यांग, अनुसूचित जाति / जनजाति महिला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती / सहायिका / आशा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA 2013) राशन कार्ड धारक महिला मान्य होंगी।	विभाग द्वारा संचालित [illegible] के अन्तर्गत इस योजना में महिला को निकटतम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती / सेविका को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर उनके द्वारा ऑनलाइन https://pmmvy.wcd.gov.in/ आवेदन किया जाता है। ऑनलाइन के अतिरिक्त अन्य आवेदन की व्यवस्था नहीं है। प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना में [illegible] की मदद से महिला का आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता [illegible] (DBT Enabled) हो, महिला का जन्म प्रमाण पत्र, [illegible] रजिस्टर, राशन कार्ड, [illegible] जन्म प्रमाण पत्र [illegible] हो। [illegible] अंकित और सभी आवश्यक [illegible] प्रमाण पत्र एवं [illegible] आवश्यक है। समस्त दस्तावेज [illegible] निर्धारित समयावधि के पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को उपलब्ध कराने पड़ते हैं। यदि किसी लाभार्थी द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं किया गया हो, [illegible] (जो MCP कार्ड में अंकित हो) 730 दिन के भीतर आवेदन करना होता तथा द्वितीय बालिका के जन्म पर MCP कार्ड न होने की स्थिति में बालिका की जन्म तिथि से 460 दिन के भीतर आवेदन करना होगा, उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा उसको ऑनलाइन किया जाता है एवं आवेदन सही पाये जाने पर निर्धारित धनराशि भुगतान की जाती है।
5	सखी निवास–कामकाजी महिला छात्रावास	महिलाओं को उनकी नौकरी के स्थान के लिए आवास की व्यवस्था की गयी है जिसमें एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने से छात्रावास [illegible] में निवास कर सकती है। सुविधाएं–[illegible] की व्यवस्था जैसे पुस्तकालय, [illegible] आदि।	उच्च शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली कामकाजी महिलाएं।	वर्तमान में जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर में संचालित है। [illegible] में आवेदन करते हुये [illegible] आधार कार्ड एवं परिवार के [illegible] का विवरण [illegible] हॉस्टल में निवास किया जा सकता है।
6	नंदा गौरा	इस योजना अन्तर्गत प्रत्येक परिवार की 02 बालिकाओं को प्रति बालिका जन्म से [illegible]	उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी परिवार, जिनकी	इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु बालिकाओं / माता–पिता / अभिभावक द्वारा ऑनलाइन पोर्टल

महिला कल्याण विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	स्पॉन्सरशिप योजना (60 प्रतिशत केन्द्र पोषित)	लाभार्थियों को 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह रूपये 4000/- (रूपये चार हजार मात्र) सहायता राशि बैंक खाते में भुगतान किया जा रहा है।	18 वर्ष की आयु तक के ऐसे बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों हेतु रू0 72,000/- तथा शहरी क्षेत्रों हेतु रू0 96,000/- हो। ऐसे बच्चे जिन्होंने माता-पिता/अभिभावक दोनों को खो दिया है। पी0एम0 केयर्स योजना के तहत आच्छादित बच्चे, उन परिवारों के बच्चे जिन्होंने कुछ कमाने वाले को खो दिया है। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे (CCL), बाल श्रम के शिकार बच्चे, अवैध व्यापार से पीड़ित बच्चे, बाल विवाह और POCSO पीड़ित बच्चे, बाल स्वराज पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों और अनाथ, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले अन्य बच्चे भी शामिल हैं।	योजना का लाभ लेने हेतु जिला प्रोबेशन कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना पड़ता है तथा आवेदन पत्र के साथ बच्चे का आधार कार्ड, बैंक खाता, छोटा बच्चा होने की स्थिति में अभिभावक के साथ बैंक खाता, माता-पिता की मृत्यु की स्थिति में दोनों के मृत्यु प्रमाण पत्र, माता-पिता को जानलेवा रोग अथवा अक्षम होने की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र, अभिभावक/माता पिता का आधार कार्ड आदि आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। इसको ऑफलाइन फार्म जिला प्रोबेशन कार्यालय में जमा किया जाता है। तदुपरान्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृति के उपरान्त बच्चों को लाभ मिलना सुनिश्चित होता है क्योंकि इसमें भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। लक्ष्य की सीमा के अंदर पात्र आवेदकों को ही लाभ मिलता है।
2.	अनाथ बच्चों हेतु क्षैतिज आरक्षण प्राप्त करने के लिए "अनाथ प्रमाण पत्र" बनाने की प्रक्रिया	राजकीय/अशासकीय सेवाओं में 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।	उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी ऐसे प्रभावित बच्चे (जिनके जैविक/दत्तक माता-पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो), आरक्षण हेतु पात्र होंगे। राज्य में संचालित बालगृह/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे आरक्षण हेतु पात्र होंगे।	संबंधित जिले के जिलाधिकारी कार्यालय अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में अनाथ होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देना होगा, जिसके साथ अनाथ बच्चे का आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। तदोपरान्त जिला/जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जांच करायी जाती है तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उपजिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा इस प्रमाण पत्र को जारी किया जाता है। अनाथ प्रमाण पत्र को संबंधित बच्चा नौकरी में आवेदन के दौरान उपयोग कर सकता/सकती है। यही पत्र अनाथ आरक्षण प्राप्त करने हेतु मान्य होगा। वर्तमान में यह व्यवस्था ऑफलाइन है।
3.	राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र तथा महिला गृह में प्रवेश की प्रक्रिया।	18 वर्ष से ऊपर की मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित महिलाओं अथवा निराश्रित महिलाओं को रहने	18 वर्ष से ऊपर की अनाथ/निराश्रित/परित्यक्ता/लड़की या किसी घरेलू प्रताड़ित महिला तथा मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित महिला, अनैतिक व्यापार से पीड़ित महिला।	महिला स्वयं/कोई भी नागरिक अपने क्षेत्र या अपने आसपास की मानसिक व शारीरिक रूप से पीड़ित महिला अथवा निराश्रित के संबंध में सूचना 181 नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं तथा संबंधित क्षेत्र की पुलिस/एस0डी0एम0/सिटी मजिस्ट्रेट/डी0एम0 को सूचना दे सकते हैं। उसके उपरान्त पुलिस रेस्क्यू करती है तथा संबंधित महिला की चिकित्सा व अन्य जांचें कर जिलाधिकारी के आदेश पर राजकीय महिला कल्याण एवं

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		भोजन, आवास, चिकित्सा, मनोरंजन तथा प्रशिक्षण आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है।		पुनर्वास केन्द्र तथा नारी निकेतन/गृह में भेजती है जिनकी सूची निम्नवत है :- 1.राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र (नारी निकेतन), केदारपुरम देहरादून। 2.राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र केदारपुरम देहरादून। 3.राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र (शिक्षण गृह) नैनीताल। 4.राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र (शिक्षण गृह) अल्मोड़ा। 5.राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र पिथौरागढ़।
4.	राजकीय बाल देखरेख संस्थान, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह तथा खुला आश्रय गृह में प्रवेश की प्रक्रिया।	संस्थान एवं गृह में बच्चों को उनके भोजन, आवास, चिकित्सा, सामग्री, मनोरंजन, प्रशिक्षण, शिक्षा आदि की निःशुल्क सुविधा दी जाती है। उक्त सुविधाओं के साथ बच्चों को आवास के स्थान पर ही केवल सुविधा दी जाती है।	**राजकीय बाल देखरेख संस्थान** में अनाथ/निराश्रित बच्चे, परित्यक्त बच्चे, अभ्यर्पित बच्चे, शोषित एवं उत्पीड़ित बच्चे। **राजकीय सम्प्रेक्षण गृह** में विधि विवादित/अपराध का उल्लंघन करने वाले बच्चे रखे जाते हैं। **खुला आश्रय गृह** में अल्पावधि संरक्षण की जरूरत वाले निराश्रित, भीख मांगने वाले, कूड़ा बीनने वाले बच्चे एवं अन्य बच्चों के संरक्षण के लिए रखे जाते हैं।	बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से संबंधित बच्चों को संस्थाओं में प्रवेश दिलाया जाता है साथ ही 1098 चाइल्ड लाइन की मदद से संस्थान में चिन्हित किये जा सकते हैं। वर्तमान में राज्य में निम्न संस्थान/गृह स्थापित हैं :- राजकीय बाल देखरेख संस्थान–देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा में कुल 05 स्थापित हैं। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह–अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी, पौड़ी एवं उधमसिंह नगर में कुल 10 स्थापित हैं। खुला आश्रय गृह–देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार में कुल 07 स्थापित हैं।
5.	दत्तक बच्चे ग्रहण करने की प्रक्रिया	अनाथ, निराश्रित, अभ्यर्पित बच्चों को माता-पिता कानूनी रूप से उपलब्ध हो जाते हैं एवं जो माता-पिता बच्चों को गोद लेना चाहते हैं उन्हें कानूनी रूप से बच्चे मिल जाते हैं।	बच्चों को गोद लेने के लिए माता-पिता की पात्रता :- भावी दत्तक माता-पिता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, उनके जीवन के लिए कोई जानलेवा चिकित्सा स्थिति नहीं होगी और उन्हें किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य में दोषी न ठहराया गया हो या बाल अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले में आरोपी नहीं होना चाहिए। कोई भी भावी दत्तक माता-पिता उनकी वैवाहिक स्थिति और उनका जैविक पुत्र या पुत्री होने या न होने के बावजूद निम्न के अधीन बालक का दत्तकग्रहण कर सकते हैं :- • विवाहित दम्पत्ति के मामले में	दत्तक बच्चे ग्रहण करने हेतु केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Agency-CARA) की वेबसाइट www.cara.nic.in पर ऑनलाईन पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाईन पंजीकरण हेतु देश के भीतर दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार के नवीनतम फोटो, पैन-कार्ड/पास पोर्ट/आधार/वोटर आईडीकार्ड/नागरिक कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, पिछले वर्ष का आय प्रमाण-पत्र सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची/आय प्रमाण-पत्र/आयकर रिटर्न, विवाह प्रमाण-पत्र, विवाह-विच्छेद डिक्री/पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण-पत्र, भावी माता-पिता का जन्म प्रमाण-पत्र, किसी चिकित्सा व्यवसायी से प्राप्त इस आशय का चिकित्सा प्रमाण-पत्र कि भावी माता-पिता को किसी जीर्ण, संक्रामक या घातक रोग से ग्रस्त नहीं है और वे दत्तक ग्रहण के लिए स्वस्थ हैं, दत्तक भावी माता-पिता के समर्थन में निर्देशन पत्र, दत्तक ग्रहण परिवार में बड़ी आयु के बालक व बालकों की सहमति। बच्चों को गोद देने से पूर्व बाल कल्याण समिति द्वारा उस बालक/बालिका को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।	
1.	नव स्वरोजगार योजना "अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगारों हेतु"	स्वरोजगार के लिए अनुदान की व्यवस्था है। रू0 1 लाख से 10 लाख तक का ऋण लिये जाने पर ऋण का 25 प्रतिशत धनराशि का अनुदान। न्यूनतम 25 हजार एवं अधिकतम 2,50,000/- है। योजना का लाभ ऋण लेने पर ही मिलेगा, जिसमें 60 प्रतिशत ऋण बैंक द्वारा तथा 25 प्रतिशत विभाग द्वारा अनुदान/मार्जिन मनी दी जाती है तथा 15 प्रतिशत अंशदान आवेदक के पास होना चाहिए। ऋण पर ब्याज बैंक में प्रचलित दरों के अनुसार लगेगा।	आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का हो तथा उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी हो, आयु कम से कम 18 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष के मध्य हो। आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू 2,50,000/- से अधिक नहीं हो तथा तकनीकी/दीर्घकालिक प्रशिक्षण का अनुभव हो।	लाभार्थी का चयन करने हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन निकाला जाता है। उसके उपरान्त आवेदक फार्म प्रदेश के जनपदीय कार्यालयों जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित [illegible] प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता एवं प्रस्तावित व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न कर आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करेगा। तत्पश्चात जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार किया जाता है, साक्षात्कार में सफल आवेदकों के आवेदन पत्र बैंक ऋण की स्वीकृति हेतु आवेदक के बैंक को प्रेषित किया जाता है। बैंक स्वीकृति उपरान्त जनपदीय कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए अनुदान की 25 प्रतिशत राशि अवमुक्त किये जाने हेतु निगम मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है, निगम मुख्यालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति उपरान्त अनुदान की धनराशि जनपदीय कार्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। तत्पश्चात जनपदीय कार्यालय द्वारा लाभार्थी के लाभार्थी अंश की 15 प्रतिशत धनराशि प्राप्त करते हुए 40 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित बैंक को प्रेषित कर दी जाती है। जिसके उपरान्त सम्बन्धित बैंक द्वारा आवेदक को ऋण अवमुक्त कर दिया जाता है। वर्तमान में ऑफलाइन आवेदन है तथा ऑनलाइन की प्रक्रिया गतिमान है।
2.	मुख्यमंत्री हुनर योजना	इस योजना में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के दौरान मासिक भुगतान भी किया जाता है। रू. 2000/- प्रशिक्षण अवधि 100 घंटे होने पर रू. 2800/- प्रशिक्षण अवधि 150 घंटे होने पर रू. 4000/- प्रशिक्षण अवधि 200	अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे महिला/पुरुष जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हों, आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो/ शैक्षिक योग्यता: व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सिलाई कढ़ाई, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राइवर आदि हेतु न्यूनतम साक्षर/आठवीं पास होना चाहिए। जिला स्तरीय [illegible]	मुख्य योजनान्तर्गत चयनित संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, उसके उपरान्त आवेदक, आवेदन फार्म अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, स्थायी निवास, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करके आवेदन उक्त कार्यालय में जमा करना होगा। उसके उपरान्त जनपद स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला सेवायोजन [illegible] की अध्यक्षता में गठित चयन समिति

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4.	अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100% केन्द्र पोषित)	प्रवेश एवं शिक्षण हेतु निम्नवत छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष (हॉस्टलवासी/डेस्कालर्स) को दी जाती है – कक्षा 11वीं व 12वीं हेतु– अधिकतम रू. 7000/– कक्षा 11वीं व 12वीं के समकक्ष तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु– अधिकतम रू. 10,000/– अण्डर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट हेतु– अधिकतम रू. 3,000/– एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 माह के लिए अनुरक्षण भत्ता (अध्ययन सामग्री आदि हेतु) प्रतिमाह दी जाती है – कक्षा 11वीं व 12वीं तथा समकक्ष तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित (हॉस्टलवासी–380/–रू. डेस्कालर–230/–रू.) अण्डर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम। (हॉस्टलवासी–570/–रू /डेस्कालर्स–300/–रू)	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राएं जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों पात्र होंगे। अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक 2 लाख से अधिक न हो।	अल्पसंख्यक समुदाय के 11वीं, 12वीं/समकक्ष कक्षाओं में अध्ययनरत तथा अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट छात्र/छात्राएं राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP2.0) के www.scholarships.gov.in में स्वयं भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं जिसके लिए आधार नम्बर एवं आधार लिंक मोबाइल नम्बर आवश्यक है। पंजीकरण के दौरान छात्र/छात्रा की शैक्षिक जानकारी तथा बैंक–डिटेल का नाम, शैक्षिक योग्यता आदि पूछी जाती है। अभ्यर्थियों को उनकी आईडी, पासवर्ड जनरेट होता है। छात्रवृत्ति हेतु विभाग द्वारा समाचार पत्रों में/एवं पोर्टल पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तथा छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। तत्पश्चात संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा पोर्टल की पंजीकृत आईडी, पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर अपना पंजीकरण न किया हो तो पंजीकरण कर आवेदन करना होता है तथा आवेदन के दौरान स्कूल/संस्थान का चयन करना होता है। आवेदन के दौरान छात्र/छात्रा को **शैक्षिक प्रमाण पत्र जो संबंधित छात्रवृत्तियों हेतु अनिवार्य हो**, आधार कार्ड, बैंक खाता की पासबुक/चेक की कॉपी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय का स्वघोषित प्रमाण पत्र, निर्धारित आय प्रमाण पत्र, स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि अपलोड करके ऑनलाइन जमा करना होता है। साथ ही स्कूल/संस्थान में भी ऑफलाइन दस्तावेज जमा करने होंगे ताकि स्कूल/संस्थान जांच कर सके। आवेदन के उपरान्त आवेदक का आवेदन पत्र स्कूल के नोडल अधिकारी के पास आ जाता है। संबंधित INO (Institute Nodal Officer) Verify कर आवेदन–पत्रों को SNO(State Nodal Officer) को अग्रसारित करता है तथा SNO द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्रों को Random verify (2% Only) करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रसारित किया जाता है। आवेदक के सभी दस्तावेज/पात्रता सही पाये जाने पर भारत सरकार द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे छात्र/छात्रा के खाते में भुगतान किया जाता है।
5.	अल्पसंख्यकों मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना (100% केन्द्र पोषित)	छात्र/छात्राओं को स्नातक/परास्नातक के समकक्ष तकनीकी/ व्यावसायिक कोर्स हेतु निम्नवत **छात्रवृत्ति** दी जाती है – **भरण–पोषण भत्ता** (केवल 10 माह के लिए/ प्रतिवर्ष) – हॉस्टलवासी रू. 10,000/– डेस्कालर रू. 5,000/– **पाठ्यक्रम शुल्क** – हॉस्टलवासी रू. 20,000/– डेस्कालर रू. 20,000/– प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो।	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राएं जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में **स्नातक/परास्नातक के समकक्ष तकनीकी/ व्यावसायिक कोर्स** में अध्ययनरत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों पात्र होंगे। छात्र/छात्रा के अभिभावक	

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			जो सभी स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख पचास हजार से अधिक न हो।	
6.	अल्पसंख्यक कक्षा 9 से 10 तक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100% केन्द्र पोषित)	कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु (डेस्कालर्स/हॉस्टलर्स) छात्र/छात्राओं को अधिकतम निम्नवत छात्रवृत्ति दी जाती है – प्रवेश शुल्क रू० 500/– शिक्षण शुल्क रू० 350/– एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा।	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राएं जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों पात्र होंगे। छात्र/छात्रा के अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो।	
7.	राज्य पोषित कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना	राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कक्षा 01 से 10 तक अधिकतम निम्नवत छात्रवृत्ति दी जाती है – कक्षा 01 से 5 तक– 50 रू० कक्षा 06 से 8 तक–80 रू०कक्षा 9 से 10 तक–120 रू०	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राएं जो उत्तराखण्ड राज्य के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों पात्र होंगे।	
8.	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना	अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को निम्न प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है – हाईस्कूल/मुंशी/मौलवी– 60% या अधिक प्राप्तांक पर रू० 10,000/– 70 % या अधिक प्राप्तांक पर रू० 15,000/– 80 % या अधिक प्राप्तांक पर रू० 20,000/– इन्टरमीडिएट/आलिम– 60 % या अधिक प्राप्तांक पर रू० 15,000/– 70 % या अधिक प्राप्तांक पर रू० 20,000/–	अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्रायें पात्र होंगी जो – उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी/मौलवी एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष अंतिम परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में 60 % या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों। माता/पिता/अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे आते हों अथवा उनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू०	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन–पत्रों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति (प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक सामान्य रूप से) प्रकाशित किया जाता है तथा वर्तमान में आवेदन ऑनलाइन किये जाते हैं। आवेदन फार्म विभागीय कार्यालय से तथा विभागीय वेबसाइट www.minority welfare.uk.gov.in से प्राप्त करने के उपरान्त निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे – अल्पसंख्यक होने का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र, निवास, आय प्रमाण पत्र, सरकारी शैक्षिक संस्थान पत्र, अधिप्रमाणित होने एवं परिवार की 2 बेटियों को ही लाभ मिला हो या मिलेगा का शपथ पत्र, बैंक खाता जो आधार लिंक/सीड हो अथवा कार्ड, मोबाइल नम्बर आदि फार्म के साथ लगाने के बाद विकास खण्ड कार्यालय/जिला कार्यालय में जमा करना होगा तथा विकास खण्ड कार्यालय द्वारा जिले को भेजे जाते हैं एवं जिले स्तर पर गठित समिति द्वारा संस्तुत कर निदेशालय को मांग की जाती है। निदेशालय स्तर से प्रस्ताव

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		80 % या अधिक प्राप्तांक पर रू0 25,000/-	81,000/- तथा शहरी में रू0 1,03,000/- से कम हो। आवेदक अविवाहित हो तथा आयु 25 वर्ष से अधिक न हो। एक परिवार की अधिकतम 2 पुत्रियों को ही इसका लाभ मिलेगा।	शासन को प्रेषित किया जाता है। बजट प्राप्त होने पर निदेशालय स्तर से जनपदों की मांग के अनुसार बजट धनराशि दी जाती है तथा जिले से सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि भुगतान की जाती है। जिस वर्ष हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा पास की है उसी वर्ष इसका लाभ मिलेगा तथा उसी वर्ष आवेदन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों का चयन बजट की उपलब्धता पर होता है।
8.	मुख्यमंत्री [illegible] प्रोत्साहन योजना	अल्पसंख्यक समुदाय अभ्यर्थियों को तैयारी हेतु निम्नवत प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है:- **संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु -** प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त तैयारी हेतु रू0 50000/- मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु रू0 25000/- **उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (पी.सी.एस.) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा हेतु -** प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त रू0 25,000/- मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु रू0 20,000/- **राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं एवं प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में राशि रूपये** (क)-IITs & IIMs की प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश	अल्पसंख्यक समुदाय के [illegible] अभ्यर्थी, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए रू0 4.50 लाख रूपये से अधिक न हो। अभ्यर्थी द्वारा संबंधित संस्थानों की प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र तथा सफल होने का मूल आवेदन पत्र/प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर ही प्रोत्साहन अनुदान राशि देय होगी।	आवेदक, आवेदन प्रपत्र निदेशालय/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा वेबसाइट www.[illegible] से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग/उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफल होने के 30 दिन के भीतर तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में सफल होने के बाद संबंधित संस्थान में प्रवेश लेने के 30 दिन के भीतर आवेदन करना होगा। वर्तमान में ऑफलाइन आवेदन लिया जाता है। आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र, आय/मूल निवास प्रमाण पत्र, निर्धारित बैंक का बैंक प्रमाण पत्र, संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र तथा परीक्षा में सफल होने का प्रमाण, बैंक खाता की पासबुक/चेक की छायाप्रति, आधार कार्ड, शपथ पत्र (कि वह पहले कभी भी वित्तीय वर्ष में पूर्व में लाभ नहीं लिया है तथा संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का यह उसका कौन सा (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) प्रयास है। राजकीय सेवा में होने अथवा नहीं होने का विवरण भी देना होगा) आदि संलग्नित कर फार्म भरकर परीक्षा परिणाम जारी होने के 01 माह के भीतर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है। जनपद पर सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों की जांच की जाती है जिस हेतु अभ्यर्थी को बुलाया जा सकता है। जांच में सही पाये जाने/पात्रता सही होने पर जिला स्तर से सभी आवेदन पत्र बजट मांग हेतु निदेशालय एवं निदेशालय स्तर से संकलित मांग का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन से निदेशालय को बजट प्राप्त होने पर निदेशालय द्वारा जनपदों की मांग के अनुसार बजट धनराशि दी जाती है। इसके उपरान्त जनपदों द्वारा धनराशि सीधे अभ्यर्थी के खाते में भुगतान की जाती है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		जाने के लिए संबंधित आपूर्तिकर्ता से सम्पर्क करना होगा।	श्रमिक के परिवार को।	का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। विभागीय जांच में सही पाये जाने के पश्चात सोलर ऊर्जा लाईट/कैम्प विभाग द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता/कौशल से उपलब्ध कराई जाती है। यह सम्पूर्ण जीवनकाल में केवल एक बार लाभार्थी को मिलता है।
6	प्रसूता सहायता	दूध तथा औषधि के क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराया जाता है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, इस संबंध में किसी अन्य विभाग से लाभ न लिए जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। विभागीय जांच में सही पाये जाने के उपरान्त श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यह सम्पूर्ण जीवनकाल में केवल एक बार लाभार्थी को मिलता है।
7	सेनेट्री नैपकीन	निःशुल्क सेनेट्री नैपकीन उपलब्ध कराया जाता है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बालिकाओं एवं महिला श्रमिकों हेतु।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, इस संबंध में किसी अन्य विभाग से लाभ न लिए जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। उसके उपरान्त विभाग द्वारा सेनेट्री नैपकिन उपलब्ध कराये जाते हैं।
8	शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता (02 किश्तों में)	कुल रू० 12,000/- की धनराशि दी जाती है, जो दो किश्तों में दी जाती है प्रथम किश्त रू० 8,000.00 एवं द्वितीय किश्त रू० 4,000.00/	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है आवेदक की श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, बैंक खाता जो आधार से लिंक हो, शौचालय निर्माण संबंधी फोटो श्रमिक भी उस फोटो में उपस्थित हो तथा फोटो में शौचालय में पक्की सीट, सिस्टर्न, छत, टैंक, पानी की व्यवस्था, गेट का लगा होना भी आना चाहिये। जिस जमीन पर शौचालय निर्माण किया है उसका अपना स्वयं का स्वामित्व जैसे खतौनी/खतौनी/रजिस्ट्री आदि अथवा भूमि स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। किसी अन्य योजना से इसका लाभ न लिए जाने एवं अन्य विभाग से लाभ हेतु आवेदन न किये जाने का शपथ पत्र, उपरान्त आवेदन करना होता है। विभागीय जांच के सही पाए जाने पर प्रथम किश्त का भुगतान खाते में किया जाता है तथा निर्माण पूर्ण होने के पश्चात 01 माह बाद पुनः दूसरी किश्त के लिए समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन करना पड़ता है तथा दूसरी किश्त रू० 4000/- भुगतान की जाती है।
9	भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु	भवन क्रय/ निर्माण हेतु रू० 50,000/- की धनराशि ऋण के रूप में मकान खरीदने अथवा निर्माण करने हेतु प्रदान की जाती	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक। भवन क्रय/निर्माण हेतु अग्रिम ऋण प्राप्त करने के	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता तथा आवेदक द्वारा इस संबंध में किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न ली गयी हो, का स्वहस्तलिखित प्रमाण पत्र, स्वघोषणा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। विभागीय जांच में सही पाये जाने पर अग्रिम धनराशि भुगतान की जाती है

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / मापदण्ड	आवेदन प्रक्रिया एवं वितरण प्रक्रिया
		है। इस ऋण पर ब्याज की दर 5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देय है।	निर्माण श्रमिक को पात्र वर्षो की निधि का सदस्य होना तथा अधिवर्षिता / सेवानिवृत्ति उम्र से कम से कम 10 वर्ष का सेवाकाल शेष होना आवश्यक है।	किश्त पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत की दर से ब्याज भी श्रमिक द्वारा भुगतान किया जाता है। अग्रिम स्वीकृत होने की तिथि से 06 माह के भीतर बोर्ड के सचिव को कार्य पूर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा। अग्रिम के रूप में स्वीकृत धनराशि की वसूली बोर्ड द्वारा निर्धारित मासिक किश्तों में की जाएगी।
10.	प्रसूति आर्थिक सहायता	रू0 6 हजार प्रति पुत्र / पुत्री (केवल दो संतान तक) पुत्र / पुत्री हेतु दी है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्र / पुत्री (केवल 2) हेतु प्रसूतावस्था वाली निर्माण श्रमिक।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, परिचय कार्ड तथा प्रसूति के संबंध में चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न लेने का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र तथा बचत खाता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदन प्रसूति की तारीख से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। यह सुविधा 02 बच्चों के जन्म पर ही दी जाती है 3 बच्चों के जन्म पर यह सुविधा नहीं दी जायेगी। आवेदन के उपरान्त विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक के खाते में धनराशि का भुगतान किया जाता है।
11.	पुत्री विवाह आर्थिक सहायता	रू0 51 हजार प्रति विवाह (दो पुत्रियों / स्वयं के विवाह हेतु)।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनकी 2 पुत्रियों के विवाह हेतु।	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, श्रमिक का बैंक खाता, वर-वधू के आधार कार्ड तथा विवाह होने के उपरान्त पंजीकरण प्रमाण पत्र, किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न लेने का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र तथा बचत खाता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आवेदन विवाह की तिथि से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के उपरान्त विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक के खाते में धनराशि का भुगतान किया जाता है।
12.	निःशक्तता पेंशन	रू0 1,000 / – प्रति माह एवं अनुग्रह राशि रू0 40,000 / – दी जाती है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो लकवा, कुष्ठ रोग, क्षयरोग, दुर्घटना आदि के कारण स्थाई रूप से निःशक्त हो गये हों।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, स्थायी रूप से निःशक्त होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित सी0एम0एस0 / सी0एम0ओ0 द्वारा बनाया गया हो, किसी भी योजना से लाभ न लिये जाने का शपथ पत्र, बचत खाता प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। श्रमिक को स्थायी रूप से निःशक्त होने की तिथि से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के उपरान्त विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक के खाते में प्रतिमाह रू. 1000 / – तथा अनुग्रह राशि एकमुश्त रू. 40 हजार का भुगतान किया जाता है।
13.	वृद्धा पेंशन	रू0 1000 / –	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	(60 वर्ष पूर्ण होने पर)	अतिरिक्त पेंशन दी जाती है।	सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।	आवेदन के दौरान श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक, स्वघोषणा प्रमाणपत्र तथा किसी भी योजना का लाभ प्राप्त न किए जाने का शपथ पत्र की आवश्यकता होती है। विभागीय जांच/परीक्षण में सही पाये जाने पर पेंशन प्रतिमाह आधार पर मिलने लग जाती है तथा 6 माह पर श्रमिक को जीवित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
14.	वृद्धा पेंशन (60 वर्ष पूर्ण होने पर)	रू. 1,500.00 प्रतिमाह।	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ पूर्ण श्रमिक कार्ड एवं बोर्ड से पेंशन प्राप्त करने संबंधी प्रमाण-पत्र, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, किसी भी योजना का लाभ प्राप्त न किये जाने का शपथ पत्र संलग्न करना होता है। विभागीय जांच/परीक्षण में सही पाये जाने पर पेंशन मिलने लग जाती है।
15.	कुटुम्ब पेंशन	रू. 500.00 प्रति माह या पेंशनभोगी की पेंशन का 50% जो भी अधिक हो।	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो पेंशनभोगी हो, उसकी मृत्यु होने की दशा में पति/पत्नी को मिलेगी।	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन के दौरान स्वघोषणा प्रमाण पत्र, मृतक श्रमिक का श्रमिक कार्ड, मृतक श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि संलग्न करने होंगे। कुटुम्ब पेंशन हेतु आवेदन पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि से 03 माह के भीतर आवेदन करना होगा। विभागीय जांच/परीक्षण में सही पाये जाने पर पेंशन मिलने लग जाती है।
16.	दुर्घटनावश आर्थिक सहायता	रू. 2 लाख (सामान्य मृत्यु होने पर) रू. 04 लाख (दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु की दशा में)	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को, जिनके नाम नामित के रूप में श्रमिक कार्ड में उल्लिखित हो।	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत निर्माण श्रमिक के नामित आश्रित द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम श्रमिक के श्रमिक कार्ड में उल्लिखित हो। श्रमिक की मृत्यु की तिथि से 06 माह के अन्तर्गत आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के दौरान स्वघोषणा प्रमाण पत्र, मृतक श्रमिक का श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, दुर्घटना होने की स्थिति में दुर्घटना संबंधी प्रमाण, आश्रित का आधार कार्ड एवं बैंकखाता विवरण संलग्न करना होगा तथा किसी अन्य योजना से इस लाभ प्राप्त न किये जाने का शपथ पत्र भी लगाना होगा। विभागीय जांच/परीक्षण में सही पाये जाने पर आर्थिक सहायता मिल जाती है।

****

PROGRAMM

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय अन्न योजना–गुलाबी राशन कार्ड)**	प्रति राशन कार्ड 35 **किलोग्राम खाद्यान्न** (13.3 गेहूं रू. 2.00 प्रति किलो की दर से, 21.7 किलोग्राम चावल रू. 3.00 प्रति किलो की दर से) तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड रू. 13.5 प्रति किलो की दर से वितरित किया जाता है। वर्तमान में 01 जनवरी 2023 से राशनकार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।	राज्य का अन्त्योदय वर्ग का परिवार/व्यक्ति – • ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य को दिव्यांग पेंशन हेतु सरकार की श्रेणी में रखा गया है तथा परिवार की वार्षिक आय रू. 4,000/– से कम है ऐसे परिवारों को भी अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत रखा जायेगा। • टी0बी0/एड्स परिवार के एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्तियों को अन्त्योदय योजनान्तर्गत रखा जायेगा।	अन्त्योदय अन्न योजना हेतु प्रत्येक जनपद हेतु लक्ष्य निर्धारित है। **अन्त्योदय श्रेणी से नाम हटाने की प्रक्रिया–** अन्त्योदय श्रेणी से ऊपर होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति द्वारा सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को दी जायेगी। विभाग द्वारा निरीक्षणोपरान्त अपात्र पाये जाने पर अन्त्योदय श्रेणी से कार्ड धारक को पृथक किया जाता है। जिला पूर्ति अधिकारी समय-समय पर स्वयं निरीक्षण की कार्यवाही करता है। अन्त्योदय श्रेणी से ऊपर पाये जाने पर हटाने की कार्यवाही की जाती है। शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में [illegible] किसी व्यक्ति को नाम अन्त्योदय श्रेणी से हटाना हो तो ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाता है, प्रस्ताव पास होने के उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा अपने रिकार्ड से हटाया जाता है तथा संस्तुति सहित जिलापूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित किये जाने के उपरान्त विभाग संबंधित व्यक्ति को अन्त्योदय श्रेणी से हटाता है। किसी तीसरे पक्ष द्वारा सूचना देने पर विभाग द्वारा संबंधित अन्त्योदय कार्डधारक की जांच की जाती है तथा जांच में सूचना सही पाये जाने पर संबंधित कार्ड धारक को अन्त्योदय श्रेणी से हटाया जाता है। **अन्त्योदय श्रेणी में नाम जोड़ने की प्रक्रिया–** सर्वप्रथम आवेदक द्वारा क्षेत्र के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्राप्त किया जायेगा। आवेदन के साथ परिवार के आधार कार्ड, फोटो, फोन नम्बर, बैंक खाता, गैस कनेक्शन, वोटर आई0डी0कार्ड/पैन कार्ड, आय प्रमाण–पत्र, बिजली का बिल तथा ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अन्त्योदय परिवार होने संबंधी पारित प्रस्ताव की प्रति। समस्त दस्तावेजों के साथ संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को देगा। संबंधित अधिकारी द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर नाम अपने रिकार्ड में जोड़ा जाता है तथा संस्तुति सहित खाद्य आपूर्ति विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। प्रत्येक जनपद पर जनसंख्या के अनुसार अन्त्योदय राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बनाये जाते हैं। रिक्ति होने पर ही नये

PROGRAMME IMPLEMENTATION

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			आय की कोई सीमा नहीं है।	
2.	बहु उद्देशीय शिविरों/ जन जागरूकता शिविर/ चिकित्सा शिविरों/ विधिक सेवा शिविरों का आयोजन	माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तहसील विधिक सेवा समितियों तथा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शहरी क्षेत्र से लेकर दुरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक बहुउद्देशीय शिविरों, जागरूकता कार्यक्रम तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है।	सम्बन्धित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में समस्त वर्ग के पुरुष/ महिला/ बच्चे, विशेषकर अनुसूचित क्षेत्र के व्यक्तियों, मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, एसिड हमले के पीड़ित नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों, नकसली और सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ित नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। साथ ही गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने हेतु बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाता है। उक्त शिविर सम्बन्धित विभागों की उपस्थिति में आयोजित होते हैं।	जन-जागरूकता कार्यक्रम, बहुउद्देशीय नवीन विधिक सहायता शिविर/ जन-जागरूकता शिविर/ चिकित्सा शिविर का आयोजन किये जाने से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार किया जाता है तथा सम्बन्धित क्षेत्र/ ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों/ ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों को अवगत कराया जाता है ताकि स्थानीय जनता बहुउद्देशीय शिविरों/ जनजागरूकता शिविरों का लाभ प्राप्त कर सकें। इन शिविरों में अधिवक्ता नियुक्त होता है तथा बहुउद्देशीय शिविरों में यदि किसी पीड़ित व्यक्ति को अपने प्रकरण में विधिक सहायता/ कानूनी सहायता प्राप्त करनी हो तो सम्बन्धित शिविर में आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। शिविरों के सम्बन्ध में https://slsa.uk.gov.in पर जाकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
3.	विशेष अभियान – "हमदर्द"	सम्बन्धित योजना/ अभियान के अन्तर्गत समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं, उनके कानूनी अधिकारों तथा उन कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच, जीवन निर्वाह, स्वास्थ्य, तकनीकी और डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा एवं संरक्षण के बारे में डोर-टू-डोर कार्यक्रम आयोजित	उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा प्रदेश के समस्त वरिष्ठ नागरिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग तथा अन्य निराश्रितों के लिए एक विशेष अभियान आयोजित किया गया है।	प्रत्येक जिले के जनपद न्यायालय परिसर में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिले के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय व प्रत्येक तहसील स्तर पर नियुक्त अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, पुलिस और पैरा लीगल वालंटियर्स (Para-Legal Volunteers) को एक से तीन दिन प्रशिक्षण दिलवाया जाता है, ताकि उनके पास हर कोई व्यक्ति पहुंचे तो वह उनकी मदद कर सकें। आवश्यकता पड़ने पर पैरा लीगल वालंटियर्स द्वारा डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो वह अपने क्षेत्र के [illegible] हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हेल्पडेस्क का दायित्व होगा कि वह बुजुर्ग/ दिव्यांग/ निराश्रितों की मदद करें। हेल्पडेस्क का नाम, मोबाइल नंबर

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		अनुदान।		अथवा जाम ही न किया हो। जिस वर्ष शादी हो उसी वर्ष 31 मार्च से 28 फरवरी के बीच आवेदन करना अनिवार्य है। यदि किसी की शादी माह जनवरी, फरवरी में हो तथा पुनः समय उपरोक्त पूर्ण न हो, तो ऐसी स्थिति में शादी होने से पूर्व ही आवेदन कर सकते हैं परन्तु उस शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त ही स्वीकृत। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जाँच की जायेगी तथा जाँच आख्या/संस्तुति के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकृत कर अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में भुगतान की जायेगी।
9.	निराश्रित विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना	निराश्रित विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु रू0 50,000/- प्रति पुत्री अनुदान	विधवा पेंशन प्राप्त कर रही ऐसी विधवाओं को जिनकी समस्त स्रोतों से मासिक आय रू0 4000/- तक हो अथवा बी0पी0एल0 परिवार हो। शादी के समय युवक (दूल्हा) की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती (दुल्हन) की आयु 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हो।	क्रमांक-8 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परन्तु पुत्री के अतिरिक्त विधवा पेंशन, समाज कल्याण से प्राप्त हो रही है अथवा नहीं, समाज कल्याण विभाग इसकी पुष्टि करता है तथा इसके उन्हें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।
10.	दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन योजना	विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन के रूप में रू0 25,000/- दिये जाते हैं।	ऐसे व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है, से सामान्य व्यक्ति द्वारा अथवा दोनों दिव्यांगजनों द्वारा विवाह करने पर प्रदान किया जाता है। दंपत्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए तथा पूर्व में कोई जीवित पति या पत्नी न हो। दंपत्ति उत्तराखण्ड का निवासी हो या कम से कम पाँच वर्ष से अधिवासी हो, परन्तु दंपत्ति भारत का नागरिक हो। दंपत्ति में से कोई सदस्य किसी अपराधिक मामले में दण्डित न हो। शादी के समय युवक (दूल्हा) की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य। युवती (दुल्हन) की आयु 18 से 45 के मध्य हो तथा दंपत्ति का विवाह प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार हुआ हो या कानूनी विवाह किया	इसमें वर्तमान में ऑफलाइन आवेदन किये जाते हैं। आवेदन का प्रारूप सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in से डाउनलोड करने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र सहायक समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाता है। आवेदन प्रारूप के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे – दम्पत्ति का आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड की छायाप्रति, स्थायी निवास/5 वर्ष से राज्य में निवास करने की पुष्टि का प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण की छायाप्रति, शादी पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति। शपथ पत्र (आयकर दाता न होने, आपराधिक गतिविधियों में शामिल न होने तथा पूर्व में कोई जीवित पति या पत्नी न होने बाबत्)। सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदनों की जाँच कर पात्रता के आधार पर संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा जनपद में जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने पर आवेदक को प्रोत्साहन धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	दशमोत्तर छात्रवृत्ति	व सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	2.50 लाख तक हो। उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। 10वीं कक्षा के बाद किसी भी पाठ्यक्रम हेतु।	
15	पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	• ऐसे छात्र / छात्राएं जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक हो। • उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। • अन्य पिछड़ी जाति के छात्र / छात्रा हों। • 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम हेतु।	क्रमांक–12 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं हस्तांतरण समान होंगे परन्तु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख से कम का आय प्रमाण–पत्र तथा पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
16	पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	अन्य पिछड़ी जाति के ऐसे छात्र / छात्राएं जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0 1.50 लाख तक हो। उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। 10वीं कक्षा के बाद किसी भी पाठ्यक्रम हेतु।	क्रमांक–12 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं हस्तांतरण समान होंगे परन्तु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक का आयप्रमाण पत्र तथा पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
17	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना	छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के ऐसे छात्र / छात्राएं जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक हो। उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो।	क्रमांक–12 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं हस्तांतरण समान होंगे परन्तु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक का आयप्रमाण पत्र।
18	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह का	वृद्धजनों को रहने, खाने, वस्त्र, चिकित्सा आदि की	•महिला / पुरुष •60 वर्ष से अधिक उम्र वर्ग के लिए। •आय की कोई बाध्यता नहीं है। •उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी	संबंधित वृद्ध महिला / पुरुष द्वारा व्यक्तिगत प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी / सब डिविजनल कार्यालय अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी / अधीक्षक, राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। प्रार्थना पत्र के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट की नकल, आधार की प्रति, प्रधान / सभासद की आख्या संलग्न करनी होगी। इसके उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभाग से स्थल

सैनिक कल्याण विभाग

क्र	योजना का नाम	राशि	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा देय सहायता	
1.	**पेन्यूरी ग्रान्ट**	रू0 4000/- प्रतिमाह	हवलदार रैंक तक के गैर पेंशनर पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा, वृद्ध आश्रम में निवासरत को जो 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त तथा वृद्ध आश्रम से बाहर निवासित पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा को 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त अनुदान। **नोट** – केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय की गई पूर्व सैनिक की परिभाषा (केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की नोटिफिकेशन) कन्फिडियन्स की तारीख से आच्छादित हो।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा पंजीकरण के उपरान्त अपनी लॉग-इन-आई0डी0 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक है – डिस्चार्ज बुक, आयु प्रमाण पत्र (यदि डिस्चार्ज बुक में जन्म तिथि अंकित न हो), आवेदक का पहचान पत्र, आवेदक की बैंक पास बुक का प्रथम पृष्ठ, पेन्यूरी प्रमाण पत्र, जो कि केएसबी की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्र निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किए जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांचोपरान्त केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को भेजा जाता है। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान वर्ष में एकमुश्त डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाता है।
2.	**मेडिकल ग्रान्ट**	रू0 30000/- प्रतिवर्ष	हवलदार रैंक तक के नॉन-ई0सी0एच0एस0 पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा हेतु अनुदान। **नोट**– चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने के उपरान्त 180 दिन के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा पंजीकरण के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी0 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक है – डिस्चार्ज बुक, आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पास बुक, चिकित्सा से सम्बंधित मूल बिल तथा डिस्चार्ज की समरी (मान्यता प्राप्त चिकित्सक के मुहर सहित हस्ताक्षरित), अन्य स्रोत से उक्त हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त न करने का स्वघोषणा प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्र निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांचोपरान्त केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को भेजा जाता है। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाता है।
3.	**विवाह हेतु अनुदान**	रू0 50000/- प्रति पुत्री	केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह तथा सैनिक विधवा के पुनर्विवाह हेतु अनुदान। **नोट**– विवाह होने के उपरान्त 180 दिन के	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा पंजीकरण के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी0 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक है – डिस्चार्ज बुक, पी0पी0ओ0, आवेदक का पहचान पत्र, पुत्री का आयु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, अन्य स्रोत से उक्त हेतु आर्थिक

बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय बनियावाला, देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित "प्रवेशोत्सव" कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। दिनांक 11 अप्रैल, 2023

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				यदि पीड़िता/आश्रित को कानूनी ज्ञान न होने के कारण, आवेदन करने में दिक्कत हो तो, तत्सम्बंधी सहायता हेतु पैरा लीगल वॉलंटियर, पैनल अधिवक्ता की निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। पैरा लीगल वॉलंटियर, पैनल अधिवक्ता की सूची राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट में उपलब्ध है।
5.	"विधिक सेवा रथ" का संचालन / कार्यान्वयन।	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मोबाईल वैन "विधिक सेवा रथ" को जन-जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक एक माह में दो से तीन जनपदों के हर शहरी क्षेत्र से लेकर दुरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के लिए भेजा जाता है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चलचित्र द्वारा दिखाया जाता है। विभिन्न विषयों पर प्रकाशित **"सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तक"** निःशुल्क वितरित की जाती है।	जिस क्षेत्र में सम्बंधित वैन जाती है, उस क्षेत्र की समस्त जनता इसका लाभ प्राप्त कर सकती है। भ्रमण कार्यक्रम हेतु गठित टीम सदस्यों द्वारा "विधिक सेवा रथ" में स्थापित प्रोजेक्टर के माध्यम से योजनाओं के बारे में आमजन को बताया जाता है।	जिस क्षेत्र में विधिक सेवा रथ जाते हैं उस समय तत्सम्बंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा पुस्तकों की प्राप्ति के लिए पुस्तक वितरण पंजिका में सम्बन्धित व्यक्ति का नाम, पता/दूरभाष/मोबाईल नम्बर व हस्ताक्षर अंकित करवाया जाता है एवं पुस्तक निःशुल्क प्रदान की जाती है। आपके क्षेत्र में कब विधिक सेवा रथ आयेगा, इसकी सूचना पैरा लीगल वॉलंटियर के माध्यम से किया जाता है, जिनके नाम, मोबाइल नंबर सहित समस्त सूचना उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की **वेबसाइट** **www.slsa.uk. gov.in** पर उपलब्ध है। यदि किसी व्यक्ति/महिला अथवा बच्चे को उक्त पुस्तकों की नितान्त आवश्यकता होती है तो वह जिला मुख्यालय में स्थित जिला प्राधिकरण के कार्यालय में एक लिखित पत्र प्रस्तुत करते हुए सम्बन्धित पुस्तकों की प्राप्ति कर सकता है। इस बावत् किसी भी दस्तावेज अथवा परिचय पत्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है।

******

PROGRAMME IMPLEMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		कराये जाते है।		वेबसाइट https://slsa.uk.gov.in में उपलब्ध है।
4.	"उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों की पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020"	अपराध से पीड़ित महिलाओं को **न्यूनतम 3 लाख से अधिकतम 10 लाख तक** की आर्थिक सहायता/प्रतिकर के रूप में धनराशि मुहैया करायी जाती है। सुनवाई का आवेदन राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त होने पर पीड़िता/आश्रित को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा लाभ निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का आदेश पारित कर सकता है या रू. 5000/- अथवा 10,000/- जैसी आवश्यकता हो, सदस्य-सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यथास्थिति निर्णय लिया जायेगा। यदि कोई यौन हिंसा/एसिड हमले से पीड़ित महिला एक से अधिक अपराधों से आच्छादित हो तो, वह मुआवजे की संचित धनराशि की हकदार होगी।	सामूहिक बलात्कार, बलात्कार, अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न, बलात्कार के कारण गर्भधारण किया जाना/भ्रूण हानि अथवा जननक्षमता की हानि, जीवनहानि, विकलांगता, शारीरिक क्षति या मानसिक क्षति जिससे पुनर्वास की आवश्यकता हो, तेजाब के कारण पीड़ित, एसिड हमले से पीड़ित राज्य की समस्त महिलाएं/उनके आश्रित प्रतिकर का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।	प्रतिकर दो प्रकार का दिया जाता है, एक अंतरिम प्रतिकर जो अपराध के बाद तत्काल राहत देने हेतु मुहैया कराया जाता है जिसमें निःशुल्क चिकित्सा उपचार का आदेश दिया जा सकता है अथवा जैसी आवश्यकता हो रू. 10,000/- तक की धनराशि दी जा सकती है। दूसरा अंतिम प्रतिकर-इसमें पीड़ित को अपराध की प्रकृति के अनुसार रू. 3 लाख से 10 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। **अंतरिम प्रतिकर** हेतु अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण के तुरंत पश्चात प्रभारी पुलिस अधिकारी/पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष इन्चार्ज चौकी/कोई अन्य अधिकारी अनिवार्य रूप से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से साझा करेंगे, ताकि ऐसे मामलों में अंतरिम प्रतिकर प्रदान करने हेतु आवश्यक कदमों का प्रारम्भिक सत्यापन कर सके एवं साथ ही पीड़िता को धनराशि मुहैया करा सकते हैं। स्वयं भी पीड़िता/आश्रित, अवयस्क होने की स्थिति में उसका अभिभावक कोई एफआईआर की प्रति, मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ जिला विधिक/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्बन्धित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा ऑनलाइन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट के पीड़ित कम्पनसेशन आप्शन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। **अंतिम प्रतिकर** प्राप्त करने हेतु पीड़िता/उसके आश्रित अथवा सम्बन्धित थाना प्रभारी के द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए एफआईआर की रिपोर्ट, चार्जशीट, चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिस कोर्ट में वाद लम्बित है का विवरण, यदि केस निस्तारित हो गया हो तो उसकी आदेश प्रति, यदि केस विचाराधीन है तो उसका विवरण, पूर्व में अंतरिम सहायता प्राप्त की हो तो, सम्बन्धित आदेश, उपचार पर व्यय हुए धनराशि के बिल/विवरण, वित्तीय हानि होने का विवरण, आयु प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करने होंगे। अथवा ऑनलाइन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट के पीड़ित कम्पनसेशन आप्शन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके उपरांत, सक्षम प्राधिकारी/समिति द्वारा जांच कर धनराशि पीड़िता/आश्रित को मुहैया करायी जाती है।

संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

PROGRAMME IMP

संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग, उत्तराखण्ड

मा0 मंत्री जी महासू देवता मंदिर, के जागडा कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए

PROGRAMME IMPL

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/मापदण्ड	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। समिति प्रत्येक प्रकरण के दस्तावेजों की जांच करती है एवं संबंधित कलाकारों को साक्षात्कार हेतु बुलाती है। साक्षात्कार/जांच में सही पाये जाने पर पेंशन की अनुशंसा की जाती है। इसके पश्चात् संस्कृति संचालनालय द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाता है। मासिक पेंशन से लाभान्वित कलाकारों/साहित्यकारों की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित के रूप में उनकी पति/पत्नी अथवा पुरुष कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी को पूर्णतः आश्रित के रूप में मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है।
3.	लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता	प्रदेश के सुयोग्य साहित्यकारों, लेखकों एवं कवियों, जिनकी कृतियाँ धनाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाती हैं, उन्हें प्रकाशन हेतु अधिकतम रू0 1 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	राज्य का स्थायी/मूल निवासी हो तथा धनाभाव के कारण कृतियाँ प्रकाशित नहीं हो रही हों।	पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। जिसके आधार पर पात्र लेखकों को संस्कृति संचालनालय, रायपुर में आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ लेखकों को अप्रकाशित पाण्डुलिपि, पुस्तक छपवाने का कोटेशन, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड, पैन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। विभाग में प्राप्त पाण्डुलिपियों के परीक्षण हेतु विभागीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निदेशक/संचालक एवं निदेशक संस्कृति की अध्यक्षता में लोक संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र में विद्वतजन, राज्य के विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञ एवं संस्कृति संचालनालय के वित्त एवं लेखा सेवा वर्ग के अधिकारी सम्मिलित किये जाते हैं। इस समिति की अनुशंसा के उपरान्त ही पुस्तक प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
4.	धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता	भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में चयनित होने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासियों, जो कि उक्त यात्रा में भाग लेते हैं, को राज्य सरकार की ओर से रू0 50 हजार की धनराशि यात्रा पूर्ण करने के पश्चात् प्रदान की जाती है।	राज्य के स्थायी निवासी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण कर ली हो तथा यात्रा कुमाऊं मण्डल विकास निगम के द्वारा की	आवेदन करने हेतु कोई प्रारूप नहीं है परन्तु यात्रा करने वाले व्यक्ति द्वारा निदेशक संस्कृति संचालनालय के नाम से लिखित में आवेदन के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मण्डल विकास निगम से किये जाने का प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र, विदेश मंत्रालय द्वारा उक्त यात्रा पूर्ण किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं यात्रा से संबंधित अन्य अभिलेख, बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी.

ऊर्जा विभाग (उरेडा), उत्तराखण्ड

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

PROGRAMM... ...IT

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड

चाय बागान कौसानी, बागेश्वर

PROGRAMME

डेयरी विभाग, उत्तराखण्ड

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
		वाहन स्वामियों को अपने वाहनों की फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सम्भागीय/उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों में वाहन सहित उपस्थित होकर आवेदन करना होता। विभिन्न ऑटोमेटेड फिटनेस सेन्टर की स्थापना की दशा में वाहन स्वामी के पास अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। विभिन्न ऑटोमेटेड फिटनेस सेन्टर की स्थापना की दशा में वाहनों की सड़क उपयुक्तता पर प्रभावी नियन्त्रण रखा जा सकेगा।		
7	**निजी क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण स्कूलों को मान्यता**	निजी क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण संस्थानों का मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कोई भी अर्ह व्यक्ति चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर स्वरोजगार कर सकता है।	लाभार्थी के नाम प्रस्तावित स्थल का स्वामित्व प्रमाणपत्र/लीज प्रमाणपत्र/किरायानामा होना आवश्यक है।	**1. आवेदन–** चालक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति हेतु ऑफलाईन मोड पर परिवहन आयुक्त कार्यालय में आवेदन फार्म 12 में किया जाता है। **2. आवेदन का माध्यम**–ऑफलाईन परिवहन आयुक्त कार्यालय में। **3.शर्तें–** 1–स्थान–(i) संचालक का पहचान प्रमाणपत्र, (ii) कम से कम 1000 वर्गफीट (जिसमें कम से कम 03 कमरे+ शौचालय +वाशरूम), (iii) प्रशिक्षण वाहनों को खड़ा करने हेतु पर्याप्त पार्किंग स्थल की उपलब्धता, (iv) स्थान का स्टूडेन्ट (कुल रूप में), (v) प्रस्तावित स्थल का स्वामित्व प्रमाणपत्र/लीज प्रमाणपत्र/ किरायानामा 2–वित्तीय स्थिति–रुपये 1.00 लाख की बैंकगारन्टी जो परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के नाम से बन्धक (05 साल के लिये) 3–वाहनों की उपलब्धता–कम से कम 02 वाहन (पीले रंग के + दोहरी नियन्त्रण प्रणाली से युक्त) (वाहन के वैध प्रपत्रों की प्रति–रजिस्ट्रेशन, इन्श्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फिटनेस) 4–मशीन–(i) 01 सिमुलेटर मशीन (इन्वॉइस की प्रति संलग्न की जाये) स्थापित तथा क्रियाशील होने के सम्बन्ध में आख्या। (ii) 01 कम्प्यूटराइज्ड/ऑटोमैटिक मशीन (इन्वॉइस की प्रति संलग्न की जाये) स्थापित तथा

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अभ्यर्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			ऐसे छात्र छात्राओं के मध्य JCERT द्वारा प्रतियोगात्मक परीक्षा आयोजित करायी जाती है। परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल प्रतिभागी छात्रों में से 10 प्रतिशत मेधावी छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। सामान्य विद्यार्थी को कक्षा 6 एवं 7 में उत्तीर्णता 75 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य। अनुसूचित जाति/जनजाति को 5 प्रतिशत अंकों/उत्तीर्णता में शिथिलता। छात्रवृत्ति हेतु अभ्यर्थी के माता-पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय की कोई बाध्यता नहीं है। किसी भी विद्यार्थी को राज्य की छात्रवृत्ति योजनाओं का दोहरा लाभ नहीं दिया जायेगा।	आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन/परीक्षा शुल्क देय नहीं है। आवेदन पत्र भरते हुए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, कक्षा 6 उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र, कक्षा 6 में अध्ययनरत होने का प्रवेश पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार लिंक बैंक खाता विवरण संलग्न करना होगा तथा फॉर्म में सही जानकारी भरनी होगी एवं फॉर्म अध्ययनरत स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास जमा करना होगा। प्रधानाध्यापक, प्राचार्य/स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर जांच कर फॉर्म पर अनुशंसा देंगे तथा फॉर्मों को जोड़ कर अनुमानित तिथि 21 अगस्त तक प्रखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जमा करने के उपरांत प्रखंड शिक्षा अधिकारी प्रवेश पत्र जारी करते हैं। विद्यार्थी प्रवेश पत्र स्कूल/प्रखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा संभवतः अनुमानित सितम्बर माह में आयोजित होती है तथा छात्रवृत्ति के लिए अनुशंसित होती है। मेरिट में आने पर प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यार्थी को सूचित किया जाता है और विद्यार्थी को धनराशि उनके खाते में भेजी जाती है।
9	मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर)	कक्षा 09– रू0 800 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु। कक्षा 10– रू0 900 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु।	राज्य के सरकारी विद्यालय एवं सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) में कक्षा 8 (संस्थागत) से उत्तीर्ण किया हो एवं कक्षा 9 में अध्ययनरत हो, ऐसे छात्र/छात्राओं के मध्य JCERT द्वारा प्रतियोगात्मक परीक्षा आयोजित करायी जाती है। सामान्य विद्यार्थी को कक्षा 8 में उत्तीर्णता 75 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य। अनुसूचित जाति/	आवेदन पत्र भरते हुए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, कक्षा 8 उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र, कक्षा 9 में अध्ययनरत होने का प्रवेश पत्र। अन्य प्रावधान क्रमांक 8 में उल्लिखित चयन प्रक्रिया के अनुसार।

PROGRAMME

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
			जनजाति को 5 प्रतिशत अंको / उपस्थिति में अविमान। अन्य प्रावधान **क्रमांक** 8 में उल्लिखित पात्रता के अनुसार।	
10	**मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर कक्षा 11 एवं 12)**	कक्षा 11– रू0 1200 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु कक्षा 12– रू0 1200 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु	राज्य के राजकीय विद्यालय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 10 की उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को प्रदान की जाती है। चयनित विद्यार्थी को कक्षा 11 में उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य। अनुसूचित जाति / जनजाति को बोर्ड परीक्षा में 5 प्रतिशत अंको / उपस्थिति में अविमान। अन्य प्रावधान **क्रमांक** 8 में उल्लिखित पात्रता के अनुसार।	इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों को परीक्षा नहीं देनी होती है। विभाग स्वयं बोर्ड के परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों का चयन करता है। विद्यार्थी उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु स्कूल में आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र एवं उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा में पास होने का प्रमाण पत्र संलग्नक कर प्रार्थना पत्र के साथ जमा करेंगे। विद्यालय में बजट उपलब्ध होने पर धनराशि विद्यार्थी के खाते में भेजी जाती है।

****

समग्र शिक्षा परियोजना, उत्तराखण्ड।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय बनियावाला, देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित "प्रवेशोत्सव" कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। दिनांक 11 अप्रैल, 2023

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			से प्रभावित माता–पिता पर आश्रित बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख से कम हो। तलाकशुदा अथवा विधवा महिला के आश्रित बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय 80,000/– से कम हो।	प्रति लगाकर अभिभावक द्वारा बच्चे का आवेदन पत्र सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/ प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराना पड़ता है। 3–विकास खण्ड स्तर पर समिति द्वारा समस्त दस्तावेजों की जांच की जाती है एवं तदनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर जांच में सही पाये गए छात्रों को सत्यापित किया जाता है। 4–निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में राज्य स्तर पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाता है।
5.	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पीएम० पोषण)	राजकीय विद्यालय में संचालित को–लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्र, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को कार्य दिवसों पर दोपहर का पौष्टिक भोजन मीनूनुसार फल, अण्डा, दूध आदि दिया जाता है।	बालवाटिका, प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से कक्षा 5), उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6 से कक्षा 8) के राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के सभी छात्र।	राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों का एडमिशन करने के उपरान्त उक्त लाभ बच्चों को स्कूल में ही दिया जाता है।
6.	व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम	कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों के कक्षा–9 से 12 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को अकादमिक शिक्षा के साथ ही रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु NSQF के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत 08 सेक्टर संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें छात्र–छात्राओं को व्यवसायपरक शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाता है।	चयनित 200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्र–छात्राएं।	व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में सभी छात्र–छात्राएं उस विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित सेक्टर में प्रवेश ले सकते हैं। यदि अन्य विद्यालय का कोई छात्र–छात्रा व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहता है तो उसे व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राएं संचालित अन्य विषयों की भांति व्यावसायिक शिक्षा को एक विषय के रूप में चयनित कर सकता है इसके लिए पृथक से आवेदन की आवश्यकता नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा विषय के चयन हेतु किसी भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कार्यक्रम।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / आवश्यकता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	पाठ्यक्रमों का संचालन किये जाने की योजना।	महाविद्यालयों में संचालित किया पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण आयोजित कराया जा रहा है।		[illegible] राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
८	उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक संकाय/विषय में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को न्यूनतम रू0 1,000 एवं अधिकतम रू0 40,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	प्रत्येक महाविद्यालय/परिसर स्तर पर–(विवरण) है: 1–स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं में से 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 80% प्राप्तांक/समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रमशः रू0 3,000, 2,000 एवं 1,500 मासिक छात्रवृत्ति। स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं में से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 80% प्राप्तांक/समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रमशः रू0 3,000, 2,000 एवं 1,500 मासिक छात्रवृत्ति। स्नातक स्तर की परीक्षाओं में सफल छात्र–छात्राओं में से अंतिम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 80% प्राप्तांक/समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रमशः रू0 30,000, 25,000 एवं 20,000 एकमुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। 2–स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं में से प्रथम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 80% प्राप्तांक/समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रमशः रू0 5,000, 3,000 एवं 2,000 मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। 3– स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष अथवा एक वर्षीय पाठ्यक्रम में परीक्षाओं में सफल छात्र–छात्राओं में से प्रथम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 80% प्राप्तांक	राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों परिसर द्वारा समर्थ पोर्टल प्रोविजन होने के उपरान्त पात्रता मानक छात्र–छात्राओं द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। छात्र विद्यार्थी को छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित समय के भीतर समर्थ पोर्टल https://uttarakhand.samarth.ac.in/index.php/site/login पर अपना पंजीकरण करते हुए, पंजीकरण प्रपत्र सहित आधार कार्ड, बैंक खाता, जिस परीक्षा में 80 प्रतिशत/80 प्रतिशत/75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, उससे सम्बन्धित सत्यापित शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के साथ संलग्न एवं [illegible] में प्रस्तावित आवेदन होगा। समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं ऑनलाइन में प्रस्तुत किए गये दस्तावेजों की जांच के उपरान्त विभाग द्वारा वेबसाइट पर लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करा दी जाती है तथा इसके उपरान्त पात्र लाभार्थियों को खाते में धनराशि प्राप्त होने लग जाती है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हतायें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			/समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रमशः रू0 80,000, 36,000 एवं 28,000 एकमुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। उपरोक्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (प्रत्येक संकाय) वर्ग में प्रत्येक महाविद्यालय/वि0वि0 के परिसर के प्रत्येक संकाय से 10 प्रतिशत टॉपर्स छात्र/छात्रा जो न्यूनतम 75 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक प्राप्त तथा जिनकी न्यूनतम 85 प्रतिशत उपस्थिति हो को ₹1,500/– प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। उक्त कुल संख्या में दुगुना प्राप्त करने को इस हेतु विचार नहीं किया जायेगा। उक्त की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक होगी।	
7	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना	राज्य सरकार द्वारा शोध हेतु अनुदान की अधिकतम राशि रू0 15 लाख तथा वैयक्तिक परियोजना में रू0 15 लाख दी जाती है।	राज्य के राजकीय महाविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत नियमित प्राध्यापक तथा अशासकीय संस्थानों में नियमित संचालित कक्ष में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें एवं शोध अधीन पात्र होंगे। शोध प्रस्ताव में प्रमुख शोध अन्वेषक के साथ एक सह शोध अन्वेषक भी आवश्यक होना है। शोध हेतु मानक विषय क्षेत्र विज्ञान, कला एवं मानविकी, गृह विज्ञान, वाणिज्य प्रबंधन होगा किन्तु शोध हेतु अंतर्विषयक (Interdisciplinary) विषय क्षेत्र भी स्वीकार किए जायेंगे। राज्य के स्थानीय विकास सम्बन्धित, आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रीय महत्व की आवश्यकता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा। शोध प्रस्तावों में विशिष्ट समस्या समाधान और क्रियात्मक शोध विषयों (Problem and Action Based Research Programme) वरीयता प्रदान की जायेगी। राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा निर्दिष्ट समस्याओं के निमित्त अनुरोध के आधार पर भी शोध प्रस्तावों को	शोधार्थी को शोध हेतु प्रस्ताव ऑनलाइन समर्थ पोर्टल https://uttarakhand.samarth.ac.in/ index.php site/login के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान शोधार्थी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के 15 दिनों के अन्दर संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा अग्रसारित करना होगा अन्यथा आवेदन पत्र के आगे स्तर के लिए अग्रेषित हो जायेगा। उसके उपरान्त मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन कर शोध हेतु अनुदान राशि 03 किश्तों में सेवा व शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के खाते से डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जायेगी। प्रमुख शोध अन्वेषक (Principal Investigator) के लिखित अनुरोध पर संबंधित संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा प्रमुख शोधकर्ता/शोधार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा लिखित अनुरोध के अधिकतम 05 दिनों के अन्दर यह राशि उपलब्ध करायी होगी अन्यथा स्पष्ट लिखित कारण सहित निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति को अवगत कराना होगा, जिस पर अंतिम निर्णय सचिव, उच्च शिक्षा/समिति द्वारा

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			सम्मिलित किया जा सकता है। शोध कार्य पूर्ण करने हेतु अधिकतम दो वर्ष का समय प्रदान किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में आगामी 01 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है। किसी भी शिक्षक / शोधार्थी को एक समय में केवल एक ही शोध परियोजना अनुमन्य होगी।	किश्त भुगतान– प्रथम किश्त में 50 प्रतिशत अनुदान राशि शोध प्रस्ताव की स्वीकृति के समय ही जारी की जाएगी। दूसरी किश्त के रूप में 30 प्रतिशत की अनुदान राशि उपभोग प्रमाण– पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही देय होगी। तीसरी एवं अंतिम किश्त के रूप में 20 प्रतिशत की अनुदान राशि शोध कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ही देय होगी। शोध मौलिक तथा यू०जी०सी० के मानकों के अनुरूप होगा। शोध कार्य हेतु शोध सहयोगी (Research Assistant) के प्रथम योगदान से शोध कार्य की समाप्ति की तिथि तक रू० 10,000 / – प्रति माह की दर से देय होगा।
8	समर्थ पोर्टल https://uttarakhand.samarth.ac.in/index.php/site/login	कोई भी विद्यार्थी जो स्नातक / स्नातकोत्तर में उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी विद्यालय / महाविद्यालय (तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं एच०एन०बी० विश्वविद्यालय तथा उससे जुड़े समस्त महाविद्यालयों को छोड़कर) में प्रवेश हेतु इच्छुक हो, समर्थ पोर्टल में पंजीकरण करना अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीकरण करने से विद्यार्थी को अलग-अलग के कॉलेज / विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कई संस्थानों में आवेदन नहीं करने पड़ते हैं।	विद्यार्थी जो उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी विद्यालय / महाविद्यालय से स्नातक / स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु इच्छुक हो।	समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण हेतु विद्यार्थी का आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नम्बर, बैंक खाता, जन्म प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट शैक्षिक प्रमाण–पत्र, माइग्रेशन एवं ट्रांसफर सर्टिफिकेट एवं माईग्रेशन सर्टिफिकेट यदि कोई गैप हो तो, चरित्र प्रमाण–पत्र, जिस संस्थान में अंतिम रूप से पढ़ाई की हो, अनिवार्य है। उक्त के अतिरिक्त EWS, दिव्यांग / एन०सी०सी०, खेलकूद प्रमाण पत्र, यदि लागू हो। एंटी ड्रग शपथ–पत्र, जो भारत सरकार के mygov-https://www.mygov.in/ ऐप पर पंजीकरण करने के उपरान्त शपथ लेकर डाउनलोड किया हो। इस ऐप पर पंजीकरण हेतु आधार नं०, मोबाइल नं० एवं ई०मेल आईडी० अनिवार्य है।

****

संस्कृत शिक्षा विभाग

उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार द्वारा संचालित योजनाएं/कार्यक्रम

क्र.	योजना का नाम	विवरण	पात्रता/मानदण्ड	आवेदन प्रेषित करने एवं चयन प्रक्रिया
1	संस्कृत छात्र प्रतियोगिता– (1 संस्कृत नाटक 2 संस्कृत समूहगान 3 वाद–विवाद अनुवादक श्लोकोच्चारण)	प्रत्येक स्तर पर कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग की पृथक–पृथक 06 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। 1 विकासखण्ड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रू0 300/– एवं अधिकतम रू0 600/– तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रू0 300/– एवं अधिकतम रू0 500/– पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। 2 जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रू0 400/– एवं अधिकतम रू0 2000/– तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रू0 400/– एवं अधिकतम रू0 800/– पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। 3 राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के टीम इवेंट में न्यूनतम रू0 3000/– एवं अधिकतम रू0 20000/– तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रू0 1500/– एवं अधिकतम रू0 5000/– पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी राजकीय/अशासकीय/निजी विद्यालय के कनिष्ठ वर्ग में (कक्षा 06 से 10 तक) एवं वरिष्ठ वर्ग में (कक्षा 11 से स्नातकोत्तर कक्षा तक) अध्ययनरत संस्कृत छात्र इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। यह प्रतियोगिता स्तर में पूर्व कक्षा (आधा) और का विकासखण्ड स्तर से आयोजित होती है। इसका विवरण/अधिसूचना अकादमी द्वारी जारी संबंधित जनपद संयोजक एवं खण्ड संयोजक को भेजी है।	छात्र/छात्रा का स्वयं विद्यालय/कॉलेज स्तर पर करने के उपरान्त अभ्यर्थियों की संस्तुति सहित प्रतिभाग हेतु खण्ड शिक्षाधिकारी/खण्ड संयोजक को प्रस्तुत किया जाता है। खण्ड स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/समूह को पुरस्कार धनराशि दी जाती है। उसके उपरान्त प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त समस्त प्रतिभागी जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/समूह को पुरस्कार धनराशि दी जाती है। जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त प्रत्येक प्रतिभागी/दल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/समूह को पुरस्कार धनराशि दी जाती है।
2	अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन	प्रत्येक आमन्त्रित कवि को मानदेय रू0 3000/– प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड सहित अन्य प्रदेशों के संस्कृत कवि	यह आयोजन 15 जनवरी एवं 26 जनवरी को उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा कराया जाता है। देश के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत शिक्षक जो संस्कृत कवि के रूप में विख्यात हों की सूची तैयार कर कार्यक्रम संयोजक द्वारा प्रस्तावित कवियों की सूची सक्षम अधिकारी से सम्बद्ध संस्तुत की जाती है। तदनुसार चयनित, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत कवियों को काव्यपाठ हेतु आमन्त्रित किया जाता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	पुस्तकों का मुद्रण एवं निःशुल्क वितरण	8 तक रू. 400/- कक्षा 9 से 10 तक रू. 600/- कक्षा 11 से 12 तक रू. 700/- की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।	12 में अध्ययनरत विद्यार्थी पात्र होंगे।	द्वारा अग्रसारण/संस्तुति के पश्चात् सम्बन्धित जनपद के सहायक निदेशक द्वारा संस्तुति प्रदान करना। **दस्तावेज – आधार कार्ड, बैंक खाता छात्र/छात्रा (जिस कक्षा में पढ़ रहे हों, उसी सत्र में स्वयं/अभिभावक स्वयं अपणिसरकार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।**
2	**संस्कृत विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति**	पूर्व मध्यमा (कक्षा-10) के छात्र मेधावी विद्यार्थियों को 20 माह के लिए प्रति माह रू. 300/- की छात्रवृत्ति दी जाती है तथा **उत्तर मध्यमा (कक्षा-12)** के 03 मेधावी विद्यार्थियों को प्रथम स्थान- रू0 20,000/- द्वितीय स्थान-रू0 15,000/- तृतीय स्थान-रू0 10,000/- की धनराशि दी जाती है।	संस्कृत विद्यालयों की परिषदीय परीक्षा के मेधावी छात्रों (मैरिट लिस्ट में टॉप 10), जो उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा संचालित /मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में ही उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हों तथा **उत्तर मध्यमा (कक्षा-12) के 03 मेधावी विद्यार्थियों** को संस्कृत विद्यालयों की परिषदीय परीक्षा के मेधावी छात्रों (मैरिट लिस्ट में टॉप 03) को उच्च स्तर की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है।	सम्बन्धित छात्र के आवेदन को विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारण/संस्तुति के पश्चात् सम्बन्धित जनपद के सहायक निदेशक द्वारा संस्तुति प्रदान करना। **दस्तावेज** – आधार कार्ड, बैंक खाता, मैरिट सूची का प्रमाण पत्र। छात्र/छात्रा (मैरिट सूची में आने पर) उसी सत्र में स्वयं/अभिभावक स्वयं अपणिसरकार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION…

संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अहर्ता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन	प्रदेश के विभिन्न स्थानों एवं प्रदेश से बाहर आयोजित राष्ट्रीय मेलों/ महोत्सवों/पर्वों/उत्सवों तथा राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर संस्कृति विभाग देहरादून में पंजीकृत दलों द्वारा सांस्कृतिक आयोजन में प्रस्तुति देने के एवज में दलनायक को दैनिक मानदेय रू० 1000/- एवं कलाकार को रू० 800/- मात्र, दलनायक को यात्रा भत्ता रू0 500/- एवं अन्य कलाकारों को रू0 500/- एवं अन्य कलाकारों को यात्रा भत्ता रू0 400/- मात्र। यात्रा हेतु साधारण बस किराया एवं द्वितीय श्रेणी रेल किराया का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में विभाग में कुल 238 सांस्कृतिक दल एवं 156 एकल कलाकार सूचीबद्ध हैं।	संस्कृति विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दल/ कलाकार	संस्कृति निदेशालय द्वारा सांस्कृतिक दलों/कलाकारों के पंजीकरण हेतु अधिसूचना हर तीन वर्ष में किया जाता है। अधिसूचना में वर्णित शर्तों के अनुसार निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है – संस्था का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, न्यूनतम विगत तीन वर्षों के संस्कृति के क्षेत्र में कार्य अनुभव तथा किये गये कार्यों का विवरण, दल में कलाकारों की संख्या तथा विवरण, एकल कलाकारों के लिए विगत तीन वर्षों में सांस्कृतिक क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण, उत्तराखण्ड का मूल निवासी/स्थाई प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है। तदोपरान्त पंजीकरण प्रमाण संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। **मा0 मंत्री जी महासू देवता मंदिर, के जागड़ा कार्य**
2.	उत्तराखण्ड राज्य के वृद्ध विपन्न कलाकार/साहित्यकार एवं लेखकों हेतु पेंशन योजना।	विभाग द्वारा रू0 3000/- प्रतिमाह मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। मासिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है।	वृद्ध, विपन्न कलाकार, साहित्यकार एवं लेखक, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन कला एवं संस्कृति तथा साहित्य के विकास में समर्पित कर दिया हो एवं वर्तमान में [illegible] हो। आयु 60 वर्ष से कम न हो। मासिक आय रू0 [illegible] से अधिक न हो। उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई निवासी।	पेंशन योजना का प्रारूप संस्कृति निदेशालय, देहरादून से अथवा संस्कृति विभाग की http://uttarakhandculture.in/schemes.php से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है। इसकी एकमात्र आवेदन पत्र के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो एवं परिचय का सम्पूर्ण विवरण, आधार कार्ड, राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, कार्यों का विवरण, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण-पत्र, वैवाहिक प्रमाण पत्र, सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी/अन्य द्वारा प्रदत्त कलाकार/साहित्यकार/लेखक सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, कलाकार सिद्ध होने का प्रमाण/जिला प्रशासन की संस्तुति अनिवार्य है। यह सम्पूर्ण संलग्न करके संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड में जमा करना अनिवार्य है। निदेशालय द्वारा आवेदन की जांचोपरान्त

PROGRAMME IMPLEMENTATION

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			गई हो।	कोड अंकित हो, पैन कार्ड की छायाप्रति/आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर जमा करेगा। उसके बाद निदेशक कार्यालय द्वारा जांचोपरान्त सही पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति की जाती है।
5.	अ0जा0/जनजाति के व्यक्तियों के लिए पारम्परिक वाद्य यंत्रों, वेश-भूषा का क्रय करने हेतु	अनु0जाति/जनजाति के व्यक्ति जिनकी आय का स्रोत सांस्कृतिक कला से होता है तथा जिनके पास वाद्य यंत्र एवं वेश-भूषा नहीं है, को उनके जीवन यापन के लिए सांस्कृतिक वाद्य यंत्र (ढोल, दमाऊ, मशकबीन, रणसिंगा, तुरही, नागफनी, तलवार आदि) एवं वेश-भूषा क्रय कर निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। जीवनकाल में केवल एक ही बार दिया जाता है।	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोक कलाकार जिनकी मासिक आय रू0 2000/- से अधिक न हो। एक परिवार से एक से अधिक कलाकार को आच्छादित नहीं किया जायेगा।	अ0जा0/जनजाति के पात्र व्यक्तियों को पारम्परिक वाद्य यंत्रों/वेशभूषा प्रदान किये जाने हेतु संस्कृति निदेशालय द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। विज्ञापन के उपरान्त संबंधित व्यक्ति रू0 2000/- मासिक आय प्रमाण पत्र, कलाकार/वाद्य यंत्र का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या / बैंक आई0एफ0एस0सी0 कोड, पैन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करके निदेशक संस्कृति निदेशालय में जमा करेगा। निदेशालय स्तर से सचिव संस्कृति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाता है तथा कुछ समय बाद उक्त वाद्ययंत्र निदेशालय से प्राप्त कर सकते हैं।
6.	भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय (देहरादून, पौड़ी एवं अल्मोड़ा)	इन महाविद्यालयों में गायन, वादन, नृत्य, सितार, तबला, लोक नृत्य, भरतनाट्यम आदि की शिक्षा प्रदान की जाती है। मासिक शुल्क प्रवेशिका से मध्यमा तक रू0 40 तथा विशारद प्रथम वर्ष का शुल्क रू0 50 तथा विशारद द्वितीय वर्ष का शुल्क रू0 60 प्रतिमाह की दर से लिया जाता है।	गायन, वादन, नृत्य, सितार, तबला, लोक नृत्य, भरतनाट्यम आदि सीखने वाले विद्यार्थी	महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों से माह में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 11 वर्ष एवं अधिकतम आयु 21 वर्ष है। शिक्षण सत्र माह जुलाई से दिसम्बर तक होता है। माह दिसम्बर में वार्षिक परीक्षायें सम्पन्न की जाती हैं, उसके उपरान्त प्रवेश दिया जाता है।

****

PROGRAMME IM

प्राविधिक(तकनीकी) शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।

प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।
दिनांक 05 जून, 2023

प्राविधिक (तकनीकी) शिक्षा विभाग

क्र०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	1–प्रगति छात्रवृत्ति (उत्तराखण्ड मूल के 81 छात्राओं के लिए (डिप्लोमा) एवं 50 स्नातक स्तर के लिए)	डिप्लोमा / स्नातक स्तर के लिए रू0 50 हजार प्रतिवर्ष।	केवल बालिकाओं के लिए वार्षिक आय रू0 8 लाख होने पर और प्रत्येक परिवार की अधिकतम दो बालिकाओं तक अनुमन्य।	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इन छात्रवृत्ति योजनाओं में निम्न प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती होती है– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजना के तहत एन०एस०पी० पोर्टल के माध्यम से माह सितम्बर से दिसम्बर के मध्य आवेदन मांगे जाते हैं। अखिल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज – हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट का अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र। **प्रगति योजना हेतु** 02 छात्राओं को छात्रवृत्ति अनुमन्य हो सकती है जिसके सम्बन्ध में आय प्रमाण पत्र। **सक्षम योजना हेतु** सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। **स्वनाथ योजना हेतु** अभ्यर्थी के पिता/माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है। समस्त योजनाओं हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा स्वयं अध्ययनरत संस्था से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है, जिसे सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त राज्य स्तरीय अधिकारी (S.L.O.) द्वारा ऑनलाईन आवेदन सत्यापित कर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (ए०आई०सी०टी०ई०) को अग्रसारित (Forward) किया जाता है।
2.	2– सक्षम छात्रवृत्ति	स्नातक स्तर के लिए रू0 50 हजार प्रतिवर्ष।	दिव्यांग छात्र–छात्राओं हेतु दिव्यांगता 40% से अधिक वार्षिक आय रू0 8 लाख होने पर	
3.	3– स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना	डिप्लोमा / स्नातक स्तर के लिए रू0 50 हजार प्रतिवर्ष।	अनाथ/जिनके माता–पिता अथवा माता पिता में कोई एक कोविड–19 से मृत हुए हों/ किसी सैन्य और केन्द्रीय सुरक्षा बल में शहीद के आश्रित। वार्षिक आय रू0 8 लाख होने पर	

******

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

क्र.	योजना का नाम	उद्देश्य	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राज्य पोषित [illegible] (ELSTP)	यह प्रशिक्षण निःशुल्क है। इस प्रशिक्षण की अवधि 3 से 6 माह है [illegible] रोजगार/स्वरोजगारपरक [illegible]	राज्य के बेरोजगार/युवा [illegible]	[illegible] www.uksdm.org [illegible]
2.	[illegible] I.T.I.	[illegible]	[illegible] 400/- [illegible]	[illegible] I.T.I. [illegible] वेबसाइट-www.vpputtarakhand.in [illegible]
3.	[illegible]	[illegible] Domain (Language, Culture, Work Ethics, [illegible]) [illegible]	[illegible]	[illegible]

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग, उत्तराखण्ड

PROGRAMME IM... PARTMENT

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग (पी.आर.डी.)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रान्तीय रक्षक दल (पी.आर.डी.) स्वयंसेवकों की तैनाती	पुलिस थानों एवं विभिन्न कार्यालयों में ड्यूटी पर तैनात किए जाने हेतु पी.आर.डी. स्वयंसेवकों को रू.500/- प्रतिदिन की दर से मानदेय भुगतान किया जाता है।	उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी युवा (पुरुष एवं महिला) भर्ती के समय जिनकी आयु 18 से 40 के मध्य हो।	विभिन्न विभागों के द्वारा आवश्यकतानुसार पी.आर.डी. स्वयंसेवकों की माँग युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को भेजी जाती है। माँग के क्रम में विभाग द्वारा विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तथा शारीरिक नाप-जोख एवं शारीरिक परीक्षा हेतु जनपदवार तिथि निर्धारित की जाती है। परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु उक्त तिथि का प्रवेश पत्र वेबसाइट पर दिए गए स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र अनिवार्य है। शारीरिक परीक्षा की मेरिट के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पी.आर.डी. स्वयंसेवकों का चयन किया जाता है। चयनित पी.आर.डी. (पुरुष/महिला) स्वयंसेवकों को 22 दिवसीय आवासीय [illegible] प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके उपरान्त उन्हें ड्यूटी पर तैनात किया जाता है तथा तैनाती अवधि का मानदेय का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाता है।
		विभिन्न परिस्थितियों में ड्यूटी के दौरान मृत्यु/स्थायी दिव्यांगता अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में नक्सलवादी/आतंकवादी हमलों के दौरान मृत्यु की दशा में रू.200 लाख, [illegible] ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में रू.1.50 लाख तथा सामान्य ड्यूटी में मृत्यु होने की दशा में रू. 1.00 लाख एवं स्थायी अपंगता की दशा में मृत्यु होने के लिए अनुमन्य अनुग्रह धनराशि की आधी तथा आंशिक रूप से अपंग होने की दशा में अनुमन्य धनराशि की चौथाई अनुग्रह धनराशि आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	प्रशिक्षित पी.आर.डी. स्वयंसेवक एवं स्वयंसेवक/उनके आश्रित।	पी.आर.डी. स्वयंसेवक/उनके आश्रित द्वारा मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण-पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र एवं दिव्यांगता की दशा में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय में जमा करना होगा। आश्रित होने की स्थिति में आश्रित का जन्म तिथि प्रमाण-पत्र, उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र, बैंक खाता पासबुक/आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करानी होगी। विभाग द्वारा उक्त परिस्थितियों का आंकलन करने के उपरान्त पी.आर.डी. स्वयंसेवक/उनके आश्रितों को धनराशि भुगतान की जाती है।

क्र	योजना का नाम	उद्देश्य	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
2	खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	खेल महाकुम्भ प्रतियोगिताओं का आयोजन- अण्डर-14, अण्डर-17 एवं अण्डर-21 के आयु वर्गों में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं करायी जाती हैं। न्याय पंचायत स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (रु 300, रु 200 एवं रु 100) विधानसभा स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (रु 500, रु 400 एवं रु 300) जनपद स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (रु 800, रु 600 एवं रु 400) तथा राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (रु 1000, रु 1000 एवं रु 700) का पुरस्कार दिया जाता है। प्रतियोगिताओं के दौरान विधानसभा एवं जनपद स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों का विभाग द्वारा शिविर का आयोजन कर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिये निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।	खेल प्रतियोगिताओं में उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी युवा (बालक एवं बालिका) प्रतिभाग कर सकते हैं।	• खेल महाकुम्भ का आयोजन सामान्यतः माह अक्टूबर से दिसम्बर के मध्य होता है। जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है कि किस दिन न्याय पंचायत/खण्ड स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी तथा राजकीय विद्यालयों, युवा कल्याण विभाग/खेल विभाग आदि के माध्यम से सभी इच्छुक खिलाड़ियों को प्रतिभाग कराया जाता है। • प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु खिलाड़ी को फोटो, जन्म पत्र/जन्म प्रमाण-पत्र, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड आदि अनिवार्य है। • इन प्रतियोगिताओं के तहत खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग तथा खेल महाकुम्भ में एक स्तर/न्याय पंचायत स्तर पर खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है जिनमें से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों द्वारा विकास खण्ड स्तर पर तथा इसी प्रकार विधानसभा स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों द्वारा जनपद स्तर पर तथा जनपद स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों द्वारा राज्य स्तर पर प्रतिभाग किया जाता है।
3	युवा दलों को आर्थिक सहायता	उत्तराखण्ड राज्य में रोजगारपरक प्रशिक्षण/व्यवसाय आरम्भ करने हेतु युवक एवं महिला मंगल दलों [illegible] हेतु रु 1.00 लाख, टेंट हाउस [illegible] हेतु रु 50 हजार, [illegible] हेतु रु 50 हजार, [illegible] हेतु रु 50 हजार, फोटोकॉपी/कम्प्यूटर/सिलाई मशीन क्रय हेतु रु 1.00 लाख, डेयरी/मछली/मुर्गी पालन हेतु रु 50 हजार, मिष्ठान्न/दही/पनीर एवं अन्य वस्तुओं के	विभाग से सम्बद्धीकृत युवक/महिला मंगल दल जिन्हें पूर्व में योजना से लाभान्वित न किया गया हो। सदस्यों का राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।	आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक युवक/महिला मंगल दल द्वारा आवेदन पत्र युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ दल के समस्त सदस्यों की सर्वसम्मति [illegible] व्यवसाय [illegible] है। [illegible] विवरण, कार्ययोजना, व्यवसाय के लिए भवन/भूमि की उपलब्धता का विवरण तथा [illegible] के अनुसार दल का [illegible] प्रमाण-पत्र, [illegible] स्थायी निवास प्रमाण पत्र, दल का बैंक खाता, जो व्यवसाय कर रहे हों उनके सम्बन्धित प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण-पत्र। सभी दलों के [illegible] का विवरण [illegible] जनपदीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के माध्यम से जिला युवा

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		निर्माण हेतु उपकरण क्रय हेतु रू0 50 हजार, साहसिक खेल उपकरण क्रय हेतु रू0 4.00 लाख, सिलाई मशीन क्रय /बुटीक/ब्यूटीपार्लर कार्य हेतु रू0 50 हजार, जैविकखाद/मधुमक्खी उत्पादन कार्य हेतु रू0 50 हजार, जल संरक्षण कार्य हेतु रू0 50 हजार, वस्तु भण्डारण कार्य हेतु रू0 50 हजार, सांस्कृतिक वाद्य यंत्र क्रय हेतु रू0 50 हजार, इलेक्ट्रानिक्स कार्य हेतु रू0 50 हजार, वाहन मरम्मत कार्य हेतु रू0 50 हजार, वाल्कनाइजिंग कार्य हेतु रू0 10 हजार, मोबाइल फोन रिपेयरिंग कार्य हेतु रू0 12 हजार एवं अभिनव कार्य हेतु रू0 1.66 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उक्त आर्थिक सहायता विभाग द्वारा अधिकतम प्रस्तावित कार्य योजना की कुल लागत का 75 प्रतिशत अथवा तालिका में अंकित कार्य के सापेक्ष धनराशि, जो भी कम हो, होगी तथा अवशेष धनराशि की व्यवस्था लाभार्थी युवा दलों द्वारा स्वयं के स्तर पर की जायेगी।		कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण करते हुए अपनी संस्तुति सहित उक्त प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। लाभार्थी युवा दलों के चयन तथा अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित लाभार्थी युवा दलों की सूची संस्तुति सहित निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय को प्रेषित की जायेगी। निदेशालय द्वारा प्रत्येक जनपद से न्यूनतम 02 लाभार्थी युवा दलों का चयन करते हुए बजट सीमा के अन्तर्गत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि का भुगतान दल के बैंक खाते में किया जायेगा।
4	युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल स्वावलम्बन योजना	दलों को स्वावलम्बी बनाने हेतु सामूहिक उपयोग की आवश्यक सामग्री क्रय किये जाने हेतु रू0 14,288.00 की धनराशि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	विभाग से सम्बद्धीकृत युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल।	दलों द्वारा ग्राम पंचायत की आम सभा में प्रस्ताव पास कराकर पी0आर0डी0 कार्यालय को भेजा जाता है। प्रस्ताव के साथ सभी सदस्यों का आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं दल का बैंक खाता विवरण संलग्न करना होता है। युवा विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्ताव उचित पाये जाने पर संस्तुति सहित जिला युवा कल्याण अधिकारी को भुगतान हेतु निर्देशित किया जाता है तथा उसके उपरान्त दल के बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
५	महिला मंगल एवं युवक मंगल दल का गठन	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग (पी०आर०डी०) विभाग की कई योजनाओं का लाभ प्राप्त करने तथा किसी भी व्यवसाय को समूह में करने हेतु अनिवार्य है।	राज्य की ग्राम पंचायतों के इच्छुक महिला/पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, मान्य होंगे।	महिला मंगल एवं युवक मंगल दल का गठन–प्रान्तीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला मंगल एवं एक युवक मंगल दल का गठन किया जाता है। यदि किसी को महिला मंगल दल/युवक मंगल दल का सदस्य बनना हो तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव ग्राम सभा से पास करवाकर क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
६	ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य सम्वर्द्धन योजना	युवा वर्ग को स्वस्थ रखने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) की स्थापना हेतु रु0 17,980.00 की धनराशि मंगल दलों को आवंटित की जाती है।	राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत।	ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम निर्माण हेतु स्थान का चयन कर ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करवाकर क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। उसके उपरान्त धनराशि मंगल दलों को आवंटित की जाती है।
७	युवाओं का साहसिक प्रशिक्षण	राज्य के युवाओं को विभिन्न साहसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे व्हाईट वॉटर रिवर राफ्टिंग, माउंटेन गाईड प्रशिक्षण, आपदा प्रबन्धन एवं [illegible] बचाव कार्य, [illegible] ट्रैकिंग आदि में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। (हृदय रोग, अस्थमा, मिरगी/दौरा, हाथ–पैरों में रॉड लगा हो, पात्र नहीं होगा।)	उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी युवा (युवक एवं महिला) जिनकी आयु–18 से 30 वर्ष के मध्य (01 मार्च 2023 को) न्यूनतम 8वीं पास, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। प्रशिक्षण हेतु पीआरडी स्वयंसेवक, एनएसएस, एनसीसी, युवक/महिला मंगलदल के सदस्य/पदाधिकारी को प्राथमिकता दी जायेगी।	विभाग द्वारा प्रतिवर्ष समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा आवेदन पत्र पी०आर०डी० कार्यालय से प्राप्त कर दस्तावेजों (शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र की छायाप्रति, दो पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, आधारकार्ड, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र) के साथ उक्त कार्यालय में जमा करना होगा। दस्तावेज सही पाये जाने के उपरान्त जिला युवा कल्याण एवं प्रा०र०द० अधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

****

खेल विभाग, उत्तराखण्ड

37वें गोवा राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान करते हुए मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, 2018

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक)

PROO

		रेखीय विभागों से प्रतिभाग हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इस अवधि में भोजन आवास की सुविधा सम्बधित विभाग द्वारा यू –सैक के सहयोग से किया जाता है। ➤ समय–समय पर अनुरोध पर व आवश्यकतानुसार प्रदेश के विभिन्न डिग्री कॉलेजों/स्कूलों में भौगोलिक सूचना प्रणाली पर कार्यशाला आयोजित करना तथा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए प्रेरित करना। यू –सैक द्वारा एक दिवसीय **प्रशिक्षण निशुल्क** दिया जाता है जिसमे भोजन एवं परिवहन की व्यवस्था निशुल्क की जाती है. यू –सैक द्वारा इसमें आवास की व्यवस्था नहीं की जाती है।	➤ राज्य में स्थित प्राइवेट/ राजकीय/ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/ कॉलेज के मुख्यत स्नातक व उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी	अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है इसके अतिरिक्त रेखीय विभागों के अनुरोध पर उनकी आवश्यकतानुसार समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। व्यक्ति विशेष हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है । ➤ संस्थानों/डिग्री कॉलेज के प्राचार्य विभागाध्यक्ष डीन द्वारा यू–सैक के निदेशक को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाता है तथा यू–सैक प्रशिक्षण की अवधि निर्धारित कर अवगत कराता है तथा संबंधित कॉलेज/विद्यालय अपने विद्यार्थियों को विजिट हेतु आ सकते है।

*****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू–सर्क)

		जनपदों के उच्च शिक्षण संस्थानों के UG/PG/Researchers/ Teachers द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। इस आवासीय प्रशिक्षण के दौरान भोजन, भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है।	स्नातकोत्तर स्तर के छात्र–छात्राएं, शोधार्थी एवं प्राध्यापक	आवेदनों को पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर चयन) के उपरांत चयनित छात्र–छात्राएं निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

विज्ञानधाम–(यू–कॉस्ट), उत्तराखण्ड

यूकॉस्ट, परिसर, विज्ञान धाम, झाझरा में तीन दिवसीय 17वीं उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस –2023 के अन्तर्गत 'प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस' के शुभारम्भ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास यात्रा एवं विज्ञान पर चर्चा पुस्तकों का विमोचन किया। दिनांक 10 फरवरी 2023

क्र	कार्यक्रमों का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4	**शोध अनुसंधान एवं विकास**	राज्य हित में विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक शोध के माध्यम से निदान हेतु शोध अनुसंधान को बढ़ाने के लिए अनुदान दिया जाता है। राज्यभर के सरकारी/ गैर सरकारी महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों/शोधसंस्थान के शैक्षणिक वैज्ञानिक संवर्ग/तकनीकी संस्थान/शोधार्थी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं।	वैज्ञानिक/ शोधार्थी।	प्रस्ताव परिषद को निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित करने के उपरान्त परिषद स्तर पर गठित परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठक में प्रस्तुतीकरण के उपरान्त समिति की अनुशंसा पर। आवश्यक दस्तावेज–प्रस्ताव संस्था (विश्वविद्यालय, कालेज) के अध्यक्ष से अग्रसारित करना जरूरी है।
5	**यात्रा अनुदान**	शोधकर्त्ताओं तथा वैज्ञानिकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली वैज्ञानिक कार्यशालाओं आदि कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिये परिषद द्वारा यात्रा अनुदान भी दिया जाता है। यात्रा का आधा खर्च (अधिकतम धनराशि रू0 25,000) इस योजना के अन्तर्गत राज्य के शोधकर्त्ताओं तथा वैज्ञानिकों को दिये जाने की व्यवस्था है।	राज्य के शोधकर्त्ताओं तथा वैज्ञानिकों	वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रारूप (परिषद की वेबसाईट https://ucost.uk.gov.in/पर उपलब्ध) के अनुसार देना होगा एवं विभागाध्यक्ष से अग्रसारित भी कराना होगा।

*****

जैव प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखण्ड

				से प्राप्त किये जाते हैं।
3	**कृषक–वैज्ञानिक संगोष्ठी**	परिषद् कृषक–वैज्ञानिक संगोष्ठियो के माध्यम से प्रदेश के किसानों को विषय–विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन देकर जैव प्रौद्योगिकी आधारित कृषिकरण एवं पशुपालन में आ रही समस्याओं को निराकरण करती है। साथ ही हाईड्रोपोनिक, मृदा रहित खेती एवं कीवीफल के कृषिकरण, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन इत्यादि की तकनीकी जानकारी प्रदान करके उनको स्वरोजगार के साथ उनके आर्थिकी को बढ़ाने के लिए सतत् रूप से प्रयासरत् है।	युवा, किसान, स्वयं सहायता समूह एवं पशुपालक।	परिषद् द्वारा समय–समय पर ऐसे संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। प्रतिभाग हेतु विभिन्न क्षेत्रों के किसानों, युवाओं एवं कृषि से जुड़े छात्र–छात्राओं को प्रकाशित विवरणिका, लिफलेट एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से अवगत कराकर इच्छुक अभ्यर्थियों का पंजीकरण कराया जाता है, तदोपरान्त प्रशिक्षण/ संगोष्ठी सम्पादित की जाती है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में जे के टायर लिमिटेड कम्पनी तथा यस बैंक द्वारा सीएसआर के तहत लगाये गये हैल्थ एटीएम का लोकार्पण किया।

दिनांक 06 अप्रैल, 2023

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं सक्षम प्राधिकारी
1	ईजा-बोई शगुन योजना	जच्चा-बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य हेतु प्रसव उपरान्त सरकारी अस्पताल में 48 घण्टे तक रुकने वाली सभी धात्री प्रसूताओं को रू0 2000/- प्रोत्साहन धनराशि के रूप में दी जाती है।	प्रसूता महिला उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी होनी अनिवार्य है। सरकारी अस्पतालों में प्रसव किया हो।	प्रसूता महिला का सरकारी अस्पताल में प्रसव होने के उपरांत संबंधित चिकित्सालय द्वारा प्रसूता महिला के खाता संख्या बैंक खाता मांगा जाता है तथा चिकित्सालय द्वारा महिला को रू0 2000/- की धनराशि हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जाती है जो बाद में महिला के खाते में आती है।
2	कैंसर के डेकेयर सेंटर	कैंसर का प्रारम्भिक अवस्था में पता लगाने और इलाज शुरू करने के लिए उत्तराखंड के सभी जिलों में सामान्य कैंसर (ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल) की निःशुल्क जांच की जा रही है।	सभी कैंसर रोगी	कैंसर रोगियों को कीमोथेरेपी, दर्द प्रबंधन और अन्य डे केयर सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी 13 जिलों में कैंसर के डेकेयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। अतिरिक्त रूप उत्तराखंड के 10 पहाड़ी जिलों में कैंसर के डेकेयर यूनिट की स्थापना की गई है। संबंधित चिकित्सालय में जाकर उक्त सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
3	संस्थागत प्रसव को बढ़ावा।	सभी जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में दूरस्थ क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को संभावित प्रसव तिथि से ही 15 दिन पूर्व जिला चिकित्सालय के नजदीक Birth Waiting Room के रूप में "One Stop Centre" (महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित) किये जा रहे हैं में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से की जा रही है जिससे संस्थागत प्रसव की स्थिति होने पर प्रसूता को नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती कराकर सम्भावित प्रसव की जटिलताओं के कारण से सुरक्षित प्रसव कराया जा सके। प्रत्येक जनपद में एक "One Stop Centre" स्थापित है।	सभी गर्भवती महिलाएं	नजदीकी आशा/ आंगनबाड़ी /एएनएम से सम्पर्क कर उक्त सुविधा प्राप्त की जा सकती है।
4	चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया (दिव्यांगता प्रमाणित करने	दिव्यांगता प्रमाणित करने हेतु तथा विभिन्न प्रकार प्रयासों की पेंशन, छात्रवृत्ति, सेवायोजन में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु यह प्रमाण पत्र आवश्यक है।	दिव्यांग व्यक्ति	दिव्यांग व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने हेतु सर्वप्रथम अपने जनपद के जिला चिकित्सालय में प्रार्थना पत्र देना होता है जहां पर निर्धारित फार्म न्यूनतम शुल्क जमा कर प्राप्त किया जाता है। उसके उपरांत नियत दिन को बोर्ड में दिव्यांग की संबंधित डाक्टर द्वारा

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	हेतु)			अन्य डाक्टरों को दिखाना पड़ता है। दिव्यांग व्यक्ति अपने साथ आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर एवं पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आयेगा। प्रत्येक बुधवार को जिला चिकित्सालयों में सामान्यतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित होते हैं तथा उनके द्वारा डाक्टरों की जांच आख्या के आधार पर चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं संबंधित दिव्यांग को उपलब्ध कराया जाता है। यदि तत्समय प्राप्त न हो तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
3	**दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यू0आई0डी0 कार्ड) बनाने की प्रक्रिया।**	दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति को समाज कल्याण एवं अन्य विभागों की पेंशन, छात्रवृत्ति तथा आरक्षण संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा यू0आई0डी0 कार्ड को अनिवार्य किया गया है।	देश के समस्त ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनका दिव्यांग चिकित्सा प्रमाण पत्र बना हो, पात्र होंगे।	दिव्यांग व्यक्ति को यू0आई0डी0 कार्ड बनाने हेतु स्वयं https://www.swavlambancard.gov.in/ पर ऑनलाइन कर सकता है या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर एवं चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। उक्त पोर्टल पर पंजीकरण के उपरान्त यू0आई0डी0 कार्ड जांच हेतु संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास ऑनलाइन आता है, उसके बाद चिकित्साधिकारी द्वारा जांच में सही पाये जाने पर भारत सरकार को ऑनलाइन भेजा जाता है तथा भारत सरकार के स्तर से यह कार्ड जारी कर संबंधित व्यक्ति के पते पर भेजा जाता है। व्यक्ति इस कार्ड को उक्त पोर्टल से भी डाउनलोड करके प्रिंट कर सकता है।
	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाएं/कार्यक्रम			

PROGRAMME IMPLEMENTATION

होम्योपैथी चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड

दून विश्वविद्यालय, देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 'होम्योकॉन– 2023' के शुभारम्भ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। दिनांक 14 मई, 2023

सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / आवश्यकताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
6.	उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार	उत्तराखण्ड राज्य के 25 शिल्पियों को प्रतिवर्ष "उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार" से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार राशि के रूप में चयनित उत्कृष्ट शिल्पी को एक लाख रुपये धनराशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी कोई भी शिल्पकार/शिल्पी, जिसकी आयु 45 वर्ष से कम न हो तथा जो असाधारण स्तर या विशिष्ट शिल्प कला में पारंगत हो और जिसने वर्तमान शिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया हो। राष्ट्रीय/राज्य स्तर से पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों को प्राथमिकता। शिल्पी द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिये जाने में योगदान दिया हो। शिल्पी द्वारा तैयार कलाकृतियों की गुणवत्ता/उत्कृष्टता के आधार पर। शिल्प क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष कार्य किया हो। कोई भी राजकीय/अर्द्धशासकीय/सहकारी संस्था/संघ के कर्मचारी इस पुरस्कार योजना से लाभ नहीं ले सकेंगे।	आवेदन पत्र महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त किया जा सकता है तथा वेबसाइट https://investuttarakhand.uk.gov.in/themes/backend/acts/act_english1541412900.pdf के लिंक से भी डाउनलोड किया जा सकता है तथा विभागीय वेबसाइट https://doiuk.org/mysite/home पर भी देखा जा सकता है। आवेदन प्रारूप के साथ आधार कार्ड, जन्मप्रमाण पत्र/जन्मतिथि संबंधी दस्तावेज, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, गुरु/सिखाया का संक्षिप्त ब्यौरा जिसने शिल्प सिखाया हो, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि कोई हो, शिल्प में योगदान का विवरण, शिल्प निर्मित उत्पादों को खरीदने का प्रमाण पत्र, युवा शिल्पियों को प्रशिक्षित करने का विवरण, मुख्य प्रदर्शनियों का विवरण जिनमें प्रतिभाग किया हो, औसतन प्रतिमाह आय का विवरण आदि उपलब्ध कराना होगा तथा शिल्पी द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों को किसी संग्रहालय, मन्दिरों, कला पारखियों द्वारा क्रय किया गया हो। (क्रय के विवरण सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न करने होंगे)। इसके उपरांत आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र में जमा करना पड़ता है। चयन प्रक्रिया–ऐसे उत्कृष्ट शिल्पियों का आवेदन पत्र मय प्रमाण पत्रों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति की

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
8.	हथकरघा कताई–बुनाई महिला कर्मकारों की सहायता योजना	चयनित महिला कर्मकारों को हथकरघा/ पेडलूम/ फ्रेमलूम एवं अन्य उपकरणों आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकतम मूल्य रू0 25000/– का 90 प्रतिशत धनराशि विभाग द्वारा तथा अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।	ऐसी महिला कर्मकार जिनका पैतृक व्यवसाय बुनकरी/ कताई–बुनाई है। ऐसी महिला कर्मकार जिन्हें हथकरघा क्षेत्र का अनुभव है परन्तु करघा न होने की स्थिति में बुनाई कार्य सम्पादित नहीं कर पा रही है, को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। भारत सरकार/ राज्य सरकार से पंजीकृत महिला कर्मकार।	आवेदन पत्र महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट https://doiuk.org से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, यदि भारत/ राज्य सरकार से पंजीकृत हो तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र, अन्य हस्तशिल्पी/ बुनकर संबंधी दस्तावेज/ फोटो/ प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। चयन प्रक्रिया–महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जनपद स्तर पर पात्र महिला कर्मकारों का मानकों के अनुसार चयन कर सूची सहित विवरण अनुमोदन हेतु उद्योग निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा, उसके उपरान्त 90 प्रतिशत धनराशि महिला कर्मकारों के खाते में भेजी जाती है।
9.	शिल्पियों हेतु पेंशन योजना	60 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के ऐसे शिल्पी, जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें रू0 400/– का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है।	शिल्पी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से सम्बन्धित होना चाहिये। यदि किसी शिल्पी का पुत्र अथवा पौत्र 20 वा उससे अधिक आयु का है किन्तु वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है तो अभ्यर्थी शिल्पी पेंशन हेतु पात्र होगा। राज्य के ऐसे शिल्पी जो परम्परागत रूप से विभिन्न हस्तशिल्पों जैसे प्रकार लकड़ी, ताम्र, लोहा, रिंगाल, बांस एवं प्राकृतिक रेशों से	आवेदन पत्र महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट https://doiuk.org से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, वृद्धा वस्था पेंशन प्राप्त करने संबंधी प्रमाण, बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र, जन्मतिथि हेतु जन्म प्रमाण पत्र/ आधार, परिवार परिभाषित करने हेतु परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, शिल्पकार होने संबंधी प्रमाणपत्र सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / पात्रताएँ	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			उत्पाद विकास करने हेतु जिन शिल्पी को ... द्वारा समय-समय पर अनुमोदन किया जायेगा, उन शिल्पी में कार्य कर रहे शिल्पी योजना के पात्र होंगे।	जिला उद्योग केन्द्र में जमा करेंगी। चयन प्रक्रिया– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पात्र शिल्पियों व उत्पादों का परीक्षण कर चयन हेतु अनुमोदित किया जाता है। प्रशिक्षण के उपरान्त अनुमोदित प्रोत्साहन राशि का भुगतान ऑनलाइन/बैंक खाते में किया जाता है।
10.	हाथ कोसा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना (प्रशिक्षण एवं विपणन हेतु)	प्रशिक्षण प्रोत्साहन – हाथ कोसा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं द्वारा उत्पादित किये जा रहे उत्पादित वस्त्रों की बाजार की मांग के अनुरूप डिजाइन कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 03 माह की होगी जो एक माह में अधिकतम 25 दिन सीमित होंगे। प्रत्येक प्रतिभागी का प्रतिदिन 5 घंटे के अनुसार कुल प्रशिक्षण अवधि 250 घंटे होगी। विपणन प्रोत्साहन–विभाग द्वारा या आयोजित किये जाने वाले राज्यस्तरीय मेलों, प्रदर्शनियों एवं जिला स्तरीय प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता पर प्रतिभागिता का अवसर प्रदान किया जाता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विपणन प्रोत्साहन के उद्देश्य से समय-समय पर राज्य/देश में आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय/भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में गतिविधि द्वारा उत्पादित उत्पादों की प्रदर्शनी एवं विपणन हेतु स्थान उपलब्ध कराये जाते हैं। उक्त प्रदर्शनियों/मेलों में सम्मिलित होने वाली महिलाओं को आने-जाने का न्यूनतम किराया (वास्तविक) एवं ठहरने हेतु प्रतिदिवस रू. 1000/- तक दैनिक भत्ता शिल्पी एवं वस्तु किराया भी राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है।	राज्य में रेशम क्षेत्र में कार्य करने वाली हाथ कोसा एवं अन्य जनजातियों की महिला शिल्पी प्रशिक्षण एवं विपणन हेतु पात्र होंगी।	आवेदन पत्र महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट http://dcmk.org से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र एवं उद्योग का विवरण, शिल्पी प्रशिक्षण लेने अथवा मेलों में प्रतिभाग करने का अनुरोध किया गया हो। अथवा उद्योग कार्यालय में ऑनलाइन संबंधी प्रपत्र प्रस्तुत कर, संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र में जमा करेंगी। चयन प्रक्रिया–महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किये जाने के उपरान्त पात्र शिल्पियों के चयन हेतु निदेशक उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। चयन के उपरान्त चयनित महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु एवं मेलों में प्रतिभाग करने हेतु बुलाया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPA

****

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखण्ड

PROGR

पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड

कार्तिक स्वामी मंदिर, जनपद–रुद्रप्रयाग

वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम स्थान प्राप्त मानसखण्ड झांकी, उत्तराखण्ड

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/आवश्यकी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		प्रतिपूर्ति। **अथवा** b) इकाई द्वारा पिछले 12 महीनों के लिए भुगतान किया गया नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर (SGST) का 75% + अतिरिक्त प्रोत्साहन, में से जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। *पर्यटन इकाइयों और सेवाओं के विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन* i. विपणन और प्रचार के लिए प्रोत्साहन (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 02 प्रतिशत की सीमा तक) ii. प्रशिक्षण और कौशल के लिए प्रोत्साहन– (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 02 प्रतिशत की सीमा तक) iii. ब्याज अनुदान – (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 02 प्रतिशत की सीमा तक) iv. राज्य द्वारा विकसित प्रोत्साहन हेतु एजेंसी/संस्थाओं के माध्यम से पुरस्कार (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 01 प्रतिशत की सीमा तक) **टर्न ओवर (Turnover) लिंक्ड प्रोत्साहन**– पूर्व में स्वीकृत व पूंजीगत अनुदान न प्राप्त करने वाली सभी नवीन पर्यटन परियोजनाओं हेतु टर्नओवर अनुदान का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित अनुदान अनुमन्य है– a) प्रीमियम आवासीय इकाई–कुल टर्न ओवर का 1 प्रतिशत अधिकतम b) विदेशी पर्यटकों के ठहरने पर प्रोत्साहन –कुल टर्न ओवर का 1 प्रतिशत अधिकतम c) एमआईसीई, खेल, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों मेलों और त्यौहारों का आयोजन –कुल कारोबार का 1 प्रतिशत अतिरिक्त **ईको–पर्यटन के लिए प्रोत्साहन**–नवस्थापित [illegible]		गठित राज्य प्राधिकृत समिति (SLC) द्वारा किया जाता है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निवेशक विभिन्न विभागीय अनापत्तियों जैसे– भू उपयोग परिवर्तन, नक्शा स्वीकृति, विद्युत, पेयजल एवं भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु सिंगल विण्डो पोर्टल अथवा सम्बन्धित विभागीय कार्यालयों हेतु आवेदन किया जाता है। विभिन्न से पूर्व की गई विभागीय अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त होने के उपरान्त निवेशक अपना प्रोजेक्ट पर निर्माण प्रारम्भ करता है। प्रस्तावित परियोजना का कार्य पूर्ण होने के बाद परियोजना संचालन से पूर्व Consent to Operate की विभागीय अनापत्तियों/ स्वीकृतियों/पंजीकरण हेतु सम्बन्धित विभागों यथा– पर्यावरण, विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग में ट्रैवल ट्रेड पंजीकरण तथा ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट आदि हेतु आवेदन किया जाता है। सभी प्रकार की अनापत्तियां/ पंजीकरण/सर्टिफिकेट प्राप्त होने के उपरान्त आवेदक द्वारा इकाई का व्यावसायिक संचालन (Commercial Operation) प्रारम्भ किया जाता है। इकाई का व्यावसायिक संचालन (Commercial Operation) प्रारम्भ करने के उपरान्त ही पर्यटन नीति में उल्लेखित अनुदान हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकता है। पर्यटन नीति में उल्लेखित अनुदान हेतु कोई भी नया पर्यटन इकाई का व्यावसायिक संचालन (Commercial Operation) के उपरान्त विभागीय वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 180 दिनों के भीतर नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सिंगल विण्डो पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। अनुदान हेतु सम्बन्धित इकाई द्वारा सिंगल विण्डो

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		हैलीपैड तक हैलीकॉप्टर परिवहन के लिए इकाई को प्रति व्यक्ति 800 रुपये प्रति फेरा (Per Leg) अनुदान **विद्युत शुल्क (Electricity Duty) की प्रतिपूर्ति–** नई मात्र पर्यटन इकाईयों को नीति अवधि तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति। **स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति–** नई मात्र पर्यटन इकाईयों को लागू स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति 06 समान किश्तों में। ➤ पर्यटन नीति 2023 के अन्तर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु नई परियोजना/विस्तारीकरण हेतु न्यूनतम निवेश अलग–अलग क्रियाओं हेतु पृथक–पृथक है, जो कि 01.00 करोड़ से 6.00 करोड़ तक है, साथ ही निवेशक को न्यूनतम अवस्थापना सुविधाएं, विशिष्ट शर्तों एवं गाईडलाईन में निर्धारित अन्य नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। विस्तृत विवरण ऑपरेशनल गाईडलाइन्स में उपलब्ध है।		पर पूर्व में आवंटित कैफ (CAF) आई०डी० के माध्यम से ही ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। ऑन लाईन अनुदान आवेदन पत्र पर्यटन विभाग को प्राप्त होने पर विभाग द्वारा उसके प्रमाण पत्रों की जांच, स्थलीय निरीक्षण के लिए सम्बंधित जिले में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पर्यटन समिति को अग्रसारित किया जायेगा। जिला स्तरीय पर्यटन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर अपनी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ऑन लाईन पर्यटन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। प्राप्त रिपोर्ट एवं अभिलेखों का परीक्षण कर सम्बन्धित अनुदान प्रस्ताव पर्यटन मुख्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एकीकृत पर्यटन समिति (आईटीसी) के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा। (आईटीसी) द्वारा अनुदान प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी अनुसंशा/टिप्पणियों सहित प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य प्राधिकृत समिति (SLEC) में प्रस्तुत किया जायेगा। (SLEC) द्वारा प्रस्ताव पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी। (SLEC) से अन्तिम वित्तीय स्वीकृति के अनुरूप नियत अनुदान राशि सम्बन्धित निवेशक/आवेदक को उनके बैंक खाते में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा ऑन लाईन हस्तान्तरित की जायेगी। नोट– किसी भी अनुदान हेतु पर्यटन नीति तथा ऑपरेशनल गाईड लाईन्स में प्राविधानित नियमों/उपबन्धों एवं इस हेतु समय–समय पर संशोधित नियमों के अधीन होंगे।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

****

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमि0 (यू0पी0सी0एल0) उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित लोहिया हेड पावर हाउस का निरीक्षण किया। दिनांक 28 फरवरी 2023

EMENT
PROG.

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	शूटिंग अनुमति प्रमाण–पत्र	राज्य में फिल्मों की शूटिंग।	फिल्म निर्माता	फिल्म शूटिंग की अनुमति हेतु सिंगल विण्डो सिस्टम "https://investuttarakhand.uk.gov.in/filmshooting/ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना होगा। आवेदन के लिए निर्माता को आधार कार्ड, फिल्म का सारांश, Production house dk registration/ production house द्वारा अधिकृत दस्तावेज और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के फार्म को भर के online attach करना होता है। फिल्म निर्माण की अनुमति से पूर्व निर्माता को सिंगल विण्डो सिस्टम https://investuttarakhand .uk.gov.in/filmshooting/ पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने होते है। आवेदन के लिए निर्माता को आधार कार्ड, फिल्म का सारांश (Synopsis) Production house का registration Certificate/GST या किसी Line Producer से फिल्म निर्माण कराने की स्थिति में Line Producer के लिए अधिकार पत्र तथा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के फार्म को भर के online attach करना होता है। विभाग द्वारा अनुमति प्रदान करने के उपरान्त फिल्म अनुमति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि सम्बन्धित विभागों को स्वतः ही पोर्टल से मेल हो जाती है। विभागों की सूची निम्नवत है – 1. To the Office of District Magistrate 2. To Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police 3. To the concerned DFO / Ranger / Forest 4. To the concerned Kotwali / Police Station / Outpost in-charge यदि फिल्म का निर्माण क्षेत्र आरक्षित वन विभाग में होता है तो फिल्म विकास परिषद् द्वारा मुख्य वन संरक्षक अधिकारी (CCF) और सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) को अनापत्ति जारी करने विषयक पत्राचार किया जाता है। फिल्म शूटिंग की अनुमति निःशुल्क 14 दिन के अन्दर E-mail: ufdc2015@gmail.com के माध्यम से भी फिल्म निर्माता को प्रदान की जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
2	**फिल्मों को अनुदान**	• उत्तराखण्ड राज्य में 75 प्रतिशत शूटिंग की गई हो, क्षेत्रीय भाषाओं/ बोलियों में बनने वाली फिल्मों को फिल्म प्रोसेसिंग लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 लाख। • अन्य राज्यों की क्षेत्रीय फिल्मों को, जो 75 प्रतिशत उत्तराखण्ड में शूटिंग की गई हो, को फिल्म प्रोसेसिंग लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु015 लाख। • हिन्दी फिल्मों को फिल्म उत्पादन लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम 1.5 करोड़ रुपये तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके लिए फिल्मों की 75 प्रतिशत राज्य में शूटिंग की जानी होगी।	ऐसे फिल्म निर्माता, जिन्होंने फिल्मों की 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग राज्य में की हो।	फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म सेंसर प्रमाण पत्र तथा फिल्म रिलीज/प्रदर्शन के उपरांत अनुदान हेतु आवेदन किया जाता है, अनुदान हेतु आवेदन ऑफलाईन फिल्म विकास परिषद्, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून में करना होगा। तथा इसके लिए फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म निर्माण से संबंधित समस्त व्यय/खर्चों, अनुबन्ध, वाउचर तथा अन्य अभिलेख (अन्य अभिलेखों जैसे–CA certificate, Bank Statement) यदि फिल्म पार्टनरशिप में बनी है तो सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त किये जाने होते है। इत्यादि विभाग में जमा कराने होते है। जिस पर फिल्मों को अनुदान हेतु गठित तकनीकी एवं वित्तीय समितियों द्वारा फिल्मों के प्रस्तावों तथा फिल्मों का परीक्षण करते हुए अनुदान दिये जाने पर विचार किया जाता है। फिल्म अनुदान हेतु गठित वित्तीय समिति की संस्तुति के उपरांत मा0 मुख्यमंत्री/अध्यक्ष, फिल्म विकास परिषद से अनुमोदनार्थ/स्वीकृति के उपरांत अनुदान धनराशि फिल्म निर्माता के खाते में भुगतान की जाती है। (अनुदान हेतु आवेदन ऑफलाईन फिल्म विकास परिषद, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून में करना होगा

****

PROGRAMME IMPLEMENT

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

चौबट्टाखाल में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉलों का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।
दिनांक 07 अप्रैल, 2023

		विपणन ग्रांट क्रय हेतु रू0 मुख्यमंत्री योजना के अन्तर्गत लाभार्थी रू0 6,000/- की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।		चयन वर्ष सोशियो इकोनॉमिक एवं जातिगत जनगणना से कराया गया। आवास प्लस एवं सर्वे सूची के आधार पर स्थाई प्रतीक्षा सूची तैयार की गई जिसके आधार पर वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा लक्ष्य आवंटन किया जा रहा है। वर्तमान में पात्र लोगों को धनराशि सीधे उनके खाते में आवंटित की जा रही है।
5	रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स **(RBI)**	ग्राम्य विकास विभाग की एक अभिनव पहल है। ऐसे उद्यमियों को तकनीकी, व्यावसायिक, कानूनी सलाह, विपणन सहयोग आदि हेतु इन्क्यूबेटर के माध्यम से परामर्श प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड के ऐसे निवासी जो किसी भी व्यवसाय को करने हेतु इच्छुक हों तथा 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के हों, योजना हेतु पात्र है। राज्य में गठित स्वयं सहायता समूहों के सदस्य जो व्यवसाय करना चाहते हों। ऐसे व्यक्ति जो पहले से छोटा-मोटा व्यवसाय कर रहे हैं और उसे बढ़ाना चाहते हों। तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना चाहते हों। बिजनेस प्लान तैयार करने में सहायता चाहते हों। सरकारी/ कानूनी प्रक्रियाओं के लिए मार्गदर्शन चाहते हों/ उत्पाद की ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग की जानकारी चाहते हैं।	यदि राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवसाय करना चाहता है परन्तु उसको व्यवसाय करने की कोई जानकारी नहीं है जैसे-बैंक ऋण कहां से लेगा, सरकार से क्या सहायता मिलेगी, मार्केटिंग कैसे करेगा, वह जिला मुख्यालय में रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स कार्यालय में जाकर व्यवसाय से संबंधित जानकारी/ सहयोग तथा इन्क्यूबेटर्स की अन्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट https://ukrdd.uk.gov.in पर ऑनलाइन पर आवेदन भी कर सकता है या ईमेल rbiuttarakhand@gmail.com या फोन नम्बर 7080463021 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स के बारे में जनता को अवगत कराये जाने हेतु समय समय पर विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं। रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स के पास फोन प्राप्त होने/आवेदन मिलने के उपरान्त इन्क्यूबेटर्स कार्यालय द्वारा आवेदक से सम्पर्क किया जाता है। आवेदक द्वारा कार्यालय में आवेदक के उपस्थित होने पर उसके व्यवसाय/ कौशल तथा अन्य सहायता सम्बन्धी विषय पर जानकारी तैयार की जाती है। तत्पश्चात जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कर चयनित किया जाता है तत्पश्चात संबंधित को हैण्डहोल्डिंग के अन्तर्गत लाइनविभागों द्वारा उन इन्क्यूबेटीज को सहयोग प्रदान किया जाता है। रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण आजीविका गतिविधियों को विकसित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए राज्य से युवाओं के पलायन को कम करना तथा रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है। राज्य के उत्पादों को ब्रांडिंग (कुमाऊं मण्डल की जानकारी हेतु:

PROGRAMME IMPLEMENTATION

सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकुल मैदान, हरिद्वार में राज्य की 95 संयुक्त सहकारी खेती, 95 जन सुविधा केन्द्र, 95 जन औषधि केन्द्र एवं राज्य की समस्त बहुद्देशीय सहकारी समितियों में पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। दिनांक 30 मार्च 2023

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकरण के उपरांत निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :–किसान के नाम पर जमीन होने संबंधी दस्तावेज (खसरा खतौनी में संबंधित किसान का नाम होना अनिवार्य है।), बैंक खाता जो आधार से लिंक हो तथा आधार सीड हो। पंजीकरण करने के उपरांत एक नॉमिनेशन फार्म भरना होता है, जिसको प्रिंट करने के उपरांत पुनः अपलोड करना पड़ता है साथ ही खाते से प्रतिमाह अंशदान कटौती की अनुमति देनी होती है। प्रथम किस्त उसी समय भुगतान की जाती है। अंतिम रूप में पंजीकरण होने पर किसान मानधन पेंशन नंबर जारी होता है तथा पेंशन नंबर भविष्य में पेंशन प्राप्त करने का आवश्यक दस्तावेज है। प्रतिमाह जो अंशदान धनराशि है वह किसान के खाते से कटौती होती है और उतनी ही धनराशि सरकार द्वारा भुगतान की जाती है। धनराशि की कटौती 60 वर्ष तक होती है। 60 वर्ष पूरे होने पर रू0 3000/– पेंशन की धनराशि मिलने लग जाती है। भविष्य में पेंशन हेतु पेंशन निधि प्रबंधन और पेंशन भुगतान के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम उत्तरदायी है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		जाती है, जिसके फलस्वरूप विक्रेता/किसान को उपज का प्रतिस्पर्धात्मक/अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकता है तथा आनलाईन विक्रय की गयी कृषि उपज का भुगतान सीधे विक्रेता/ किसान के बैंक खाते में प्राप्त होता है। उत्तराखण्ड राज्य में 16 मंडी समितियों में ई–नाम योजना संचालित की जा रही है। आगामी माहों से 20 मण्डी समितियों में ई–नाम योजना संचालित हो जायेगी।		टैक्नीशियन द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, विक्रेता की सहमति से न्यूनतम बिड/बोली की धनराशि एवं बिड/बोली अवधि निर्धारित की जाती है एवं बिड का आनलाईन संचालन मंडी समिति द्वारा किया जाता है। आनलाईन माध्यम से प्राप्त अधिकतम बोली/बिडिंग की धनराशि से विक्रेता की सन्तुष्टि उपरान्त, बोली की घोषणा की जाती है। सर्वोत्तम बोली वाले क्रेता एवं विक्रेता के बीच में अनुबंध पत्र/सेल बिल डाउनलोड किया जाता है जोकि क्रेता/विक्रेता/समिति क्रेता द्वारा अपनी ई–नाम आई0डी0 से, विक्रेता से क्रय की गयी कृषि उपज की धनराशि, मण्डी समिति को देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस की धनराशि का भुगतान का चालान प्रिंट करके, भुगतान आनलाईन माध्यम से सीधे विक्रेता के बैंक खाते में किया जाता है अथवा नकद धनराशि के माध्यम से भी किया जा सकता है। उसके उपरांत फसल संबंधित विक्रेता तक पहुंचाने का कार्य संबंधित मंडी समिति द्वारा किया जाता है।

*****

PROO

उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड

संगन्ध पौधा केन्द्र, सैलाकुई, देहरादून, उत्तराखण्ड।

सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई में सगन्ध फसल उत्कृष्टता केन्द्र के लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। दिनांक 22 जनवरी 2023

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

कालसी फार्म, देहरादून।

PROGRAMME ... ENT

रेशम विभाग, उत्तराखण्ड

PROGRAMME IM

मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड

PROGRAMME

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
2.	**अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति उपयोजना**	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों हेतु तालाब के कलस्टर (न्यूनतम 10 तालाब एक ही स्थान पर बनाने अनिवार्य है) अन्तर्गत तालाब निर्माण करने एवं प्रथम वर्षीय निवेश तथा मत्स्यबीज के क्रय एवं आहार हेतु 80 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। एक ग्राम में न्यूनतम 10 तालाब तैयार किये जायेंगे। पर्वतीय लाभार्थी को अधिकतम 500 घन मीटर हेतु अनुदान अधिकतम 3 लाख का अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के समिति/समूह/महासंघ/फैडरेशन/स्वयं सहायता दल हेतु 1000 घन मीटर हेतु अनुदान अधिकतम 6 लाख का अनुदान दिया जाता है। मैदानी क्षेत्र में 1 हैक्टेयर तालाब निर्माण हेतु कुल लागत रू. 8 लाख 50 हजार के सापेक्ष 80 प्रतिशत रू 6 लाख 80 हजार का अनुदान। मैदानी क्षेत्र में 0.05 से 0.50 हैक्टेयर तक के तालाब निर्माण किये जायेंगे।	पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के समस्त व्यक्ति जो मछली उत्पादन करने हेतु इच्छुक हों या मछली उत्पादन कर रहे हों। पात्र व्यक्ति/समूह के पास स्वयं/लीज पर जमीन एवं जमीन के पास जलस्रोत होना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।	लाभार्थी को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अन्य प्रक्रिया क्रमांक 1 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार होगी।
3.	**मत्स्य पालन विविधीकरण (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) योजना**	जिन मत्स्य पालकों के पास पहले से ही तालाब हो उनके तालाब में मरम्मत/सुधार करने तालाब के साथ डेयरी पशुपालन/मुर्गी पालन अथवा समन्वित गतिविधियों हेतु 60 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाती है। भूमिहीन व्यक्तियों को मत्स्य प्रसंस्करण/विपणन व्यवसाय से जोड़ने हेतु मोबाईल फिश स्टॉल की लागत रू 2 लाख 50 हजार के सापेक्ष 60 प्रतिशत रू 1 लाख 50 हजार का अनुदान दिया जाता है। 100 घन मीटर के तालाब सुधार की लागत रू 70 हजार के सापेक्ष 60 प्रतिशत रू 42	उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही मत्स्य उत्पादन कर रहे हों अथवा एकल जाति के ऐसे व्यक्ति जो भूमिहीन हो परन्तु मत्स्य प्रसंस्करण/विपणन व्यवसाय करना चाहते हों या कर रहे हों।	योजना का लाभ लेने हेतु पात्र लाभार्थी को प्रार्थना पत्र (तालाब सुधार, समन्वित मत्स्य पालन अथवा मत्स्य प्रसंस्करण व्यवसाय हेतु) जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी कार्यालय में देना होगा। प्रार्थना पत्र के साथ (तालाब सुधार, समन्वित मत्स्य पालन की स्थिति में) आधार कार्ड, भूमि की खतौनी, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मो0 नम्बर, तालाब का विवरण, संलग्न करेगा। मत्स्य प्रसंस्करण/विपणन हेतु प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मो0 नम्बर, संलग्न करेगा। भविष्य में आवेदन करने की प्रक्रिया अनिवार्यतः पोर्टल के माध्यम

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		हजार का अनुदान दिया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर के तालाब सुधार की लागत रु 30 लाख की सापेक्ष रु 10 लाख का अनुदान। पर्वतीय क्षेत्र में 01 समन्वित यूनिट निर्माण (मुर्गी/बत्तख/सूकर पालन) की लागत रु 1 लाख 59 हजार की सापेक्ष 60 प्रतिशत रु 95 हजार का अनुदान दिया जाता है। मैदानी क्षेत्र में 01 समन्वित यूनिट निर्माण की लागत रु 6 लाख 60 हजार की सापेक्ष 60 प्रतिशत रु 3 लाख 96 हजार का अनुदान दिया जाता है।		से ऑनलाइन होगी। प्रार्थना पत्र जमा करने के उपरान्त मत्स्य निरीक्षक/क्षेत्रीय कार्मिकों द्वारा सर्वे किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद सम्बंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात क्षेत्रीय कार्मिकों की देख-रेख एवं तकनीकी सहायता देते हुए तालाब मरम्मत/सुधार कार्य, समन्वित गतिविधियां एवं फिश स्टॉक का कार्य पूर्ण कराया जाता है, उसके उपरान्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के आधार पर लाभार्थियों का भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
4.	मत्स्य गतिविधि इनपुट योजना	ऐसे मत्स्य पालक, जो तालाबों में मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हैं, उनको मत्स्य निवेश जैसे कि मत्स्य आहार, दवाइयां आदि की कुल लागत के सापेक्ष 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। 100 वर्ग मीटर तालाब हेतु 1 कुन्तल मत्स्य आहार का अनुदान। 300–2000 वर्ग मीटर तालाब हेतु 6 कुन्तल मत्स्य आहार का अनुदान। आर०ए०एस०/बायोफ्लॉक हेतु 7 कुन्तल मत्स्य आहार का अनुदान। ट्राउट फार्मिंग हेतु 10 कुन्तल मत्स्य आहार का अनुदान। मत्स्य पालन हेतु इनपुट गतिविधियों की आवश्यक सामग्रियाँ जैसे ईक्यूपमेंट, हापा, जाल एवं मिनीकिट पर मार्केट दर की कुल लागत के सापेक्ष 50 प्रतिशत का अनुदान। प्रति मत्स्य पालक 1 जाल/ईक्यूपमेंट/हापा एवं मिनीकिट हेतु 50 प्रतिशत अनुदान।	उत्तराखण्ड के समस्त जाति वर्ग तथा सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के इच्छुक मत्स्य पालक।	योजना का लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र (तालाब हेतु आहार, दवाईयां एवं इनपुट निवेश आदि) जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी कार्यालय में देगा। प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, भूमि की खतौनी, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मो० नम्बर, तालाब का विवरण संलग्न करेगा। भविष्य में आवेदन करने की प्रक्रिया अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। प्रार्थना पत्र जमा करने के उपरान्त मत्स्य निरीक्षक/क्षेत्रीय कार्मिकों द्वारा सर्वे किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद सम्बंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात मत्स्य पालक द्वारा बीज/आहार/दवाईयां मार्केट से क्रय की जाती है, मत्स्य पालक बिलों को क्षेत्रीय कार्मिकों को उपलब्ध करायेगा। क्षेत्रीय कार्मिक सम्बंधित बिल को वैरिफाईड करने के उपरांत 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान सीधे मत्स्य पालक के खाते में भुगतान करने हेतु सम्बंधित जनपदीय अधिकारी को उपलब्ध करायेगा। तदोपरान्त सब्सिडी भुगतान की जाती है।
5.	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	तालाब निर्माण, ट्राउट रेसवेज, रियरिंग यूनिट, आर०ए०एस०, बायोफ्लॉक यूनिट	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जाति वर्ग तथा	योजना का लाभ लेने हेतु जो प्रार्थना पत्र जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		केज कल्चर, कोल्ड स्टोरेज, मोटर साईकिल विद आइस बॉक्स, फिश कियोस्क, आरनामेंटल फिशरीज, फीड मिल, हैचरी आदि की लागत के सापेक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला वर्ग को 60 प्रतिशत का अनुदान जबकि अन्य सभी वर्गों हेतु 40 प्रतिशत का अनुदान, इसमें अन्य(राज्य) के लिए 20 प्रतिशत का अनुदान (तालिका 01)	सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि जिनके पास भूमि एवं जलापूर्ति स्रोत की उपलब्धता हो।	कार्यालय में देना। प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, भूमि की खतौनी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, फोटो लेकर संलग्न करेंगे। भविष्य में आवेदन करने की प्रक्रिया अधिनियमानुसार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। प्रार्थना पत्र जमा करने के उपरान्त मत्स्य निरीक्षक/ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सर्वे किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद संबंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात ज्येष्ठ कार्मिकों की देख–रेख एवं तकनीकी सहायता देते हुए संबंधित कार्य को पूर्ण कराया जाता है, इसके उपरान्त शासकीय अनुदान का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधा भुगतान किया जाता है।
6.	**दुर्घटना बीमा योजना (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना)**	अपरिहार्य स्थितियों हेतु सामूहिक बीमा अंतर्गत मृत्यु एवं पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में रू 5.0 लाख, आंशिक अपंगता (दोनों पैर/हाथों की पुतलियां, दोनों आंख/कान/गला से देखना/सुनना/बोलना का आंशिक खोना आदि) की स्थिति में रू 2 लाख 50 हजार, अस्पताल में भर्ती पर रू 50 हजार तक अस्पताली का भुगतान किया जाता है। मत्स्य पालकों को बीमा की किश्त का भुगतान नहीं करना पड़ता है। सम्पूर्ण किश्तों का भुगतान विभाग वहन करता है।	**उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जाति वर्ग यथा, सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि कार्यरत मत्स्य पालक/मछुआरे जिनकी आयु 18–70 वर्ष हो।**	योजना का लाभ लेने हेतु पात्र लाभार्थी मत्स्य विभाग के ज्येष्ठ कार्मिकों के माध्यम से बीमा का आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ मत्स्य पालक/मछुआरे का आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, जन्म प्रमाण–पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, नामिनी डिटेल्स एवं आधार कार्ड के साथ फार्म जमा करना पड़ता है। मत्स्य पालक की बीमा किश्त का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है। मत्स्य पालक का बीमा होने के उपरान्त बीमा संबंधी प्रमाण पत्र विभाग उपलब्ध करायेगी। दुर्घटना/मृत्यु होने/अस्पताल में भर्ती होने की दशा में, तत्काल मत्स्य विभाग के संबंधित क्षेत्र के ज्येष्ठ कार्मिकों/अधिकारियों को लाभार्थी के परिजन द्वारा अवगत कराना पड़ता है तथा दुर्घटना की दशा में क्लेम करने एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा चिकित्सा प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, हॉस्पिटल में एडमिट होने संबंधी प्रमाण पत्र, बीमा संबंधी प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना पड़ता है उसके उपरान्त क्लेम धनराशि भुगतान कराई जाती है।

******

PROGRAMME

वन विभाग, उत्तराखण्ड

राजाजी पार्क

जिम कार्बेट पार्क

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/मापदण्ड	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		अथवा परिवार के भिन्न व्यक्तियों द्वारा किसी वृद्ध मनुष्य, व्यवसाय के दृष्टिकोण से (प्रोफेशनल शिकारी छोड़कर) जिसका आशय मानसिक रूप से असंतुलित तथा अवयस्क किसी मानव को जंगली जानवर के क्षेत्र में छोड़ दिये जाने एवं उसकी वजह से द्वारा ऐसे मानवों को क्षति पहुंचायी जाने पर अनुग्रह राशि का प्रदाय गैर कानूनी होगा।	जाने की क्षति। (3) जंगली हाथी, जंगली सुअर, नील गाय, सांभर, कोटरा, चीतल तथा बन्दरों द्वारा फसलों की क्षति, तथा (4) जंगली हाथियों द्वारा मकान की क्षति।	व्यक्ति के मारे जाने/अपंग करने/घायल करने की पुष्टि नहीं होती है, तो सम्बन्धित पीड़ित व्यक्ति/आवेदक को प्रदान की गई अनुग्रह धनराशि की वसूली राजस्व वसूली के रूप में की जायेगी। **(2) वन्यजीवों के आक्रमण से पशुहानि होने पर –** वन्य जीवों द्वारा पालतू पशुओं/मवेशी को मारे जाने पर तत्काल इसकी पुष्टि ग्राम प्रधान अथवा वर्तमान में पदस्थ किसी जनप्रतिनिधि द्वारा कर दिये जाने के उपरान्त ही मारे गये मवेशी के मृत शरीर को घटना स्थल से हटाया जायेगा। मृत मवेशी के शव पर किसी प्रकार का विष अथवा कीटनाशक पदार्थ डाले जाने और किसी भी प्रकार से मवेशी के शव से छेड़-छाड़ किये जाने की दशा में अनुग्रह राशि देय नहीं होगी। मवेशी के स्वामी द्वारा मवेशी के मारे जाने की सूचना घटना के दो दिन के अन्दर सम्बन्धित रेंज कार्यालय में लिखित रूप से देनी होगी। वन्य जीवों द्वारा पालतू पशुओं/मवेशी के मारे जाने की पुष्टि सम्बन्धित घटना क्षेत्र के ग्राम प्रधान अथवा वर्तमान में पदस्थ किसी जनप्रतिनिधि एवं सम्बन्धित क्षेत्र के वन रक्षक द्वारा संयुक्त रूप से कर दिये जाने के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा अपने पास उपलब्ध निधि से घटना दिवस में आकलित कुल देय धनराशि का 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में मवेशी के स्वामी को उपलब्ध करायी जायेगी। अवशेष धनराशि अन्तिम जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर देय होगी। वन्य जीवों द्वारा मवेशी को मारे जाने का सत्यापन पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसके उपरान्त सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक की अन्तिम जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक को देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने तथा भुगतान करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा सूचना विभाग के माध्यम सूचना

PROGRAMME IMPLEMENTATION

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				निश्चित रूप से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी। अंतिम जाँच रिपोर्ट घटना के एक माह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। यदि अन्तिम जाँच रिपोर्ट में वन्य प्राणी द्वारा मवेशी के मारे जाने की पुष्टि नहीं होती है, तो मवेशी स्वामी को प्रदान की गयी अग्रिम धनराशि की वसूली भू-राजस्व वसूली के रूप में की जायेगी। **(3) वन्यजीवों के आक्रमण से फसल क्षति होने पर –** घटना की सूचना दो दिनों के अन्दर स्थानीय वन अधिकारी को लिखित रूप में देनी होगी। इसके उपरान्त सम्बन्धित घटना क्षेत्र के तहसीलदार/ पटवारी व स्थानीय वन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से फसलों की क्षति का सत्यापन एवं आकलन कर जांच रिपोर्ट रेंज अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा अंतिम जांच रिपोर्ट घटना के दो माह के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। अन्तिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक प्रकरण में देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने व भुगतान करने का पूर्ण अधिकारी होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण विवरण के साथ सूचना निश्चित रूप से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी। **(4) जंगली हाथियों के आक्रमण से मकान क्षति होने पर–** घटना की सूचना दो दिन के अन्दर सम्बन्धित रेंज कार्यालय में लिखित रूप से देनी होगी। जिसकी पुष्टि वन दरोगा अथवा उप वन क्षेत्राधिकारी द्वारा तत्काल कर लिया जायेगा। क्षति का आकलन सम्बन्धित क्षेत्र के नायब तहसीलदार एवं रेंज अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कर लिये जाने पर जांच रिपोर्ट सहायक वन संरक्षक/वन्य

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				जीव प्रतिपालक को उपलब्ध करायी जायेगी, जिनके द्वारा मामले में अन्तिम जाँच करते हुये अन्तिम जाँच रिपोर्ट एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक को प्रस्तुत किया जायेगा। अन्तिम जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक द्वारा प्रकरण में देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने व भुगतान करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण विवरण के साथ सूचना निश्चित रूप से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी।

नोट– वन विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर **–18008909715 इस नंबर पर प्रदेश के किसी भी स्थान पर मानव वन्यजीव की कोई दुर्घटना / आबादी क्षेत्रों में वन्यजीवों की उपस्थिति से संबंधित सूचना / जानकारी किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है**

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

आवास विभाग, उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को काशीपुर में [illegible] करोड़ की 24 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी आवंटित नवनिर्मित [illegible] आवासों का लोकार्पण कर प्रतीकात्मक रूप से चार लाभार्थियों को आवास की चाबी प्रदान की। दिनांक 22 जुलाई 2023

शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

दिनांक 06 नवम्बर 2023 को स्मार्ट सिटी के निरीक्षण के दौरान ग्रीन बिल्डिंग

स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड

PRO... ...NT

पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान)

PROGRAMME I ENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	100 में जल संयोजन		तथा उनके द्वारा इसी लाल के भूखण्ड पर भवन निर्माण कराया गया है/कराया जाना है तब भी इसी को ही धनराशि रू० 100 में जल संयोजन दिया जायेगा।	लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत होने की सूचना आवेदक को एस०एम०एस० से प्रेषित की जायेगी। यदि आवेदन स्वीकृत होता है तो आवेदक द्वारा संयोजन शुल्क दिया जायेगा। संयोजन शुल्क ऑनलाईन www.ujs.uk.gov.in पर Online Service पर क्लिक कर New Connection payment लिंक पर जाकर डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/कैश कार्ड से दिया जा सकता है अथवा नजदीकी कलेक्शन सेंटर पर भी जमा किया जा सकता है। आवेदक को रू0 25 आवेदन शुल्क, रू0 100 का नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर तथा रू0 100 का घरेलू जल संयोजन शुल्क जमा किये जाते हैं एवं आधार कार्ड, बीपीएल प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्र तथा आवास संबंधी कागजातों की भी आवश्यकता होती है। यदि 15 एम0एम0 एवं 20 एम0एम0 पेयजल या किसी भी साईज का व्यक्तिगत सीवर आवेदन है तो 15 दिवस के अंतर्गत सम्बन्धित अधिशासी अभियंता द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। यदि 25 एम0एम0 से 40 एम0एम0 पेयजल का आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिशासी अभियंता द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। यदि 50 एम0 एम0 पेयजल या कॉलोनी/इंस्टिट्यूशन का सीवर आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। यदि 80 एम0एम0 या इससे अधिक का पेयजल आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित महाप्रबन्धक द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। स्थलीय निरीक्षण सही पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति का पानी का कनेक्शन शुरू हो जाता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION

राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून कलक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। दिनांक [illegible] जुलाई [illegible]

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
	है।		प्राप्त आय सम्मिलित होगी। उक्त आय लाभार्थी द्वारा आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए आय होगी : परन्तु यह कि जिनके पास निम्न सम्पत्ति में से कोई भी सम्पत्ति है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के पात्र नहीं होंगे – कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक निर्मित क्षेत्रफल, अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक आवासीय भूखण्ड वाले पात्र नहीं होंगे।	है पटवारी एवं कनिष्ठ अभियंता की जांच सही पाये जाने के उपरान्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत संबंधित तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन / डिजीटली प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर ऑनलाइन / डिजीटली प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जिसका मैसेज मोबाइल फोन में या ईमेल से आ जाता है।
11.	**सामान्य जाति प्रमाण पत्र**	सेना में भर्ती आदि हेतु एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र बनाने हेतु।	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी जो कि सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हों। उत्तराखण्ड में 1985 से निवासरत / निवास कर रहे हों ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे।	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया आय प्रमाण पत्र के अनुसार होगी परन्तु निम्न दस्तावेज अनिवार्य है – • परिवार के सदस्यों / आवेदक की भूमि रजिस्ट्री / खतौनी की प्रति (1985 से निवासरत / निवास कर रहे से संबंधित दस्तावेज), आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल (नगर निकाय क्षेत्र हेतु आवश्यक नहीं), राशन कार्ड। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन / डिजीटली सामान्य जाति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
		हजार तक उपजिलाधिकारी एवं रू0 50 हजार से अधिक जिलाधिकारी द्वारा भुगतान किया जाता है।		जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को सूचित करेंगे। उसके उपरांत उपजिलाधिकारी / तहसीलदार के द्वारा क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा स्थलीय जांच कराये जाने के उपरांत क्षति का आंकलन कर संबंधित आपदा पीड़ित व्यक्ति / परिवार को नियमानुसार अनुमन्य कराये जाने हेतु कार्यवाही की जाती है। पूर्ण क्षतिग्रस्त भवनों के चिन्हीकरण के लिए प्रत्येक जिलाधिकारी के स्तर पर 3 सदस्यीय समिति का गठन जिसमें खण्ड विकास अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि एवं 01 अवर अभियंता को नामित किया जायेगा। समिति द्वारा जो भी भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त तथा मानव निवास हेतु असुरक्षित घोषित किये जायेंगे ऐसे सभी भवनों की अनुमन्य राहत राशि नियमानुसार स्वीकृति उपरांत संबंधित व्यक्ति / परिवार को अनुमन्य की जायेगी। तहसीलदार स्तर से दैवीय आपदा आर्थिक सहायता रू0 10 हजार के अंतर्गत होने की दशा में प्रस्ताव तहसीलदार स्तर पर स्वीकृत, 10 हजार से अधिक किन्तु 50 हजार के अंतर्गत होने से उपजिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत एवं रू0 50 हजार से अधिक होने पर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। वर्तमान में दैवीय आपदा आर्थिक सहायता वितरण की प्रक्रिया ऑफलाइन है। यद्यपि कार्यालय स्तर पर स्वीकृत की कार्यवाही हेतु यह प्रक्रिया अपणिसरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की गयी है। जिलाधिकारी स्तर से स्वीकृति प्रदान होने पर धनराशि उपजिलाधिकारी के माध्यम से तहसीलदार को एवं तहसीलदार संबंधित पटवारी को भेजते हैं तथा राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी / लेखपाल) संबंधित क्षेत्र के आपदा पीड़ित व्यक्ति / परिवार को उक्त धनराशि मुहैया करवाता है। उपजिलाधिकारी / तहसीलदार स्तर से भी स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी / लेखपाल) के माध्यम से दैवीय आपदा पीड़ित व्यक्ति / परिवार को उक्त धनराशि मुहैया करवायी जाती है।

******

PROGRAMME IMPLEME

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
				2. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो। 3. चालन अनुज्ञप्ति 4. व्यावसायिक चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण और आवेदक के 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने की दशा में प्रारूप–1 क में चिकित्सा प्रमाण पत्र। 5. भारी माल / यात्री वाहन के नवीनीकरण की दशा में फार्म 5 क पर मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण स्कूल के जारी प्रमाणपत्र, जहाँ से आवेदक ने अनुदेश/प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 6. निवास का प्रमाण (आधार/निर्वाचक पहचान पत्र/बीमा प्रमाण पत्र/पासपोर्ट/पे–स्लिप)। 7. आयु का प्रमाण (स्कूल का प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र/सिविल सर्जन द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र)। 8. निर्धारित फीस। **4. वैधता–** **चालन अनुज्ञप्ति का प्रकार** — **वैधता** **1.शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति** — जारी होने की तिथि से 06 माह **2.चालक अनुज्ञप्ति** 1. व्यावसायिक वाहन की दशा में –जारी/नवीनीकरण की तिथि से 05 वर्ष 2. खतरनाक एवं परिसंकटमय माल के परिवहन हेतु व्यावसायिक वाहन की दशा में – 03 वर्ष **3.अन्य चालन अनुज्ञप्ति** i यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त (मूल या नवीनीकरण के माध्यम से) करने वाले व्यक्ति ने अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि को 30 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, तो चालन अनुज्ञप्ति व्यक्ति की आयु 40 वर्ष पूर्ण होने तक वैध रहेगी। ii यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त (मूल या नवीनीकरण के माध्यम से) करने वाला व्यक्ति ने 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, परन्तु अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि/नवीनीकरण को 50 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, तो चालन अनुज्ञप्ति जारी अथवा नवीनीकरण की तिथि से 10 वर्ष तक वैध रहेगी। iii यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त (मूल या नवीनीकरण के माध्यम से) करने वाला व्यक्ति ने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, परन्तु अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि/नवीनीकरण को 55 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, तो चालन अनुज्ञप्ति जारी अथवा नवीनीकरण की तिथि से धारक की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने तक वैध रहेगी। iv यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त (मूल या नवीनीकरण के माध्यम से) करने वाला व्यक्ति ने 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, तो चालन अनुज्ञप्ति जारी अथवा नवीनीकरण की तिथि से 05 वर्ष तक वैध रहेगी।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>परिवहन सेवा का नाम</th><th>लाभ</th><th>पात्रता/सामग्री</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं प्रदाय/संतुष्टि प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4. फीस–(नियम 32 के अंतर्गत)
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>अनुज्ञप्ति का प्रकार</th><th>शुल्क (रू. में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु शुल्क (प्रत्येक श्रेणी के लिए)</td><td>150.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु परीक्षा/पुनर्परीक्षा</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>चालन परीक्षण/पुनर्परीक्षण (प्रत्येक श्रेणी के लिए)</td><td>300.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>चालन अनुज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु शुल्क</td><td>200.00</td></tr>
</table>
ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति/चालन अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित परीक्षा के लिए स्लाट में उपलब्ध पोर्टल की सहायता से स्लाट बुक किया जाना आवश्यक है। निर्धारित स्लाट के अनुसार निर्धारित समय एवं दिवस को कार्यालय में उपस्थित होकर शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति/चालन अनुज्ञप्ति हेतु परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक है।
शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु परीक्षा ऑनलाईन होती है जिसमें 15 प्रश्नों के उत्तर बहुविकल्पीय पद्धति के अनुसार निर्धारित समय में देने होते हैं। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 15 में से 9 प्रश्नों के सही उत्तर दिया जाना अनिवार्य है। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु एतदअनुसार निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आवेदक स्वयं शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति ऑनलाईन प्रिंट कर सकते हैं। चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित चालन कौशल परीक्षण कार्यालय अथवा निर्धारित ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक पर किया जाता है जिसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। चालन कौशल परीक्षण उत्तीर्ण किए जाने के पश्चात आवेदक कार्यालय अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र</td><td>इस फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही व्यवसायिक वाहनों का संचालन सार्वजनिक स्थान पर किया जा सकता है।</td><td>रजिस्टर्ड वाहन स्वामी</td><td>1. आवेदन–वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र जारी/नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice के माध्यम से निर्धारित फीस जमा करकर आवेदन किया जा सकता है, इस हेतु पृथक से कोई फार्म निर्धारित नहीं है।
2. फीस–वाहन फिटनेस एवं नवीनीकरण (नियम 81 के अंतर्गत)
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>वाहन का प्रकार</th><th>मैनुअल शुल्क (रू. में)</th><th>ऑटोमेटेड शुल्क (रू. में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मोटरसाईकिल</td><td>200</td><td>400</td></tr>
<tr><td>2</td><td>लाईट/हल्का मोटरयान</td><td>400</td><td>600</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मध्यम/भारी मोटरयान</td><td>600</td><td>1000</td></tr>
</table>
3. वैधता–
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>वाहन का प्रकार</th><th>फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता</th></tr>
<tr><td>1</td><td>नया परिवहन यान</td><td>02 वर्ष</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

PROGRAMME IMPLE

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>परिवहन सेवा का नाम</th><th>लाभ</th><th>पात्रता/लाभार्थी</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>2</td><td>08 वर्ष की आयु तक के व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस का नवीनीकरण</td><td>02 वर्ष</td></tr>
<tr><td></td><td>08 वर्ष से अधिक आयु के व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस का नवीनीकरण</td><td>01 वर्ष</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ई-रिक्शा और ई-कार्ट के फिटनेस का नवीनीकरण</td><td>03 वर्ष</td></tr>
</table>
4. प्रक्रिया–उपरोक्तानुसार आवेदन किए जाने पश्चात वाहन को परीक्षण किए जाने हेतु कार्यालय अथवा मान्यता प्राप्त ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस0) में प्रस्तुत किया जाना होगा। परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर संबंधित कार्यालय द्वारा 02 दिवस के भीतर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी/नवीनीकृत किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>व्यवसायिक वाहनों के परमिट</td><td>भारत का कोई भी नागरिक वाहन परमिट प्राप्त कर वाहन का प्रयोग सार्वजनिक स्थान पर व्यवसायिक वाहन के रूप में प्रयोग कर व्यवसाय कर सकता है।</td><td>पंजीकृत स्वामी/परमिट धारक</td><td>1. आवेदन–मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–72, 74, 79 एवं 88 के अन्तर्गत परमिट जारी किए जाते हैं। वाहन स्वामी अपने क्षेत्र से संबंधित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अथवा राज्य परिवहन प्राधिकरण में परमिट हेतु आवेदन ऑनलाइन पोर्टल https://sarathi.parivahan.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं।
विभिन्न श्रेणी के वाहनों हेतु आवेदन पत्र निम्नानुसार है–
1. मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस0आर0–20 में
2. ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस0आर0–21 में
3. निजी (प्राइवेट) सेवायान के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस0आर0–23 में
4. अस्थायी परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस0आर0–24 में
5. विशेष परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एस0आर0–25 में।
नोट–कुछ श्रेणी के व्यवसायिक वाहनों के परमिट संबंधित परिवहन प्राधिकरणों द्वारा खुली नीति (Open Policy) से इतर सीमित संख्या/अवसर में जारी किए जाते हैं। ऐसे परमिटों को प्राप्त किए जाने हेतु संबंधित परिवहन प्राधिकरणों से सम्पर्क किया जा सकता है।
2. फीस–परमिट जारी एवं नवीनीकरण
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>वाहन का प्रकार</th><th>शुल्क (रु0 में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मंजिली गाड़ी</td><td>5600</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ठेका गाड़ी</td><td>5600</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मोटर कैब, बड़ी टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी</td><td>7200</td></tr>
<tr><td>4</td><td>निजी सेवायान</td><td>3600</td></tr>
<tr><td></td><td>बड़ी टैक्सी
एक संभाग के लिए
सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश के लिए</td><td>
1800
3600</td></tr>
<tr><td>5</td><td>मोटर टैक्सी
एक संभाग के लिए
सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश के</td><td>
600
1800</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
				लिए **वैधता**–अस्थायी परमिटों के लिए जाए सभी परमिटों की वैधता– 05 वर्ष **प्रक्रिया**–उपरोक्तानुसार आवेदन लिए जाने के पश्चात सभी आवश्यक प्रपत्र मूल रूप में संबंधित कार्यालय में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाने होते हैं। आवश्यक सत्यापन के पश्चात नियमानुसार परमिट जारी किए जाते हैं।
5	वाहन चालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण	वाहन चालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने से वाहन चालकों की वाहन चलाने की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी तथा वाहन प्रशिक्षण चालकों को स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा।	उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी योजना हेतु पात्र होंगे।	**आवेदन**–इच्छुक आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप (ऑफलाइन) कार्यालय में उपलब्ध पर अपना आवेदन Institute of Driving and Traffic Research Institute (IDTR) कार्यालय देहरादून में ऑफलाईन मोड में जमा कराया जाता है। **आवश्यक प्रपत्र**–हल्का मोटरयान (प्रशिक्षणिक पाठ्यक्रम) हेतु– 1. आवेदक का आधार। 2. आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। 3. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो–01 4. हाईस्कूल का सर्टिफिकेट अथवा आयु का ट्रान्सफर सर्टिफिकेट 5. अभ्यर्थी के पास 01 वर्ष पुराना हल्का मोटरयान (नॉनट्रांसपोर्ट) चलाने का वैध लाइसेंस होना आवश्यक है। **भारी वाहन (प्रशिक्षणिक पाठ्यक्रम) हेतु**– 1. आवेदक का आधार। 2. आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। 3. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो–01 4. हाईस्कूल का सर्टिफिकेट अथवा आयु का ट्रान्सफर सर्टिफिकेट 5. भारी वाहन (प्रशिक्षणिक पाठ्यक्रम) हेतु अभ्यर्थी के पास हल्का मोटरयान (ट्रान्सपोर्ट) 6. चलाने का 01 वर्ष पुराना वैध लाईसेंस होना आवश्यक है। पुनश्चर्या प्रशिक्षण (Refresher Course) हेतु – 1. आवेदक का आधार। आवेदक के पास हल्का अथवा भारी मोटरयान चलाने का वैध लाईसेंस होना आवश्यक है। **वैधता**–समय अवधि का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। **नवीनीकरण**–आवश्यकता नहीं। **फीस**–निःशुल्क **प्रक्रिया**–प्राप्त आवेदनों के पत्रावली के उपरान्त प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आवेदन वर्ष में कभी भी किया जा सकता है, निश्चित बैच बनने के उपरान्त प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाता है।
6	निजी क्षेत्र में आटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग की मान्यता	राज्य के नागरिक निजी ऑटोमेटेड फिटनेस सेन्टर की स्थापना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में	वाहन स्वामी एवं रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति	विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर निजी क्षेत्र में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन हेतु आवेदन एवं टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता एवं फीस टेण्डर डॉक्यूमेंट में निर्धारित की जाती है।

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
				क्रियाशील होने के सम्बन्ध में आख्या। 5–प्रशिक्षक के प्रमाण पत्र–(i) कक्षा–10 की मार्कशीट / सर्टिफिकेट, (ii) कम से कम 05 साल पुराना व्यवसायिक चालक लाईसेन्स (Commercial Licence), (iii) आई0टी0आई0, मोटरमैकेनिक ट्रेड से अथवा सम्बन्धित विषय में उच्चतर शिक्षा, (iv) यातायात चिन्हों और सड़क पर उपयोग करने वाले विनियमों का पूर्णज्ञान, (v) यानों के विभिन्न संघटकों, पुर्जों के कृत्यों का संप्रदर्शन करने और स्पष्ट करने की योग्यता, (vi) हिन्दी का पूर्णज्ञान। **4.फीस–नियम 32 में वर्णित–** आवेदन एवं नवीनीकरण हेतु –रू0 दस हजार द्वितीय प्रति हेतु –रू0 पाँच हजार **5.वैधता**–उपरोक्तानुसार जारी अनुज्ञप्ति की वैधता 05 वर्ष है। **6.नवीनीकरण**– चालक प्रशिक्षण स्कूल की अनुज्ञप्ति के नवीनकरण हेतु ऑफलाईन मोड पर परिवहन आयुक्त कार्यालय में आवेदन फार्म 13 में किया जाता है। नोट–आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा संबंधित संभागीय / उप संभागीय परिवहन कार्यालय से अर्हताओं का सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन आख्या प्राप्त होने के उपरान्त परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा नियमानुसार अनुज्ञप्ति जारी की जाती है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
(आधार केन्द्र)

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

		के साथ वापस कर देते हैं परन्तु लम्बित नहीं रख सकते हैं। लम्बित रखने पर संबंधित व्यक्ति सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है जहां पर संबंधित विभागीय अधिकारी पर निर्धारित शुल्क का जुर्माना हो सकता है।		जांच कर सकता है। आवेदन करने के उपरांत यह संबंधित विभाग के पास स्वतः ऑनलाइन जाता है। विभागीय कार्मिक/अधिकारी जांच एवं विभागीय प्रक्रिया अपनाने के उपरांत सही पाये जाने पर प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। जिसको आवेदक लाग-इन करके डाउनलोड कर सकता है। यदि सेवाओं में कोई आपत्ति हो तो उसका भी मैसेज आता है तथा आवेदक को अपना लाग-इन करके आपत्ति सही करके सबमिट करना होता है।
3.	**आई0टी0 पॉलिसी व संशोधन–2020**	राज्य में आई0टी0 एवं आई0टी0ई0 एस0, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर/ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाईडर उद्योग को बढ़ावा दिया जाना, उद्योग विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं एवं नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन योजनाओं के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना।	आई0टी0,आई0टी0ई0एस0, इंटरनेट सर्विस प्रोवाईडर/टेलीकॉम सर्विस प्रोवाईडर एवं आई0टी0 आधारित उद्योग, निवेशक, स्टार्टअप एवं स्थानीय युवा।	राज्य के आई0टी0 विभाग के अन्तर्गत संस्था आई0टी0डी0ए0 के माध्यम से यह लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस पॉलिसी में अहर्ता अनुसार कम्पनी सब्सिडी ले सकती है। राज्य उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार लाभार्थी को लाभ प्राप्त होगा।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

कॉमन सर्विस सेंटर, उत्तराखण्ड

			पर्याप्त डेटा पैक के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है। टी0ई0सी0 (टेलीसेंटर एंटरप्रेन्योर ऑनर) प्रमाणित वी0एल0ई0 आवश्यक है।	राज्य क्यूसी पोर्टल में प्रतिबिंबित होगा और क्यूसी स्तर पर सभी क्षेत्रों के सफल सत्यापन के बाद आवेदक को अपने पंजीकृत मेल आईडी में एक सी0एस0सी0आई0डी0 प्राप्त होगा। जिसके उपरांत संबंधित व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर संचालित कर सकता है तथा किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर कॉमन सर्विस सेंटर धारक को आई0टी0डी0ए0 द्वारा न्यूनतम कमीशन सीधे उसके खाते में भुगतान किया जाता है।
2	**प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान**	ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को डिजिटल रूप से साक्षर करने पर वी0एल0ई0 को प्रति व्यक्ति रू0 300/- कमीशन/ मानदेय के रूप में प्राप्त होती है। इसमें एक व्यक्ति को न्यूनतम 10 दिन से अधिकतम 30 दिन तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण वी0एल0ई0 समूह के रूप में अथवा एकल रूप से दे सकता है।	प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षणार्थियों की उम्र 14 से 60 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक परिवार के केवल एक सदस्य को प्रशिक्षण देना होगा। लाभार्थी डिजिटल निरक्षर होना चाहिए।	वी0एल0ई0 अपने क्षेत्र के लोगों को डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित करके उनका प्रशिक्षण करवा सकता है एवं यदि कोई व्यक्ति स्वयं इच्छुक हो तो उसका पंजीकरण कर प्रशिक्षण दे सकता है। पंजीकरण करने हेतु https://www.pmgdisha.in/about-pmgdisha पर आवेदन करना होता है जिसमें लाभार्थी का आधार संख्या मोबाइल नंबर एवं बेसिक जानकारी की आवश्यकता होती है। वी0एल0ई0 ऑनलाइन सी0एस0सी0टी0पी0 के अधीन प्रशिक्षण देगा। उसके उपरांत कोर्स खत्म होने पर संबंधित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है जिसको डाउनलोड करके संबंधित व्यक्ति को देगा। प्रशिक्षण समाप्त होने, जांच करने के उपरांत वी0एल0ई0 के खाते में प्रशिक्षण देने का मानदेय भुगतान किया जाता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

नागरिक उडडयन विभाग(युकाडा, उत्तराखण्ड)

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून – अल्मोड़ा – पिथौरागढ़ हैली सेवा का फ्लैग ऑफ किया। दिनांक 26 अगस्त 2022

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	प्रभावित होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों के लिये कपड़े व बर्तन या घरेलू सामान के लिये।			
5	कृषि भूमि एवं अन्य की क्षति के लिये सहायता।	02 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले किसानों की भूमि में नुकसान होने पर तथा रेत या अवसाद की परत के 3 इंच से अधिक होने पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलबा हटाने के लिये/मत्स्य पालन जलाशयों से अवसाद हटाने/मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु रू0 18,000 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रत्येक मद के लिये धनराशि दी जाती है। उक्त राहत के अन्तर्गत लाभार्थी को न्यूनतम रू. 2200/– देय है। भूस्खलन, हिम–स्खलन या नदी के मार्ग बदलने के कारण अधिकांश भूमि को हुयी क्षति के कारण रू0 47,000 प्रति हेक्टेयर किसान को दी जाती है। उक्त राहत के अन्तर्गत लाभार्थी को न्यूनतम रू. 5000/– देय है।	ऐसे किसान/परिवार जिनका आपदा से संबंधित नुकसान हुआ हो। लाभार्थी द्वारा किसी अन्य योजना से लाभ उठाने पर पात्र नहीं होगा। राजस्व अभिलेखों के अनुसार विधिक रूप से निजी स्वामित्व वाली भूमि को क्षति पर	क्रमांक–1 की प्रक्रियानुसार।
6	कृषि निवेश अनुदान (फसलों की क्षति के 33 प्रतिशत या अधिक होने की स्थिति में)	कृषि बागवानी व सालाना फसलों के लिये – रू0 8,500 प्रति हेक्टेयर (असिंचित क्षेत्रों। न्यूनतम रू. 1000 देय है। रू0 17,000 प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में। किसी भी कृषक को देय सहायता की राशि न्यूनतम रू0 2,000 होगी। सदाबहार फसल– रू0 22,500 प्रति हेक्टेयर सभी प्रकार की सदाबहार फसलों के लिये अनुमन्य। न्यूनतम रू0 2,500 होगी। **रेशम कृषक** – रू0 6,000 प्रति हेक्टेयर, ईरी, शहतूत व टस्सर के लिये तथा रू0 7,000 प्रति हेक्टेयर मूगा के लिये न्यूनतम रू. 1000 देय है।	यह सहायता केवल बोये गये क्षेत्र के लिये देय होगी।	क्रमांक–1 की प्रक्रियानुसार।
7	02 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि वाले	रू0 8,500/– प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में। रू0 17,000/– प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में।	केवल बोये गये क्षेत्र के लिये देय होगी।	क्रमांक–1 की प्रक्रियानुसार।

IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	किसानों को निवेश अनुदान	रू0 22,500/- प्रति हैक्टेयर सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए फसल की क्षति के 33 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में यह सहायता अधिकतम 02 हैक्टेयर प्रति कृषक की सीमा तक ही देय होगी।		
8	पशुपालन– छोटे व सीमान्त कृषकों को सहायता	दुधारू, कृषि एवं ढुलाई वाले जानवरों का प्रतिस्थापन– दुधारू पशु– रू0 37500/- प्रति पशु (भैंस/गाय/ऊँट/याक/ मिथुन) इत्यादि। रू0 4000/- प्रति पशु (भेड़/ बकरी/ सुअर) देय होगी। **कृषि व ढुलाई वाले पशु**/ रू0 32000/- प्रति पशु (ऊँट/ घोड़ा/ बैल) देय होगी। रू0 20000/- प्रति पशु (बछिया/ गधा/ टट्टू/ खच्चर) देय होगी। **कुक्कुट पालन** कुक्कुट पालन रू0 100/- प्रति पक्षी – रू0 10000/- प्रति लाभान्वित परिवार की सीमा तक देय। सहायता के लिये पक्षियों की मृत्यु अधिसूचित प्राकृतिक आपदा द्वारा होनी आवश्यक है।		क्रमांक–1 की प्रक्रिया के साथ ही इस सहायता को आर्थिक रूप से उत्पादन पशुओं की वास्तविक क्षति तक सीमित रखा जा सकता है। पशुओं की वास्तविक क्षति पर विचार किये बिना किसी एक परिवार को देय सहायता 03 बड़े दुधारू पशुओं या 30 छोटे दुधारू पशुओं या 03 बड़े कृषि व ढुलाई वाले पशुओं की सीमा तक देय होगी। क्षति का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना होगा।
9	मछली पालन	रू0 6,000/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत के लिये, रू0 3000/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत के लिये। रू0 15,000/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त नौकाओं के पुनर्स्थापन के लिये, रू0 4,000/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के पुनर्स्थापन के लिये दी जाती है। मत्स्य बीज फार्म के लिए निवेश अनुदान– रू0 10,000/- प्रति हैक्टेयर दी जाती है।	मछुआरों को क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत/प्रतिस्थापन व क्षतिग्रस्त या खो गये जालों के लिए दी जाती है।	क्रमांक–1 की प्रक्रियानुसार।
10	हस्तकला/हथकरघा– कारीगरों को सहायता	क्षतिग्रस्त औजारों व उपकरणों की पुनर्स्थापना के लिए– रू 5000/- प्रति शिल्पकार उपकरणों के पुनर्स्थापन के लिए। कच्चे माल या बन रहे या बन गये उत्पाद की क्षति के लिये–रू0 5000/- प्रति शिल्पकार कच्चे माल के लिये।		क्रमांक–1 की प्रक्रिया के साथ ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा क्षति एवं उसके प्रतिस्थापन का विधिवत् सत्यापन किया जाना आवश्यक।
11	भवन (पूर्णतः क्षतिग्रस्त/नष्ट भवन)	पक्का भवन, कच्चा भवन, पूर्णतः क्षतिग्रस्त/नष्ट भवन, आंशिक क्षतिग्रस्त/नष्ट भवन – रू 1,20,000/- प्रति भवन मैदानी क्षेत्रों में। रू 1,30,000/- प्रति भवन पर्वतीय क्षेत्र... योजना के माध्यम से आच्छादित सहायता सहित...		क्रमांक–1 की प्रक्रियानुसार।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		आंशिक: पक्का भवन (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15% क्षति हो–रू 6,500/– प्रति क्षतिग्रस्त भवन (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15% क्षति हो– रू 4,000/– प्रति भवन क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी– रू 8,000/– प्रति झोपड़ी। (झोपड़ी का तात्पर्य अस्थाई, कामचलाऊ एवं कच्चे घर से निम्न स्तरीय बुनाई की है जिसका निर्माण घास–फूस, मिट्टी, प्लास्टिक आदि से किया गया हो और जिसे परम्परागत आदि से किया गया हो और जिसे परम्परागत रूप से राज्य/जिला प्रशासन द्वारा झोपड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त हो)। नोट– क्षतिग्रस्त भवन का अधिकृत निर्माण होने का सत्यापन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है। भवन के साथ जुड़ी पशुशाला– रू 3000/– प्रति पशुशाला।		
12	**सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति**	नये सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना के लिये दिये जाने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा रू. 20 लाख अथवा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों में आने वाली लागत (जो भी न्यूनतम हो) होगी। नये सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को 05 वर्षों तक रू. 4.00 लाख प्रति वर्ष परिचालन अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।	उत्तराखण्ड के ऐसे क्षेत्र/स्थान जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन की गतिविधियों से आच्छादित नहीं है एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील व दूरवर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो केन्द्र की स्थापना को प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त योजना केवल नये सामुदायिक रेडियो केन्द्रों के लिये है और इस योजना का लाभ लेने के लिये सम्बन्धित संस्था को उत्तराखण्ड में 03 वर्षों का अनुभव होने के साथ ही सामुदायिक रेडियो केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लाईसेन्स प्राप्त होना चाहिये।	**सामुदायिक रेडियो केन्द्रों** की स्थापना हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिये राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर इच्छुक संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। प्रथम किश्त में स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जाती है तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त शेष 50 प्रतिशत धनराशि का आवंटन किया जाता है। नये **सामुदायिक रेडियो स्टेशन** को प्रारम्भ करने की इच्छुक संस्थाओं को समस्त वांछित अभिलेखों के साथ सचिव, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन करना होगा। नये सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष में कभी भी आवेदन किया जा सकता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

****

समग्र शिक्षा परियोजना

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	ECCE (प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा)	राज्य के राजकीय विद्यालय के परिसर में संचालित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में आवश्यकता किलास (फर्नीचर, टी०एल०एम०, चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर) सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराना। आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका का प्रशिक्षण। बच्चों की विद्यालय पूर्व तैयारी एवं कक्षा- 1 में प्रवेश से पूर्व बच्चा संज्ञानात्मक एवं मनोवैज्ञानिक कौशल प्राप्त कर सके।	3 से 6 आयु के बालक / बालिका अर्ह होंगे। 6 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि को 06 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व की अवस्था।	बच्चों को संबंधित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में ले जाया जाता है तथा साथ में बच्चे का आधार कार्ड अथवा अन्य प्रमाण पत्र, जिससे आयु प्रमाणित हो सके, ले जाया जाता है जो बच्चे के प्रवेश पंजीकरण के लिए अनिवार्य है। प्रवेश निःशुल्क है तथा बच्चे का प्रवेश 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बीच कभी भी कर सकते हैं। राजकीय विद्यालय के परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र / बालवाटिका में सेवित क्षेत्रान्तर्गत निर्धारित आयु वर्ग के समस्त बच्चों का नामांकन।
2.	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका (छात्रावास)	छात्रावासों में उच्च प्राथमिक स्तर पर तथा माध्यमिक स्तर (कक्षा-6 से कक्षा-12 तक) पर विभिन्न अवसचित समूह की बालिकाएं जैसे-सामाजिक अवसचित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग) एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को चिन्हित एवं नामांकित किया जाता है।	योजना में अंकित समूह के ड्रॉपआउट एस०सी०, एस०टी०, ओ०बी०सी० तथा अल्पसंख्यक समुदाय से 75% बालिकाओं को के०जी०बी०वी० में नामांकन हेतु प्राथमिकता दी जाती तथा शेष 25% गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं हेतु। उक्त के अतिरिक्त ऐसी बालिकाएं जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (जिनकी वार्षिक आय रू० 55,000 से कम हो) अथवा जिन बालिकाओं के माता-पिता अथवा माता-पिता में से कोई एक जीवित न हो भी पात्र होंगी।	शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए निम्न सीटों के सापेक्ष आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं। प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज / प्रमाण पत्र 1-शालात्यागी प्रमाण-पत्र / कभी न विद्यालय जाने का प्रमाण-पत्र / शपथ-पत्र / घोषणा पत्र 2-बी०पी०एल० प्रमाण-पत्र / राशन कार्ड 3-आय प्रमाण-पत्र / जाति प्रमाण-पत्र 4-विद्यालय की निवास स्थान से 03 कि० मी० से अधिक दूरी का प्रमाण-पत्र।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				जब एक छात्र योजना का लाभ ले रहे हैं तो वे किसी योजना का लाभ उठाने से पूर्व उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी को सूचित करना होगा। आवेदन पत्रों की निदेशालय स्तर पर प्रारम्भिक जाँच के उपरान्त प्रत्येक 06 माह में लाभार्थी को 50 प्रतिशत धनराशि बैंक खाते में निर्गत की जाती है।
3	मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना।	विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 90,000, 30,000 एवं 15,000 एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 75,000, 60,000, एवं 30,000 धनराशि प्रदान की जाती है।	राज्य के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय एवं इनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में अध्ययनरत की मेरिट के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले टॉप 03 छात्रों पर लागू होती है। न्यूनतम 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपात्र होंगे। योजना के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर में पूरक परीक्षा, बैक परीक्षा एवं किसी वर्ष में फेल होने वाले छात्र इस योजना के लिए अपात्र होंगे।	विभाग द्वारा राज्यीय विश्वविद्यालयों एवं इनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र-छात्राओं की मेरिटवार सूची मांगी जाती है तथा छात्र-छात्राओं का चयन करके पोर्टल से प्राप्त कर धनराशि को छात्र-छात्राओं के खाते में किया जाता है। इसके लिए छात्र-छात्राओं को अलग कोई आवेदन नहीं करना होता है।
4	[illegible] एवं शिक्षण प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना।	प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अध्ययनरत 30 छात्राओं को रू0 31,000 प्रति छात्रा, छात्रवृत्ति दी जाती है।	प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को यह धनराशि दी जाती है जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रू0 6 लाख से अधिक न हो एवं स्नातक कक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत से अधिक अंक।	उत्तराखण्ड सरकार एवं [illegible] एवं शिक्षण प्रोत्साहन फाउन्डेशन नोएडा उत्तर प्रदेश के मध्य हस्ताक्षरित समझौता (MOU) के क्रम में संचालित है। इसमें आवेदन प्रत्येक वर्ष सितम्बर-अक्टूबर में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रोफेसर/महाविद्यालयों को सूचित करवाए जाते हैं। छात्रा को छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त माह में www.vidyasaarathi.co.in में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा, आवेदन के साथ छात्रा का आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, [illegible] प्रमाण पत्र, स्नातक के समस्त वर्षों का प्रमाण/अंकतालिका, प्रोफाइल फोटो, स्नातकोत्तर में प्रवेश संबंधी प्रमाण के साथ आवेदन करना पड़ता है।
5	प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु डिजिटल शिक्षा	महिन्द्रा [illegible] एवं नन्दी फाउण्डेशन के द्वारा प्रदेश के विभिन्न	महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राएं।	उत्तराखण्ड सरकार एवं Nandi Foundation के मध्य हस्ताक्षरित करार (MOU) के क्रम में डिजिटल शिक्षा सहयोगियों का माध्यम [illegible] [illegible]

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3	संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान	प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता रु0 5,000/- द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता रु0 4,000/- तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता रु0 3,000/-	संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा प्रदेश के हाईस्कूल परीक्षा (विद्यालयी शिक्षा परिषद) में संस्कृत विषय में / इण्टरमीडिएट परीक्षा (विद्यालयी शिक्षा परिषद) में संस्कृत विषय में / पूर्वमध्यमा परीक्षा (संस्कृत शिक्षा परिषद) / उत्तरमध्यमा परीक्षा (संस्कृत शिक्षा परिषद) / शास्त्री व आचार्य (उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं केन्द्रीय संस्कृत संस्थान देवप्रयाग) की परीक्षाओं / स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत विषय में प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता।	अकादमी द्वारा संबंधित बोर्ड के कार्यालय से पत्राचार करके संबंधित वर्ष के हाईस्कूल व इण्टर परीक्षा में संस्कृत विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता [illegible] की सूचना प्राप्त की जाती है। अकादमी द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव से पत्राचार करके स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत विषय में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची प्राप्त की जाती है। [illegible] आयोजित कर चैक द्वारा भुगतान किया जाता है।
4	अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति के छात्रों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना।	कक्षा 6 से 8 तक के छात्र/छात्रा को रू0 300/- प्रतिमाह, कक्षा 9-10 के छात्र/छात्रा को रू0 400/- प्रतिमाह एवं कक्षा 11-12 के छात्र/छात्रा को रू0 300/- प्रतिमाह प्रदान किया जाता है।	प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक के अध्ययनरत अधिकतम 100 छात्र-छात्राएं, जिनके पास अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र हो, पात्र होंगे।	संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत अनु. जाति/जनजाति के संस्कृत छात्र/छात्रा जिनके पास जाति का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता हो, अपने [illegible] प्रधानाचार्यों के [illegible] करेंगे तथा प्रधानाचार्य संस्तुति सहित [illegible] निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे। [illegible] निदेशक को [illegible] तथा निदेशक की संस्तुति के पश्चात् छात्रवृत्ति ऑनलाइन प्रदान की जाती है।
5	संस्कृत शोध छात्रवृत्ति योजना	राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में संस्कृत विषय में शोध करने हेतु पंजीकृत 20 छात्र-छात्राओं को वार्षिक रु.40,000/- की शोध छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति 02 वर्ष हेतु रु0 40,000.00 प्रतिवर्ष दी जाती है [illegible] में आवेदन द्वारा [illegible] प्रदान होगा।	शोध छात्रवृत्ति के लिए सामान्य श्रेणी के 10, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 05 व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के [illegible] कुल 20 पंजीकृत/अध्ययनरत शोधछात्रों को नेट परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाता है।	[illegible] हेतु प्रतिवर्ष दैनिक समाचार पत्रों एवं अकादमी की वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक समस्त दस्तावेजों के साथ, आधार कार्ड, नेट परीक्षा प्रमाण, शैक्षिक प्रमाण पत्र, पीएचडी पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक खाता सहित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है। प्राप्त आवेदनों को चयन समिति द्वारा परीक्षण के उपरान्त चयनित शोधछात्रों को संस्कृत विषय में शोध हेतु वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है।
		उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम		
1	पी.जी. डिप्लोमा P.G. Diploma 1 ज्योतिष 2	ज्योतिष/योग डिप्लोमा (एक वर्ष)।	स्नातक छात्र/छात्रा किसी भी संकाय से।	आवेदन विश्वविद्यालय के द्वारा एवं ऑनलाइन जमा करना पड़ता है। आवेदन प्रक्रिया [illegible] है। आवेदन [illegible] संबंधित

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	डिप्लोमा 3 योग 4 कम्प्यूटर एप्लीकेशन 5 ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड			अंकतालिका/प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्मप्रमाण/जाति प्रमाण पत्र, पूर्व संस्था का टीसी, प्रमाण पत्र, [illegible] में [illegible] संलग्न करने होंगे। प्रति पाठ्यक्रम निर्धारित शुल्क रु0 10000/-है।
2	सर्टिफिकेट (Certificates) 1 योग 2 संस्कृत 3 कर्मकाण्ड 4 [illegible] 5 [illegible]	व्यावसायिक कोर्स (06 माह)	10+2 अथवा समकक्ष	आवेदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर ऑफलाइन जमा करना पड़ता है। आवेदन प्रक्रिया जून से अगस्त माह तक चलती है। सत्र प्रारंभ 01 अगस्त से होता है। आवेदन जमा करते समय [illegible] में संबंधित अंकतालिका/प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्मप्रमाण/जाति प्रमाण पत्र, पूर्व संस्था का टीसी प्रमाण पत्र, संलग्न करने होंगे। प्रति पाठ्यक्रम निर्धारित शुल्क रु0 6000/-है।
3	मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति	जगद्गुरु संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रति कक्षा एक छात्र/छात्रा को सम्बंधित कक्षा के शिक्षण शुल्क की राशि के बराबर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	संबंधित पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा।	विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन पत्र निर्गत करती है। संबंधित विद्यार्थी हाईस्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, संबंधित कक्षा का अंकपत्र, बैंक खाता विवरण के साथ आवेदन पत्र भरकर प्रकोष्ठ में जमा करेंगे। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी करने के उपरान्त पात्र छात्र/छात्राओं की सूची जारी करता है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति प्रेषित की जाती है।
4	निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति	जगद्गुरु संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रति कक्षा एक छात्र/छात्रा को सम्बंधित कक्षा के शिक्षण शुल्क की राशि के बराबर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रति कक्षा एक छात्र संबंधित पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय में सबसे न्यूनतम वार्षिक आय (समस्त आवेदकों में से [illegible]) [illegible] विद्यार्थी उक्त छात्रवृत्ति के लिये पात्र होंगे।	विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन पत्र निर्गत करती है। विद्यार्थी हाईस्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, विश्वविद्यालय का पहचान पत्र के साथ आवेदन पत्र भरकर प्रकोष्ठ में जमा करेंगे। प्रकोष्ठ आवेदनों की स्क्रूटनी करने के उपरान्त पात्र छात्र/छात्राओं की सूची जारी करता है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति प्रेषित की जाती है।
		संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएं / पाठ्यक्रम		
1	संस्कृत पाठ्य	कक्षा 1 से 5 तक रु 250/- कक्षा 6 से	संस्कृत विद्यालयों की कक्षा–01 से	सम्बन्धित छात्र के आवेदन को विद्यालय के आवश्यक

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन/चयन प्रक्रिया
			स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है।	अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होता है। चयन समिति द्वारा समस्त दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरान्त सही पाये जाने पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
3.	**भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता/पेंशन**	राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को प्रत्येक माह वित्तीय आर्थिक सहायता/पेंशन न्यूनतम रु0 4000/– एवं अधिकतम रु0 10,000/– जीवन भर के लिए प्रदान की जाती है।	ओलम्पिक खेल, विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एफ्रो–एशियन खेल, सैफ खेल, पैरा ओलम्पिक/स्पेशल ओलम्पिक (अर्न्तराष्ट्रीय) मानसिक/शारीरिक दिव्यांग खिलाड़ी, विश्व मैराथन शारीरिक/मानसिक (दिव्यांग)/पैरा ओलम्पिक, अर्न्तराष्ट्रीय वेटरन्स(मास्टर) चैम्पियनशिप के ऐसे भूतपूर्व पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले उत्तराखण्ड के खिलाड़ी, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा जो कहीं अन्य सेवायोजित न हो अथवा निजी साधनों से होने वाली आय रु0 20,000/–प्रतिमाह से अधिक न हो, पात्र होंगे।	खेल निदेशालय द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा सम्बन्धित खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने/पदक प्राप्त करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, जन्म प्रमाण–पत्र के साथ खेल निदेशालय में आवेदन जमा करना पड़ता है।

****

उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् हल्दी, पंतनगर (कृषि विभाग, उत्तराखण्ड)

क्र०	कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	कौशल विकास कार्यक्रम– 1. पादप ऊतक संवर्धन द्वारा पौध उत्पादन विधि एवं सूक्ष्मप्रवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 2. बायोइन्फॉर्मेटिक्स एवं पुष्पोत्पादन कृषिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। 3. पैथोलॉजी एवं मृदा गुणवत्ता जाँच पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। 4. आण्विक जीवविज्ञान और आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। 5. हिमालय वनस्पतियों के साथ प्राकृतिक उत्पाद से औषधि निर्माण पर प्रशिक्षण।	जैव प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्र में कौशल विकास के अन्तर्गत रोजगारपरक को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपने स्नातक /स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 30/45 से लेकर 90 दिन और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए 180 दिन (शोध प्रबंध कार्यक्रम– डिसर्टेशन) है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थी परिषद की आधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अपने शोध एवं प्रशिक्षण कार्य पूर्ण करते हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को पादप ऊतक संवर्धन, आणविक जीव विज्ञान और जेनेटिक इंजीनियरिंग, माइक्रोबियल जैव प्रौद्योगिकी, प्रयोगशाला, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और पुष्प सहित कृषिकरण के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात संबंधित विद्यार्थी अपना व्यवसाय/स्वरोजगार/ कृषि कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं।	जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आण्विक और आनुवंशिक जीव विज्ञान, वनस्पति जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि विषय से स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी, शोधार्थी एवं किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं।	कौशल विकास कार्यक्रम–डिसर्टेशन, प्रत्येक वर्ष माह जनवरी से शुरू होकर संचालित होता है, जबकि 30/45 से लेकर 90 दिन का प्रशिक्षण छात्र/छात्राएं, शोधार्थी अपने अनुकूल समय व सुविधानुसार वर्ष में कभी भी कर सकते हैं – 30/45 से 90 दिन के प्रशिक्षण के लिए आवेदन उत्तराखण्ड परिषद की वेबसाइट www.ucb.ac.in से आवेदन पत्र व अन्य दिशा–निर्देश डाउनलोड कर व विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कापी) को सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/एजेन्सी के संस्तुति उपरान्त परिषद में भेज सकते हैं। सीटों के आधार पर चयन उपरान्त सम्बन्धित क्षेत्र/प्रयोगशाला में छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जबकि छः माह के प्रशिक्षण (शोध प्रबंध कार्यक्रम-डिसर्टेशन) के लिए परिषद अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करती है और आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त मेरिट के आधार पर चयनित छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाता है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन के साथ आधार कार्ड, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर व अन्य कोई समतुल्य डिग्रियों के प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र व जाति-प्रमाण (यदि उपयुक्त हो तो) इत्यादि की छाया-प्रति की आवश्यकता होती है।
2	जैव प्रौद्योगिकी में उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।	प्रदेश के युवाओं को जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्यमिता विकास एवं स्टार्टअप प्रारम्भ करने हेतु कौशल एवं तकनीकी नॉलेज टेक्नोलॉजी देना एवं आवश्यकतानुरूप मार्गदर्शन प्रदान करना।	जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आण्विक और आनुवंशिक जीव विज्ञान, वनस्पति जीव विज्ञान आदि विषय से स्नातक/स्नातकोत्तर एवं पी०एच०डी० स्तर के विद्यार्थी एवं शोधार्थी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।	परिषद् द्वारा उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना वेबसाइट के साथ समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों व सम्बन्धित संस्थानों को ई-मेल अथवा सोशल मीडिया प्लेटफार्म इत्यादि के माध्यम से अवगत कराया जाता है। आवेदन पत्र गूगल फॉर्म के माध्यम

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				राजकीय मेडिकल कॉलेज, 17. जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ 18. जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग 19. जिला चिकित्सालय, टिहरी 20. जिला चिकित्सालय, ऊधम सिंह नगर 21. जिला चिकित्सालय, [illegible] 22. उप-जिला चिकित्सालय खटीमा 23. जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
14.	हीमोग्लोबिनोपैथी	इस योजना के अन्तर्गत थैलेसीमिया से ग्रसित रोगी को निःशुल्क ब्लड फिल्टर, फिल्टर सेट तथा रक्त निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। हीमोफीलिया से ग्रसित को निःशुल्क हीमोफीलिया फैक्टर (फैक्टर आठ और नौ) उपलब्ध कराया जाता है।	थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से ग्रसित समस्त रोगी।	थैलेसीमिया से ग्रसित रोगी उपजिला चिकित्सालय/ बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा/ बेस चिकित्सालय हल्द्वानी/ श्रीनगर चिकित्सालय, देहरादून के आरोग्य केन्द्र में जाकर पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण हेतु रोगी का आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर एवं चिकित्सक के परामर्श पर उक्त रोग की पुष्टि संबंधी प्रमाण की आवश्यकता होती है। उसके उपरान्त निःशुल्क ब्लड फिल्टर, फिल्टर सेट तथा रक्त की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। हीमोफीलिया से ग्रसित रोगी को चिकित्सक के परामर्श पर्चे और आधार कार्ड के माध्यम से हीमोफीलिया सोसाइटी में पंजीकरण कराने के उपरान्त अपनी निकटतम राजकीय चिकित्सा इकाई से निःशुल्क हीमोफीलिया फैक्टर प्राप्त कर सकते हैं। **रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया**-हीमोफीलिया से ग्रसित रोगी 104 हैल्पलाईन (निःशुल्क) अथवा हीमोफीलिया सोसाइटी से सम्पर्क करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
15.	[illegible] टोल फ्री 104 हैल्पलाइन	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत एक टोल फ्री 104 हैल्पलाइन 24x7x365 दिन के आधार पर संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य सलाह/ जानकारी प्राप्त की जा सकती है।	आम जन मानस	इसके हेतु 104 नम्बर पर कॉल कर सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
16.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	कार्यक्रम अन्तर्गत कुष्ठ रोग की जाँच, उपचार एवं औषधि निःशुल्क उपलब्ध है। सभी कुष्ठ रोगियों को उपचार अवधि तक निक्षय पोषण योजना के अन्तर्गत पोषाहार भत्ता रू0- 500 /- प्रतिमाह प्रदान किया जाता है।	राज्य में उपचार ले रहे कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति।	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत सम्बन्धित क्षेत्र के नॉन मेडिकल सुपरवाइजर / फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्तियों को सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र में निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण हेतु रोगी का नाम, पता, मोबाइल नम्बर एवं आधार कार्ड आवश्यक होता है।
17.	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP)	तम्बाकू का सेवन कर रहे व्यक्तियों को जिला चिकित्सालयों में स्थापित तम्बाकू उन्मूलन केन्द्रों में तैनात काउन्सलर के द्वारा उचित परामर्श व उपचार प्रदान कर तम्बाकू की लत से छुटकारा दिलाया जाता है।	समस्त आयु वर्ग के व्यक्ति।	तम्बाकू का सेवन कर रहे व्यक्तियों को जिला चिकित्सालयों में स्थापित तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र में तैनात काउन्सलर से सम्पर्क कर पंजीकरण उपरान्त लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			पहचान कार्ड के साथ आधार लिंक मोबाइल नम्बर।	पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आयुष्मान कार्ड तैयार करने हेतु https://beneficiary.nha.gov.in/ पर अपना पंजीकरण कर सकता है। आयुष्मान कार्ड बनाने एवं आयुष्मान योजना से संबंधित सेवाएं अथवा जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 155368 (राज्य में) तथा 1800-180-5368 (राज्य से बाहर) पर कॉल करें अथवा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेबसाइट https://sha.uk.gov.in/ पर विजिट करें।
2	राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त सरकारी कार्मिकों/ पेंशनर्स को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजकीय कार्मिकों/ पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों हेतु राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना 1 जनवरी 2021 से लागू है। जिसमें निर्धारित चिकित्सा पुनर्भरण निहित है।	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिक/ पेंशनर जिनके द्वारा गोल्डन कार्ड बनाये गये हैं एवं उनके आश्रित उक्त पात्र हैं।	राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों/ पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों के माध्यम से आवश्यक विवरण, निजी प्रतिकृतियां, वेरिफिकेशन एवं अनुमोदित व्यवस्था से कार्मिकों का गोल्डन कार्ड जन सेवा केन्द्र/ पोर्टल द्वारा ऑन लाईन/ चिकित्सालय में बनाया जाता है। राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में उपचार एवं अंशदान की श्रेणियां वहीं होंगी जो उत्तराखण्ड गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स मेडिकल अटेंडेंस नियमावली, 2018 में उल्लिखित हैं। अंशदान की कटौती– अंशदान की कटौती माह की वेतन हेतु राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अनुसार निर्धारित होगी। नोट – चिकित्सालय का चयन सूचना में उल्लिखित चिकित्सालयों से है जिसकी पुष्टि चिकित्सालय प्रकार एवं (मेडिकल बोर्ड) के आधार पर की जायेगी।
		राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाएं		
1	मानसिक संस्थान में रोगियों के पंजीकरण की प्रक्रिया	शासनादेश संख्या–773/XXVIII-4-2019-101/2018 दिनांक 17.09.2019 के अनुसार अधिनियमानुसार संस्थान में मानसिक रोगी को आवास, भोजन, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है।	संस्थान में देश के समस्त प्रांत/ क्षेत्र से आने वाले मानसिक रोगी का उपचार किया जाता है।	मानसिक रोगी को संस्थान में बाह्य रोगी विभाग (ओ0पी0डी0) अथवा आकस्मिक विभाग में मनोरोग विशेषज्ञ/ चिकित्सक द्वारा निरीक्षण/ परीक्षण के उपरान्त की संस्तुति के आधार पर भर्ती किया जाता है। सामान्यतः भर्ती होने वाले मानसिक रोगी के साथ उसका नामित प्रतिनिधि/ पारिवारिक सदस्य/ रिश्तेदार की आवश्यकता होती है। रोगी निर्धारित की प्रोविजनल व पारिवारिक सदस्य/ रिश्तेदार की पहचान आई0डी0 फोटो व मुचलका भरकर संस्थान में जमा किया जाता है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मेडिकल/डेण्टल/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का विवरण –

1. मेडिकल

स्नातक पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	एम0बी0बी0एस0
नियामक परिषद	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	5½ वर्ष (4½ वर्ष + 01 वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इन्टर्नशिप)
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित **नीट यू0जी0** प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	भारत सरकार/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
वर्तमान में संचालित संस्थान	**राजकीय मेडिकल कॉलेज :–** 1. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल। 2. राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी। 3. राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून। 4. सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा। **निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज :–** 1. हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून। 2. श्री गुरु राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज, देहरादून। 3. गौतम बुद्धा चिकित्सा महाविद्यालय, देहरादून।
सीटों का विभाजन	**राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु** 85% राज्य कोटा (01 सीट सेन्ट्रल पूल कोटा एवं 01 सीट कश्मीरी विस्थापितों हेतु आरक्षित) 15% केन्द्रीय कोटा **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु** समय–समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार
शिक्षण शुल्क	**राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु :–** 1. बॉण्डेड छात्रों हेतु – रु0 50,000/– (प्रतिवर्ष) 2. नॉन बॉण्डेड छात्रों हेतु – रु0 1.45 लाख /– (प्रतिवर्ष) पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेजों (श्रीनगर गढ़वाल एवं अल्मोड़ा) में छात्रों हेतु रियायती दरों पर मेडिकल शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु अनिवार्य सेवा सम्बन्धी बॉण्ड सुविधा ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध है। **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु**

प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित **नीट एम०डी०/एम०एस० पी०जी०** प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	भारत सरकार/ भारतीय दन्त परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अर्हता मानकानुसार
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
सीटों का विभाजन	**राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु** 50% राज्य कोटा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटा
शिक्षण शुल्क	**राज्य स्थित निजी डेन्टल कॉलेजों हेतु** उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियमन) अधिनियम, 2006 (संशोधित) अधिनियम, 2010 एवं 2016 के अन्तर्गत गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क
काउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु** 50% राज्य कोटे तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु एच०एन०बी० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय	हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता एवं ई–मेल आई०डी०	**हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।** [illegible], सीमाद्वार, देहरादून–248001, Website - www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com

3. **नर्सिंग पाठ्यक्रम :–**

डिप्लोमा / स्नातक पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	ए०एन०एम० (डिप्लोमा), जी०एन०एम० (डिप्लोमा), बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग
नियामक परिषद	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	ए०एन०एम० (डिप्लोमा) – 02 वर्ष जी०एन०एम० (डिप्लोमा) – 03 वर्ष 06 माह बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग – 04 वर्ष * पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग– 02 वर्ष
प्रवेश परीक्षा	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु –** 100% राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु –** 50% राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा **तथा** 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियमन) नियमावली के प्राविधानानुसार **अन्य** निजी नर्सिंग संस्थानों की राज्य सरकार के एक्ट के अनुसार स्वयं के विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को केवल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते है।
शुल्क	**राजकीय नर्सिंग संस्थानों हेतु** ए०एन०एम० (डिप्लोमा) – रू० 4427 / – प्रति वर्ष

	जी०एन०एम० (डिप्लोमा) – रू० 6713/– प्रति वर्ष बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग – रू० 11813/– प्रति वर्ष पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग– रू० 11813/– प्रति वर्ष **निजी नर्सिंग संस्थानों हेतु** ए०एन०एम० (डिप्लोमा) – रू० 41800/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रू० 52800/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) जी०एन०एम० (डिप्लोमा) – रू० 44000/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रू० 55000/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग – रू० 61600/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रू० 72600/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग– रू० 61600/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रू० 72600/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	भारत सरकार/भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकानुसार
सीटों का विभाजन	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** – 100% राज्य कोटे के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** –50% राज्य कोटा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटा
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
काउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** – 100% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** –50% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से तथा 50% प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अशासकीय निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियमन) नियमावली के प्राविधानानुसार
सम्बद्ध विश्वविद्यालय/संस्था	हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून/स्टेट मेडिकल फैकल्टी
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता, ई-मेल आई०डी०	न्यू गेस्ट हाउस, ब्लॉक, ग्राम सीमाद्वार, देहरादून–248011 Website - www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com

नोट– * बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा एवं काउन्सिलिंग समय–समय पर भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाती है।

परास्नातक पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एम०एस०सी०नर्सिंग
मान्यता परिषद	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	एम०एस०सी० नर्सिंग (02 वर्ष), एम०एस०सी०नर्सिंग (02 वर्ष)
प्रवेश परीक्षा	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** – 100% राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य नर्सिंग वैकल्पिक प्रवेश परीक्षा

	राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु :– 50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा **तथा** 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियमन) नियमावली के प्राविधानानुसार **अन्य** निजी नर्सिंग संस्थानों को राज्य सरकार से एन० ओ० सी० अनुमति प्राप्त के विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को केवल अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं।
शुल्क	**राजकीय नर्सिंग संस्थानों हेतु**–एम०एस–सी० नर्सिंग– रू० 39175/– प्रति वर्ष **निजी नर्सिंग संस्थानों हेतु**–एम०एस–सी० नर्सिंग – रू० 70000/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रू० 75000/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	भारत सरकार/भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
सीटों का विभाजन	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 100 प्रतिशत राज्य कोटे के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** –50 प्रतिशत राज्य कोटा तथा 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटा
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
काउंसिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 100 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु**–50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग बोर्ड के माध्यम से तथा 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियमन) नियमावली के प्राविधानानुसार।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय	हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता, ई–मेल आई०डी०	न्यू नर्सेस हॉल टाउन, बौडा डाकघर मेहूवाला, देहरादून–248011 Website - www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com

4. पैरामेडिकल पाठ्यक्रम :–

डिप्लोमा/स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–672/XXIV(3)/2017-07(07)2017 दिनांक 23 नवम्बर 2017 के द्वारा अधिसूचित पाठ्यक्रम
नियामक परिषद	उत्तराखण्ड पैरा चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड
पाठ्यक्रम अवधि	उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–672/XXIV(3)/2017-07(07)2017 दिनांक 23 नवम्बर 2017/नियामक परिषद एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित।
प्रवेश परीक्षा	**राजकीय पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 100 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा **राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा

	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियमन) नियमावली के प्राविधानानुसार अन्य निजी पैरामेडिकल संस्थानों को राज्य सरकार की एन्ट्री के अनुसार स्तर के विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को अंतर्गत अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
शुल्क	**राजकीय पैरामेडिकल संस्थानों हेतु** –पैरामेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु– रू0 45000/– प्रति वर्ष **निजी पैरामेडिकल संस्थानों हेतु** • पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु– रू0 35000/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं 50000/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) • पैरामेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु –रू0 45000/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं 60000/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) • पैरामेडिकल पी0जी0 पाठ्यक्रमों हेतु –रू0 55000/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं 70000/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	नियामक परिषद/स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित मानकानुसार
सीटों का विभाजन	**राजकीय पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** –100% राज्य कोटे के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** –50% राज्य कोटा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटा
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
काउंसिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** –100% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** –50% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग बोर्ड के माध्यम से तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियमन) नियमावली के प्राविधानानुसार
सम्बद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान	हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून/स्टेट मेडिकल फैकल्टी
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता एवं ई-मेल आई0डी0	न्यू सेन्ट्रल हॉस्टल [illegible], देहरादून–248011 Website- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com

******

होम्योपैथी विभाग

क्र०	स्वास्थ्य सुविधाओं का नाम	लाभ	पात्रता/ अर्हताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं वितरण प्रक्रिया
1	13 राजकीय होम्योपैथिक शिक्षा चिकित्सालय, 71 (13) होम्योपैथिक चिकित्सालय, 28 एन०आर०एच०एम० विंग, 05 आयुष्मान/... तथा 04 मोबाइल केन्द्र	होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से निःशुल्क जन सामान्य को रोग निदान, उपचारात्मक एवं सुझावात्मक सहित स्वास्थ्य सेवायें राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों से निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। शहरी, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आउटरीच कैम्प के माध्यम से निःशुल्क होम्योपैथी उपचार तथा औषधियां प्रदान की जाती हैं। विभिन्न मौसमी रोगों से बचाव एवं रोकथाम के लिए आउटरीच स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं।	जन सामान्य	सम्बन्धित जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श, उपचार एवं होम्योपैथिक औषधियां प्रदान की जा रही हैं।
2	27 राजकीय होम्योपैथिक हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों की स्थापना	हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों के माध्यम से जनसामान्य को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सकीय परामर्श, निःशुल्क होम्योपैथिक औषधियों का वितरण एवं निम्न सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं :- योगाभ्यास (प्रत्येक एच०डब्ल्यू०सी० में 01-01 योग प्रशिक्षक पुरुष/महिला के द्वारा दैनिक योगाभ्यास कराया जा रहा है। मेडिसिनल प्लांट (औषधीय पौधे) ... हर्बल गार्डन (आम जनमानस को औषधीय पौधों की जानकारी के लिये हर्बल गार्डन स्थापित किए गये हैं तथा आयुष्मान के माध्यम से औषधीय पौधों की जनसामान्य को विशेष ... की जानकारी प्रदान की जा रही है।	जन सामान्य	सम्बन्धित जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श, उपचार एवं होम्योपैथिक औषधियां प्रदान की जा रही हैं।
3	होम्योपैथिक औषधि निर्माण तथा विक्रय के नवीन लाइसेन्स निर्गत तथा नवीनीकरण करना	होम्योपैथिक औषधि के थोक एवं फुटकर लाइसेन्स प्राप्त कर औषधियों का विक्रय हेतु [illegible] किया जाता है तथा व्यापारी अपना व्यवसाय संचालित कर सकता है।	डी०फार्मा०/बी०फार्मा० की डिग्री/डिप्लोमाधारी/ पंजीकृत होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को 01 वर्ष कार्य का अनुभव/ होम्योपैथिक फुटकर या थोक ड्रग्स लाइसेन्स धारक के साथ 1 वर्ष का अनुभव	नवीन लाइसेन्स के नवीनीकरण हेतु ई-औषधि पोर्टल पर आवेदन करते हैं तथा होम्योपैथी औषधि निर्माण लाइसेन्स एवं नवीनीकरण के लिए ऑफलाइन भी आवेदन करते हैं। आवेदन के दौरान निर्धारित आवेदन फीस डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र आदि संलग्न करने होंगे। उक्त विक्रय फुटकर एवं थोक लाइसेन्स हेतु प्रति लाइसेन्स रु0 250/- शुल्क निर्धारित है तथा उक्त लाइसेन्स 05 वर्ष के लिए वैध होता है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग

क्र.	स्वास्थ्य सुविधाओं का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	**आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र**– आयुष्मान भारत योजना	राज्य में कुल 300 आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र संचालित है, जिनमें रोगानुसार औषधि वितरण, रोगानुसार योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान की जाती है। **प्रकृति परीक्षण एवं ऋतुचर्या**–दिनचर्या के अनुसार काउन्सलिंग, गैर–संक्रामक रोगों जैसे–डायबिटिज, उच्च रक्तचाप, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की जाँच एवं निदान किया जाता है। **औषधीय पौधों का वितरण।** इस हेतु प्रति व्यक्ति रू0 1.00 ग्रामीण क्षेत्र एवं रू0 2.00 शहरी क्षेत्र में ओ0पी0डी0 शुल्क निर्धारित है।	कोई भी आयु वर्ग	लाभार्थी जिसने राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी औषधालय/ चिकित्सालय में पंजीकरण करवाया हो।
2	**आयुर्विद्या**– आयुष के माध्यम से स्कूली बच्चों के लिए स्वस्थ जीवनशैली	आयुष के माध्यम से स्कूली बच्चों में स्वस्थ जीवनशैली का विकास करना, रोगानुसार औषधि वितरण करना। यह सुविधा निःशुल्क है।	स्कूली बच्चे	राजकीय स्कूलों में पंजीकृत बच्चे
3	**सुप्रजा**– आयुष के माध्यम से गर्भवती माताओं एवं नवजात बच्चों हेतु स्वास्थ्य लाभ	आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से गर्भवती माताओं एवं नवजात बच्चों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना। रोगानुसार औषधि वितरण करना। इस हेतु प्रति व्यक्ति रू0 10.00 ओ0पी0डी0 शुल्क निर्धारित है।	मातृ एवं नवजात शिशु	03 आयुर्वेदिक कॉलेजों (आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कैम्पस, ऋषिकुल एवं गुरुकुल) में उपचार हेतु पंजीकृत लाभार्थी।
4	**योग वैलनेस केन्द्र**	रोगानुसार योग, प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान करना एवं काउन्सलिंग प्रदान करना। इस हेतु प्रति व्यक्ति रू0 1.00 ग्रामीण क्षेत्र एवं रू0 2.00 शहरी क्षेत्र में ओ0पी0डी0 शुल्क निर्धारित है।	कोई भी आयुवर्ग	लाभार्थी जिसने चिन्हित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पंजीकरण करवाया हो।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना (राज्य सरकार)	विनिर्माण क्षेत्र में उद्यम के लिये परियोजना की अधिकतम लागत रू0 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिये अधिकतम लागत रू0 10 लाख बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। श्रेणी-ए के अन्तर्गत हेतु 25 प्रतिशत (विनिर्माण-अधिकतम 6.25 लाख एवं सेवा-अधिकतम 2.50 लाख), व श्रेणी-बी व बी+ हेतु 20 प्रतिशत (विनिर्माण-अधिकतम 5 लाख एवं सेवा-अधिकतम 2 लाख), श्रेणी-सी व डी हेतु 15 प्रतिशत (विनिर्माण-अधिकतम 3.75 लाख एवं सेवा-अधिकतम 1.50 लाख) सब्सिडी का प्राविधान है। श्रेणीवार एरिया का वर्गीकरण अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।	आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये, राज्य का स्थायी/मूल निवासी होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजनान्तर्गत उद्यम/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में किसी एक सदस्य को ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। [illegible] आवेदक गारण्टर एवं [illegible] की ऋण लेने की सुविधा अनुमन्य है। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। आवेदक सम्बन्धित क्षेत्र के सेवा/पोषक बैंक का ऋण पात्र होना चाहिये।	योजना में लाभान्वित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल www.msy.uk.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जाता है। ऑनलाईन माध्यम से ही सभी आवेदन बैंकों को ऋण स्वीकृति हेतु अग्रसारित किये जाते हैं। योजनान्तर्गत [illegible] एवं [illegible] ऋण के बाद भी उद्यम को उच्चीकरण करने हेतु भी वित्तीय सहायता अनुमन्य की जा सकती है। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज: आवेदक का फोटोग्राफ, आधार कार्ड, स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष श्रेणी/जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शैक्षिक-योग्यता का प्रमाण-पत्र, बैंक [illegible], दिव्यांग प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) एवं स्थान [illegible] होंगे। उनका योजनान्तर्गत ऑनलाईन पोर्टल पर ही अपलोड किया जायेगा। योजनान्तर्गत न्यूनतम परियोजना 2 वर्ष के निरन्तर सफल संचालित करने के पश्चात ही निर्धारित उपादान अनुमन्य होगा।
2	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो (सूक्ष्म) उद्यम	ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के युवाओं, उद्यमियों एवं दस्तकारों को स्वरोजगार हेतु अति सूक्ष्म उद्योग/व्यवसाय स्थापित किए जाने हेतु अधिकतम रू0 50 हजार तक बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। स्थापित इकाईयों को बढ़ाने के लिये भी यह वित्तीय सहायता उपलब्ध है। श्रेणी-ए के अन्तर्गत हेतु 25 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी- अधिकतम रू0 12500/- एवं 40 प्रतिशत -विशेष श्रेणी-अधिकतम रू0	आवेदक की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। आवेदक राज्य का स्थाई/मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक को सम्बन्धित क्षेत्र के सेवा/पोषक बैंक का ऋण पात्र होना	आवेदन एवं चयन प्रक्रिया मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अनुसार होगी परन्तु योजनान्तर्गत न्यूनतम परियोजना 01 वर्ष के निरन्तर संचालन के उपरान्त ही निर्धारित दर उपादान अनुमन्य होगा।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / अर्हताएँ	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		20,000/-) व कैटेगरी-बी व सी हेतु 30 प्रतिशत (सामान्य कैटेगरी-अधिकतम रू0 15000/- एवं 35 प्रतिशत-विशेष श्रेणी-अधिकतम रू0 17500/-) कैटेगरी-सी व डी हेतु 25 प्रतिशत (सामान्य कैटेगरी-अधिकतम रू0 12500/- एवं 30 प्रतिशत -विशेष श्रेणी-अधिकतम रू0 15000/-) सब्सिडी दी जाती है। कलेक्शन उत्पादों का वर्गीकरण अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।	चाहिये। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये।	
3.	स्टार्टअप नीति-2023	सरकार द्वारा स्टार्टअप्स को प्रारम्भिक वर्ष के स्टार्टअप को रू. 15,000 प्रतिमाह का एक वर्ष तक मासिक भत्ता तथा महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/ट्रांसजेण्डर या उत्तराखण्ड महादेवी पर आधारित स्टार्टअप को रू. 20,000 प्रतिमाह का मासिक भत्ता दिया जाता है। सरकार द्वारा स्टार्टअप को रू. 15 लाख तक की एक मुश्त सीड फंडिंग/महिला/अनुसूचितजाति/जनजाति/दिव्यांग/ट्रांसजेण्डर या उत्तराखण्ड महादेवी पर आधारित स्टार्टअप को रू. 12.50 लाख तक की सीड फंडिंग सहायता। पेटेंट के लिए घरेलू पेटेंट रू. 01 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए रू. 10 लाख की प्रतिपूर्ति सहायता। ट्रेडमार्क तथा औद्योगिक डिजाइन के लिए आवेदन प्रक्रिया करने पर रू. 10 हजार की प्रतिपूर्ति सहायता। सम्भावनाओं नीति में प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे पूंजी उपादान, ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क में छूट, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति सहायता। प्री-इन्क्यूबेशन प्रोग्राम, इन्क्यूबेशन सेंटर्स के लिए एक मुश्त निःशुल्क सहायता। नए इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना के लिए रू. 01 करोड़ तक तथा विद्यमान इन्क्यूबेशन सेंटर के विस्तार के लिए रू. 50 लाख तक का पूंजीगत उपादान। वैंचर फण्ड की स्थापना के लिए रू. 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है।	राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास, नवाचार आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन, निवेशकों और इन्क्यूबेशन सेन्टर्स की स्थापना, पूंजी तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति-2023 प्रख्यापित की गयी है। नीति के अन्तर्गत उन्हीं स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जायेगा जो भारत सरकार द्वारा परिभाषित डीपीआईआईटी की परिभाषा के अनुरूप पंजीकृत हैं। अनुलग्नक-2 पर संलग्न है। नीति की अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक या नई नीति लागू होने तक, जो भी पहले घटित हो, लागू रहेगी। इस नीति के लाभ के लिए किसी इकाई को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, एलएलपी अथवा पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। नई स्टार्टअप नीति का लक्ष्य पांच वर्षों में 1000 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इन्क्यूबेशन सेंटर के साथ राज्य भर में 30 नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करना लक्ष्य है।	योजना में आच्छादित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल www.startuputtarakhand.com के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है तथा ऑनलाइन आवेदन हेतु दस्तावेजों का विवरण https://www.startup-uttarakhand.com/attachments/164006819441.pdf पर उपलब्ध है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2023	उत्तराखण्ड को वैश्विक स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों [illegible] अवसंरचना का [illegible] एवं [illegible] अनुकूल सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में अनुमन्य क्रियाकलाप/गतिविधियों के लिए नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन सहायताओं का विवरण अनुलग्नक-3 पर संलग्न है एवं वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए श्रेणी का वर्गीकरण अनुलग्नक-4 पर संलग्न है।	कोई भी व्यक्ति, जो राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित करके इन्वेस्ट करना चाहता है पात्र होंगे।	योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के सम्बन्ध में निवेशकों द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत निवेश मित्र पोर्टल पर www.investuttarakhand.gov.in से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। पंजीकरण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण निम्नवत लिंक में मैनुअल में उपलब्ध है। https://investuttarakhand.uk.gov.in/themes/backend/uploads/User_Manual_Registration.pdf निवेशकों द्वारा आवेदनों का परीक्षण जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति/राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति से सम्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है।
5	मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी-2021	अचल पूँजी निवेश के आधार पर परियोजनाओं का वर्गीकरण **लार्ज प्रोजेक्ट्स**- रू. 50 करोड़ से रू. 75 करोड़ तक। **मेगा प्रोजेक्ट्स**- रू. 75 करोड़ से अधिक एवं रू. 200 करोड़ तक। **अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स**- प्लान्ट व मशीनरी में रू. 200 करोड़ से अधिक एवं रू. 400 करोड़ तक। **सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स**- प्लान्ट व मशीनरी में रू. 400 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश। **वित्तीय प्रोत्साहन** सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की प्रचलित दरों में छूट/रियायत (केवल विनिर्माणक उद्यमों को)- लार्ज प्रोजेक्ट्स- 15 प्रतिशत। मेगा प्रोजेक्ट्स- 25 प्रतिशत। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स- 30 प्रतिशत। सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स- 30 प्रतिशत। **ब्याज उपादान**- 3 वर्ष तक बैंक से लिये गये सावधि ऋण की ब्याज का प्रतिपूर्ति सहायता- लार्ज प्रोजेक्ट्स- 7 प्रतिशत, अधिकतम रू. 25 लाख प्रतिवर्ष। मेगा प्रोजेक्ट्स- 7 प्रतिशत, अधिकतम रू. 35.00 लाख प्रतिवर्ष। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स- 7 प्रतिशत	कोई भी व्यक्ति, जो राज्य में मेगा इण्डस्ट्री एवं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पात्र होंगे।	नीति के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में निवेशकों द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत निवेश मित्र पोर्टल पर www.investuttarakhand.gov.in से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। पंजीकरण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण तथा कौन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी का विवरण भी निम्नवत में उपलब्ध है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / अर्हताएँ	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		अधिकतम रू. 50.00 लाख प्रतिवर्ष। सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– 7 प्रतिशत, अधिकतम रू. 75.00 लाख प्रतिवर्ष। **एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति (केवल विनिर्माणक उद्यमों हेतु)**- स्वनिर्मित माल/वस्तु के आंतरिक विक्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के समायोजन के बाद 5 वर्ष तक कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति– लार्ज प्रोजेक्ट्स– 30 प्रतिशत। मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स/सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– 50 प्रतिशत। **विद्युत बिल में प्रतिपूर्ति सहायता (केवल विनिर्माणक उद्यमों हेतु)**- उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक देय विद्युत बिल में रू. 1.00 प्रति यूनिट की दर से विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता– लार्ज प्रोजेक्ट्स– रू. 50 लाख प्रतिवर्ष। मेगा प्रोजेक्ट्स– रू. 75 लाख प्रतिवर्ष। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– रू. 1 करोड़ प्रतिवर्ष। सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– रू. 1 करोड़ 50 लाख प्रतिवर्ष। **इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति।** **स्टॉम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति**- भूमि क्रय विलेख पत्र तथा लीज डीड के निष्पादन में देय स्टॉम्प शुल्क प्रभार पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति। **भूमि क्रय विलेख पत्र/लीज डीड के निबन्धन** के पंजीकरण शुल्क पर प्रति रू. 1000 पर रू. 999 की दर से प्रतिपूर्ति। **ई0टी0पी0 पर अनुदान**- ETP संयंत्र की स्थापना हेतु 30 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50.00 लाख का पूंजीगत अनुदान। **वृहद रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु Payroll assistance**- Payroll assistance सहायता की अनुमन्यता हेतु लार्ज प्रोजेक्ट के लिए 50, मेगा प्रोजेक्ट के लिए 100, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 200 तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 400 लोगों को नियमित रोजगार की न्यूनतम निर्दिष्ट सीमा होगी। निर्दिष्ट सीमा से अधिक अतिरिक्त नियोजित कर्मचारियों पर रू. 500/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की दर से आगामी 5 वर्ष तक अनुदान के रूप में पे–रोल असिस्टेंस सहायता दी जायेगी। महिला कर्मचारियों हेतु यह दर रू. 700/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी होगी।		

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/मापदण्ड	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				वस्तुओं के उत्पादन उत्कृष्ट कौशल युक्त वस्तु एवं चयन हेतु उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति को भेज देते हैं। तत्पश्चात राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा प्राप्त संस्तुतियों/आवेदनों पर विचार कर विजेता का पुरस्कार हेतु चयन किया जाता है।
3.	उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार योजना	पुरस्कार का स्वरूप 1–राज्य स्तरीय पुरस्कार • हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों हेतु प्रथम पुरस्कार रू0 15000/–, द्वितीय पुरस्कार रू0 10000/– एवं तृतीय पुरस्कार रू0 7000/– दिया जाता है। • हथकरघा/बुनकरी एवं ऊनी वस्त्र क्षेत्र के उत्कृष्ट बुनकरों हेतु प्रथम पुरस्कार रू0 15000/– द्वितीय पुरस्कार रू0 10000/– एवं तृतीय पुरस्कार रू0 7000/– दिया जाता है। 2–जनपद स्तरीय पुरस्कार • हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों हेतु प्रथम पुरस्कार रू0 8000/– द्वितीय पुरस्कार रू0 4000/– दिया जाता है। • हथकरघा/बुनकरी एवं ऊनी वस्त्र क्षेत्र के उत्कृष्ट बुनकरों हेतु प्रथम पुरस्कार रू0 8000/– द्वितीय पुरस्कार रू0 4000/– दिया जाता है।	बुनकर/हस्तशिल्पी अथवा हथकरघा उद्योग की इकाई निदेशालय उत्तराखण्ड अथवा जिला उद्योग केन्द्र/हस्तशिल्प, भारत सरकार के अधीन विकास आयुक्त बुनकर/हस्तशिल्पी की श्रेणी में पंजीकृत हों। उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत पंजीकृत हथकरघा/हस्तशिल्प के निजी उत्पादक तथा सहकारी समितियां तथा पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं के हस्तशिल्पी एवं बुनकर पुरस्कार हेतु पात्र होंगे। बुनकर/हस्तशिल्पी जिनकी सहकारी समिति/संस्था किसी भी प्रकार से डिफाल्टर/बैंक ऋण के डिफाल्टर न हों पात्र होंगे। एक बार पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पी/बुनकर की प्रविष्टि को अगले आगामी तीन वर्षों तक पुनः पुरस्कार के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।	आवेदन पत्र महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट https://doiuk.org से भी। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक कार्य हस्तशिल्पी/बुनकर अपनी उत्पाद/फोटो/प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पत्र पर निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के समक्ष में प्रस्तुत करेंगे। पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र तीन प्रतियों में निर्धारित शुल्क के साथ रू0 50/– का पोस्टल ऑर्डर/ड्राफ्ट महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के नाम से देय होगा। चयन प्रक्रिया– जिला स्तरीय पुरस्कार के चयन हेतु जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार के चयन हेतु उद्योग निदेशक उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के माध्यम से पुरस्कार का चयन किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENT...

वित्तीय प्रोत्साहन सहायता–

राज्य में अधिकतम निवेश आकर्षित करने एवं अन्य राज्यों से सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन निम्नानुसार वित्तीय प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करेगी–

1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी॰पी॰आर॰) सहायता – राज्य में स्थापित होने वाले चिन्हित क्षेत्रों के नये सूक्ष्म उद्यमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी॰पी॰आर॰) तैयार करने हेतु सहायता दी जायेगी। इसके लिए उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा परामर्शदाताओं (**Consultants**) का सूचीबद्धन (**Empanalment**) किया जायेगा। राज्य में स्थापित होने वाले सूक्ष्म उद्यमों द्वारा सूचीबद्ध परामर्शदाताओं से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाने पर शुल्क के रूप में होने वाले व्यय की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सम्बन्धित उद्यमों को उनके वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त दावा प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

2. स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति ए, बी, सी व डी श्रेणी के जनपदों/क्षेत्रों में चिन्हित क्षेत्रों के नये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमी द्वारा भूमि खरीदने/पट्टे पर लेने/क्रय करने/हस्तान्तरण के रूप में प्राप्त करने पर अदा किये गए स्टाम्प शुल्क की निम्नवत् प्रतिपूर्ति, उद्यम स्थापना के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् इकाई द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर देय होगी–

जनपद/क्षेत्र की श्रेणी	स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति प्रतिशत
श्रेणी–ए	100 प्रतिशत
श्रेणी–बी	100 प्रतिशत
श्रेणी–सी	75 प्रतिशत
श्रेणी–डी	50 प्रतिशत

3. पूंजीगत उपादान: राज्य में स्थापित होने वाले चिन्हित क्षेत्रों के नये अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण करने वाले विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा कार्यस्थल भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपकरण में किये गए अर्हकारी पूंजी निवेश के आधार पर, निम्नानुसार पूंजीगत उपादान सहायता देय होगी–

इकाई श्रेणी →	सूक्ष्म	लघु		मध्यम
जनपद/क्षेत्र श्रेणी ↓	संयंत्र व मशीनरी/उपकरण में रु. 01 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/उपकरण में रु. 01 करोड़ से अधिक रु. 05 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/उपकरण में रु. 05 करोड़ से अधिक रु. 10 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/उपकरण में रु. 10 करोड़ से अधिक रु. 50 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम
श्रेणी–ए	अर्हकारी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 30 लाख)	रु. 30 लाख + रु. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त अर्हकारी पूंजी निवेश का @ 25 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.30 करोड़)	रु. 1.30 करोड़ + रु. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त अर्हकारी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम रु. 2.30 करोड़)	रु. 2.30 करोड़ + रु. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त अर्हकारी पूंजी निवेश का @ 17.5 प्रतिशत (अधिकतम रु. 04 करोड़)

	श्रेणी–बी	स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम रु. 40 लाख)	रु. 40 लाख + रु. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 25 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.20 करोड़)	रु. 1.20 करोड़ + रु. 08 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 10 प्रतिशत (अधिकतम रु. 02 करोड़)	रु. 02 करोड़ + रु. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 2.50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 03 करोड़)
	श्रेणी–सी	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 30 लाख)	रु. 30 लाख + रु. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 12.50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 80 लाख)	रु. 80 लाख + रु. 08 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 05 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.20 करोड़)	रु. 1.20 करोड़ + रु. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 02 प्रतिशत (अधिकतम रु. 02 करोड़)
	श्रेणी–डी	स्थायी पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत (अधिकतम रु. 20 लाख)	रु. 20 लाख + रु. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 10 प्रतिशत (अधिकतम रु. 60 लाख)	रु. 60 लाख + रु. 06 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 06 प्रतिशत (अधिकतम रु. 90 लाख)	रु. 90 लाख + रु. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 1.50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.50 करोड़)

- इस नीति के अन्तर्गत "प्राथमिकता श्रेणी" के रूप में चिन्हित नई विनिर्माणक उद्यमों की स्थापना पर 5 प्रतिशत (अधिकतम सूक्ष्म उद्यम– रू0 5 लाख, लघु उद्यम– रू0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– रू0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।
- इस नीति के अन्तर्गत "अति-प्राथमिकता श्रेणी" के रूप में चिन्हित नई विनिर्माणक उद्यमों को श्रेणी–ए अथवा बी के जनपद/क्षेत्र में स्थापना पर 10 प्रतिशत (अधिकतम सूक्ष्म उद्यम– रू0 10 लाख, लघु उद्यम– रू0 15 लाख तथा मध्यम उद्यम– रू0 20 लाख) तथा श्रेणी–सी व डी के जनपद/क्षेत्र में स्थापना पर 5 प्रतिशत (अधिकतम सूक्ष्म उद्यम– रू0 5 लाख, लघु उद्यम– रू0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– रू0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।
- इस नीति के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणी की नयी एंकर (**Anchor**) इकाई एवं अनुषंगी / सहायक (**Ancillary**) इकाईयों की स्थापना पर एंकर इकाई तथा सभी नयी सहायक इकाईयाँ (यदि वे चिन्हित उद्यम श्रेणी में सम्मिलित हैं) को 5 प्रतिशत (अधिकतम सूक्ष्म उद्यम– रू0 5 लाख, लघु उद्यम– रू0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– रू0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।
- इस नीति के अन्तर्गत राज्य में स्थापित होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांग के स्वामित्व वाली इकाईयों को 5 प्रतिशत (अधिकतम सूक्ष्म उद्यम– रू0 5 लाख, लघु उद्यम– रू0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– रू0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।
- किसी भी उद्यम द्वारा इस नीति के अन्तर्गत घोषित विशिष्ट श्रेणी में से एक श्रेणी का ही लाभ लिया जा सकेगा।
- पूंजीगत उपादान सहायता की गणना हेतु स्थायी पूंजी निवेश के लिए आवेदनकर्ता भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी में कुल पूंजी निवेश को आंगणन में लिया

	जायेगा, परन्तु इकाई की पात्रता श्रेणी (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम) का निर्धारण मात्र संयंत्र एवं मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर किया जायेगा। स्थायी पूंजी निवेश के रूप में "भूमि एवं भूमि विकास" में किये गये निवेश को पूंजी उपादान के लिये आगणन में नहीं लिया जायेगा।
•	विनिर्माणक क्षेत्र के ऐसे सूक्ष्म उद्यम, जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पीएमएफएमई (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme) अथवा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (एमवाईएसवाई) के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकता है, को वरीयतः इन योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। यदि ये इकाईयां एमएसएमई नीति-2022 की अनुमन्य गतिविधियों में भी सम्मिलित हैं, तो बैंकों द्वारा अनुमोदित परियोजना के कार्यशाला भवन, संयंत्र व मशीनरी/उपकरण मद के लिए स्वीकृत/वितरित बैंक ऋण पर अनुमन्य मार्जिन मनी (अनुदान) को, एमएसएमई नीति-2022 में अनुमन्य कुल पूंजीगत उपादान में से घटाकर अवशेष धनराशि टॉप-अप सहायता के रूप में दी जायेगी।
•	यदि भारत सरकार द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले उद्यमों के लिए कोई नयी नीति जारी की जाती है तो, उक्त नीति में अनुमन्य विशिष्ट प्रोत्साहन/उपादान को एमएसएमई नीति-2022 में देय वित्तीय प्रोत्साहन से समायोजित किया जायेगा।
•	पूंजीगत उपादान सहायता का वितरण –
•	सूक्ष्म उद्यम – वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि के उपरान्त, आगामी 2 वर्षों में, 2 समान किश्तों में।
•	लघु एवं मध्यम उद्यम – वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि के उपरान्त, आगामी 3 वर्षों में, 3 समान किश्तों में।
2.	ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति – प्रदेश में स्थापित होने वाले विनिर्माण श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपकरण में स्थायी पूंजी निवेश के लिए पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण (Term Loan) पर निम्नवत् ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति अधिकतम 5 वर्ष तक देय होगी-

जनपद / क्षेत्र श्रेणी	ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति मात्रा / सीमा		
	सूक्ष्म उद्यम	लघु उद्यम	मध्यम उद्यम
ए	4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 7 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
बी	4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 4 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
सी	4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 3 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
डी	4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 2 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

3.	विद्युत ड्यूटी में छूट – राज्य में स्थापित होने वाले विनिर्माण श्रेणी के नये उद्यम, जिनमें स्वीकृत विद्युत भार 100 किलोवाट हो, को 5 वर्षों तक विद्युत ड्यूटी में छूट दी जायेगी।
4.	गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति – राज्य में स्थापित होने वाले विनिर्माण श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई0एस0ओ0/आई0एस0आई0/बी0आई0एस0/पेटेंट/क्वालिटीमार्किंग/ट्रेडमार्क/कॉपीराइट/एफ0एस0एस0ए0आई0

	/प्रदूषण नियंत्रण/जेड–Zero Effect Zero Defect आदि) प्राप्त करने पर इकाई द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 1 लाख प्रति इकाई की प्रतिपूर्ति देय होगी।
5.	मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति – श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले कृषि एवं उद्यान आधारित नये खाद्य प्रसंस्करण तथा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्यमों को राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थित मण्डी से कच्चा माल क्रय करने पर इस पर लगने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति अधिकतम 5 वर्ष तक निम्नवत् देय होगी–

जनपद/क्षेत्र की श्रेणी	मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति मात्रा
श्रेणी–ए	60 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)
श्रेणी–बी	60 प्रतिशत (अधिकतम रु. 3 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)

अनुलग्नक–4

श्रेणी–ए :

- जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।

श्रेणी–बी

- जनपद अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण भू–भाग।
- जनपद टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय बहुल भूभाग।
- जनपद नैनीताल (भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखलकाण्डा विकासखण्ड) तथा जनपद देहरादून (चकराता विकासखण्ड)।

श्रेणी–सी

- जनपद टिहरी का मैदानी भाग (कालदाल, तपोवन, मुनी की रेती एवं उससे जुड़े फकोट विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र)।
- जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।
- जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।

श्रेणी–डी

- जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भू–भाग।
- जनपद नैनीताल के रामनगर, हल्द्वानी विकासखण्ड, नगर निगम हल्द्वानी, नगरपालिका लालकुआं, नगरपालिका रामनगर तथा कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र। जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा देहरादून नगर निगम के क्षेत्र।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				उपरांत दस्तावेज जमा होते हैं। आवेदक द्वारा होमस्टे निर्माण/नवीनीकरण का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक पर्यटन अधिकारी को लिखकर सूचित किया जाता है। उसके बाद सभी आवेदक को होमस्टे में पंजीकरण करायेगा तत्पश्चात जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक द्वारा संयुक्त निरीक्षण एवं परियोजना पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त उसके अनुदान जमा करने के बाद होमस्टे में आगन्तुकों के ठहराने का कार्य शुरू करेगा तथा विभाग द्वारा सब्सिडी बैंक को किश्त खाते में दी जाती है।
2.	ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम- स्टे अनुदान योजना	वर्ष 2020 से प्रारम्भ इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर से 02 किमी0 की परिधि में आने वाले ग्राम, इस योजना से लाभान्वित किये जाते हैं। चिन्हित रूट पर होमस्टे हेतु भवन निर्माण हेतु रू0 60,000/- प्रति कक्ष तथा पुराने भवन की साज-सज्जा की जानी है तो ऐसी दशा में प्रति कक्ष रू0 25,000/- अधिकतम 06 कक्षों के लिये अनुदान की व्यवस्था है।	एक ग्राम जोकि पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर से 02 किमी0 की परिधि में आने वाले गांवों पर ही लागू होती है तथा यह गांव शहरी क्षेत्रों से बाहर हो। इसमें आयु सीमा की बाध्यता नहीं है। आवेदक ट्रैक्शन सेंटर के पास पड़ने वाले गांव का मूल निवासी हो। आवेदक स्वयं परिवार सहित प्रस्तावित होम-स्टे में निवास करता हो या करेगा। अनिवासी हेतु न्यूनतम एक एवं	विभाग द्वारा अधिसूचित गांवों के निवासियों द्वारा आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केन्द्र से प्राप्त किये जाते हैं। आवेदन प्रारूप के साथ स्थायी निवास/आयु प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, अनु0 जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), उत्तराखण्ड के मूल निवासी जहाँ भवन का होना सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, भूमि/भवन सम्बन्धी प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केन्द्र में आवेदन जमा करने के उपरान्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होती है। गठित समिति द्वारा चयनित आवेदक को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तथा इंटरव्यू में सही पाये जाने पर आवेदकों का चयन किया जाता है। तत्पश्चात सम्बन्धित आवेदकों द्वारा कार्य पूर्ण करने पर विभाग द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा

PROGRAMME IMPLEMENTATION

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हतायें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			अधिकतम 6 कक्षों की व्यवस्था की गई है। होम-स्टे का विभाग में पंजीकरण की अवधि मान्य बनाये एवं नवीनीकरण कराना होगा। पारम्परिक पहाड़ी शैली के निर्मित/डिजाइन भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।	निरीक्षण/परीक्षण किये जाने के उपरान्त सही पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति के पश्चात विभाग द्वारा होम स्टे बनाने हेतु धनराशि सम्बन्धित आवेदक के खाते में भुगतान की जाती है। **ग्रामों का चिन्हीकरण-** जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी (जिसमें जिला पर्यटन विकास अधिकारी सदस्य सचिव होते हैं) ग्रामों को चिन्हित करती है अथवा यदि कोई ग्राम ट्रैकिंग मार्ग से 02 किमी. की परिधि के अन्तर्गत चिन्हित हो रहे हों तो सम्बन्धित ग्रामप्रधान/क्षेत्र प्रमुख/जिलापंचायत सदस्य/प्रस्ताव विभाग को भेजते है तथा उसके उपरान्त पर्यटन अधिकारी जांच करता है जांच के दौरान ट्रैकिंग ट्रैक्शन मार्ग के लिए सम्बन्धित ग्राम को निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाती है। बैठक कार्यवृत्त तथा प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को भेजा जाता है। परिषद द्वारा सम्बन्धित ग्रामों की जांच की जाती है सही पाये जाने पर परिषद सम्बन्धित ग्रामों को अधिसूचित करता है।
4.	**अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम-स्टे) पंजीकरण**	इसके अन्तर्गत राज्य के ऐसे भवन स्वामी जो अपने भवन के अधिकतम 6 कक्षों को पर्यटकों हेतु उपलब्ध कराने का इच्छुक हों, वो पर्यटन विभाग के होमस्टे में पंजीकृत कर किसी भी अतिथि को रात्रिविश्राम-भोजन की व्यवस्था शुल्क प्राप्त कर उपलब्ध कराई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को आवास-भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा सुदूर क्षेत्रों के ग्रामीण लोगों को घर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। पंजीकरण के उपरान्त सम्बन्धित आवास विभाग की वेबसाइट पर होम स्टे की सूची में आ जाता है जिससे कोई भी अतिथि विभागीय वेबसाइट से सूचना प्राप्त कर, वहां विश्राम कर सकता है।	शहरी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक होगा। आवासीय इकाई पूर्ण आवासीय परिसर को स्वयं भवन स्वामी अपने परिवार सहित उसमें	अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम- स्टे) में पंजीकरण ऑनलाइन uttarakhandtourism.gov.in> Trade > Homestay Registration में होता है जिसके लिए आधार, पैन, आवास, बैंक पासबुक आदि अनिवार्य है तथा पंजीकरण के दौरान आवेदन पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक शपथ-पत्र, मैप्स/फोटो, स्वीकृत मानचित्र की प्रमाणित (सत्यापित), होम-स्टे की फोटो (होम-स्टे का नाम सहित, कमरों की बाहर-भीतर, शौचालय, किचन की फोटो), भू-स्वामित्व की प्रति (खतौनी/रजिस्ट्री अभिलेख), देय फायर सुरक्षा का पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट (पुरानी इकाई की दशा में), पंजीकरण शुल्क- 500 रु0

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएँ	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			निवास करता हो। कंपनियों के लिए न्यूनतम एक तथा अधिकतम 6 कक्षों की व्यवस्था की गई हो। आवासीय इकाई में शौचालय, स्नानघर आदि की व्यवस्था हो। आवासीय इकाई न्यूनतम मानक के अनुसार साफ-सुथरी, सुविधायुक्त तथा उपकरणों से सुसज्जित तथा प्रदूषण मुक्त से निर्मित होनी चाहिये।	NIC/ऑनलाइन/ऑफलाइन जिला प्रशासन द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, फायर विभाग/ NOC/Fire Extinguisher का जिला पर्यटन विकास अधिकारी के स्तर पर निरीक्षण, सत्यापन उपरान्त होगा। उसके उपरान्त निर्धारित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा पंजीकरण संख्या आवेदक को उपलब्ध कराई जाती है। पंजीकरण के पश्चात अतिथियों को आवास में ठहराने हेतु सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।
4.	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना	इस योजना के अन्तर्गत वाहन मद (साधारण बस, टैक्सी, मैक्सी, इलेक्ट्रिक बस) तथा गैर वाहन मद (होटल/पेइंग गेस्ट हाउस, मोटरगैराज/वर्कशाप निर्माण, फास्ट फूड सेन्टरों की स्थापना, साहसिक क्रीड़ा उपकरण केन्द्रों की स्थापना, टायलेट/शौचालय (पीपीपीमोड) सुविधायुक्त आधुनिक पर्यटन सूचना केन्द्रों की स्थापना, हैरीटेज आवासीय सुविधाओं का विकास, स्थानीय प्रतिभागिता वस्तुओं के विक्रय केन्द्रों की स्थापना, बेकरी का संचालित किया जाना, नौकाओं की स्थापना, पर्वतारोहण हेतु ट्रैकिंग उपकरण, स्कीइंग एवं अन्य साहसिक हेतु उपकरणों का क्रय, हर्बल टूरिज्म, कैरावैन/टेन्ट का क्रय एवं संचालन, कैरावैन/मोटर होम टूरिज्म, एंगलिंग उपकरणों का क्रय, सांस्कृतिक वस्तु (मिनीटीलिया) द्वारा संग्रहालय का निर्माण एवं लैबोरेटरी/ क्लीनिक केन्द्र की स्थापना, फ्लोटिंग होटल का निर्माण, ट्रैकिंग उपकरणों, टैन्ट इत्यादि को किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु केन्द्रों की स्थापना, उपरोक्त योजनाओं	यह योजना सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू है। इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक/बेरोजगार राज्य का मूल/स्थाई निवासी हो। यदि योजना क्रियान्वयन हेतु भूमि अपेक्षित हो तो भूमि का स्वामी हो, अथवा भूमि आवेदक के निकट सम्बन्धी के नाम होने पर भूमि का इकरारनामा प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध कराना आवश्यक है। परन्तु यदि भू-स्वामी आवेदक के साथ	योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन ऑनलाईन MSY Portal- https://msy.uk.gov.in पर किया जायेगा जेसे आवेदन के दौरान आवेदक के पास आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नंबर, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, फोटो, पहचान प्रमाण, राशन पत्र, पैन कार्ड की जरूरत पड़ता है सम्बन्धी प्रमाण, निवेश प्रमाण, शिक्षा प्रमाण, बैंक खाता प्रमाण, (जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र यदि आवश्यकता हो तो), राशन कार्ड, पक्का आदि की स्थिति में पैन ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अतिरिक्त दस्तावेज आदि उपलब्ध कराने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला पर्यटन विकास अधिकारी के पास जायेगा। जि.प.वि.अ. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आयोजित करने हेतु तिथि निश्चित करेगा तथा उस तिथि को सम्बन्धित आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/आवश्यकता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		के अतिरिक्त क्षेत्र विशेष की आवश्यकता एवं विशेषताओं के अनुरूप कोई नवीन परियोजना भी किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। हेतु निम्नवत अनुदान/सब्सिडी दी जाती है – (क) गैर वाहन मद– पर्वतीय क्षेत्रों में 33 प्रतिशत अधिकतम रू0 33.00 लाख तथा मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अधिकतम 25.00 लाख अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाता है। (ख) वाहन मद– पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 10.00 लाख दिये जाने का प्राविधान किया गया है परन्तु पुश बैक–35 एवं 42 सीटर–2*2 बस/इलेक्ट्रिक बस एवं पुश बैक 26–28 सीटर एवं 42 सीटर (2*2) इलेक्ट्रिक बस/वातानुकूलित बस हेतु 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रू0 20.00 लाख की राजसहायता दिये जाने का प्राविधान किया गया है। यह व्यवस्था केवल बस/इलेक्ट्रिक बस जो कि निर्धारित मानदण्ड पूरा करते हैं पर अनुमन्य होगी तथा बस/इलेक्ट्रिक बसों की संख्या किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50 होगी। योजना में अनुदान का लाभ लिए जाने हेतु कुल लागत का 12.5% Margin Money (आवेदक का अंशदान) होना आवश्यक है।	सहकारी अथवा स्वामित्व के रूप में सहभागी बन के अनुदान की राशि लेकर आवेदक को बैंक लोन, परन्तु पट्टे की भूमि पर भी आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है यदि भूमि विक्रेता की सहमति ऋण प्रदाता की सहमति से अधिक हो जिसमें बैंक अथवा वित्तीय संस्था को किरायेदार व भी कोषागार में स्टाम्प–पंजीकृत का स्टाम्प किये गये प्रतिज्ञा पत्र हैं जो लगभग किसी व्यापार प्रतिष्ठान या भूमि में न लगा हो।	है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा साक्षात्कार लिए जाने के उपरान्त स्वीकृत प्रस्ताव को सम्बन्धित बैंक शाखा, जिससे आवेदक ऋण लेने का इच्छुक है, को ऑन लाईन प्रेषित किया जाता है। उसके उपरान्त बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में बैंक जिला पर्यटन अधिकारी को इस विषय पर सूचित कर संबंधित आवेदक के खाते में ऋण धनराशि उपलब्ध कराता है। आवेदक द्वारा वाहन क्रय/गैर वाहन संपत्ति कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अनुदान हेतु आवेदक सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी को कार्य पूर्ण होने/वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में सूचित करेगा। तदुपरान्त सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच किये जाने का प्राविधान है। कार्य पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त विभाग द्वारा नियमानुसार अनुमन्य अनुदान धनराशि से सम्बन्धित बैंक शाखा को उपलब्ध करायी जाती है। आवेदक कभी भी आवेदन कर सकता है। योजना हेतु बैंक द्वारा ऋण निर्धारित मानक पूर्ण एवं बैंक नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते हैं।
8.	उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2023 की अंतर्गत प्रोत्साहन अनुदान।	उत्तराखण्ड पर्यटन नीति, 2023 के अन्तर्गत निवेशकों को निम्नवत अनुदान अनुमन्य है :– **पूंजीगत अनुदान** Capital Subsidy: प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहित की जाने वाली पर्यटन परियोजनाओं हेतु निम्नवत पूंजीगत अनुदान अनुमन्य होगा – ❖ आवासीय परियोजनाओं में अधिकतम पूंजीगत अनुदान श्रेणी अ– 25 प्रतिशत तक श्रेणी ब– 35 प्रतिशत तक	पर्यटन नीति के परिशिष्ट में वर्णित एन०आई०सी० कोड के अन्तर्गत चिन्हित पर्यटन परियोजनाओं, उपभागी एवं सेवाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम निवेश एवं अवस्थापना विकास कार्य।	निवेश प्रोत्साहन सिंगल विंडो सिस्टम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के तहत http://investuttarakhand.uk.gov.in पर सैद्धान्तिक सहमति हेतु (In-principle Approval) हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस हेतु निवेशक द्वारा अपना विस्तृत प्रोजेक्ट के साथ में जानकारी, भूमि की जानकारी तथा किस योजना के तहत लाभान्वित होना चाहता है का विवरण भरा जायेगा। निवेशक को निवेश करने से पूर्व किन

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		श्रेणी ब– 30 प्रतिशत तक अनुदान निम्न विकल्प के अनुसार लिया जायेगा। **a)** अनुमन्य अधिकतम पूंजीगत अनुदान वाणिज्यिक उत्पादन (Comercial Operation Date) की तिथि से 10 समान वार्षिक किश्तों में अर्थात पूंजीगत अनुदान का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष **अथवा** **b)** इकाई द्वारा पिछले 12 महीनों के लिए भुगतान किया गया शुद्ध राज्य वस्तु एवं सेवाकर (SGST) का 75% + अतिरिक्त प्रोत्साहन, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। *वृहद् परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन* i. विपणन और प्रचार के लिए प्रोत्साहन–(अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 01 प्रतिशत की सीमा तक) ii. प्रशिक्षण और कौशल के लिए प्रोत्साहन–(अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 0.5 प्रतिशत की सीमा तक) iii. ब्याज अनुदान –(अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 01 प्रतिशत की सीमा तक) iv. अपशिष्ट उपचार के लिए प्रोत्साहन (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 0.25 प्रतिशत की सीमा तक) v. राज्य द्वारा चिन्हित ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन/डेस्टिनेशनों के समीप के इकाईयां (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 0.25 प्रतिशत की सीमा तक) ❖ पर्यटन सम्पत्तियों और सेवाओं के विकास के लिए पूंजीगत अनुदान– पूंजीगत परिसम्पत्ति का अधिकतम 100 प्रतिशत तक अनुदान निम्न विकल्प के अनुसार लिया जायेगा। **a)** पूंजीगत अनुदान वाणिज्यिक उत्पादन (Comercial Operation Date) की तिथि से 05 समान वार्षिक किश्तों में अर्थात पूंजीगत अनुदान का 20 प्रतिशत	कोई भी पात्र इकाई/निवेशक जो दिशानिर्देशानुसार पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने का इच्छुक हो तथा पर्यटन नीति 2023 तथा पर्यटन नीति की ऑपरेशनल गाईड लाईन के अनुसार निवेश पात्रता प्राप्त करता हो, नीति में अधिसूचित अनुदान प्राप्त कर सकता है। परियोजना क्रियान्वयन हेतु भूमि की आवश्यकता की स्थिति में निवेशक के पास भूमि उपलब्ध हो अथवा भूमि क्रय/लीज द्वारा परियोजना क्रियान्वित की जा सकती है।	इकाईयों की आवश्यकता होगी, का विवरण भी सिंगल विंडो सिस्टम में उपलब्ध रहता है। एम0एस0एम0ई0 50 करोड़ तक अथवा उससे कम के प्रस्ताव (MSME) की स्थिति में महाप्रबंधक, उद्योग विभाग जिला उद्योग केन्द्र को अग्रसारित होता है। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रोजेक्ट का परीक्षण कर सम्बन्धित रेखीय विभागों को सैद्धान्तिक सहमति एवं टिप्पणियों हेतु अग्रसारित किया जाता है। सम्बन्धित रेखीय विभाग प्रासंगिक कर प्रोजेक्ट पर अपनी सहमति/असहमति अपनी टिप्पणी सहित उद्योग विभाग को ऑनलाईन भेजा जाता है। गैर–एम0एस0एम0ई0 परियोजनाओं (50 करोड़ रूपये से अधिक निवेश अथवा समय–समय पर संशोधित) वाले प्रस्ताव सिंगल विन्डो पोर्टल पर नोडल अधिकारी उद्योग निदेशालय भेजे जाते हैं। नोडल अधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय सम्बन्धित रेखीय विभागों को सैद्धान्तिक सहमति/असहमति की टिप्पणी हेतु अग्रसारित किया जाता है। सम्बन्धित रेखीय विभाग प्रासंगिक कर प्रोजेक्ट पर अपनी सहमति/असहमति अपनी टिप्पणी सहित उद्योग विभाग को ऑनलाईन भेजा जाता है। उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के अनुसार एम0एस0एम0ई0 परियोजनाओं (50 करोड़ रूपये से कम या उससे कम निवेश अथवा समय–समय पर संशोधित) हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन जनपद स्तर पर गठित जिला प्राधिकृत समिति (DLEC) द्वारा किया जाता है। उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार गैर एम0एस0एम0ई0 परियोजनाओं के निवेश हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू0पी0सी0एल0)

क्रं	विद्युत सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया/संस्तुति प्रक्रिया
1	**नये विद्युत मीटर (घरेलू) संयोजन/कनेक्शन की प्रक्रिया** **एल0टी0 संयोजन** **एच0टी0 संयोजन**	विद्युत कनेक्शन-बिजली/विद्युत को संबंधित आवास/भवन में सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है। निर्धारित शुल्क जमा कर कनेक्शन लेना होता है।	कोई भी व्यक्ति जो नया विद्युत संयोजन लेना चाहता है, अथवा अस्थायी विद्युत संयोजन लेना चाहता है, अथवा संयोजन में भार वृद्धि/कमी करना चाहता है आवेदन कर सकता है।	विद्युत संयोजन के आवेदन हेतु आवेदक विभाग की वेबसाइट से फार्म डाउनलोड कर सकते हैं या सम्बन्धित क्षेत्र के यूपीसीएल कार्यालय से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग की वेबसाइट (www-upcl-org) पर ऑन लाईन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है। आवेदन के साथ ID Proof (आधार कार्ड, वोटर आई0डी0, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि में से कोई भी एक), Ownership Proof (sale deed, lease deed, registered general power attorney, Municipal tax receipt, Letter of allotment आदि में से कोई एक)। यदि Ownership Proof में इंगित उक्त दस्तावेज में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न होने तो तीन गुणा प्रतिभूति धनराशि जमा करने का भी प्राविधान उपलब्ध है। आवेदन पत्र व वांछित दस्तावेज ऑन लाईन माध्यम से अथवा सम्बन्धित कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। आवेदन व दस्तावेज की जांच करने के उपरान्त आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी। तदोपरान्त विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है, जिसके अनुसार आवेदक को निर्धारित धनराशि ऑनलाईन/ऑफलाईन के माध्यम से भुगतान करनी होती है। सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त विद्युत संयोजन का मीटर संबंधित भवन/ क्षेत्र में लगाया जाता है। यह प्रक्रिया वर्तमान में विभागीय वेबसाइट www.upcl.org के माध्यम तथा अपणि सरकार पोर्टल माध्यम एवं वाणिज्य/औद्योगिक संयोजन हेतु सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से भी संचालित है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

				जनपद पौड़ी में कोटद्वार (ग्रामीण क्षेत्र) के जनपदों हेतु में आर0सेटी0-बैंक की स्थापना की गयी है। शेष जनपद 11 जनपदों में आर0सेटी0-बैंक [illegible] में एक कार्यालय जनपद में मुख्यालय में स्थापित कार्यालयों के माध्यम से [illegible] की स्थापना की गयी है। इस कार्यालय में एक [illegible] निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है— स्वरोजगार हेतु सहयोग, [illegible] परामर्श, विपणन [illegible] सहयोग, [illegible] सहयोग, प्रशिक्षण, व्यापार [illegible], [illegible] निवेश सहयोग, [illegible] हेतु कानूनी अनुपालन
6	बी0पी0एल0 सूची में नाम जोड़ने एवं संशोधन करने एवं हटाने की प्रक्रिया	**बी0पी0एल0 सूची में नाम जोड़ने एवं संशोधन करने एवं हटाने की प्रक्रिया**—शासनादेश सं0 18/ [illegible]/2002 दिनांक 02 मई 2003 द्वारा बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये, जिसमें **गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की गणना हेतु 13 सूचकांक निर्धारित थे,** जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों का बी0पी0एल0 वर्ग उनका ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं में उनको सम्मिलित करने हेतु पात्र परिवारों के चिन्हीकरण की कार्यवाही करना था। बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 निर्धारित स्कोर [illegible] के अनुसार माह मई 2003 से माह सितम्बर 2003 तक सम्पन्न किया गया और शासन द्वारा अनुमोदित सूची विकास खण्ड मुख्यालय में उपलब्ध होते है। मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर रिट पिटीशन 196 आफ 2001 दिनांक 17.2.2006 में दिये गये निर्देश **"Provisions will be made to allow new names to be added and ineligible names deleted from the BPL list 2002 on a continuous basis during the period that the list will be applicable"** एवं शासन के [illegible] दिनांक 02 मार्च 2007 में **अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाया जायेगा तथा नये पात्र व्यक्तियों को सूची में सम्मिलित किया जायेगा,** के एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी के पत्र सं0 4667/ दि0 [illegible].2008 द्वारा निर्गत वर्ष 2008-09 में **समय सारणी निर्धारित** कर [illegible] स्तर पर आपत्तियाँ प्राप्त की गयी, जिनका निस्तारण कर अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाकर नये पात्र व्यक्तियों को सूची में सम्मिलित किया गया था। जिसका प्रकाशन भी कर दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 प्रारम्भ की गयी, जिसके आधार पर वर्तमान में ग्राम्य विकास विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बीपीएल में नाम जोड़ने एवं हटाने की प्रक्रिया 2008-09 के बाद नहीं की गयी है। **बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया**—खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा बी0पी0एल0 सर्वेक्षण-2002 सूची में सम्मिलित ग्रामीण पात्र परिवारों को बी0पी0एल0 परिचय पत्र जारी किये गये। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 प्रारम्भ की गयी, जिसके आधार पर ग्राम्य विकास विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।		
7	सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 SECC सूची	सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 (SECC) में भारत सरकार द्वारा की गयी थी जिसमें मानक निर्धारित कर सर्वे किया गया था। मानक के अनुसार पात्र परिवारों को (SECC) में जोड़ा गया, जिसकी सूची ग्राम्य विकास विभाग के मुख्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं ग्राम विकास अधिकारी के पास उपलब्ध होती है। इस सूची में नाम जोड़ने एवं हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। भविष्य में कुछ वर्षों के उपरान्त ही परिवारों को हटाया/जोड़ा जा सकता है।		

******

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				में जमा कर कमेटी सहायता हेतु आवेदन कर सकता है। सहायक समूह सम्बन्धित समिति द्वारा सहायता हेतु दिये गये आवेदन पत्र विचार कर सम्बन्धित आवेदक की सहायता स्वीकार/अस्वीकार की जाती है। सहायता करने हेतु दूसरी क्षेत्र के [illegible] पहाड़ी के प्रमाणित निवास स्थाई संबंधी प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की आवश्यकता होगी है।
2.	मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना	उत्तराखण्ड के दुरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों को **हरा मक्का के साथ पौष्टिक तत्व मिलाते हुये पैक्ड साइलेज** एवं सम्पूर्ण मिश्रित **पशुआहार तैयार कर रू 2.75 प्रति किग्रा की दर** से उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत साइलेज के विक्रय मूल्य रू0 10.00 प्रति किग्रा पर 75 प्रतिशत अनुदान तथा परिवहन, ढुलान, कुटान आदि व्ययों पर रू0 3.[illegible] प्रति किग्रा की दर से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। फलस्वरूप **सामग्री को रू 2.75 प्रति किग्रा की दर से रियायती उपलब्ध करा रहा है।**	पर्वतीय क्षेत्रों के समस्त पशुपालक/घसियारा योजना मात्र पर्वतीय क्षेत्रों में ही लागू है।	पशुपालक/घसियारा साइलेज की मांग हेतु सीधे सम्बन्धित समिति के सचिव को निर्धारित रूप से प्रपत्र पर [illegible] में अंकित करते हुये साइलेज की मांग करेंगे। **प्राथमिकता के आधार** पशुपालकों को समिति क्षेत्र में निवासरत होने से सम्बन्धित अभिलेख आधार कार्ड आदि उपलब्ध कराने पड़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सहकारी समितियां आपसे दूर होती हैं, दूरस्थ क्षेत्रों की स्थिति में [illegible] द्वारा मांग के उपरान्त आगामी माह दूरभाष/व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है। इस योजना में सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। उक्त अनुसार पशुपालक/घसियारा सहकारी समितियों के कार्यालयों/केन्द्र में निर्धारित शुल्क जमा कर साइलेज/टोटल मिक्स राशन/चारा प्राप्त करेंगे।
3.	मोटर साईकिल टैक्सी योजना	बेरोजगारों को स्वरोजगार पर्यटक स्थलों में पर्यटक/यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने व छोड़ने हेतु स्कूटर अथवा मोटर साईकिल को क्रय करने हेतु 1 वर्ष तक कुल धनराशि का 38	आवेदक उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 55 वर्ष से कम हो। आवेदक के पास परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध लाइसेन्स हो। आवेदक किसी वित्तीय	आवेदक स्कूटर अथवा मोटर साईकिल खरीदने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के सहकारी बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त करेगा। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, कोटेशन तथा उसमें मोटरसाईकिल की एक्सशोरूम कोटेशन, ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रतियों का विवरण संलग्न करेगा तथा संबंधित बैंक में ही जमा करेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद जांच उपरान्त आवेदन पत्रों को जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हतायें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		प्रतिशत अथवा रू0 1.25 लाख जो भी कम हो, प्रति स्कूटर/ मोटर साइकिल पर ब्याजमुक्त ऋण दिया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत धनराशि आवेदक के पास होनी चाहिए। आवेदक अधिकतम 10 स्कूटर/ मोटरसाइकिल खरीद सकता है।	संस्था/सहकारी संस्था का कारोबार न हो। आवेदक का न्यूनतम सिबिल (क्रेडिट स्कोर एजेन्सी) स्कोर 700 से कम न हो।	स्थानीय कमेटी के समक्ष चयन के लिये प्रस्तुत किया जाता है। कमेटी द्वारा चयनित आवेदकों के आवेदन पत्र जिला सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय के माध्यम से सम्बन्धित बैंक शाखाओं को प्रेषित किये जायेंगे। सम्बन्धित शाखाओं द्वारा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए ऋण स्वीकृति पर निर्णय करते हुए स्वीकृत ऋण की धनराशि सीधे उस संस्था/फर्म को चैक के माध्यम से [illegible] भुगतान किया जाता है। ऋण की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी। ऋण की वसूली ऋण वितरित करने की तिथि से [illegible] माह के बाद से अधिकतम 36 समान किश्तों में की जायेगी।
4	ई-रिक्शा कल्याण योजना	बेरोजगार युवक/ युवतियों को ई-रिक्शा क्रय हेतु 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत बचत खाता में मात्र 12 रूपये वार्षिक प्रीमियम पर 02.00 लाख रू0 के सुरक्षा बीमा का लाभ प्राप्त होगा। 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वर्ग के लाभार्थी बचत खाते पर मात्र 330 रू0 प्रीमियम जमा करने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा से लाभान्वित हो सकते हैं।	योजना के लिये स्थानीय बेरोजगार पात्र होंगे। उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो। पात्र व्यक्ति का स्वयं का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स। लाभार्थी की आयु अधिकतम 55 वर्ष हो।	आवेदक ई-रिक्शा खरीदने हेतु ऋण लेने के लिए क्षेत्र के नजदीकी सहकारी बैंक में आवेदन फार्म प्राप्त करेगा तथा आवेदक का सम्बन्धित सहकारी बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य होगा तथा आवेदक एवं 2 गारन्टी [illegible] बैंक का नाममात्र सदस्य बनाया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन फॉर्म के साथ [illegible] कोटेशन, दो गारन्टरों का विवरण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासबुक बैंक या बैंक खाता विवरण, वोटर आई0डी0 जिसमें स्थानीय पता अंकित हो अथवा बिजली का बिल, पानी का बिल जो पात्र व्यक्ति से सम्बन्धित हो प्रस्तुत करना होगा एवं वैध ड्राइविंग लाइसेन्स भी देना होगा। आवेदक के ऐसे कोई दस्तावेज जो शहरी अथवा अर्द्धशहरी/ ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हों तथा किराये पर हों उन्हें किरायेनामे का प्रमाण पत्र तथा उत्तराखण्ड स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। उक्त दस्तावेजों के साथ बैंक में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पत्र सही पाये जाने पर बैंक द्वारा धनराशि सीधे डीलर को प्रदान की जाती है तथा इसके उपरान्त लाभार्थी को [illegible] किश्त/ प्रतिमाह की किश्त बनाकर आवेदक 9 प्रतिशत ब्याज सहित धनराशि जमा करना होगा।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

मोटे अनाज में मंडुवे की खेती को बढ़ावा देने के मकसद से ग्राम [illegible] में 'लाइन सोइंग' विधि से मंडुआ की बोआई करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।
दिनांक 11 जून, 2023

जनपद टिहरी में मा0 मुख्यमंत्री जी पॉवर वीडर (आधुनिक कृषि यंत्र) के माध्यम से खेत की जुताई करते हुए

कृषि विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kissan)	इसके अन्तर्गत किसानों के बैंक खाते में सालाना 6 हजार रूपये (रू0 6000/—) ट्रांसफर किये जाते हैं। प्रति 4 माह में रू0 2000/— दिये जाते हैं।	प्रदेश के समस्त भूमि धारक किसान, जिनके नाम पर राजस्व अभिलेखों में जमीन हो। आर्थिक रूप से सम्पन्न निम्न वर्ग के लोग इस योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे :— सभी संस्थागत भूमिधारक, ऐसे किसान जिनके परिवार का कोई भी सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत है, पात्र नहीं होंगे :— (क)संवैधानिक पदों पर पूर्व में कार्यरत रहे तथा वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति। (ख) पूर्व तथा वर्तमान मंत्री/ राज्यमंत्री, पूर्व तथा वर्तमान लोक सभा/ राज्य सभा सदस्य/ विधान सभा/ विधान परिषद सदस्य, पूर्व तथा वर्तमान मेयर/ नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व तथा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष।(ग) केंद्र सरकार/ राज्य सरकार के मंत्रालयों/ कार्यालयों/ विभागों/ क्षेत्रीय इकाईयों के समस्त कार्यरत/ सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केंद्र / राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सम्बद्ध कार्यालयों	आवेदक/ पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ लेने हेतु सर्वप्रथम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट/ पोर्टल पर www.pmkisan.gov.in पर पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण करने हेतु आधार संख्या एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है यदि आधार लिंक मोबाइल नंबर न हो तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकरण के उपरान्त निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :—किसान के नाम पर जमीन होने सम्बंधी दस्तावेज (खसरा खतौनी में सम्बंधित किसान का नाम होना अनिवार्य है।), बैंक खाता जो आधार से लिंक हो तथा आधार सीड हो, राशन कार्ड संख्या। उक्त योजना में पंजीकरण करने के उपरान्त विभागीय स्तर से जांच की जाती है, जांच में दस्तावेज सही पाये जाने पर केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि सीधे किसान के खाते में भुगतान की जाती है। यदि कोई किसान स्वतः पंजीकरण करने में सक्षम नहीं है तथा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी पंजीकरण करने में असमर्थ है तो नजदीकी सहायक कृषि अधिकारी/

क्र.	योजना का नाम	उद्देश्य	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			राज्य/ केंद्र के अन्तर्गत स्वायत्त उपक्रम के अधिकारी/ कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक (मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी अथवा श्रेणी घ को छोड़कर (ङ) सभी सेवानिवृत्त/ अधिवार्षिता आयु पूर्ण कर चुके पेंशनधारी जिनकी पेंशन प्रतिमाह रू0 10,000 अथवा रू0 10,000 से अधिक हो (मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी अथवा श्रेणी घ को छोड़कर)। (च) गत वर्ष के आयकर दाता। (छ) प्रोफेशनल्स सर्विसेज जैसे– डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा आर्किटेक्ट जो किसी पेशेवर उपक्रम (प्रोफेशन बॉडी) में पंजीकृत हों तथा पेशे से सम्बंधित प्रैक्टिस कर रहे हों।	जनपदीय कृषि अधिकारी कार्यालय में समस्त दस्तावेज ले जाकर ऑनलाइन आवेदन करने में विभाग द्वारा सहयोग किया जाता है। पीएमकिसान हेल्पलाइन नं0 155261 एवं 011– 24300606 के टोलफ्री नंबर पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)	पुरूष और स्त्री दोनों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कम से कम 3000.00 (रू0 तीन हजार) प्रत्येक माह पेंशन के रूप में प्राप्त होते हैं। परन्तु इस हेतु 18 से 40 वर्ष की उम्र के भीतर पंजीकरण करना होता है एवं रू0 55 से 200 प्रतिमाह पेंशन निधि में अंशदान (किसान द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि) कुल 60 वर्ष तक जमा करना होता है तथा उतनी ही धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान की जाती है।	सभी छोटे एवं सीमांत किसान (जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन हो) तथा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है। राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि होनी चाहिए एवं किसान का नाम अभिलेखों में दर्ज हो। किसान आयकर दाता न हो।	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र लाभार्थी किसान वेबसाइट www.pmkmy.gov.in पर जाकर स्वयं अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र (C.S.C.) में सम्पर्क कर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण करने हेतु आधार संख्या एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है, यदि आधार लिंक मोबाइल नंबर न हो

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				हेतु समय पर बीमा प्रीमियम का भुगतान, फसल बीमा में उल्लेखित सभी शर्तों और नियमों का पालन करें।
4	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE)	किसानों को समय–समय पर आधुनिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि प्रदर्शनी, मेले, कृषक गोष्ठी का आयोजन एवं किसानो को एक्सपोजर विजिट पर भी ले जाया जाता है। कृषक वैज्ञानिक संवाद कराया जाता है। फार्म स्कूल–जिसमें प्रदर्शनी हेतु कृषक को निःशुल्क बीज, खाद तथा रसायन उपलब्ध कराया जाता है तथा वहां पर 30 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रगतिशील कृषक जो खेती–बाड़ी में अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। प्रमाण पत्र के साथ निम्नानुसार धनराशि दी जाती है– विकासखण्ड स्तर रु0 10,000 (दस हजार मात्र)–किसान श्री जनपद स्तर रु0 25,000 (पच्चीस हजार मात्र) किसान भूषण राज्य स्तर रु0 50,000 (पचास हजार मात्र)– किसान रत्न	प्रदेश के किसान को इस योजना का पात्र माना जायेगा। किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा किसान का नाम भूमि संबंधी दस्तावेजो में दर्ज होना चाहिए।	किसान यदि प्रशिक्षण/एक्सपोजर विजिट/ कृषि वैज्ञानिक संवाद प्राप्त करना चाहता है तो अपने जनपद के न्याय पंचायत या सहायक कृषि अधिकारी विकासखण्ड स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी इकाई स्तर पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी तथा जनपद में मुख्य कृषि अधिकारी/ परियोजना निदेशक (आतमा) के नाम से प्रशिक्षण हेतु पत्र लिखकर आवेदन कर सकता है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरांत विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र के कृषि विज्ञान केन्द्र/ अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। किसान पुरस्कार प्राप्त करने हेतु जनपद के कृषि कार्यालयों द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तथा विज्ञापन के उपरांत एडीओ कृषि/ विकास खंड कृषि कार्यालय/ जनपद स्तरीय कृषि कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सकते है तथा निर्धारित अवधि के भीतर, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो, कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य

क्र.	योजना का नाम	उद्देश्य	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				संबंधी प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, राज्य के बाहर विजिट करने संबंधी प्रमाण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड/पशु नस्ल सुधार कार्ड, यदि किसान क्रेडिट कार्ड लिया हो तो तत्संबंधी विवरण, फसलबीमा/पशु बीमा कराया हो तो तत्संबंधी प्रमाण, स्वप्रमाणित पासपोर्ट फोटो, किसी समिति/संगठन के सदस्य हों तो उसका विवरण, तथा फसल उत्पादन, उससे होने वाले लाभ, जमीन आदि विवरण संलग्न कर जनपद स्तरीय कार्यालय में जमा करना पड़ता है। जमा करने के उपरांत कृषकों का चयन ब्लॉक स्तर पर गठित कृषक सलाहकार समिति की खुली बैठक में विभागीय अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है तथा अन्तिम अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित Governing body Board Meeting (आतमा शासी निकाय की बैठक) में किया जाता है।
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत खेती के रकबे का विस्तार, चावल, गेहूं, दालों और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। इस योजना के तहत क्लस्टर प्रदर्शन, बीज वितरण, पौध एवं मृदा प्रबन्धन, यंत्र वितरण, कृषक प्रशिक्षण	प्रदेश के किसान को ही इस योजना का पात्र माना जायेगा। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा जमीनी दस्तावेजों में नाम होना अनिवार्य है।	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व नाए जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है, किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकता है तथा प्रस्ताव पास होने पर संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शन तथा कस्टम हायरिंग हेतु सहायता दी जाती है। योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार अनुदान कृषकों को देय है :— क्लस्टर प्रदर्शन— • रू0 9000 प्रति है0 (धान,गेहूं व मक्का) • 8000 प्रति है0 (मोटा अनाज, पौष्टिक अनाज व सोयाबीन) • रू0 3000 प्रति है0 (तोरिया/सरसों/ राई/तिल)		कराया जाता है एवं विभाग संबंधित किसान को बीज, कीटनाशी, कृषि यंत्र आदि दिये जाते हैं। यदि किसान किसी ग्राम सभा/ जनप्रतिनिधि के माध्यम से न आना चाहे, तो वह संबंधित न्यायपंचायत के कृषि निवेश केन्द्र से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

क्र0	कार्य मद	अनुदान के मानक
1	क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड प्रदर्शन	रू0 15000 प्रति है0
2	बीज वितरण	धान(संकर)–संकर बीज एवं उन्नत प्रजाति बीज मूल्य का 50% या रू0 5,000/कुन्तल जो भी कम हो
		सोयाबीन/मंडुआ/बाजरा/मक्का–मूल्य का 50% या रू0 4000/कुन्तल जो भी कम हो
3	बीज उत्पादन (10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियाँ)	अरहर मूंग उड़द चना मटर मसूर आदि– मूल्य का 50 % या रू0 5000.00 प्रति कु0 जो भी कम हो जौ/मडुआ/मक्का/बाजरा —मूल्य का 50 % या रू0 2000.00 प्रति कु0 जो भी कम हो तिलहन– आधारित बीज उत्पादन (मूल्य का 50% या रू0 2500 प्रति कु0 जो भी कम हो) प्रमाणित बीज उत्पादन (मूल्य का 50% या रू0 2500 प्रति कु0 जो भी कम हो)
4	पोषक एवं भूमि प्रबन्धन	सूक्ष्म पोषक तत्व भूमि सुधारक रसायन एवं जैव रसायन खरपतवारनाशी कीटनाशी–मूल्य का 50% या रू0 500/हैक्टेयर जो भी कम हो
5	यंत्र वितरण एवं जल प्रबंध यंत्र—	जीरो टिलेज सीड ड्रिल, पॉवर वीडर, सीड ड्रिल, मल्टी क्रॉप प्लान्टर, रोटावेटर, स्प्रिंकलर सेट, मोबाइल रेन गन, पम्प सेट आदि मूल्य का 50% /एन0एफ0एस0एम0 मानक के अनुसार
6	कृषक प्रशिक्षण—	रू0 3500/सत्र या रू0 14,000 प्रति प्रशिक्षण
7	सिंचाई प्रबन्धन—	50 घन मी0 अथवा 50000 लीटर क्षमता के जल संग्रहण टैंक हेतु सहायता (एन0एफ0एस0एम0 के मानकों के अनुसार रू0 1.50 लाख/है0
8	स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शन	रू08000/है0

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / आवश्यकता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
8	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.)	योजनान्तर्गत मुख्य रूप से बीज उपलब्ध (सभी फसलों के 50 प्रतिशत सब्सिडी पर), फसल उत्पादन (सभी फसलों के बीज 50 प्रतिशत सब्सिडी पर), जैविक खेती (वर्मी कम्पोस्ट खाद, जैविक किट 50 प्रतिशत सब्सिडी पर) एवं बहुउद्देशीय जल संग्रहण टैंकों का निर्माण किया जाता है, इसमें भी 50 प्रतिशत प्रमाणित सब्सिडी ही दी जाती है।	प्रदेश का किसान होना चाहिए। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा जमीनी दस्तावेजों में नाम होना अनिवार्य है।	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है। किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकता है तथा प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत कराया जाता है एवं विभाग द्वारा जांच करने के उपरान्त संबंधित किसान को बीज, वर्मी कम्पोस्ट खाद, टैंक निर्माण आदि दिये जाते हैं। लाभान्वित किसान द्वारा जांच करने के बाद किसान बीज खाद पंचायत स्तर के कृषि विक्रय केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा टैंक निर्माण विभाग द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर बनवाया जाता है।
9	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (S.H.C.)	प्रदेश के समस्त कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) उपलब्ध कराना। किसान के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है। सभी 13 जनपदों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। किसानों को यह जानकारी प्रदान की जाती है कि उनके खेत की मिट्टी के अन्दर कितनी मात्रा में क्या चीज है एवं कौन फसल के लिए कितनी खाद और किस तरह की खाद का उपयोग किया जाता है। कृषकों की मिट्टी का नमूना जांच निःशुल्क है।	प्रदेश के समस्त भूमिधर कृषक जो कृषि कार्य से जुड़े हों।	सबसे पहले किसान को अपने खेत की मिट्टी का नमूना लेना होता है जिसकी प्रक्रिया निम्न है – किसान अपने खेत में 6 जगह चिन्हित करें जहां से वह नमूना लेना चाहते हैं उसके बाद जिस जगह से नमूना लेना है वह जगह साफ करें जैसे-मिट्टी के ऊपर की घास आदि। मृदा जांच हेतु सूखी मिट्टी प्रयोग में लायी जाती है। यदि एकत्रित किया गया मृदा नमूना नमीयुक्त हो तो उसे छाया में सूखा लिया जाता है जिससे नमूना धातु मुक्त हो जाये।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		पर्वतीय क्षेत्रों में 2.5 हेक्टेयर अथवा इससे कम तक की कृषि जमीन के लिए एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है तथा मैदानी क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर तक की जमीन के लिए एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है तथा यह कार्ड 03 वर्ष तक वैध होता है।		नमूना लेने के लिए फावड़े या खुरपी से 6 इन्च गहरा, 6 इन्च लम्बा और 4 इन्च चौड़ा वी0 आकार का गड्ढा बना लें। अब इस गड्ढे के किनारे–किनारे दीवार से ऊपर से नीचे लगभग 1–2 इंच मिट्टी इकट्ठा कर लें इस इकट्ठा की गयी मिट्टी को निकाल कर साफ जगह पर रख लें। इस तरह से खेत के 6 जगह से मिट्ट इकट्ठी करनी है। मिट्टी इकट्ठा कर ले तो सभी को अच्छी तरह मिल ले और उनमें से कंकड़ पत्थर या घास व जड़ हो तो उसे हटा दें। अच्छी तरह मिलायी गयी मिट्टी को चार बराबर भागों में बांट दें और 2 भाग को बाहर निकाल कर फेंक दें और बचे दो भाग को रख लें। बचे हुए 2 भाग को फिर से अच्छी तरह मिला दें और फिर उन्हें चार बराबर भागों में बांट दें और फिर 2 भाग को हटा दें। यह प्रकिया तब तक करनी है, जब तक आधा किलो मिट्टी न बच जाए। आधा किलो मिट्टी जांच के लिए सही नमूना है। इस आधा किलो मिट्टी के नमूने को साफ थैले में रखकर थैले में एक पर्ची डालनी है जिसमें किसान का नाम–पूरा पता–खसरा नम्बर–मो0नं0–कौन सी फसल लेना चाहते हैं उसकी जानकारी– उल्लिखित करनी होगी तथा नमूने के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मो0नं0 आदि

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				होने चाहिए इस नमूने को किसान अपने जनपद के मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में स्वयं अथवा अपने न्याय पंचायत के सहायक कृषि अधिकारी के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद जब इस नमूने की जांच हो जाती है तो किसान को उसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है जिसके हिसाब से वह खेती कर सकता है और खाद, उर्वरकों का उपयोग कर सकता है। सुदूर जनपद में यदि किसान मुख्यालय नहीं पहुंच पाता है तो ऐसी स्थिति में वह अपने न्याय पंचायत के कृषि विभाग के प्रभारी से सम्पर्क कर मृदा परीक्षण सुविधा का लाभ उठा सकता है तथा आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र एवं मोबाइल नम्बर की आवश्यकता होगी।
3	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन योजना (वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम) (NMSA-RAD)	योजना का संचालन क्लस्टर आधारित (किसानों के समूह, जिसमें न्यूनतम 2 से 5 किसान होने अनिवार्य है अधिकतम कितने किसान भी हो सकते है।) है यह मात्र एक किसान के लिए नहीं है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत कृषि एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियों जैसे–मुर्गी पालन, मीन पालन, पशुपालन एवं जैविक खेती, पार्श्वकाश्त आदि समूह बनाकर की जाती है। कृषि एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियों तथा समेकित कृषि प्रणालियों का विवरण एवं अनुदान/लाभ के मानक निम्नवत हैं – उद्यान आधारित फसल प्रणाली–जहाँ कृषकों की	प्रदेश का किसान होना चाहिए। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा जमीनी दस्तावेजों में किसान का नाम आवश्यक है। किसान को योजना का लाभ लेने हेतु संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा गठित क्लस्टर का सदस्य होना चाहिए अथवा सदस्य न होने की स्थिति में कृषि विभाग द्वारा क्लस्टर से जोड़ा	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व साथ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है संबंधित किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकते है तथा प्रस्ताव पास होने पर (जिसमें सभी किसान जो कॉलम 2 में अंकित कार्यों को करने हेतु इच्छुक हों, का समूह बनाया जाता है।) संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत कराया जाता है एवं विभाग द्वारा जांच

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / आच्छादित	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		आजीविका अधिक से अधिक उद्यान आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रु० 25000.00 का कृषि आगतों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। पशुधन उत्पादन आधारित फसल प्रणाली–कृषकों की आजीविका पशुधन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रु० 25000.00 का कृषि आगतों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। दुग्ध उत्पादन आधारित फसल प्रणाली– जहाँ कृषकों की आजीविका दुग्ध उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रु० 40000.00 का कृषि आगतों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। मत्स्य उत्पादन आधारित फसल प्रणाली–जहाँ कृषकों की आजीविका मत्स्य उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रु० 25000.00 का कृषि आगतों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली– जहाँ कृषकों की आजीविका वृक्ष उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रु० 15000.00 का कृषि आगतों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली– जहाँ कृषकों की आजीविका कृषि वानिकी पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रु० 15000.00 का कृषि आगतों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। (ख) मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षण के अन्तर्गत अनुदान मानक– ग्रीनहाउस एवं लो–टनल पॉलीहाउस (ट्यूबलर) का निर्माण – संरचनाओं के निर्माण हेतु कुल लागत का 50% या रु० 530.00 प्रति वर्ग मीटर जो भी कम हो।	जाता है। यह योजना राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ पर सिंचाई नहीं होती/कम होती है, वहां पर लागू की जाती है।	करने के उपरान्त जिला स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तथा सम्बंधित किसानों को सम्बंधित कृषि प्रणालियों (जो कॉलम 02 में अंकित हैं) का कार्य सम्पन्न होने के बाद अनुदान के आवेदक के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया जाता है। किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट http://nmsa.dac.gov.in पर जाकर कर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (सी०एस०सी०) के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन करते समय किसान का आधार कार्ड, बैंक खाता, कृषि जमीन संबंधी दस्तावेज जिसमें किसान का नाम अंकित हो, उल्लेख करना होगा। उसके उपरान्त विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है तथा किसान को सम्बंधित समूह में जोड़ा जाता है। कृषि सम्बंधित कार्यों को करने के उपरान्त राज्य संबंधित अनुदान को आवेदक के खाते में डीबीटी होता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		मौन पालन– मौन पालन कॉलोनी हेतु लागत का 40% या रू० 800.00 प्रति कॉलोनी जो भी कम हो। साइलेज इकाई का निर्माण– इकाई निर्माण पर लागत मूल्य का शत–प्रतिशत या अधिकतम रू० 1.25 लाख प्रति कृषक परिवार। पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज– इसके लिए लागत मूल्य का 50% या रू० 4000.00 प्रति वर्ग मीटर एक इकाई हेतु अनुदान की सीमा रू० 2.00 लाख/ इकाई। वाटर लिफ्टिंग डिवाइस– इलेक्ट्रिक / डीजल इकाईयों हेतु मूल्य का 50% या अधिकतम रू० 15000.00 प्रति इकाई। वर्मी कम्पोस्ट संरचनायें– संरचना निर्माण लागत मूल्य का 50% या अधिकतम रू० 125.00 प्रति घन फीट, स्थायी वर्मी कम्पोस्ट संरचना हेतु अधिकतम सहायता सीमा रू० 50,000.00 प्रति इकाई जबकि एच०डी०पी०ई० वर्मीबेड हेतु अधिकतम रू० 8,000.00 प्रति इकाई राज सहायता देय है।		
3	परम्परागत कृषि विकास योजना (P.K.V.Y.)	यह योजना जैविक खेती को प्रोत्साहन करने हेतु है जिसमें जैविक खेती करने के लिए जैविक बीज, कम्पोस्ट, हरी खाद बायोफर्टीलाइजर बायोपेस्टिसाइड, नीम ऑयल, प्रोम, वर्मी कम्पोस्ट, वेस्ट डिकम्पोजर आदि के लिए किसानों को रू0 9000 प्रति है० की प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है।	प्रदेश के सभी मूल निवासी किसान नागरिक इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र है। केवल किसान श्रेणी के नागरिक (जिनके पास भूमि हो तथा जिनके राजस्व अभिलेखों में किसान का नाम अंकित हो) ही योजना में आवेदन करने पात्र माने जायेंगे।	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है, संबंधित किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकते है तथा प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत कराया जाता है एवं विभाग द्वारा जांच करने के उपरांत तथा किसान द्वारा जैविक खेती में उपयोग किये जाने वाले जैविक खाद बीज आदि कृषि

क्र.	योजना का नाम	उद्देश्य	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				विक्रय केन्द्रों से खरीदने के उपरान्त लाभ दिया जाता है। लाभ लेने हेतु किसानों को प्रस्ताव के साथ स्थायी/ मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, कृषि जमीन की खसरा खतौनी तथा किसान नागरिक की पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। किसान वेबसाइट http://pgsindia-ncof.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु उक्त दस्तावेज होने अनिवार्य हैं, जैविक निरीक्षण करने के उपरान्त संबंधित धनराशि सीधे किसान के खाते में भुगतान की जाती है।
[illegible]	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (**PMKSY**)	प्रदेश के समस्त जिलों में खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने हेतु है। इस योजना में नये जल स्त्रोतों का निर्माण, पुराने जल स्त्रोतों को सुदृढ़ीकरण करना, जल संग्रहण के साधनों का निर्माण, अन्य छोटे भंडारण तथा परम्परागत जल स्त्रोतों आदि की क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य करवाये जाते हैं। किसान इस योजना के अन्तर्गत अपने खेतों में छोटे तालाब, सूक्ष्म सिंचाई के साधन जैसे फव्वारा (स्प्रिंकलर) सिंचाई, बूंद–बूंद सिंचाई (ड्रिप इरीगेशन) के उपकरण प्राप्त कर सकते हैं।	प्रदेश का किसान नागरिक होना चाहिए। यह राज्य के समस्त जनपदों हेतु है। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए एवं कृषि भूमि संबंधी राजस्व अभिलेखों में किसान का नाम अंकित होना अनिवार्य है।	किसान अपने खेत एवं क्षेत्र की आवश्यकताओं को ग्राम पंचायत की खुली बैठक जो विभागीय अधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में होती है में प्रस्ताव लायेगा तथा प्रस्ताव पास होने पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा कॉलम 3 में अंकित कार्यों के निर्माण/ लागत विवरण संबंधी प्रस्ताव किसान के साथ मिलकर तैयार किया जाता है तथा जिला स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य कृषि विभाग द्वारा करवाया जाता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		उक्त कार्यों को करने हेतु भारत सरकार के मानकों के अनुसार निम्न अनुदान दिया जाता है– सामुदायिक जल टैंक– मूल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम 2.50 लाख रु. अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है परन्तु कमाण्ड क्षेत्रफल (सिंचित होने वाला क्षेत्रफल) 01 है0 होना चाहिए। सामुदायिक चैक डैम–मूल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम 2.50 लाख / संरचना 01 है0 जल पम्प– मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 15,000 / इकाई गहरी एवं उथली ट्यूबवेल–मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 25,000 / इकाई गहरी ट्यूबवेल– मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 1,00,000 / इकाई जल संरचना का पुर्नउद्धार एवं मरम्मत– मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 15,000 / इकाई मिनी स्प्रिंकलर सेट– मूल्य का 55 प्रतिशत या अधिकतम रू0 64,7,17 / है0 माइक्रो स्प्रिंकलर सेट– मूल्य का 55 प्रतिशत या अधिकतम रू0 44,7,57 / है0 पोर्टेबल स्प्रिंकलर सेट– मूल्य का 45% या अधिकतम रू0 26,2,13 / है0		कार्य सम्पन्न होने के बाद किसान से संबंधित दस्तावेज यथा आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, नोटरी, कृषि जमीन संबंधी राजस्व अभिलेख प्राप्त किये जाते हैं एवं बाद में कॉलम 3 में अंकित सब्सिडी का भुगतान सीधे किसान के खाते में किया जाता है।
11	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (**SMAM**)	योजना के तहत प्रदेश के सभी किसानों को खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने हेतु एस. सी. / एस.टी. / लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों (सभी जाति की) के लिए, 50 प्रतिशत एवं बड़े किसानों के लिए 40 प्रतिशत अनुदान / आर्थिक सहायता दी जाती है, विवरण निम्नवत है :–	किसान उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो तथा 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता मात्रएस.सी. / एस.टी. / लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों (सभी जाति की) के लिए है।	सर्वप्रथम कृषि विभाग / जनपदीय मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने के उपरान्त यंत्रों की सब्सिडी पर खरीद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। विज्ञापन में उल्लिखित तिथि के भीतर ही इस योजना का लाभ पाने के लिए

क्र.	योजना का नाम		लाभ		पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		17	ट्रैक्टर 20 से 40 पी0टी0ओ0एच0पी0	50% या अधिकतम रू0 2.50 लाख जो भी कम हो।		लागू है, इसमें प्रत्येक जनपद में टारगेट निर्धारित है, टारगेट पूरा होने पर किसान को आगामी वर्ष में पुनः आवेदन करना पड़ेगा।
		18	ट्रैक्टर 40 से 70 पी0टी0ओ0एच0पी0	50% या अधिकतम रू0 4.25 लाख जो भी कम हो।		
		19	रीपर कम बाइंडर (सेल्फ प्रोपेल्ड 4 व्हील)	50% या अधिकतम रू0 2.50 लाख जो भी कम हो।		
		20	स्ट्रॉ रीपर 35 एच0पी0 से अधिक	50% या अधिकतम रू0 1.30 लाख जो भी कम हो।		
		21	लेजर लैण्ड लेवलर	50% या अधिकतम रू0 2.00 लाख जो भी कम हो।		
		22	[illegible] 35 एच0पी0 से अधिक	50% या अधिकतम रू0 1.05 लाख जो भी कम हो।		
		23	जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल (9 टाइन)	50% या अधिकतम रू0 0.213 लाख जो भी कम हो।		
		24	जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल (11 टाइन)	50% या अधिकतम रू0 0.241 लाख जो भी कम हो।		
		25	रोटावेटर (6 फीट)	50% या अधिकतम रू0 0.446 लाख जो भी कम हो।		
		26	रोटावेटर (7 फीट)	50% या अधिकतम रू0 0.478 लाख जो भी कम हो।		
		27	रोटावेटर (8 फीट)	50% या अधिकतम रू0 0.504 लाख जो भी कम हो।		
		28	पल्वराईजर आटा चक्की	50% या अधिकतम रू0 35000.00 जो भी कम हो।		
		29	मोटर लिफ्टिंग पम्प 10 एच0पी0 तक	50% या अधिकतम रू0 18000.00 जो भी कम हो।		
		30	मडुवा थ्रेसर मानव चालित	50% या अधिकतम रू0 10000.00 जो भी कम हो।		
		31	विनोईंग फैन	50% या अधिकतम रू0 10000.00 जो भी कम हो।		
		32	हार्टीकल्चर हैण्ड टूल	50% या अधिकतम रू0 10000.00 जो भी कम हो।		
		33	गार्डन हैण्ड टूल	50% या अधिकतम रू0 1200.00 जो भी कम हो।		
		34	पर्वतीय छोटे कृषि यंत्र	50% अनुदान।		

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/पात्रताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
[illegible]	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन व कस्टम हायरिंग सेन्टर/बड़े किसानों हेतु) (SMAM	कस्टम हायरिंग सेन्टर (ऐसे कृषकों के समूह जो मात्र कृषि यंत्रों की खरीद/किराये पर देने/चलाने का कार्य करते हों) के अन्तर्गत कृषक समूह/सहकारिता समूह/एफ.पी.ओ./स्व सहायता समूह/कृषक जो रू0 10.00 लाख से लेकर रू0 100.00 लाख तक के यंत्र अनुदान पर क्रय कर सकता है। जिस पर अनुदान के रूप में अधिकतम 40 प्रतिशत का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।	छत्तीसगढ़ राज्य के बड़े कृषकों (जिनके पास 5 हेक्टेयर या उससे अधिक जमीन हो), सहकारिता समूहों, स्व सहायता समूहों, कस्टम हायरिंग सेंटरों के लिए है। उक्त किसान/समूहों के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। व्यक्तिगत बड़े किसान की स्थिति में राजस्व अभिलेखों में नाम होना चाहिए तथा समूह की स्थिति में समूह के सदस्यों का कृषि जमीन संबंधी दस्तावेजों में नाम होना चाहिए।	समस्त प्रक्रिया क्रमांक 11 के अनुसार होगी परन्तु समूह के आवेदन करने की स्थिति में समूह/कस्टम हायरिंग सेंटर का बैंक खाता, समूह के सदस्यों की फोटो, समूह के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड, समस्त सदस्यों के जमीन के दस्तावेज अनिवार्य है।
13	इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) कृषि विपणन — छत्तीसगढ़ कृषि उत्पाद व विपणन बोर्ड	किसान पहले अपनी फसल को कटाई के बाद नजदीकी मंडी में ले जाते है एवं अपनी उपज का एक निर्धारित कमीशन मंडी समिति को देने के बाद, फसल या तो उसी मंडी में बेचते है या किसी बिचौलिए को औने-पौने दामों में बेचकर घर आ जाते है, परन्तु किसानों को फसल का उचित दाम मिल सके इस हेतु ई-नाम नामक एक ऑनलाइन मण्डी/बाजार किसानों के लिए तैयार किया है जिसमें किसान अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त करने हेतु फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। इसमें किसान किसी बिचौलिये को अपनी फसल न देकर स्वयं बेच सकता है, वहां देख सकता है कि उसकी फसल के कितने रुपये किस जिला/प्रान्त/राज्य से ज्यादा मिल रहा है फिर उसी को बेच सकते है। इसमें किसान की कृषि उपज की गुणवत्ता परख प्रयोगशाला में निर्धारित की	राज्य के समस्त किसान जो अपनी फसल को ई-नाम के माध्यम से बेचना चाहते है पात्र होंगे।	किसान/विक्रेता अपनी भी मंडी/मंडी समिति के सहयोग से ई-नाम (eNAM) पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है जिसमें किसान/विक्रेता का पूरा विवरण मांगा जाता है। मुख्यतः आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाता एवं जमीन संबंधी दस्तावेज अनिवार्य है पंजीकरण के उपरान्त इसकी स्वीकृति (approval), समिति द्वारा की जाती है। किसान अपनी फसल को ऐसी मंडी समिति जो ई-नाम में पंजीकृत है उसके पास ले जायेगा उसके उपरांत किसान/विक्रेता की कृषि उपज का लाट (ढेरी संख्या) मंडी समिति द्वारा जारी की जाती है, लाट की परख उपरांत रेट निर्धारित करके मंडी

उद्यान विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	उद्यान कार्ड	उद्यान विभाग की समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यान कार्ड अनिवार्य है।	राज्य के सभी किसान, जो उद्यान गतिविधियां करना चाहते हैं तथा उनके पास अपनी निजी/लीज की जमीन हो, पात्र होंगे।	उद्यान कार्ड, उद्यान सचल दल केन्द्र में बनाया जाता है। उद्यान कार्ड बनाने हेतु उद्यान कार्ड का प्रपत्र, सम्बंधित दल केन्द्र से प्राप्त करना पड़ता है जिसमें कृषक को अपने परिवार एवं उद्यान से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी, खतौनी, आधार कार्ड, [illegible] एवं [illegible] की प्रति [illegible] उद्यान के [illegible] करने होते हैं [illegible] केन्द्र में ही जमा करना होता है। जमा करने के बाद सचल दल केन्द्र प्रभारी द्वारा सम्बंधित किसान को उद्यान कार्ड दिया जाता है। **उद्यान सचल दल केन्द्र** – किसान न्याय पंचायत स्तर पर योजनाओं की जानकारी एवं किसानों को निवेश, बीज उपलब्ध कराने हेतु उद्यान सचल दल केन्द्र है जहाँ पर प्रभारी उद्यान निरीक्षक/उद्यान पर्यवेक्षक/सहायक विकास अधिकारी उद्यान नियुक्त रहते हैं, जोकि समय-समय पर किसानों की समस्याओं का समाधान करते हैं। राज्य के सभी जनपदों में कुल 310 उद्यान सचल दल केन्द्र स्थापित हैं।
2	फल क्षेत्रफल विस्तार	नये उद्यानों की स्थापना कर उत्पादन में वृद्धि करना। कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता पर कृषकों को पौधे उपलब्ध कराये जाते हैं। उद्यान विकसित किये जाने हेतु निर्धारित पौधे जैसे आम, अमरूद, अनार, लीची, सेब, आडू, खुबानी, अखरोट, नींबू प्रजाति, माल्टा, कीवी, ड्रैगन फ्रूट आदि फल पौध कृषकों को दिये जाते हैं। (उदाहरण स्वरूप एक अखरोट का पौधा 400/- रू0 का है तो किसान को सम्बंधित उ0स0द0के0 में रू0 200/- जमा करने होते हैं तथा रू0 200/- की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को वह पौधा रू0 200/- में मिल जाता है।)	ऐसे कृषक जिनकी अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। अच्छी जमीन हो तो अधिकतम 04 हैक्टेयर एवं न्यूनतम 0.02 हैक्टेयर भूमि प्रति लाभार्थी [illegible] होनी चाहिए। अधिकतम निर्धारित सीमा 04 हैक्टेयर है।	उद्यान सचल दल केन्द्रों (उ0स0द0के0) के प्रभारी अधिकारी/कार्मिक से आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। शीतकालीन पौधों को लगाने के लिए सितम्बर-अक्टूबर माह में आवेदन करना होगा एवं वर्षाकालीन पौधों को लगाने के लिए अप्रैल-जून माह में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रपत्र के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज तथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नम्बर भी आवश्यक होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। उक्त दस्तावेजों के साथ किसान को अपना आवेदन पत्र उ0स0द0के0 में जमा करना पड़ता है। आवेदन पत्र की प्राप्ति के पश्चात [illegible] उल्लेखित होता है। [illegible] किसान को यदि कोई शिकायत हो तो सम्बंधित उ0स0द0के0 के प्रभारी [illegible] जाता है एवं उनकी जिम्मेदारी होती है। **केन्द्रपोषित योजनाओं** से सम्बन्धित आवेदन हेतु प्रपत्र जमा करने के उपरान्त उ0स0द0के0 प्रभारी सम्बंधित प्रस्ताव को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है। जनपद स्तर से इसी प्रकार के समस्त कृषकों के आवेदन राज्य स्तर, राज्य स्तर से भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। भारत सरकार से कार्ययोजना स्वीकृत होने के उपरान्त निदेशालय

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/आवश्यकता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				ग्रामी निरीक्षक/ग्राम प्रधानों/ खतौनी, खसरा एवं खतौनी, नक्शा, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, संयुक्त खाता होने की स्थिति में नियोजित जमीन होने का शपथ पत्र मांगी जाती है। यदि कोई अभिलेख आवेदक द्वारा आवेदन के समय उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे नोटिस/निर्देश में अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कहा जाता है। प्रस्ताव का समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर सम्बंधित इच्छुक कृषक को निदेशक कार्यालय/मुख्य उद्यान विशेषज्ञ अधिकारी के कार्यालय से स्वीकृति पत्र एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है तथा इच्छुक कृषक अपना मशरूम यूनिट स्थापित करने का कार्य शुरू करता है जिसके बाद विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण आख्या के उपरान्त सब्सिडी की किश्तें में सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है। की जाती है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया वर्तमान में ऑफलाइन है।
2	ट्यूबवेल स्थापना /पौण्ड निर्माण	सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कृषकों को नये ट्यूबवेल/पौण्ड निर्माण हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता अर्थात 90 हजार प्रति इकाई (अधिकतम 01 नग) की दर से अनुदान भुगतान की जाती है।	कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। संबंधित क्षेत्र में पानी है या नहीं इसकी पुष्टि कृषक करेगा। एक कृषक को 01 ट्यूबवेल/पौण्ड निर्माण की सब्सिडी दी जाती है।	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक से आवेदन प्रोफार्मा प्राप्त करना पड़ता है। आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://dhm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप/प्रस्ताव के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नम्बर भी संलग्न होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। आवेदन प्रस्तुत करने में दिक्कत होने पर सम्बंधित उद्यान सचल दल केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन प्राप्त/जमा करना होगा। उद्यान सचल दल केन्द्र कार्मिक सम्बंधित प्रस्ताव को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरान्त शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति/आवंटन प्रदान किया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। इसके उपरान्त कृषक ट्यूबवेल निर्माण/पौण्ड निर्माण का कार्य शुरू करता है जिसके बाद विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण आख्या के उपरान्त सब्सिडी सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
8	ग्रीन हाउस निर्माण	ग्रीन हाउस के अन्दर सब्जी एवं पुष्पों की कास्तकारी को प्रोत्साहित करने हेतु फैन एण्ड पैड सिस्टम/नेचुरल वेन्टिलेटेड पॉलीहाउस/सब्जी एवं पुष्पों की पौध रोपण सामग्री हेतु **कुल लागत का 50 से 80 प्रतिशत धनराशि भुगतान की जाती है** जिसका विवरण निम्नवत है :- विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती करने हेतु फैन एण्ड पैड सिस्टम/नेचुरल वेन्टिलेटेड पॉलीहाउस हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि दी जाती है। सब्जी एवं फूलों की पौध रोपण सामग्री (बीज/पुष्प कन्द/पौध) 50 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाती है। शेड नेट हाउस निर्माण– फैन एण्ड पैड सिस्टम पॉलीहाउस, ट्यूबलर स्ट्रक्चर पॉलीहाउस का कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि देय है। एन्टी हेल नेट लगाने हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि दी जाती है। **राज्य सैक्टर के अन्तर्गत राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त राजसहायता अर्थात कुल 75 प्रतिशत राजसहायता देय है।** **प्लास्टिक मल्चिंग**– नमी को रोकने एवं जड़ों में Micro Flora को बढ़ावा देने हेतु जमीन को प्लास्टिक शीट से ढकने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि दी जाती है। **संरक्षित खेती के लिये रोपण सामग्री की व्यवस्था**–पॉलीहाउस में उपयोग रोपण सामग्री (पुष्पों/सब्जियों के बीज) कुल लागत की 50 प्रतिशत अनुदान पर दिये जाते हैं यदि कृषक विभाग को छोड़कर बाहर से खरीदता है तो कुल 50 प्रतिशत धनराशि भुगतान की जाती है। **ग्रीन हाउस के इकाई लागत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के अनुसार 4000 हजार/500 वर्ग मी0 तक**	कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। इस सहायता समूह में कार्य करने पर नहीं दी जाती है।	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक से आवेदन प्रपत्र प्राप्त करना पड़ता है या आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र/प्रस्ताव के साथ जमीन की खतौनी, इस्तखाब तथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नम्बर, परिवार रजिस्टर की नकल/राशन कार्ड, प्रशिक्षण पत्र भी संलग्न होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। आवेदन प्रस्ताव भरने में दिक्कत होने पर संबंधित उद्यान सचल दल केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन प्राप्त जमा करना होगा। जनपद स्तर पर अधीक्षक संबंधित प्रस्ताव को जनपद स्तर पर संकलित करता है, जिसको लक्ष्य के रूप में निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरान्त राजसहायता जारी करके जनपदों को लक्ष्यानुसार अनुदान स्वीकृति/आवंटन दिया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं कृषक से अनुबन्ध कराया जाता है। स्वीकृति पत्र के साथ पॉलीहाउस बनाने वाली विभाग से सूचीबद्ध कम्पनियों की सूची दी जाती है। किसान अपने खर्चे पर ग्रीन हाउस निर्माण का कार्य शुरू करेगा। यदि किसान के पास धनराशि न हो तो किसी बैंक से लोन लेकर कर सकता है। ग्रीन हाउस का निर्माण होने के बाद संबंधित विभागीय अधिकारियों की संयुक्त कमेटी तथा विभागीय अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करके अपनी आख्या देंगे जिसके बाद अनुमन्य राजसहायता/सब्सिडी सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		उपलब्ध कराया जाता है। 500 वर्ग मी0 के पॉलीहाउस पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त राजसहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। कुल 80 प्रतिशत सब्सिडी की धनराशि कृषक को मिलती है।		
9	मौन पालन	मौनगृह (मधुमक्खी के बक्से) 2 मौन कॉलोनी (मधुमक्खियां) सभी सामग्री सहित, 40 प्रतिशत की राजसहायता (अधिकतम लागत मौन कॉलोनी रू0 2000, मौनगृह रू0 2000) पर उपलब्ध कराना। मैदानी क्षेत्रों के लिए 50 मौन बक्से एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 25 मौन बक्से दिए जाते हैं। (उदाहरण स्वरूप मधुमक्खी का एक बक्सा एवं मधुमक्खियां रू0 200/- की है तो किसान को संबंधित उद्यान केन्द्र में रू.120/- जमा करने होते हैं तथा रू0 80/- की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त बक्से रू0 120/- में मिल जाता है।) **यदि कोई किसान अपने बगानों में मौनपालन रखना चाहता है तो रू0 350 प्रति मौनगृह की आर्थिक सहायता किसान को भुगतान की जाती है।** **किसान यदि प्रशिक्षण लेना चाहता है** तो उसे जिलास्तरीय मौनपालन प्रशिक्षण शिविर द्वारा निःशुल्क दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के दौरान संबंधित किसान को रू0 100 प्रति दिन की दर से रू0 700 तथा रू0 50 प्रति दिन की दर रू0 350 प्रति लाभार्थी को देय है। कुल 1050 रू0 भी दिये जाते हैं।	मौनपालन हेतु इच्छुक कृषक	संबंधित किसान मौन बक्से हेतु अपने उद्यान सचल दल केन्द्रों पर मौन बक्से और मधुमक्खियां लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा उसमें अपना नाम, मो0 नम्बर, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता संलग्न करेगा। उसके बाद उद्यान सचल दल केन्द्र प्रार्थना पत्र को जनपदीय कार्यालय जि0 उद्यान अधिकारी/ हॉर्टीकल्चर सेन्टर को भेजेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने पर संबंधित किसान को दूरभाष से अवगत कराया जाता है तथा स्वीकृति पत्र भी भेजा जाता है। संबंधित किसान मौन बक्से एवं मधुमक्खियां हॉर्टीकल्चर सेन्टर या जनपदीय कार्यालय से **40 प्रतिशत सब्सिडी** पर प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु कृषक को अपने उद्यान सचल दल केन्द्रों पर प्रशिक्षण हेतु प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें अपना नाम, मो0न0, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता संलग्न करेगा। उसके उपरान्त प्रार्थना पत्र को जनपदीय कार्यालय में भेजा जाता है। जनपद में इसी प्रकार लगभग 10–30 किसान मौनपालन हेतु इच्छुक होने पर उनका समूह बनाकर विभाग द्वारा प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित करते हुए किसान को दूरभाष से अवगत कराया जाता है तथा किसान उस तिथि को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आता है। प्रशिक्षण समाप्त होने पर किसान को 1050 रू0 भी खाते में भुगतान/ स्थानान्तरण किया जाता है।
10	तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन	पैक हाउस (9 मी0x6 मी0), प्री कूलिंग इकाई (6 मीट्रिक टन क्षमता), (मोबाइल प्री कूलिंग इकाई (5 मीट्रिक टन क्षमता), कोल्ड रूम (30 मीट्रिक टन क्षमता), कोल्ड स्टोरेज यूनिट कैपसूल/ कन्टेनर (5 मीट्रिक टन क्षमता), राइपनिंग चैम्बर (300 मीट्रिक टन क्षमता) आदि	इच्छुक उद्यमी/ कृषक। अपनी जमीन हो अथवा 20 से 30 वर्ष तक लीज पर	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी/ कार्मिक से आवेदन प्राप्त किया जा सकता है या आवेदन पत्र उद्यान विभाग की वेबसाइट [illegible] से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप/ प्रस्ताव के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज तथा खतौनी एवं खसरा, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, प्रशिक्षण पत्र भी

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएँ	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		यूनिट की स्थापना हेतु **ऋण आधारित बैक एन्डेड सब्सिडी** के माध्यम से 35 से 50 प्रतिशत तक की धनराशि/सब्सिडी भुगतान की जाती है।	की जा।	कार्यालय होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। आवेदन प्रस्ताव जमा करने में दिक्कत होने पर संबंधित एम०आर०ओ०/केन्द्र प्रभारी सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन प्रस्ताव जमा करना होगा। इसी के साथ-साथ संबंधित उद्यमी/कृषक बैंक में ऋण हेतु आवेदन करेगा। एम०आर०ओ०/केन्द्र प्रभारी अपेक्षित प्रस्ताव को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है। जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों/उद्यमियों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरान्त शासनादेश जारी करके धनराशि का शासनादेश अनुसार स्वीकृति/कार्यादेश प्राप्त किया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक/उद्यमी को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं ऋणमान के अनुसार अवगत कराया जाता है। इस अवधि के बीच कृषक/उद्यमी को ऋण स्वीकृत कराने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारी भी सहयोग करते हैं। ऋण स्वीकृति के उपरान्त सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होती है। विभागीय अधिकारियों की तकनीकी सहायता एवं दिशानिर्देश में इकाई स्थापना के कार्यों को किया जाता है। कार्य पूर्ण होने के बाद विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण के उपरान्त अनुमन्य अनुदान/सब्सिडी कृषक के ऋण खाते में भुगतान की जाती है।
11	**खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य वृद्धि प्रबन्धन**	नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई हेतु 50 प्रतिशत **(अधिकतम रू0 400.00 लाख/इकाई)** की राज्य **सहायता/सब्सिडी** की धनराशि दी जाती है। पूर्व में स्थापित किसी इकाई को योजना के रूप में विभागीय सहायता से एक्सपेंशन/आधुनिकीकरण की शर्त पर अवसंरचना किए जाने की स्वीकृति अधिकार है ताकि इकाइयों को इच्छुक कम्पनी/फर्म/ प्रमोटर को आसानी हो।	खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने हेतु इच्छुक कम्पनी/फर्म/ प्रमोटर।	इच्छुक संस्था एक वेबसाइट से कार्यालय अधिकारी/कर्मिक से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं या आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप/प्रस्ताव के साथ चेकलिस्ट में उल्लिखित 29 बिन्दुओं (निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र, शपथपत्र, प्रमोटर का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, संस्था का कार्यवृत्त, इकाई क्षेत्र का नक्शा, परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदन करने वाला बैंक/सहकारी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा अप्रेजल का पत्र, अधिष्ठापन विभाग की एनओसी, भूमि स्वामित्व की संख्या की नकल हो, ई-नीलामी कार्यवाही प्रमाण पत्र कम्पनी/संस्था का कार्यवृत्त, उसके माल का उत्पादन, इकाई द्वारा क्या उत्पाद तैयार किये जायेंगे का विवरण, कृषकों से अनुबंध, व्यापार प्लान, एफ०एस०एस०ए०आई० का प्रमाण, रोजगार सृजन प्रमाण, सिविल कार्यों का विवरण सिविल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित, प्लांट मशीनरी एवं उपकरणों का आपूर्तिकर्ताओं के साथ कोटेशन जो चार्टर्ड मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित हो, मशीनरी क्रय हेतु आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन, उत्पादन हेतु विपणन की रणनीति, प्रोसेस फ्लो चार्ट, इकाई क्रियान्वयन का विवरण, रू0 100/- का स्टाम्प पत्र, डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि एवं घोषणा)

PROGRAM DOCUMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अभ्यर्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		की धनराशि प्रति इकाई उपलब्ध कराई जाती है।	जाति। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। यदि आवेदक ने सरकार की अन्य सब्सिडी से जुड़ी योजना में बैंक ऋण लिया हो तो वह इस योजना के तहत भी बैंक ऋण के लिये एवं ब्याज सबवेंशन तथा टॉप अप कन्वर्जेन्स के लिये पात्र है।	अधिकारियों की देखरेख में होगा तथा विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम स्थलीय निरीक्षण करेगी। कार्य शुरू होने के बाद संबंधित उद्यमी उक्त पोर्टल पर कार्य शुरू होने की सूचना अपलोड करेगा तथा बाद में सब्सिडी धनराशि कृषक/उद्यमी के खाते में भुगतान की जाती है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही पात्र होगा। इस योजना के लिये 'परिवार' में पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल होंगे। मौजूदा इकाईयों के उन्नयन/विस्तार हेतु बैंकों द्वारा पुनर्भुगतान के लिये अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदक भी योजना अन्तर्गत पात्र है।
14	उद्यानों की घेराबाड़ की योजना	जंगली जानवरों से फल-पौधे/उद्यान फसलों एवं सब्जियों को बचाने हेतु उद्यानों की घेराबाड़ हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 1.50 लाख प्रति हैक्टेयर) धनराशि सब्सिडी के रूप में भुगतान की जाती है।	उद्यान कार्ड धारक कृषक	इच्छुक कृषक को ब्लॉक में आयोजित अधिकारी/कार्मिक को घेराबाड़ संबंधी प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। प्रार्थना पत्र के साथ उद्यान से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, आधार कार्ड, पेन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नम्बर भी संलग्न होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। प्रार्थना पत्र लिखने में दिक्कत होने पर संबंधित खण्ड/जनपदीय कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में प्रार्थना पत्र जमा करना होगा। खण्ड/जनपदीय कार्मिक संबंधित प्रार्थना पत्र को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के पश्चात् लक्ष्यानुसार जारी करके जनपदों को लक्ष्यानुसार स्वीकृति/आवंटन दिया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं घेराबाड़ का कार्य कराया जाता है। उसके पश्चात् विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में उद्यानों की घेराबाड़ की जाती है जिसके बाद विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण आख्या के उपरान्त सब्सिडी सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है।
15	मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना	मशरूम उत्पादन हेतु निम्नवत लाभ दिया जाता है – पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट कुल लागत की 50 प्रतिशत राजसहायता अधिकतम 50 कुन्तल	मशरूम उत्पादन हेतु इच्छुक कृषक	इस योजना का लाभ लेने हेतु संबंधित आवेदक आवेदन पत्र/प्रस्ताव उद्यान विभाग की वेबसाइट http:[illegible] से डाउनलोड करके अथवा संबंधित उद्यान कार्यालय एवं [illegible] कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/आवश्यकता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		प्रति लाभार्थी उपलब्ध कराई जाती है तथा भवन (शेड) कुल लागत का 90 प्रतिशत राजसहायता अधिकतम 25 हजार/— प्रति लाभार्थी उपलब्ध कराया जाता है। इसमें धनराशि नहीं दी जाती है। वास्तुनिष्ठ कम्पोस्ट/भवन विभाग द्वारा दिया जाता है। मशरूम उत्पादकों हेतु 03 दिवसीय **प्रशिक्षण** (रू0 1060 प्रति लाभार्थी जिसमें 700 रू0 डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी के खाते में तथा रू0 360 प्रशिक्षण सामग्री आदि पर व्यय किया जाता है। यदि कोई मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजनान्तर्गत उत्पादन करता है तो कृषक/मशरूम उत्पादकों को **स्थानीय बाजार/मण्डी में मशरूम विक्रय किया जाता है।**		आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में सम्बंधित कृषक तैयार करेगा प्रति प्रस्ताव बनाने में दिक्कत हो तो उद्यान/[illegible] सहयोग करेंगे। आवेदन के साथ जमीन सम्बन्धी दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक खाता, मशरूम कार्य करने में कितनी [illegible] का विवरण तथा पूर्व में प्रशिक्षण लिया हो तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होंगे। उसके उपरान्त प्रस्ताव इसी कार्यालय में जमा करना पड़ता है। उसके बाद इच्छुक किसान को [illegible] हेतु आवेदन करना है [illegible] किसान के पास [illegible] उसके उपरान्त आवेदन [illegible] सीधे [illegible] भेजा जाता है। प्रस्ताव का समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर सम्बंधित इच्छुक कृषक को निदेशालय/[illegible]/जिला मशरूम विकास अधिकारी के कार्यालय से स्वीकृति पत्र [illegible] के माध्यम से अवगत कराया जाता है तथा इच्छुक कृषक अपना मशरूम हेतु वास्तुनिष्ठ कम्पोस्ट/भवन सम्बंधित जनपदीय कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन में [illegible] है। पात्र लाभार्थी को 90 प्रतिशत कम्पोस्ट एवं 25 हजार भवन हेतु राजसहायता के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है। **प्रशिक्षण** हेतु उद्यान/[illegible] में प्रार्थना पत्र देना पड़ता है तथा प्रार्थना पत्र के उपरान्त प्रशिक्षण की तिथि विभाग द्वारा निर्धारित कर किसान को सूचना पर अवगत कराया जाता है। जिसके बाद किसान निर्धारित तिथि में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।
16	**[illegible] कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना**	[illegible] कम्पोस्ट इकाईयां (जिसका बनाने एवं [illegible]) की स्थापना हेतु राजसहायता रू0 33,300 प्रति इकाई की लागत का 75 प्रतिशत दिया जाता है।	कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो एवं उद्यान कार्ड धारक कृषक। समूह महिला, स्वयं सहायता समूह भी इस हेतु पात्र होंगे।	इसमें सम्पूर्ण प्रक्रिया उद्यान की [illegible] के अनुसार अपनायी जाती है।
17	**सेब की अति सघन बागवानी योजना**	सेब की अति सघन बागवानी योजनान्तर्गत कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान पर सेब की [illegible] प्रजातियों के [illegible] उपलब्ध किये जायेंगे। जिसमें प्रजाति एम-9 हेतु 800 पौध प्रति एकड़ (रू0 12.38 लाख), एम एम-111 हेतु 540 पौध प्रति एकड़ (रू0 7.86 लाख)	सेब की अति सघन/[illegible] बागान स्थापित करने हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 02 नाली (0.04 है0) से	लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हतायें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		तथा सीडलिंग हेतु 440 पौध प्रति एकड़ (रू0 3.34 लाख) होगी। राजसहायता की गणना आवेदक द्वारा क्रय किये गये पौध सामग्री एवं पौधों की संख्या के अनुपातिक आधार (Prorata basis) पर की जायेगी।	अधिकतम 100 नाली (02 है0) प्रति लाभार्थी/समूह खेती की हेतु सीमा।	
18	मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना	फल के पौधों, कुल क्षेत्र हेतु सब्जी के बीज, मसाला के बीज, पुष्प बीजों पर कृषकों को 80 प्रतिशत सहायता। इसमें धनराशि नहीं दी जाती है, बीज/पौधे सब्सिडी पर दिये जाते हैं। पौध सुरक्षा रसायनों (दवाईयां) आदि पर कृषकों को 80 प्रतिशत सहायता। इसमें धनराशि नहीं दी जाती है, दवाईयां सब्सिडी पर दी जाती हैं। पॉली हाउस (आकार-30 मी0) पर कुल लागत रू0 1.530 लाख का 80 प्रतिशत राजसहायता/सब्सिडी धनराशि भुगतान की जाती है। प्रीफेब्रिकेटेड टैंक (आकार-6 मी0) पर कुल लागत रू0 28.00 हजार का 80 प्रतिशत राजसहायता/सब्सिडी धनराशि भुगतान की जाती है।	कृषकों की अपनी भूमि/खेत पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक	उद्यान सचल दल केन्द्रों में सम्बंधित अधिकारी/कार्मिक से आवेदन प्रपत्र प्राप्त करना पड़ता है। आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पौध लगाने एवं दवाईयां लेने के उपरान्त 30 माह पूर्व आवेदन करना होता है। आवेदन प्रपत्र के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज तथा खतौनी एवं खतौनी इसके अतिरिक्त भी खेत की जमीन हेतु खेत का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नंबर भी शामिल होता। विभाग में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। उद्यान योजनाओं के तहत किसान को अपना आवेदन पत्र उद्यान सचल दल केन्द्र में जमा करना पड़ता है, आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त उल्लिखित होता है, प्रारूप को भरने में किसान को यदि कोई दिक्कत हो तो सम्बंधित उद्यान सचल दल केन्द्र का कार्मिक सहयोग करता है, यह उनकी जिम्मेदारी होती है। उद्यान सचल दल केन्द्र कार्मिक किसान के प्रस्ताव को जनपद स्तर तथा जनपद से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के पश्चात शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति/कार्यादेश दिया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं कृषक को अवगत कराया जाता है। इसके उपरान्त कृषक सम्बंधित उद्यान सचल दल केन्द्र से अपनी बीज/पौध/दवाईयां 80 प्रतिशत सब्सिडी पर खरीद सकता है। प्रीफेब्रिकेटेड टैंक एवं पॉली हाउसिंग की स्थिति में किसान द्वारा सम्बंधित टैंक खरीदने/पॉली हाउस निर्माण के उपरान्त विभागीय अधिकारियों के स्थलीय निरीक्षण के बाद सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। सम्बंधित योजना में लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार, बजट की उपलब्धता पर किया जाता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उद्यान विभाग (भेषज विकास इकाई)उत्तराखण्ड

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	2	3	4	5
1	भेषज कृषि विकास योजना (जड़ी–बूटी कृषिकरण कार्यक्रम)	कुठ प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 1000 कुटकी प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 660, बड़ी इलायची प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 1120 (चौथे वर्ष से), सर्पगंधा प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 1200 तथा तेजपता प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 1200 (दस वर्ष पश्चात) का लाभ अर्जित किया जा सकता है। इससे किसानों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ भी होती है।	स्थानीय बेरोजगार व्यक्ति जिसके पास पांच नाली भूमि उपलब्ध हो, अपना आधार कार्ड हो और जड़ी–बूटी खेती से रोजगार के अवसर प्राप्त करने का इच्छुक हो।	चयनित विकास खण्ड के चयनित ग्राम/पट्टी के निवासी जो क्लस्टर (2–3ग्राम के सम्मिलित 10 कृषक) में कार्य करने के इच्छुक हों। जलवायु एवं ऊंचाई के आधार पर जड़ी–बूटी की खेती करना चाहते हो को प्रशिक्षण कैम्प के माध्यम से जिला भेषज समन्वयक, भेषज विकास इकाई चयनित करते है। उनकी क्लस्टरवार सूची मुख्यालय को कार्ययोजना के सापेक्ष पौध की मांग हेतु प्रेषित करते है। तदुपरान्त इन चयनित व्यक्तियों को जुलाई–अगस्त (वर्षाकाल) में पांच नाली मानक के अनुसार चयनित नर्सरी से आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाति है। रोपित किये गये पौधों का जिला भेषज समन्वयक द्वारा जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल गोपेश्वर से पंजीकरण करवा कर फसल निकालने से 03 माह पूर्व उस प्रजाति की बिक्री किसी भी मण्डी/फार्मेसी हेतु जिला भेषज समन्वयक द्वारा रवन्ना निःशुल्क निर्गत किया जाता है।

******

PROGRAMME

		मिलती है।		
8.	समस्त तेलों/उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य।	कृषक 25 प्रजातियों के सगन्ध तेलों/उत्पाद को निर्धारित मूल्य पर कैप में विक्रय कर सकता है। कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित सगन्ध तेलों का उचित मूल्य एवं बाजार सुनिश्चित किया जाता है।	सगन्ध कृषिकरण कर रहे पंजीकृत कृषक।	कृषक चिन्हित 25 प्रजातियों के सगन्ध तेलों/उत्पाद को यदि निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर [illegible] में उपलब्ध है। विक्रय करने का इच्छुक है तो कैप, सेलाकुई में सम्पर्क उपरान्त उत्पादित तेल [illegible] पर लेकर आयेगा। तेल के सम्बन्धित [illegible] की जानकारी होगा। कैप कार्यालय द्वारा तेल की गुणवत्ता परीक्षण अपनी गुणवत्ता प्रयोगशाला में करवाया जाता है। [illegible] ही सगन्ध तेलों/उत्पाद क्रय हेतु स्वीकार किये जाते हैं। क्रय [illegible] धनराशि कृषक के खाते में भेजी जाती है। जांच के दौरान गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाये जाने पर कृषक की तेल क्रय नहीं किया जायेगा।
9.	सिडकुल काशीपुर में स्थित एरोमा पार्क में सगन्ध उद्योगों की स्थापना पर एमएसएमई विभाग द्वारा प्रोत्साहन	एरोमा पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन सहायता प्राप्त उपादान, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क में छूट, मण्डी शुल्क में छूट [illegible] विद्युत आपूर्ति (संलग्नक–1)।	एरोमा पार्क में सगन्ध उद्योग लगाने को इच्छुक उद्यमी/व्यक्ति	एरोमा पार्क में सगन्ध उद्योगों की स्थापना हेतु SIDCUL अपनी वेबसाइट https://sidcul.com/eprocure/home के माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऑनलाइन [illegible] आमंत्रित करता है। एरोमा पार्क के लिए भूखण्डों के लिए निश्चित अवधि के लिए आवेदन किया जाता है। [illegible] भूखण्डों के सम्बन्ध में SIDCUL वेबसाइट पर प्लॉट के आकार और ईएमडी की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। आवेदक प्लॉट के आकार की पसंद के आधार पर [illegible] प्लॉट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और ईएमडी राशि जमा कर सकता है। विशेष भूमि/भूखण्डों के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करने के बाद वह निर्धारित प्रक्रिया/प्रक्रिया के आधार पर उपयुक्तता के आधार औद्योगिक भूमि/भूखंड आवंटित किए जाएंगे। SIDCUL द्वारा ऑनलाइन बोली लगाई जाती है, अधिकतम बोली लगाने वालों को प्लॉट [illegible] जाता है। प्लॉट के आवंटी को आवंटन पत्र दिया जाता है। खाली प्लॉट और विज्ञापन के बारे में अधिक जानकारी www.sidcul.com से प्राप्त की जा सकती है। कैप द्वारा एरोमा पार्क में उद्योग स्थापित करने वाले इच्छुक उद्यमियों को तकनीकी सहायता प्रदान किया जाता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION

(संलग्नक–1)

क्र0 सं0	मानदण्ड	स्थापित होने वाली इकाईयों के लिए प्रोत्साहन
1	**निवेश प्रोत्साहन सहायता**	उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश का **40 प्रतिशत (अधिकतम रू0 40 लाख)**
2	**ब्याज उपादान**	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष तक उद्यम के कार्यशाला भवन निर्माण तथा प्लांट व मशीनरी क्रय करने हेतु लिये गये सावधि ऋण पर देय ब्याज का **10 प्रतिशत (अधिकतम रू0 08 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)**
3	**एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति**	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष तक कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी.टु.सी.) को विक्रय किया गया हो, का **शत प्रतिशत।**
4	**स्टाम्प शुल्क में छूट**	उद्यम स्थापना हेतु भूमि के विक्रय पत्र विलेख/लीज–डीड के निबन्धन (त्महपेजतंजपवद) में देय **स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्ण छूट।**
5	**मण्डी शुल्क में छूट**	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिये कच्चे माल पर **मण्डी शुल्क की शत् प्रतिशत छूट।**
6	**कम दर पर विद्युत आपूर्ति**	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिये सिंचाई, ट्यूबवैल हेतु लागू विद्युत दर के अनुसार **(वर्तमान में 1.55 प्रति यूनिट)** और निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

8	गौसदनों की स्थापना	पशुपालकों द्वारा छोड़े गये व स्वच्छन्द विचरण करने वाले अलाभकारी गोवंश को उचित शरणस्थली प्रदान करने के लिए आवेदक संस्था को अनावर्तक मदों यथा - गोसदन हेतु मुख्य भवन का निर्माण, सम्पर्क मार्ग, परिसर दीवार, पेयजल व्यवस्था, गोमूत्र से अर्क बनाने हेतु संयत्र स्थापना, गोबर गैस प्लांट एवं पशुचिकित्सालय निर्माण जैसी मदों में कुल व्यय का अधिकतम 90 प्रतिशत सीमा तक राजकीय अनुदान देय होगा। राजकीय अनुदान की अधिकतम सीमा रु0 25.00 लाख होगी।	गौसदनों की स्थापना हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत निम्न गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के आवेदन स्वीकार होंगे – गोवंश एवं अन्य पशुओं के कल्याण कार्यों हेतु पंजीकृत बिना लाभ अर्जन हेतु गोवंश कल्याण हेतु गठित धर्मार्थ संस्था अथवा किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट। न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव तथा योग्यता रखने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता। ऐसे आवेदक संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास स्वयं की भूमि हो अथवा 30 वर्ष तक लीज पर ली हो। भरण पोषण अनुदान की पात्रता हेतु पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम–25 एवं मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम–50 शरणागत निराश्रित अलाभकारी गोवंशीय पशु संख्या वाले गोसदन।	सम्बंधित संस्था उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड देहरादून के कार्यालय में आवेदन करेगा। आवेदन पत्र https://ahd.uk.gov.in/files/Gau_Sadan_Recognition_Application_Form.pdf लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा सम्बंधित क्षेत्र के पशुपालन प्रभार अधिकारी/पशुपालन विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे: • राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित संस्था के नाम भूमि स्वामित्व के अभिलेख। • सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकरण। • संस्था की संविधान/नियमावली में अलाभकारी गोवंश को शरण दिये जाने का संकल्प या प्राविधान। • संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी के नाम, पदनाम, पता एवं दूरभाष संख्या। • स्थानीय ग्राम सभा/नगर पालिका /अन्य स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र। • चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा आय–व्यय लेखा रिपोर्ट। • संस्था का बैंक खाता। • संस्था का चयन होने के उपरांत राजकीय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने से पूर्व आवेदक संस्था को निर्धारित प्रपत्र पर कम से कम 05 वर्षों हेतु प्रभावी अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION

		2 पशु खरीदने ही होंगे तथा सब्सिडी प्राप्त करने हेतु ऋण लेना अनिवार्य है।		समिति साथ में जाती है। पशुओं का चयन कर क्रय करती है एवं पशुओं को स्वास्थ्य की जांच कर पशुपालक के घर तक छोड़ती है। इसके लिए पशुपालक को विभागीय कार्मिकों को कोई धनराशि नहीं देनी पड़ती है। यदि किसी लाभार्थी को सूचीबद्ध फर्म के पशु पसंद नहीं आते हैं तो उस स्थिति में लाभार्थी संबंधित जनपदीय प्रबंधक को लिखित में सूचित करेंगे एवं अनुमति मिलने के उपरान्त राज्य के बाहर से क्रय समिति के साथ ही पशु उपलब्ध करायेंगे।
2	**दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना**	दुग्ध सहकारी समितियों को दूध उपलब्ध कराने वाले पशुपालकों को दूध का मूल्य प्रदान करने के साथ ही मानक के अनुसार रू0 04.00 / ली0 अथवा रू0 03.00 / ली0 की प्रोत्साहन राशि भुगतान की जाती है।	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के ऐसे सदस्य जो दूध उपलब्ध करा रहे हों।	दुग्ध समिति को दुग्ध आपूर्ति करने वाले सदस्यों को निर्धारित मानक (7.90 से 7.99 प्रतिशत वसा रहित ठोस) पर रू0 03.00 / ली0 एवं 08.00 प्रतिशत व इससे अधिक वसा रहित ठोस पर रू0 4.0 / ली0 प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान दुग्ध समिति सदस्यों को डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। इसके लिए दुग्ध उपलब्ध कराने वाले पशुपालक को सहकारी समिति में अपना बैंक खाता विवरण देना होगा।
3	**साईलेज एवं दुधारू पशुपोषण योजना**	दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों पर्वतीय एवं मैदान के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त मिनिरल मिक्चर एवं प्रोबायोटिक्स वर्तमान वर्षों में साईलेज पर 75 प्रतिशत अनुदान पर दिया जा रहा है जिसमें लाभार्थी को प्रति किग्रा रू0 2.00रू. अमफन्ड अनुदान सहित मिलता है। कान्सेन्ट्रेट फीड ब्लाक 50 प्रतिशत, जो वर्तमान में रू0 5/किग्रा0 में लाभार्थी को मिलता है।	दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों को, जो दुग्ध सहकारी समिति को दूध उपलब्ध कराते हों।	समिति को दुग्ध उपलब्ध कराने वाले पोरर सदस्य द्वारा मात्रा की मांग का प्रार्थना पत्र समिति के सचिव के नाम पर लिखना होता है तथा सम्बन्धित समिति सचिव सदस्य की आवश्यकतानुसार जिला स्तरीय दुग्ध संघ को मांग प्रेषित कर सदस्य को दुग्ध सहकारी समिति में ही पशुपोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है।

*****

रेशम विभाग

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हतायें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	रेशम वृक्षारोपण	जनपद में चयनित किसानों को रेशम वृक्षारोपण हेतु रू0 17,244 की धनराशि अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। 2– रेशम कृमि किसान द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।	योजना हेतु लाभार्थियों का क्लस्टर/समूह होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में क्लस्टर हेतु न्यूनतम 25 किसान एवं मैदानी क्षेत्रों में 50 किसान होने अनिवार्य। समूह के लाभार्थियों के पास न्यूनतम 300 पौधों के रोपण हेतु भूमि उपलब्ध हो। चॉकी कीटपालन कार्य विभागीय देखरेख में किया जाता है। इसलिए क्लस्टर का चयन विभागीय रेशम फार्मों से 15–20 किमी0 की दूरी के अन्तर्गत/इससे अधिक दूरी होने पर स्थानीय समूह सामूहिक चॉकी केन्द्र हेतु एक एकड़ भूमि उपलब्ध करायें तथा चॉकी कीटपालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर चॉकी कीटपालन कार्य कर सकते हैं। पूर्व से कीटपालन कार्य करने वालों या जिन किसानों के पास शहतूती मौजूद पौध उपलब्ध हों उनको प्राथमिकता। शहतूती रेशम कार्य 4000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र तक किया जा सकता है लेकिन इस कार्य के लिए गर्म घाटी वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। रेशम कीट पालन हेतु विभाग द्वारा इस योजना के कोई क्षेत्र विशेष चयनित नहीं किये हैं, लेकिन अधिकांश राजकीय रेशम फार्म पूर्व से उन्हीं स्थानों पर स्थापित किये गये हैं जहां पर शहतूती रेशम का कार्य आसानी से किया जा सकता है।	चॉकी केन्द्रों से सम्बद्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों/ग्राम प्रधान, सहायक समूहों एवं केन्द्र/फार्म प्रभारियों द्वारा क्षेत्र में आयोजित प्रचार-प्रसार गोष्ठियों/बैठकों के माध्यम से इच्छुक लाभार्थियों का चयन किया जाता है। क्षेत्र विशेष में क्लस्टर का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभागीय कमेटी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है कि सम्बन्धित क्षेत्र रेशम वृक्षारोपण/कार्य हेतु उपयुक्त है या नहीं। स्थलीय निरीक्षण की संस्तुति के उपरान्त विभागीय कार्मिकों के तकनीकी सहयोग से शहतूत वृक्षारोपण व अन्य कार्य योजना को शासन लाईन में अनुश्रवण किया जाता है। चयनित लाभार्थियों की [illegible] तैयार करने हेतु वोटर कार्ड/राशन कार्ड, बैंक खाते विवरण, जिस क्षेत्र में वृक्षारोपण करना चाहते हैं, उसके भूमि सम्बन्धी दस्तावेज फोटो प्राप्त किये जाते हैं। उसके उपरान्त विभागीय कार्मिकों की देख रेख में वृक्षारोपण व अन्य कार्य सम्पन्न किये जाते हैं और सम्पादित किये कार्यों के अनुरूप ही किसानों को अनुदान धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।
2.	कीटपालन उपकरण	चयनित लाभार्थियों को कीटपालन कार्य हेतु [illegible]	योजना हेतु लाभार्थियों का क्लस्टर/समूह होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में क्लस्टर हेतु	चॉकी केन्द्रों से सम्बद्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों/ग्राम प्रधान, सहायक समूहों एवं केन्द्र/फार्म प्रभारियों द्वारा क्षेत्र में

क्र०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		42,000 की सहायता (90:10:10) आवश्यक उपकरण खरीदने हेतु भुगतान की जाती है। उक्त धनराशि में से 10 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं से व्यय करते हुए चौकी [illegible] की स्थापना करनी होती है तथा अन्य कीटपालन सामग्री विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।	न्यूनतम 25 किसान एवं मैदानी क्षेत्रों में 30 किसान होने अनिवार्य। संबंधित लाभार्थी कीटपालन करने हेतु इच्छुक हों। पूर्व से कीटपालन कार्य करने वाले या जिन किसानों के पास शहतूत पौधा रोपण उपलब्ध हो उनको प्राथमिकता। सिल्क समग्र योजना के अन्तर्गत किसानों की खेतों की मेड़ों पर पौध रोपण किया जाता है जिसका मानक 500 पौध/एकड़ निर्धारित है। चयनित कलस्टर में सभी किसानों को पौध रोपण की अनिवार्यता है।	आयोजित [illegible] / [illegible] / प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इच्छुक लाभार्थियों का चयन किया जाता है। क्षेत्र विशेष में कलस्टर का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है कि संबंधित क्षेत्र रेशम कृमिपालन/ कार्यों हेतु उपयुक्त है या नहीं। स्थलीय निरीक्षण की संस्तुति के उपरान्त [illegible] की तकनीकी सहयोग से शहतूत वृक्षारोपण व रेशम कार्य योजना की माइक्रोप्लान के अनुरूप किया जाता है। चयनित लाभार्थियों की पौधशाला तैयार करने हेतु [illegible] / [illegible] द्वारा किसान [illegible] में वृक्षारोपण कराया जाता है। उसके [illegible] प्राप्त किये जाते हैं। चौकी [illegible] की स्थापना किसान द्वारा की जाती है तथा कीटपालन सामग्री विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। सिल्क समग्र योजना के अन्तर्गत किसानों को प्रशिक्षण का प्राविधान होता है जिसमें कलस्टर में शामिल सभी किसानों को वृक्षारोपण/कीटपालन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो लाभार्थी [illegible] प्रशिक्षित नहीं होते हैं, उन्हें [illegible] प्रशिक्षण दिया जाता है।
3.	कीटपालन भवन	कीटपालन भवन हेतु रू0 1 लाख की आर्थिक सहायता (80:10:10) उपलब्ध करायी जाती है। रू0 10,000 किसान द्वारा स्वयं वहन करते हुए कीटपालन भवन की नींव का निर्माण कार्य पूर्ण करना। शेष सहायता मद में रू0 90,000 की सहायता दो किश्तों में।	[illegible] चयनित [illegible] किसानों वृक्षारोपण मद में [illegible] उपलब्ध कराई गई है और जिनके पास कीटपालन हेतु 500 शहतूत पौध उपलब्ध हो।	सिल्क समग्र योजना के अन्तर्गत किसानों का चयन कलस्टर मोड में किया जाता है जिसके लिए विभागीय एजेंसी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है तथा क्षेत्र की उपयुक्तता के आधार पर योजना का संचालन किया जाता है जिसमें किसान की पौधशाला तैयार करने हेतु पूर्व [illegible] का आकलन किया जाता है। कीटपालन भवन निर्माण में किसान द्वारा स्वयं की धनराशि पर कीटपालन भवन की नींव का निर्माण किया जाता है। निर्माण कार्य की प्रगति एवं मानकों के [illegible] के अनुरूप कलस्टर प्रभारी की संस्तुति पर शेष सहायता धनराशि किसान के खाते में भुगतान की जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENT

मत्स्य विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना**	पर्वतीय क्षेत्रों में जलापूर्ति समस्या का बेहतर उपयोग कर समस्त जाति वर्ग के व्यक्तियों हेतु तालाब के कमाण्ड (न्यूनतम 10 तालाब एक ही स्थान पर बनाने अनिवार्य है) बनाकर, तालाब निर्माण करने एवं प्रथम वर्षीय निवेश तथा मछलियों के बच्चे एवं आहार हेतु 50 प्रतिशत सरकारी अनुदान के रूप में दी जाती है। 10 तालाब एक व्यक्ति भी बना सकता है एवं कुछ लोग मिलकर भी बना सकते हैं। उक्त वृद्धि इन वाली मछलियों के पालन हेतु तकनीकी सहायता भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 300 घन मीटर तक के तालाब के लिए ही अनुदान दिया जायेगा। अधिकतम 2.5 लाख का अनुदान दिया जाता है। समिति / समूह / संस्था / फेडरेशन / संगठन हेतु 1000 घन मीटर हेतु अधिकतम 8 लाख का अनुदान दिया जाता है। अतिरिक्त 50 प्रतिशत धनराशि व्यक्ति को स्वयं के पास से लगाना पड़ता है अथवा बैंक से लोन लेना पड़ता है।	राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के समस्त जाति वर्ग, महिला एवं पुरुष जो मछली उत्पादन करने हेतु इच्छुक हों या मछली उत्पादन कर रहे हों एवं जिनके पास भूमि / लीज की भूमि हो एवं जलापूर्ति स्रोत की उपलब्धता है, पात्र होंगे। लाभार्थी/समूह का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।	संबंधित योजना का लाभ लेने हेतु पात्र लाभार्थी / समूह को प्रपत्र पर आवेदन जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य / जनपद मत्स्य प्रभारी कार्यालय में देना। प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, भूमि की खतौनी– खतौनी, खसरा, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, फोटो लेकर यदि समूह आवेदन करेगा तो सम्बंधित पंजीकरण प्रमाण पत्र / भूमि उपलब्धता प्रमाण पत्र संलग्न करेगा। भविष्य में आवेदन करने की प्रक्रिया आनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। प्रार्थना पत्र जमा करने के पश्चात मत्स्य निरीक्षक / फील्ड कार्मिकों द्वारा सर्वे किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद संबंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात फील्ड कार्मिकों की देख–रेख एवं तकनीकी सहायता देते हुए तालाब निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाता है। यदि लाभार्थी के पास 50 प्रतिशत धनराशि की उपलब्धता न हो तो लाभार्थी बैंक से नजदीकी सहकारी बैंक / बैंक से ऋण ले सकता है, ऋण लेने की स्थिति में विभाग द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव बैंक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। बैंक संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद धनराशि स्वीकृत करता है। उसके उपरांत निर्माण कार्य सम्पन्न होने पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के आधार पर, डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सब्सिडी भुगतान की जाती है, ऋण की स्थिति में सब्सिडी बैंक के माध्यम से लाभार्थी को जाती है। तकनीकी सहायता विभाग से कभी भी प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी लाभार्थी को प्रशिक्षण प्राप्त करना हो तो सम्बंधित निःशुल्क प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया जाता है तथा मछलियों की मार्केटिंग हेतु लाभार्थी यदि बाजार में बेचने हेतु सक्षम न हो तो विभाग द्वारा स्थापित उत्पादकता के माध्यम से भी विक्रय कर सकता है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना प्रारूप संलग्नक –1

गतिविधि/मद	यूनिट लागत प्रति हैक्टेयर	अनुदान (सामान्य वर्ग)	अनुदान (महिला/अनु जाति/जनजाति)	अधिकतम लिमिट/अनुदान सीमा
नये तालाब निर्माण एवं निवेश	11 लाख (प्रति हैक्टेयर)	4 लाख 40 हजार	6 लाख 60 हजार	अधिकतम 2 हैक्टेयर व्यक्तिगत एवं 20 हैक्टेयर समिति/समूह आदि
ट्राउट रेसवेज एवं निवेश (लगभग 50 क्यूबिक मीटर) प्रति यूनिट	5 लाख 50 हजार	2 लाख 20 हजार	3 लाख 30 हजार	अधिकतम 4 यूनिट व्यक्तिगत एवं 20 यूनिट समिति/समूह आदि
लार्ज आर.ए.एस. (8 टैंक)/लार्ज बायोफ्लॉक यूनिट (50 टैंक)	50 लाख	18 लाख	12 लाख 50 हजार	अधिकतम 1 यूनिट
मीडियम आर.ए.एस. (6 टैंक)/मीडियम बायोफ्लॉक यूनिट (25 टैंक)	25 लाख	10 लाख	15 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
लघु आर.ए.एस. (1 टैंक) /लघु बायोफ्लॉक यूनिट (7 टैंक)	7 लाख 50 हजार	3 लाख	4 लाख 50 हजार	अधिकतम 1 यूनिट
ट्राउट हैचरी की स्थापना	50 लाख	20 लाख	30 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
कोल्डवाटर आर.ए.एस. यूनिट	20 लाख	8 लाख	12 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
फिश कियोस्क	10 लाख	4 लाख	6 लाख	अधिकतम 1 यूनिट

गतिविधि/मद	यूनिट लागत	अनुदान (सामान्य वर्ग)	अनुदान (महिला/अनु जाति/जनजाति)	अधिकतम लिमिट/अनुदान सीमा
मोटर साईकिल विद आईस बॉक्स	75 हजार	30 हजार	45 हजार	अधिकतम 1 यूनिट
थ्री व्हीलर विद आईस बॉक्स	3 लाख	1 लाख 20 हजार	1 लाख 80 हजार	अधिकतम 1 यूनिट
रेफ्रीजरेटेड/इन्सुलेटेड वाहन	25 लाख	10 लाख	15 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
कोल्ड स्टोरेज क्षमता 10 टन	40 लाख	16 लाख	24 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
केज की स्थापना	3 हजार प्रति घन मी.	1 हजार 2 सौ	1 हजार 8 सौ	अधिकतम 1000 घन मीटर व्यक्तिगत एवं 1200 घन मीटर समिति/समूह आदि
बैकयार्ड ऑर्नामेंटल यूनिट	3 लाख	1 लाख 20 हजार	1 लाख 80 हजार	अधिकतम 4 यूनिट व्यक्तिगत एवं 20 यूनिट समिति/समूह आदि
फीड मिल क्षमता 2 टन प्रतिदिन उत्पादन	30 लाख	12 लाख	18 लाख	अधिकतम 1 यूनिट

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				आवेदक के खाते में किया जाता है।
1.	वन क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्र में वन्य जीवों द्वारा जनमानस की क्षति में मुआवजा (मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि)	1–वन क्षेत्र तथा उसके आस–पास के क्षेत्र में वन्यजीवों के आक्रमण से मानव क्षति (मृत्यु व घायल/ दिव्यांग) अधिकतम रू0–4 लाख तथा न्यूनतम रू0 50 हजार तक देय। 2– वन क्षेत्र तथा उसके आस–पास के क्षेत्र में वन्य जीवों द्वारा पालतू पशु क्षति की दशा में अधिकतम अनुग्रह रू0 40 हजार और न्यूनतम रू0 3 हजार प्रति पशु। 3– वन क्षेत्र तथा उसके आस–पास के क्षेत्र में जंगली हाथी, जंगली सुअर, नील गाय, [illegible] तथा बन्दरों द्वारा फसलों की क्षति होने पर अधिकतम रू0 25 हजार एवं न्यूनतम रू0–[illegible] हजार प्रति हेक्टे0। 4–जंगली हाथियों द्वारा मकान/कच्चा मकान/झोपड़ी/[illegible] आदि की क्षति [illegible] की स्थिति में अधिकतम रू0–[illegible] हजार न्यूनतम रू0–[illegible] तक। [illegible]	(1) [illegible] से मृत्यु, घायल या दिव्यांग होने पर। (2) [illegible]	(1) वन्यजीवों के आक्रमण से मृत्यु, घायल या दिव्यांग होने पर – [illegible]

संलग्नक–1

1. वन्यजीवों के आक्रमण से किसी व्यक्ति के घायल/मृत्यु होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है–

क्षति का प्रकार	कुल देय धनराशि(रू0 लाख में)	राज्य आपदा मोचन निधि(SDRF) का अंश	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि का अंश
वन्यजीव के आक्रमण से मृत्यु पर	4.00 लाख	4.00 लाख	0.00
आंशिक रूप से अपंग	1.00 लाख	59,100	40,900
पूर्ण रूप से अपंग	2.00 लाख	2.00 लाख	
साधारण रूप से घायल	15.00 हजार	4,300	10,700
गम्भीर रूप से घायल	30.00 हजार	12,700	17,300

2. वन्यजीवों के आक्रमण से पशुक्षति होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है :–

पशु क्षति का प्रकार	देय धनराशि	राज्य आपदा मोचन निधि का अंश	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि का अंश
दुधारू पशु-गाय/भैंस/ऊँट/याक/मिथुन आदि प्रति पशु	30 हजार	30 हजार	
घोड़े व खच्चर सम्बन्धी पशु- बैल, भैंसा	40 हजार	25 हजार	15 हजार
बछड़ा प्रति पशु	40 हजार	16 हजार	24 हजार
भेड़ प्रति पशु	25 हजार	25 हजार	
बकरी/भेड़/सूअर प्रति पशु	4 हजार	4 हजार	
गधा/खच्चर/कुत्ता प्रति पशु	3 हजार	3 हजार	

3. वन्यजीवों के आक्रमण से फसल क्षति होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है :–

कृषि फसल का प्रकार		देय धनराशि (प्रति एकड़)	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि का अंश
गन्ना	सम्पूर्ण क्षेत्र	28,000/	28,000/
धान/गेहूं तिलहन	सम्पूर्ण क्षेत्र	16,000/	16,000/
उपरोक्त फसलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर	सम्पूर्ण क्षेत्र	8,000/	8,000/

4. जंगली हाथियों द्वारा मकान क्षति होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है :–

मकान का प्रकार	(क) पूर्ण क्षतिग्रस्त/नष्ट मकान	देय धनराशि(प्रति मकान रू0 में)	राज्य आपदा मोचन निधि का अंश (प्रति मकान रू0 में)	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि का अंश (प्रति मकान रू0 में)
पक्का मकान / कच्चा मकान (पूर्ण रूप से)	(i) पक्का मकान (ii) कच्चा मकान	95000/–	95000/–	
कच्चा मकान (आंशिक रूप से)	कच्चा मकान (आंशिक रूप से)	20,000/–	–	20,000/–
पक्के मकान की क्षतिग्रस्तता की प्रति मकान पक्के मकान की आंशिक क्षति	(ख) आंशिक क्षतिग्रस्त मकान (i) पक्का मकान (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15 प्रतिशत क्षति हो।	15,000/–	5,200/–	9,800/–
	(ii) कच्चा मकान (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15 प्रतिशत क्षति हो।	3200/–	3,200/–	–
झोपड़ी, मजदूर से निर्मित अस्थायी क्षतिग्रस्त होने पर	(ग) क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी	5,000/–	4,100/–	900/–

******

आवास विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक	प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तीन प्रकार से आवास बनाने हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है – 1. ब्याज में छूट/सब्सिडी। 2. भागीदारी में किफायती आवास। 3. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार। उक्त बिंदु 2 "भागीदारी में किफायती आवास घटक" का लाभ, पात्रता एवं प्रक्रिया का उल्लेख निम्न है – उक्त योजना के अन्तर्गत शहरों में निवास कर रहे निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को 30 वर्गमीटर तक कारपेट एरिया के पक्का आवास एवं मूलभूत सुविधायें जैसे- विद्युत, पेयजल आदि सुविधा दी जाती है। वर्तमान में राज्य अन्तर्गत विभिन्न शहरों में आवास विभाग द्वारा कुल 21 परियोजनाओं में 17304 ई0डब्ल्यू0 एस0 आवासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रति इकाई आवास का विक्रय मूल्य रू0 6.00 लाख निर्धारित किया गया है, जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा प्रति इकाई रू0 1.50 लाख, राज्य सरकार द्वारा रू0 1.00 लाख प्रति इकाई एवं लाभार्थी द्वारा शेष रू0 3.50 लाख प्रति इकाई दिया जाना प्रस्तावित है।	लाभार्थी की वार्षिक आय रू0 तीन लाख से कम हो तथा आवेदक का नागरिक हो एवं उत्तराखण्ड में दिनांक 17.06.2015 से पूर्व निवास कर रहा हो, निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा एवं भारत में कोई पक्का आवास न हो। पंजीकरण भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पोर्टल https://pmaymis.gov.in पर सीधे ऑनलाइन एवं पोर्टल पर पंजीकरण कराये जाने हेतु सम्बन्धित नगर निगम कार्यालय, शहरी विकास कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के विकासकर्ता/प्राधिकरण/परिषद के माध्यम से कराया जा सकता है। उत्तराखण्ड आवास नीति के अनुसार इस योजना अन्तर्गत वही लोग आवेदन हेतु पात्र होते हैं जिनका पंजीकरण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पोर्टल पर हो तथा इस हेतु उनकी Unique Identification नम्बर निर्गत हो गया हो।	सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन निर्धारित समयावधि के अंतर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। लाभार्थियों को आवेदन फार्म का शुल्क एवं रू0 5000.00 की बुकिंग धनराशि जमा करने के उपरान्त आवेदन फार्म सम्बन्धित जिला के जिलाधिकारी कार्यालय, नगर निगम/परिषद कार्यालय, सम्बन्धित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कार्यालय, विकासखण्ड के कार्यालय एवं बैंक तथा अन्य कार्यालयों में जमा कराये जाते हैं। आवेदन के साथ लाभार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, उत्तराखण्ड में निवास की तिथि से सम्बन्धित प्रमाणपत्र तथा देश में कहीं भी आवास न होने सम्बन्धी शपथ पत्र की आवश्यकता होती है। प्राप्त आवेदनों की प्रथम दृष्टया जाँच सम्बन्धित प्राधिकरणों अथवा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के माध्यम से पूर्ण करते हुए पंजीकरण सम्बन्धित जिले के नगर निगम कार्यालय को भौतिक सत्यापन/जांच हेतु प्रेषित किये जाते हैं तथा इस पर संयुक्त रूप से नगर निगम, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण एवं उपजिलाधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्ण किये जाने के उपरान्त पात्र लाभार्थियों की सूची सम्बन्धित प्राधिकरण/परिषद को लॉटरी के आवंटन हेतु प्रेषित की जाती है। उक्त सूची पर लॉटरी किये जाने के उपरान्त लाभार्थियों द्वारा धनराशि जमा की जाती है तथा उनको आवास आवंटित किया जाता है। वर्तमान में कॉमन सर्विस सेन्टर से भी आवेदन जमा किये जा सकते हैं।

****

शहरी विकास विभाग

क्र.	योजना का नाम	योजना का लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम)	[illegible] Interest Subsidy [illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] https://pmsvanidhi.mohua.gov.in [illegible]
3.	प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी)	[illegible]	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] State level Nodal Agency (SLNA) [illegible] State level Sanctioning and Monitoring committee (SLSMC) [illegible] 4. [illegible]

****

पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल उपभोक्ताओं को जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था	ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को निजी घरेलू संयोजन लेने पर देय संयोजन शुल्क की वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के स्थान पर निजी जल संयोजन में संयोजन शुल्क रुपये 100 प्रतिसंयोजन एवं आवेदन शुल्क रुपये 25.00 जमा कराकर घरेलू जल संयोजन दिये जाने की सुविधा प्रदान की जा रही है।	जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के समस्त ग्रामीण परिवारों को आच्छादित किये जाने का प्राविधान है। यह राज्य के शहरी क्षेत्रों पर लागू नहीं है।	उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवार ऑनलाईन विभागीय वेबसाइट www.ujs.uk.gov.in के माध्यम से तथा ऑफलाईन सीधे निकटवर्ती विभागीय कलेक्शन सेंटर से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर पेयजल संयोजन के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, विद्युत पहचान पत्र, आधार कार्ड फोटो सहित, ड्राईविंग लाईसेंस, बैंक पासबुक फोटो सहित, पासपोर्ट एवं सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी आई0डी0 कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित छायाप्रति की आवश्यकता होगी। सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत मानचित्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति (व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु आवेदित संयोजन हेतु ही आवश्यक है। अन्य उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक नहीं है।) रू0 100 का नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर, जिस पर शपथ-पत्र दिया जाना है, उस स्थान के स्वामित्व/अध्यासी हेतु विक्रय पत्र, लीज डीड, स्वामित्व प्रमाण-पत्र (रजि0), खतौनी का नकल, वोटर आईडी कार्ड, नगर निगम/नगर पालिका द्वारा निर्गत भवन कर मूल्यांकन प्रमाण-पत्र, किरायेदार अनुबन्ध, राशन कार्ड, बिजली का बिल, राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक, ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत स्वामित्व/अध्यासी प्रमाण-पत्र में से किसी एक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। विभागीय रजिस्टर्ड प्लम्बर जिसके माध्यम से आवेदक द्वारा कार्य कराया जायेगा, का स्वीकृति पत्र की आवश्यकता होगी। यदि आवेदक अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/ निराश्रित/ भूमिहीन श्रमिक/सैनिक विधवाएं/विकलांग का व्यक्ति है तो उसका प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी। आवेदन करने के बाद विभाग द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जाती है तथा 15 दिवस के भीतर आवेदक को पेयजल संयोजन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।
2.	राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवासरत बी0पी0एल0/निर्धन परिवारों को रू0	वर्तमान में रू0 100 में जल संयोजन दिया जाता है।	राज्य के ऐसे निर्धन परिवार जिनके पास 100 वर्गमीटर से अनधिक भाव क्षेत्र की भूखण्ड उपलब्ध है	उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवासरत बी0पी0एल0/निर्धन परिवारों को ऑनलाईन विभागीय वेबसाइट www.ujs.uk.gov.in के माध्यम से तथा ऑफलाईन सीधे निकटवर्ती विभागीय कलेक्शन सेंटर से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर पेयजल संयोजन के

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
	होने संबंधी परिचय पत्र	सेनानी की मृत्यु के उपरान्त पेंशन दिए जाने हेतु व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की श्रेणी के अन्तर्गत पुत्र और पुत्री (विवाहित तथा अविवाहित) और पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पोती (पुत्र की पुत्री) को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र।	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारी परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित सेनानी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का प्रमाण पत्र देना होता है।	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्गत किये जाते हैं। प्रमाणपत्र के संबंध में 1 पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रमाण पत्र को आधार मानकर परिचय पत्र जारी किया जाता है।
8.	आय प्रमाण पत्र (आय प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए वैध होता है।)	समाज कल्याण एवं अन्य विभागों की विभिन्न पेंशन, छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता, स्वरोजगारपरक योजनाओं, शैक्षणिक संस्थाओं/विद्यालयों में फीस में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु।	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी	सर्वप्रथम वे अपनी सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ पर ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है. यह आवेदन करने हेतु सम्बन्धित मोबाइल नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है। इसके उपरांत सम्बंधित व्यक्ति का नाम,पता, आदि विवरण भरा जाता है। जिसमें लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा आय प्रमाण पत्र पर चयन करके आवेदन करते है। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज आवश्यक है :— **अनिवार्य दस्तावेज**—स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल (नगर निकाय क्षेत्रों में आवश्यक नहीं), पिता/पारिवारिक सदस्यों के विवरण/आय आदि के संबंध में स्व-घोषणा पत्र (जिसका प्रारूप अपनी सरकार पोर्टल से डाउनलोड कर या किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या तहसील स्तर से प्राप्त कर सकते हैं) **वैकल्पिक दस्तावेज**—पेंशन पर्ची (सेवायोजित होने की दशा में), ई-श्रमिक कार्ड/मनरेगा कार्ड (असंगठित क्षेत्र के मजदूर होने की दशा में आय की गणना मनरेगा के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर 100 दिन की वार्षिक मजदूरी आगणित की जाएगी अर्थात किसी असंगठित क्षेत्र के

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
				मजदूर द्वारा वर्ष भर 100 दिन कार्य किया गया जिसकी मजदूरी का निर्धारण मनरेगा दरों तथा वर्तमान में प्रतिदिन रू0 182 हो तो उसकी वार्षिक आय 100X182.00=18200 आगणित की जायेगी। कृषि सकी आय प्रमाण (कृषक होने की दशा में उसके पास उपलब्ध कृषि भूमि (हैक्टे) X प्रति है0 औसत उत्पादन-औसत बाजार भाव/व्यावसायिक आय के आधार पर आय का आगणन किया जायेगा इसके अतिरिक्त यदि सेवायोजित है तो वहां से प्राप्त वार्षिक आय को सम्मिलित करते हुए आय का आगणन किया जायेगा। **पेंशन भोगी व्यक्ति** (सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा वृद्धा, विधवा, विकलांग एवं अन्य योजनाओं में पेंशन से प्राप्त वार्षिक आय के आधार पर आगणन किया जायेगा तथा परित्यक्ता की दशा में उसको प्राप्त होने वाले भरण-पोषण भत्ते के आधार पर एवं ऐसा न होने पर उसकी आय का आगणन अकुशल मजदूर की आय के अनुसार किया जायेगा।). निजी व्यवसाय (किराया आदि होने की दशा में व्यापार कर विभाग में दाखिल रिटर्न, ठेकेदार, डाक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, चार्टेड एकाउन्टेंट, मकान एवं दुकान किराया न होने की दशा में यदि आयकरदाता नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वघोषणा प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय के आधार पर सक्षम स्तर से कुल वार्षिक आय का आगणन किया जाता है। आवेदनकर्ता द्वारा अन्य स्रोतों की आय को स्वघोषणा पत्र में उल्लिखित करनी होगी। जैसे ही आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन पत्र सीधे ऑनलाइन तहसीलदार को चला जाता है जो सीधे राजस्व उप निरीक्षक को जांच कराने हेतु भेजा जाता है जांच सही पाये जाने के उपरान्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत संबंधित तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन/डिजीटली प्रमाण पत्र 15 दिन के भीतर निर्गत किया जाता है। जिसका मैसेज मोबाइल फोन में या ईमेल में आ जाता है। आय प्रमाण पत्र में अंकित आय से असंतुष्ट होने पर आवेदक प्रथम अपील उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
3.	1 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र 2. अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र	विभिन्न राजकीय सेवाओं, जनप्रतिनिधिमण्डलों सीटों एवं छात्रवृत्ति की योजनाओं में आरक्षण	उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति अधिसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया "आय प्रमाण पत्र" के अनुसार होगी परन्तु निम्न दस्तावेज अनिवार्य है:- परिवार के सदस्यों/आवेदक की भूमि खतौनी/खतौनी की नकल (1985 से निवासरत/निवास का यहाँ से संबंधित दस्तावेज), आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल (नगर निकाय क्षेत्र जहाँ पर परिवार रजिस्टर नहीं होता है के आवेदकों हेतु आवश्यक नहीं), वैकल्पिक दस्तावेज –बिजली

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता / जरूरी	आवेदन प्रक्रिया एवं शासन / स्वीकृति प्रक्रिया
12.	विरासत दर्ज कराना (मृत्यु होने की स्थिति में)	जमीनी दस्तावेजों में मालिकाना हक के लिए विरासत दर्ज कराना।	खातेदार का वारिस होना जरूरी हो। मृतक व्यक्ति का आश्रित/परिवार का सदस्य हो।	आवेदक द्वारा विरासत दर्ज कराने का आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्र के पटवारी/लेखपाल को मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृतक का एवं परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल के साथ देना होता है। इसके उपरान्त संबंधित पटवारी प्रपत्र प/क – 11 भरकर जांच की रिपोर्ट तहसील [illegible] प्रस्तुत करने के बाद 7 दिन के अन्दर खतौनी में विरासत दर्ज कराया होता है।
13.	दाखिल खारिज (क्रय-विक्रय)	जमीन खरीदने के उपरान्त दाखिल खारिज कराना अनिवार्य होता है जो राजस्व अभिलेखों के अनुसार जमीन का [illegible] करता है।	ऐसे व्यक्ति जो [illegible] जमीन क्रय-विक्रय करते हों उनका [illegible] दाखिल खारिज करा सकते हैं।	वर्तमान में भूमि क्रय-विक्रय की ऑनलाइन रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज की कार्यवाही आर.सी.एम.एस. पोर्टल https://rcms.uk.gov.in/ के माध्यम से की जा रही है जिसमें आवेदक द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने का आवेदन पत्र तहसीलदार के नाम पर किया जाता है। इसके साथ रजिस्ट्री की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी जमा करनी होती। इसके बाद तहसीलदार द्वारा 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है जिसमें आपत्ति आमंत्रित की जाती है और फिर सुनवाई की जाती है। आपत्ति प्राप्त होने पर आपत्ति का निस्तारण किया जाता है किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में दाखिल खारिज कर दिया जाता है। दाखिल खारिज दर्ज के उपरान्त भूलेख पोर्टल में नाम देख सकते हैं।
14.	खाता खतौनी में संशोधन	खाता खतौनी में नाम, [illegible] पिता का नाम या अन्य विवरण त्रुटिपूर्ण गलत होने पर सही किया जाना अनिवार्य होता है ताकि जमीन संबंधित अधिकारों में असुविधा न हो।	ऐसा व्यक्ति जिसकी जमीन [illegible] खाता खतौनी में उसका नाम दाखिल हो, परन्तु नाम या अन्य विवरण में कोई त्रुटि हो।	आवेदक द्वारा खाता खतौनी में कोई भी त्रुटि होने पर (जैसे नाम, पिता का नाम आदि) की प्रार्थना पत्र तहसीलदार के नाम दिया जाता है। इसके साथ खाता खतौनी की कॉपी, जिसमें संशोधन करना है, आधार कार्ड की कॉपी एवं जो विवरण त्रुटिपूर्ण गलत हुआ है उसका अभिलेखीय साक्ष्य/प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। अभिलेखीय साक्ष्य/प्रमाण पत्र जमा करने के उपरान्त संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाती है। जांच सही पाये जाने पर असिस्टेंट कलेक्टर/उपजिलाधिकारी द्वारा संशोधन किया जाता है। [illegible] भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा –33 के अंतर्गत वार्षिक रजिस्टर में किसी भूल या लोप के सुधार हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार को देने के पश्चात, तहसीलदार जांचोपरांत [illegible] असिस्टेंट कलेक्टर को एक रिपोर्ट पेश करेगा, जो धारा – 40 के प्राविधानों के अनुसार विवाद का निर्णय करके, उसका निस्तारण करते हैं।
15.	जमीन का डिमार्केशन (सीमांकन) कराने की प्रक्रिया/लाभ	संबंधित व्यक्ति की वास्तविक जमीन कहाँ पर है स्पष्ट हो जाती है।	जमीन का डिमार्केशन कराने के लिए राजस्व क्षेत्र के भीतर जमीन होनी अनिवार्य है।	आवेदक द्वारा सीमांकन कराने का आवेदन पत्र उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को देना पड़ता है प्रार्थना-पत्र के साथ जिस जमीन का सीमांकन कर रहे हो उसका खसरा नम्बर, नक्शा एवं खाता खतौनी संलग्न करनी होती है। इसके बाद

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता/ दस्तावेज	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/स्वीकृति प्रक्रिया
	की पैमाइश, नापजोख हेतु।	सम्बंधित क्षेत्रों में गोल ज्यादा अधिक होने के कारण यह आवश्यक की जाता है। ग्राम की जमीन क्षेत्र को सरकार द्वारा लेने की स्थिति में मुआवजा मिलना आसान होता है। किसान क्रेडिट कार्ड या जमीन लोन लेने में आसानी होती है तथा कई जमीनी विवादों से बचा जाता है।	सीमांकन करने के लिए निर्धारित शुल्क आवेदक द्वारा विभाग को जानकारी में जैसा भी न्यायालय निर्धारित करे (सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्य में बनाये गये समय के अनुसार उ0प्र0 राजस्व अधिनियम की धारा -41 में निर्धारित दरों/प्राविधानों के अनुसार) शुल्क जमा करना अनिवार्य है।	उपजिलाधिकारी द्वारा जमीन के सीमांकन करने हेतु सम्बंधित क्षेत्र के पटवारी/कानूनगो/तहसीलदार की टीम गठित कर आदेश दिया जाता है। आदेश जारी करने के उपरान्त संबंधित आवेदक को निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। शुल्क जमा करने के बाद टीम द्वारा जमीन के सीमांकन की तिथि निर्धारित की जाती है तथा उस तिथि को संबंधित आवेदक की उपस्थिति होना अनिवार्य है। उस तिथि में टीम के सभी सदस्य एवं आवेदक जमीन के सम्बन्ध दस्तावेजों के साथ जमीन का सीमांकन करवाते हैं। सीमांकन की जांच होने के पश्चात सीमांकन का प्रमाण पत्र तहसीलदार कार्यालय से जारी किया जाता है जिसे आवेदक एक माह के भीतर प्राप्त कर सकता है।
16.	खसरा खतौनी की प्रमाणिक नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया	इसका उपयोग कई प्रमाण पत्रों को बनाने, कई योजनाओं का लाभ लेने तथा उत्तराखण्ड का निवासी होने को प्रमाणित करने हेतु किया जाता है।	ऐसे समस्त व्यक्ति जिनकी जमीन उत्तराखण्ड में हो (एवं) खसरा खतौनी में उनके नाम दाखिल हों।	खसरा खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदक को सम्बंधित क्षेत्र के तहसील जाना पड़ता है तथा सम्बन्धित कार्यालय पर एवं निर्धारित शुल्क देकर उक्त नकल प्राप्त की जाती है।
17.	नक्शा खसरा एवं नक्शा सजरा (भू-मानचित्र की प्रति) प्राप्त करना।	जमीन का प्रमाण प्राप्त करना।	भूमि आवेदक/परिवार के सदस्यों के नाम होनी आवश्यक है।	आवेदक द्वारा सम्बंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को प्रार्थना पत्र लिखकर एवं उसमें जिस खसरा/सजरा की आवश्यकता हो, उसका विवरण उल्लेख कर तथा आधार कार्ड की प्रति लगाकर, निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जाता है। सिंचाई अभिलेख पुराना होने की स्थिति में संबंधित जनपद/क्षेत्र के सिंचाई कार्यालय जो जिलाधिकारी कार्यालय में स्थित होते हैं, के प्रभारी अधिकारी (अभिलेखागार) के नाम पर प्रार्थना पत्र लिखकर एवं निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया जाता है।
18.	दैवीय आपदा आर्थिक सहायता	दैवीय आपदा से कोई भी नुकसान होने पर रु0 10 हजार तक तहसीलदार, रु0 50	राज्य का आपदा पीड़ित व्यक्ति/परिवार।	आपदा आने की स्थिति में राजस्व प्रशासन प्रशासन द्वारा स्वतः संज्ञान लिये जाने पर अथवा पीड़ित व्यक्ति/आपदा प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति/जनप्रतिनिधियों द्वारा संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों तथा पटवारी/ कानूनगो/तहसीलदार, आपदा विभाग के अधिकारियों तथा

PROGRAMME IMPLEMENTATION

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
				ऑनलाईन पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice में वाहन स्वामी द्वारा पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2	चालक/परिचालक लाइसेंस	चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से चालक वाहन का चालन कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक **व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति** प्राप्त कर अनुमान्य श्रेणी के वाहन की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर सकता है।	भारत के समस्त नागरिक	1. **आवेदन–** शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति/चालन अनुज्ञप्ति/व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण हेतु इच्छुक व्यक्ति द्वारा ऑनलाईन पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। 2. **पात्रता आयु–** शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु–16 वर्ष चालन अनुज्ञप्ति हेतु– 18 वर्ष व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति हेतु–20 वर्ष 3. **आवश्यक प्रपत्र–** **शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु :–** 1. प्रारूप 2 में आवेदन। 2. प्रारूप–1 क में चिकित्सा प्रमाण पत्र। 3. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो–03 4. परिवहन यान हेतु आवेदन की दशा में आवेदक द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति 5. निवास का प्रमाण (आधार/निर्वाचक पहचान पत्र/बीमा प्रमाण पत्र/पासपोर्ट/ई–बिल्स)। 6. आयु का प्रमाण (स्कूल का प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र/सिविल सर्जन द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र)। 7. निर्धारित फीस। **स्थायी अनुज्ञप्ति हेतु :–** 1. प्रारूप–2 में आवेदन। 2. शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की प्रति। 3. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो–03 4. प्रारूप–1 क में चिकित्सा प्रमाण पत्र। 5. निवास का प्रमाण (आधार/निर्वाचक पहचान पत्र/बीमा प्रमाण पत्र/पासपोर्ट/ई–बिल्स)। 6. आयु का प्रमाण (स्कूल का प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र/सिविल सर्जन द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र)। 7. निर्धारित फीस। 8. व्यवसायिक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन की दशा में फार्म 5 का पर मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण स्कूल से जारी प्रमाणपत्र, जहाँ से आवेदक ने अनुदेश/प्रशिक्षण प्राप्त किया है। **चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए–** 1. प्रारूप–2 में आवेदन

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार केन्द्र)

क्र.	पहचान पत्र का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016	आधार अधिनियम 2016 के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार जीवन चक्र के सभी चरणों के संचालन और प्रबंधन सहित आधार नामांकन और प्रमाणीकरण, व्यक्तियों को आधार नंबर जारी करने और प्रमाणीकरण करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने और व्यक्तियों की पहचान संबंधी जानकारी तथा प्रमाणीकरण रिकार्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आधार का अर्थ बुनियाद है इसीलिए यह किसी भी विकास कार्यक्रम के लिए बुनियाद हो सकता है। आधार इसी तरह किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रयुक्त हो सकता है जिसमें निवासी की पहचान प्रमाणित करने की आवश्यकता हो और/या निवासी को विभाग द्वारा सेवाएं/लाभों की सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत हो। आधार जिन योजनाओं के वितरण में उपयोग हो सकता है—खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, मिड डे मील, समेकित बाल विकास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जननी सुरक्षा योजना, इंदिरा आवास योजना, स्वर्णजयंती रोजगार गारंटी योजना, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा-जननी सुरक्षा योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, वोटर पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि हेतु।	भारत का कोई भी निवासी (नवजात शिशु/वरिष्ठ नागरिक सहित) आधार कार्ड के लिए पात्र है। बाल आधार कार्ड बच्चों के लिए है। यही बाल आधार पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। 182 दिनों से अधिक समय तक भारत में रहने वाले विदेशी भी आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधार नामांकन हेतु उम्र की सीमा नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा आधार नामांकन निःशुल्क किया जाता है। 5 वर्ष एवं 15 वर्ष की अवस्था में अनिवार्य बायोमैट्रिक निःशुल्क है। जिन निवासियों ने अपना आधार 10 साल पहले जारी करवाया था और उसके बाद इसमें कभी अपडेट नहीं करवाया, ऐसे आधार नम्बर धारकों को अपने दस्तावेज अपडेट करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा अनुरोध किया जा रहा है। आधार में दस्तावेजों को अद्यतन रखने से जीवनयापन में आसानी, बेहतर सेवा वितरण और प्रमाणीकरण में सफलता में मदद मिलती है।	आधार नामांकन किये जाने हेतु आवेदक को अपने नजदीकी आधार सेवा केन्द्र पर जाना होगा। सेवा केन्द्र की जानकारी हेतु [illegible] अथवा [illegible] पर देखा जा सकता है। आधार नामांकन अथवा नवीनीकरण हेतु अनिवार्य दस्तावेज की सूची [illegible] पर उपलब्ध है। जिन निवासियों ने अपना आधार 10 साल पहले जारी करवाया था और उसके बाद इसमें कभी अपडेट नहीं करवाया, ऐसे निवासी सहायक दस्तावेज (पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण) अपलोड करके अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड किये जाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल https://myaadhaar.uidai.gov.in/ के जरिये या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन अपडेट करवा सकते हैं। आधार केन्द्र के माध्यम से ऑफलाइन दस्तावेज अपडेट कराने का शुल्क रू0 50 निर्धारित है जबकि ऑनलाइन यह सुविधा 14 दिसम्बर 2023 तक निःशुल्क प्रदान की जा रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु टोल फ्री नं0 1947 भी संचालित किया गया है।

*****

राज्य निर्वाचन आयोग

क्र.	पहचान पत्र का नाम	लाभ	पात्रता / दस्तावेज	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	मतदाता पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया	मत देने के अधिकार के उपयोग करने हेतु आवश्यक है।	**फॉर्म-6**– ऐसे भारतीय नागरिक जो किसी पुनरीक्षण वर्ष की 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई अथवा 01 अक्टूबर को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, का नाम प्रथम बार निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने के लिए आवेदन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। **फॉर्म-6 ए**– पासपोर्ट के आधार पर प्रवासी भारतीय नागरिक (एनआरआई) का नाम नियमानुसार निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। **फॉर्म-6 बी** – निर्वाचक नामावली में आधार प्रमाणीकरण हेतु स्वेच्छा से आधार नम्बर की सूचना प्रदान करने के लिए आवेदन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। **फॉर्म-7**– वर्तमान निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक का नाम हटाए जाने के लिए या निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए प्रस्तुत आवेदन पर आपत्ति के लिए प्रारूप के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। **फॉर्म-8**– वर्तमान निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रविष्टि की शुद्धि कराने, मतदाता फोटो पहचान पत्र बदलने अथवा PWD मार्किंग के लिए अथवा एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक बूथ से किसी दूसरे बूथ में निवास स्थान बदलने पर अथवा एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से किसी दूसरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान बदलने पर आवेदन के रूप में प्रयोग किया जाता है।	निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार तिथियां निर्धारित की गयी हैं–01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर। उक्त तिथि से लगभग 2 माह पूर्व जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है। उस तिथि के पूर्व ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई या 01 अक्टूबर तक अर्थात् उक्त तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों, अपने मतदेय स्थलों के बीएलओ के पास, उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के पास, जिला निर्वाचन कार्यालयों में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के प्रपत्र (फॉर्म-6, फॉर्म-6 ए, फॉर्म-6 बी, फॉर्म-7) राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट https://ceo.uk.gov.in/pages/view/38-download-forms से भी डाउनलोड कर सकते हैं तथा उक्त कार्यालयों से भी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र में अपना सम्पूर्ण विवरण उल्लिखित करने के साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी, निवास संबंधी प्रमाण उपलब्ध कराने होंगे। आयु 21 से अधिक की स्थिति में घोषणा की ओर अनिवार्य है। सभी संलग्नकों स्वप्रमाणित होंगे तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन किये जाने के लिए कहे जाने पर आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गये मूल अभिलेखों को भी प्रस्तुत किया जाना होगा, जिन्हें सत्यापन किये जाने के पश्चात् तत्काल लौटा दिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवेदक स्वयं आवेदन पत्र ऑनलाइन https://voters.eci.gov.in और Voter Help Line App (VHA) के माध्यम से कर सकता है। आवेदन आने के बाद निर्वाचन कार्यालय द्वारा दस्तावेजों की जांच/विभागीय कार्यवाही की जाती है तथा मतदाता पहचान पत्र भारतीय डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से सम्बन्धित मतदाताओं को प्रेषित किए जा सकते हैं।

****

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
(आई0टी0डी0ए0, उत्तराखण्ड)

सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। दिनांक 27 जुलाई 2022

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ITDA)

क्र०	मीडिया/पोर्टल का नाम	लाभ	पात्रता/ अपात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं समाधान/सन्तुष्टि प्रक्रिया
1.	**मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 पोर्टल।** https://cmhelpline.uk.gov.in/	आम जनता की शिकायतों/ समस्याओं/सुझावों को दूरभाष/ ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज कर निर्धारित अवधि में शिकायत का निस्तारण की सूचना दूरभाष, ऑन-लाईन एवं मोबाईल पर मैसेज के माध्यम से प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। राज्य के विभागों द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं/योजनाओं पर विभागों द्वारा कार्य नहीं किए जाने या कार्य करने में अनावश्यक विलम्ब/लापरवाही करने इत्यादि की शिकायत कोई भी नागरिक 1905 पर कॉल कर दर्ज करा सकता है। प्रति शिकायत विस्तृत रूप से ली जाती है एवं शिकायत पर किसी भी प्रकार के दस्तावेज संलग्न कर आवश्यकता हो तो शिकायत ऑनलाईन भी दर्ज की जा सकती है। शिकायत दर्ज होने के उपरान्त शिकायतों को ऑनलाईन ही सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को प्रेषित की जाती है, जिस पर अधिकारी द्वारा निस्तारण	राज्य के समस्त नागरिक। शिकायतें जिनका निस्तारण की नहीं होगी – ऐसे प्रकरण जो राज्य सरकार के अधिकार में नहीं आते हैं। किसी सेवा/योजना के सम्बन्ध में शिकायत अथवा सीमित रूप से सूचना नहीं दिया जा सकता अथवा शिकायतकर्ता अपात्र है। ऐसे प्रकरण जिसमें शासन के अधिनियम/नियमावली/शासनादेश के क्रम में निस्तारण नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रकरण जिसमें शासन के अधिनियम/नियमावली/शासनादेश के क्रम में विधिवत् आवेदन न किया गया हो। ऐसे प्रकरण जो सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हो, जिसके लिये पृथक व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसे प्रकरण जो किसी भी मा० न्यायालय के आदेश से बाधित हो। आर्थिक सहायता या नौकरी दिये जाने की मांग। सरकारी सेवकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण (सेवानिवृत्त सहित)।	आवेदक मुख्यमंत्री हैल्पलाईन टोल-फ्री नम्बर-1905 पर कॉल कर कॉल सेंटर एक्जीक्यूटिव के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है। इस प्रयोजन हेतु देहरादून में राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर स्थापित किया जा चुका है। कॉल सेन्टर एक्जीक्यूटिव प्रातः 08 बजे से रात्रि 12 बजे तक उपलब्ध रहेंगे तथा रात्रि 12 बजे से प्रातः 8 बजे तक 1905 पर कॉल कर वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से शिकायतों को दर्ज करने की व्यवस्था है। **आवेदक स्वयं भी** पोर्टल https://cmhelpline.uk.gov.in/ पर ऑनलाईन अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत दर्ज करते समय शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाईल नं०, आधार कार्ड नं० अंकित करना अनिवार्य होगा। शिकायत दर्ज करने के पश्चात् शिकायत को सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों (एल-1, एल-2, एल-3, एल-4) को प्रेषित की जाती है। शिकायतों निस्तारण हेतु अधिकतम 30 दिवस का समय निर्धारित है। अधिकारियों द्वारा शिकायतों पर दिये गये निस्तारण के सम्बन्ध में शिकायतकर्ताओं से सन्तुष्टि जानने हेतु कॉल किया जाता है एवं सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही शिकायत को निस्तारित माना जाता है। यदि शिकायतकर्ता असन्तुष्ट है तो शिकायतकर्ता

		किया जाता है। पोर्टल पर शिकायतों के साथ-साथ मांग/सुझाव भी दर्ज किए जा सकते हैं। **योजना का मुख्य उद्देश्य "जन समस्याओं का त्वरित एवं सकारात्मक निस्तारण करना है।"**		द्वारा दिए गए फीडबैक के साथ शिकायत को पुनः सम्बन्धित अधिकारी को परीक्षण/निस्तारण हेतु प्रेषित किया जाता है। शिकायतकर्ता को पोर्टल से सम्बन्धित जानकारी/सूचनाओं को मोबाइल पर मैसेज/ईमेल/वॉट्सएप एवं मोबाईल पर प्रदान की जाती है। उक्त 1905 पोर्टल की समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड द्वारा नियमित किए जाने की व्यवस्था है।
3.	**अपणि सरकार पोर्टल** **https://eservices.uk.gov.in/**	उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी विभागों की नागरिक सेवाओं को एक ही स्थान पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु "अपणि सरकार" पोर्टल की शुरूआत की गयी है। इस पोर्टल में सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों, लाइसेंसों, अनुमतियों एवं पेंशन/छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन किया जाता है। पोर्टल पर आवश्यकतानुसार आवेदन करने के उपरांत न्यूनतम शुल्क भुगतान करना पड़ता है। आवेदक, अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति जान सकता है तथा सेवा के अधिकार अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचित सेवाओं के लिए निर्धारित समय के भीतर आवेदक को प्रमाण पत्र जारी हो जाते हैं। यदि प्रमाण पत्रों को जारी करने में कोई आपत्ति होती है तो विभागीय अधिकारी रिजेक्ट अथवा आपत्ति	राज्य का कोई भी नागरिक जो सेवाएं पोर्टल में सम्मिलित हों उनका लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकता है।	आवेदन करने हेतु आवेदक को सर्वप्रथम अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ पर पंजीकरण करना पड़ता है। आवेदक स्वयं भी पंजीकरण कर सकता है तथा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण करने हेतु आवेदक का विवरण, आधार संख्या, मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आई डी की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के बाद आवेदक का आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है। जनरेट होने के बाद आवेदक स्वयं लॉगइन करके जो प्रमाण पत्र/सेवाएं लेना चाहता है उनसे सम्बंधित विभाग को सिलेक्ट करेगा। सम्बंधित प्रमाण पत्र/सेवाओं हेतु जिन अभिलेखों/दस्तावेजों/फोटो/हस्ताक्षर/ प्रतिवेदन पत्र की आवश्यकता होगी, उनको पीडीएफ/जेपीईजी फार्मेट में अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने एवं अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत एक नंबर जारी हो जाता है जो आवेदक के मोबाइल में मैसेज से प्राप्त होता है। इसके बाद आवेदक अपने प्रमाण-पत्र/सेवाओं की अद्यतन स्थिति

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / दस्तावेज	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोलने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण।	कॉमन सर्विस सेंटर खोलने पर कॉमन सर्विस सेंटर धारक को प्रत्येक आवेदन/सेवा पर निर्धारित कमीशन का भुगतान किया जाता है जिससे (CSC) धारक (वीएलई) स्वरोजगार कर आय प्राप्त कर सकता है। सरकारी योजनाओं को सीएससी के द्वारा लोगों के द्वार तक उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में (CSC) के माध्यम से कई प्रकार पत्रों हेतु आवेदन बिलों का भुगतान प्रवेश परीक्षा छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन आदि किया जाता है ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े।	कॉमन सर्विस सेंटर के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम 100–150 वर्ग फुट जगह/कमरा/कार्यालय आवश्यक है। सम्पूर्ण पावर बैकअप के साथ न्यूनतम एक पीसी/लैपटॉप आवश्यक है। न्यूनतम एक प्रिंटर इंटरनेट/ स्कैनर आवश्यक है। बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट के अनुसार वेबकैम और अन्य सहायक एप्लीकेशन आवश्यक है।	कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने/ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) बनने की प्रक्रिया निम्नवत् है – आवेदक सबसे पहले पोर्टल https://cscentrepreneur.in पर पंजीकृत करेगा। पंजीकरण के लिए व्यक्ति का विवरण, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अनिवार्य है। टीईसी पाठ्यक्रम (जो वीएलई बनने के लिए अनिवार्य है।) के लिए आवेदक टीईसी शुल्क का भुगतान करेगा और ऑनलाइन परीक्षा के लिए योग्य होगा और सफल परीक्षा के बाद उसे प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त आवेदक अब सुविधाजनक https://register.csc.gov.in/register पर 'नया पंजीकरण लागू करें' के अंतर्गत खुद को पंजीकृत करेगा। आवेदक आवेदन प्रकार का चयन करेगा। आवेदक सीएससी/वीएलई का चयन करेंगे और इसके बाद वह टीईसी नंबर दर्ज करें, टीईसी प्रमाण पत्र और प्रति [illegible] के दौरान पंजीकृत मोबाइल नंबर और आगे की प्रक्रिया के लिए सबमिट करें। इससे आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा और ओटीपी [illegible] टीईसी के दौरान पंजीकृत अपनी मेल आईडी को सत्यापित करेगा। आवेदक फिर से अपने मेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त करेंगे। ईमेल ओटीपी और अंतिम [illegible] पुष्टि करने के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए तीन विकल्प होंगे –1. [illegible] 2. ओटीपी 3. आईरिस। आवेदक किसी एक विकल्प का उपयोग कर सकता है इसके बाद एक नया विस्तृत आवेदन पत्र खुलता है। आवेदक को अपने पासपोर्ट आकार की फोटो, व्यक्तिगत विवरण और बैंकिंग विवरण, दस्तावेज विवरण और लोकेशन आदि सब जानकारी को सफल बनाने के बाद आवेदक को एक ओटीपी प्राप्त होगा। इन सभी आवश्यक दस्तावेजों को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद आवेदक को एक एप्लीकेशन संदर्भ संख्या प्राप्त होगी। आवेदक का आवेदन हमारे बैक एंड (सिस्टम प्रणाली) की आईडी में दिखाई देगा जहां उनके आवेदन दिखता है। केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा सत्यापन होने के बारे में पुष्टि होने के बाद, बुनियादी ढांचे, उपकरणों और हस्ताक्षर बोर्ड द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए अनुमोदित किया जा सकता है या आगे की प्रक्रिया के लिए नहीं। आवेदक आवेदन के बाद

नागरिक उड्डयन विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)**	इस योजना के अंतर्गत निम्न रूट पर हैली सेवा लेने के लिए न्यूनतम प्रति व्यक्ति किराया **एक ओर से** निम्नवत है :– देहरादून से टिहरी – रु0 3,437.00 टिहरी से श्रीनगर – रु0 3,437.00 श्रीनगर से गौचर – रु0 3,437.00 गौचर से श्रीनगर –रु 3,437.00 श्रीनगर से टिहरी – रु0 3,437.00 टिहरी से देहरादून – रु0 3,437.00 देहरादून से श्रीनगर – रु0 3,992.00 श्रीनगर से देहरादून –रु0 3,992.00 देहरादून से गौचर – रु0 3,849.00 गौचर से देहरादून –रु0 3,849.00 सहस्त्रधारा से गौचर– रु0 4,160.00 गौचर से सहस्त्रधारा – रु0 4160.00 सहस्त्रधारा से चिन्यालीसौड – रु0 3150.00 चिन्यालीसौड से सहस्त्रधारा – रु0 3150.00 देहरादून से हल्द्वानी / पंतनगर – रु0 6281.00 हल्द्वानी / पंतनगर से देहरादून – रु0 6281.00 पंतनगर से पिथौरागढ़ – रु0 5111.00 पिथौरागढ़ से पंतनगर – रु0 5111.00 पंतनगर से अल्मोड़ा – रु0 3356.00 अल्मोड़ा से पंतनगर– रु0 3356.00 अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ – रु0 3358.00 पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा – रु0 3358.00	देश के समस्त नागरिक	इसका लाभ लेने हेतु ऑनलाइन / संबंधित हैलीपैड के कार्यालयों में जाकर टिकट बुक किया जा सकता है। ऑनलाइन टिकट बुक करने हेतु आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं किराया भुगतान करना होता है। ऑनलाइन टिकट बुक करने की वेबसाइट https://booking.pawanhans.co.in/ है। इस सम्बन्ध में अद्यतन जानकारियां उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की वेबसाइट http://ucada.in/ से प्राप्त की जा सकती हैं।

******

PROGR

आपदा प्रबंधन विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड में बादल फटने के कारण आई बाढ़ का दौरा करते मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

सिलक्यारा, उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों की जानकारी लेते हुए मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

आपदा प्रबन्धन विभाग (उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	आपदा के कारण मृत्यु उपरान्त अनुदान	रू0 4.00 लाख अनुग्रह अनुदान मृतक के आश्रित को।	आपदा प्रभावित व्यक्ति/परिवार तथा राहत या पूर्व तैयारी सम्बन्धित कार्यों में जुड़े व्यक्ति के जीवन की क्षति होने।	आपदा-जन्य घटना में मृत्यु होने की सूचना विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। सम्बन्धित पटवारी द्वारा क्षति की पुष्टि की जाती है तथा P-20 फॉर्म पर क्षति को अंकित किया जाता है। पटवारी की आख्या की पुष्टि तहसीलदार व उपजिलाधिकारी द्वारा की जाती है। तत्पश्चात् जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त राहत धनराशि मृतक के आश्रित के सम्बन्धित बैंक खाते में जमा की जाती है।
2	हाथ-पैर, आँख या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह भुगतान	रू0 74,000 प्रति व्यक्ति अनुग्रह अनुदान। विकलांगता के 60 प्रतिशत से ज्यादा होने की स्थिति में रू0 2.50 लाख प्रति व्यक्ति भुगतान की जाती है।	आपदा प्रभावित व्यक्ति तथा राहत या पूर्व तैयारी सम्बन्धित कार्यों से जुड़े व्यक्ति भी पात्र होंगे। विकलांगता की सीमा एवं कारण को किसी सरकारी चिकित्सालय या औषधालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।	क्रमांक-1 की प्रक्रियानुसार।
3	गम्भीर चोट जिसके उपचार हेतु चिकित्सालय में रहना आवश्यक हो।	रू0 16,300 प्रति व्यक्ति अनुग्रह अनुदान (एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में) तथा रू0 5,400 प्रति व्यक्ति (एक सप्ताह से कम की अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में)	आपदा के कारण चोट आने पर किसी भी राजकीय चिकित्सालय/गैर राजकीय चिकित्सालय में भर्ती व्यक्ति तथा राहत या पूर्व तैयारी सम्बन्धित कार्यों से जुड़े व्यक्ति भी पात्र होंगे।	क्रमांक-1 की प्रक्रियानुसार।
4	घर बह जाने या प्राकृतिक आपदा के कारण घर के पूर्णतः या आंशिक क्षतिग्रस्त हो जाने या दो दिन से अधिक अवधि तक जल मग्न के	रू0 1,800 प्रति परिवार अनुग्रह अनुदान कपड़ों की क्षति के लिए तथा रू0 2,000 प्रति परिवार अनुग्रह अनुदान बर्तनों या घरेलू सामान की क्षति के लिए दिया जाता है।	यह राहत धनराशि आपदा से प्रभावित ऐसे परिवारों को दी जानी प्रस्तावित है जिनका घर आपदा के कारण प्रभावित हो गया था।	क्रमांक-1 की प्रक्रियानुसार।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग, आर0टी0आई0 भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड। https://www.uttarakhandsandesh.com/uic/index/index.php?body

क्र	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/ संस्तुति प्रक्रिया
1	सूचना का अधिकार	सूचना का अधिकार का मतलब क्या है – जनसामान्य हक सरकारी सूचना की पहुँच सूचना पाने का कानूनी अधिकार। इसका आशय यह है कि सरकारी संगठनों के कार्यों, निर्णयों तथा उनके क्रियाकलापों की व्यवस्थित जानकारियाँ एवं दस्तावेजों तक एक औपचारिक तथा स्पष्ट पहुँच प्रत्येक आम नागरिक की होनी चाहिए। कोई भी भारतीय नागरिक किसी राजकीय कार्यालय से किसी भी प्रकार की सूचना रू0 10/– भारतीय पोस्टल ऑर्डर/ ई-स्टाम्प/नकद धनराशि जमा कर सम्बन्धित विभाग के लोक सूचना अधिकारी से लिखित रूप में या इलेक्ट्रानिक माध्यम से निवेदन कर प्राप्त कर सकता है। यदि वह बी0पी0एल0 है तो उसे निःशुल्क सूचना दी जायेगी। यदि सूचना अधिक पृष्ठों में हो तो प्रति पृष्ठ रू0 2/– की दर से अतिरिक्त शुल्क जमा कर सूचना दी जाती है।	भारतीय नागरिक	कोई भी भारतीय नागरिक किसी सरकारी कार्यालय से सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह सर्वप्रथम लोक सूचना अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखेगा तथा प्रार्थना पत्र में जो सूचना प्राप्त करनी है उसका विवरण लिखेगा। प्रार्थना पत्र के साथ रू0 10/– नकद जमा कर अथवा पोस्टल आर्डर/ ई-स्टाम्प/ बैंकर्स ड्राफ्ट/ जमा कर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करेगा। सम्बन्धित विभाग का लोक सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध/धारित होने पर सूचना कितने पृष्ठों में है की धनराशि प्राप्त करने हेतु उसे प्रेषित करेगा तथा उसके बाद धनराशि जमा करने पर आवेदक को सूचना उपलब्ध करायेगा। उक्त सूचना 30 दिन के भीतर देनी होती है। यदि सूचना उपलब्ध न हो तो सूचना धारित न होने की सूचना से भी अवगत करायेगा। यदि सूचना 'पर धारित' (किसी अन्य धारित की व्यक्तिगत सूचना) से संबंधित है तो लोक सूचना अधिकारी उक्त धारित से 10 दिनों में अनापत्ति प्राप्त करने पर ही सूचना देगा। यदि आवेदक प्राप्त सूचना से सन्तुष्ट न हो तो वह अपीलीय अधिकारी के समक्ष तीस दिन के अन्दर अपील कर सकते हैं जिसका निस्तारण अपीलीय अधिकारी द्वारा 30 से 45 दिन के भीतर किया जाना होता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होने की दशा में राज्य सूचना आयोग, जिसका पता ऊपर लिखित है, के समक्ष 90 दिनों के अन्तर्गत द्वितीय अपील योजित कर सकते हैं जिसमें आयोग सूचना उपलब्ध कराने/विभागीय लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी पर जुर्माना लगाने/ अन्य आदेश दे सकते हैं।

******

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, थानो रोड, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज, रायपुर देहरादून– वेबसाइट– https://sssc.uk.gov.in/

क्र	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं संस्तुति/चयन प्रक्रिया
1	उत्तराखण्ड राज्य में समूह "ग" की सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में।	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य के किसी भी राजकीय विभाग/ संगठन/आयोग/संस्था के लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह–ग की (जो वर्गीकृत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में है) सीधी भर्ती के लिए पदों हेतु परीक्षा आयोजित कराने के लिए राज्य की संस्था है। राजकीय विभागों द्वारा सीधी भर्ती के लिए पदों हेतु संबंधित पदों की सेवानियमावली के अंतर्गत रिक्तियों का अधियाचन (अधियाचन का आशय यहाँ है कि संबंधित पद हेतु कितनी रिक्तियां है तथा संबंधित रिक्तियां भिन्न–भिन्न वर्गों के लिए आरक्षित है) के अनुसार तैयार कर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जाता है। आयोग द्वारा अधियाचन के परीक्षणोपरान्त सम्बन्धित पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु राज्य के समस्त पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा जमा करना होता	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है :– (क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। (ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास–प्रमाण पत्र धारक हो। (ग) अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट अथवा इसकी समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की गयी हो। साथ ही विज्ञापन में उल्लिखित अन्य अनिवार्य/वांछित योग्यता धारित करने पर आवेदन कर सकते हैं।	सम्पूर्ण प्रक्रिया उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के समान है। यद्यपि समूह 'ग' के पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग के द्वारा साक्षात्कार का प्राविधान नहीं है तथा परीक्षाओं के आवेदन के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट https://sssc.uk.gov.in पर आवेदन करना होता है। कोई भी अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु तैयारी करना चाहता हो अथवा कर रहा हो, वह उक्त वेबसाइट को समय–समय पर देखते रहें ताकि वह भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सके। साथ ही तैयारी कैसे करनी है इसके लिए आयोग द्वारा आयोजित की गयी विभिन्न परीक्षाओं के पुराने प्रश्नपत्रों को निःशुल्क डाउनलोड कर मार्गदर्शन लेकर तैयारी कर सकते हैं।

****

प्रेरणा एवं प्रयास

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, जिसको न तो शासन स्तर पर बजट आवंटित हुआ है और न ही इसका कोई निदेशालय गठित है, इस कारण शासन स्तर पर विभाग में कार्यवाही समय के अनुरूप नहीं हो पा रही थी। ऐसे विभाग को पुनर्जीवित करना स्वयं में एक चुनौती थी। जब मुझे इसका दायित्व मिला तो विभाग को पुनर्जीवित करने तथा विभाग के माध्यम से राज्य में संचालित समस्त योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के संबंध में मेरे द्वारा अपर मुख्य सचिव, श्रीमती राधा रतूड़ी महोदया से मार्गदर्शन एवं सहयोग मांगा। महोदया ने सुझाव दिया कि उत्तराखण्ड सचिवालय में सुश्री रजनी, समीक्षा अधिकारी हैं, जिन्हें 02 बार मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार भी मिला है और वह भी आपकी तरह ही योजनाओं को वंचित पात्र लोगों तक पहुंचाना चाहती है, एक बार मैं रजनी को आपसे मिलने के लिए कहती हूं, हो सकता है कि रजनी आपके अनुभाग में कार्य करे तो इस दिशा में आप लोग योजनाओं में बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। सुश्री रजनी जब मुझसे मिलने आयी और उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में उन्होंने श्रीमती कौशो देवी, जनपद हरिद्वार की वृद्ध महिला (जिसके बीमार पति एवं दिव्यांग पुत्री थी, की आर्थिक और पारिवारिक दयनीय स्थिति को देखते हुए) की वृद्धावस्था पेंशन लगाने हेतु उनके दस्तावेज यथा पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल, फोटो आदि बनवाने में मार्गदर्शन किया परन्तु उक्त दस्तावेज बनाने एवं पूरी प्रक्रिया को सम्पन्न होने में लगभग एक वर्ष का समय लगा, उसके उपरान्त पेंशन मिलने लग गयी। इसी प्रकार उनके द्वारा वर्ष 2022 तक लगभग 24 वंचित पात्र लाभार्थियों को वृद्धावस्था, दिव्यांग, किसान, मानधन पेंशन, आर्थिक सहायता, आयुष्मान कार्ड, श्रमिक कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बनवाने में मार्गदर्शन/सहयोग किया। फिर लगा कि यह प्रयास बहुत कम वंचित लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं, उन्होंने विभागीय अनापत्ति प्राप्त कर, यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज संचालित किया परन्तु तब भी राज्य के समस्त वंचित पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं को पहुंचाना असंभव लगा। इसलिए सर मुझे लगता है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे राज्य के प्रत्येक वंचित पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। हम किसी को प्रतिमाह 1500/- नहीं दे पाते हैं परन्तु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ वंचित पात्र लाभार्थी तक पहुंचाकर उनके जीवनस्तर में थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं ताकि वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और एक करदाता की धनराशि का सही उपयोग हो सके और हमारा राज्य गरीबी एवं बेरोजगारी मुक्त राज्य बन सके। सुश्री रजनी के विचारों को जानने के बाद, उनका स्थानान्तरण कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग में किया गया साथ ही अपर मुख्य सचिव महोदया द्वारा अन्य अधिकारियों/कार्मिकों की तैनाती एवं अनुभाग को पुनर्जीवित करने हेतु सभा कार्यालय, कम्प्यूटर, फर्नीचर हर सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग किया।

अनुभाग का कार्य गतिमान होने पर, मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा प्रथम विभागीय समीक्षा बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया। मेरे द्वारा अनुभाग को निर्देशित किया गया कि राज्य में संचालित समस्त योजनाओं का संकलन कर पुस्तक के रूप में तैयार किया जाना है।

तदोपरांत समस्त विभागों से शासनादेशों को प्राप्त कर विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों के साथ चर्चा करने के उपरांत पुस्तक के स्वरूप को सरल एवं स्पष्ट भाषा में लिखने के साथ ही चार भागों में बांटने पर विचार किया गया – **(योजना का नाम क्या है, योजना का लाभ क्या है, योजना का लाभ कौन व्यक्ति ले सकते हैं/योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कौन व्यक्ति पात्र हैं** एवं **योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कहां/कैसे करना होगा, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी एवं आवेदन करने के उपरांत कैसे चयन किया जाता है तथा लाभ, कैसे लाभार्थी को मिलता है)**, ताकि राज्य के वंचित पात्र लाभार्थी पुस्तक पढ़कर योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को जानकर, लाभ प्राप्त कर सकें। विभागों से प्राप्त सूचनाओं का परीक्षण कर, पुस्तक को **"मेरी योजना"** नाम देकर अंतिम रूप दिया गया। **"मेरी योजना"** नाम रखने का तात्पर्य था कि योजनाएं हालांकि सरकार द्वारा संचालित हैं परन्तु हर व्यक्ति से संबंधित हैं। **"मेरी योजना"** पुस्तक में विभिन्न विभागों/संस्थाओं/संगठनों/ बोर्ड/प्राधिकरण/एजेंसी/निगम/आयोग की, उत्तराखण्ड राज्य में संचालित केन्द्र/राज्य सरकार की लगभग 400 योजनाओं/नीतियों/कार्यक्रमों/मूलभूत सेवाओं/प्रमाणपत्रों/पोर्टल का उल्लेख किया गया है।

इस पुस्तक को बनाने के प्रत्येक स्तर पर, यथा पुस्तक का स्वरूप, भाषा, पुस्तक सामग्री, लेखन, शासनादेश चयन/परीक्षण, पुस्तक का नाम, फोटोग्राफ्स आदि में जहां सुश्री रंजना द्वारा अग्रणी भूमिका निभायी गयी, वहीं शासनादेश संकलन में श्री राजेन्द्र चौहान एवं श्रीमती वन्दना पाटनी, विशेष कार्याधिकारियों ने विशेष योगदान दिया तो श्री नन्दन सिंह दुगरियाल, संयुक्त सचिव द्वारा पुस्तक के अंतिम चरण को ससमय कराने में एक ईंधन का काम किया। इतना ही नहीं कार्यालय स्तर पर श्रीमती कुसुम द्वारा पुस्तक में कम्प्यूटर कार्य करने में विशेष योगदान दिया, फिर भी यह पुस्तक राज्य के समस्त विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों, सचिवालय सेवा के कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों, के बिना असंभव थी। सभी के समन्वित परिणामों का प्रयास है कि **"मेरी योजना"** पुस्तक आमजनमानस हेतु तैयार हुई है। आशा है कि सभी के समन्वित प्रयास से तैयार **"मेरी योजना"** पुस्तक उत्तराखण्ड राज्य को **सर्वश्रेष्ठ राज्य** बनाने के साथ ही **गरीबी एवं बेरोजगारी मुक्त** राज्य बनाने में सफल होगी।

(दीपक कुमार)
सचिव
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

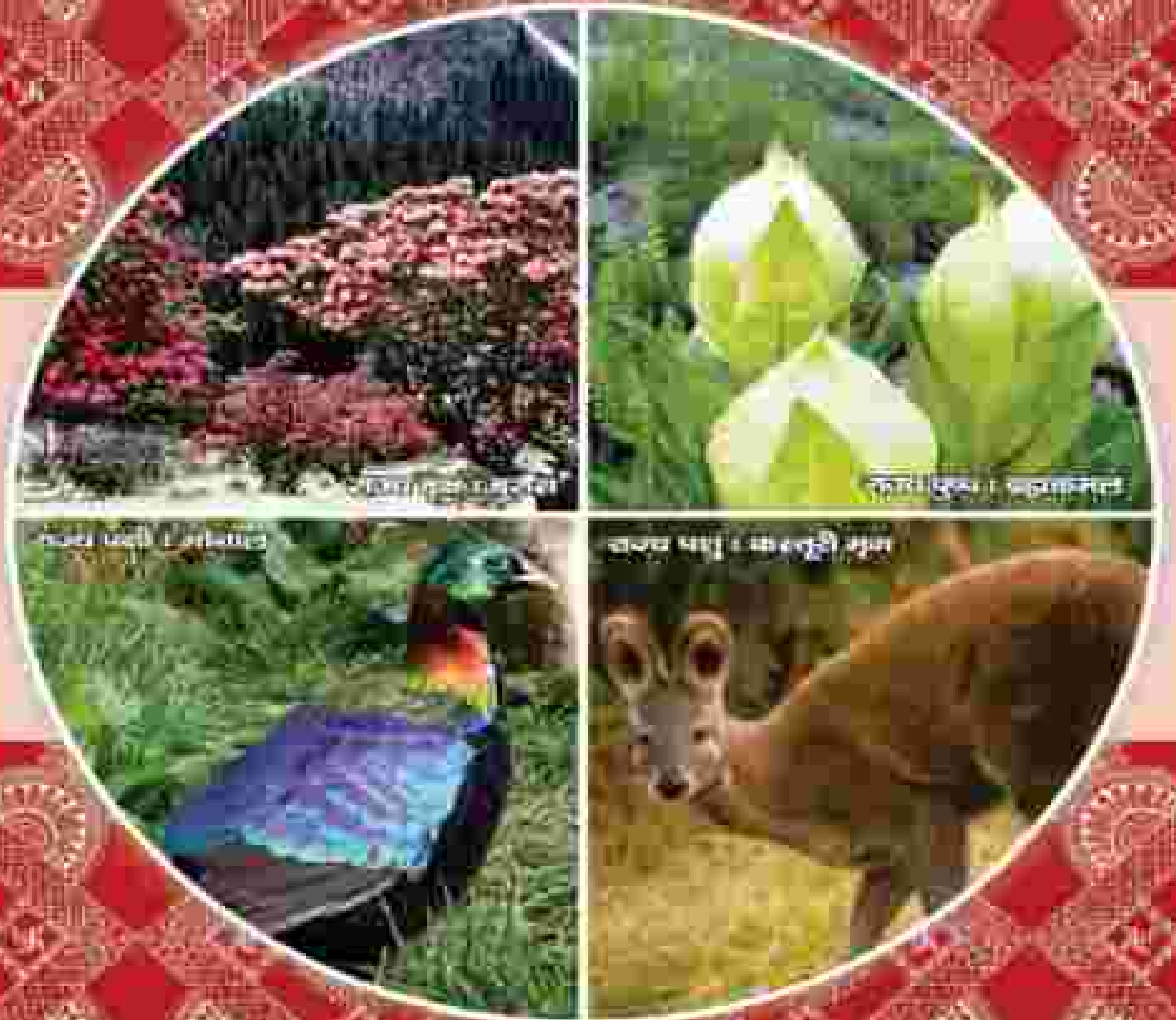
राज्य पशु : कस्तूरी मृग

बेसिक शिक्षा विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	निःशुल्क पाठ्य -पुस्तक योजना	कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं।	समस्त राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त एवं राज्य सरकार सम्बद्ध प्राप्त मदरसे, के कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत छात्र-छात्रायें पात्र हैं।	सम्बंधित स्कूलों में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को स्कूल स्तर से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सत्र के प्रारम्भ में ही उपलब्ध करा दी जाती हैं।
2	निःशुल्क जूता एवं बैग योजना	बालक बालिकाओं को जूता एवं बैग खरीदने हेतु कक्षा 1 से 5 तक रू0 318.00 तथा कक्षा 6 से 8 तक रू0 462.00 प्रति छात्र डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया गया है।	समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्रायें पात्र होंगे।	छात्र-छात्राओं को अभिभावकों के नाम आधार कार्ड, बैंक खाते सीड करने पर डाटा प्राप्त होने पर डी0बी0टी0 द्वारा धनराशि भुगतान की जाती है।
3	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0 पोषण) योजना	दोपहर का भोजन मेन्यू के आधार पर पकाकर बच्चों को खिलाया जाता है जिसमें प्रत्येक कार्यदिवस/सब्जी निर्धारित है। सप्ताह में 01 दिन अण्डा/फल, गुड़ मन्की आदि दिया जाता है तथा सप्ताह में दो दिन फोर्टिफाइड दूध भी उपलब्ध कराया जाता है।	समस्त राजकीय, परिषदीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों/मदरसा/मोनाफ ट्रेनिंग सेंटर में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र-छात्रायें इस योजना हेतु पात्र होंगे।	विद्यालय में अध्ययनरत उक्त छात्रों को कार्य दिवसों में उपस्थित रहने पर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
4	राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया।	कक्षा 1 से 8 तक विद्यालयों में प्रवेश करने के उपरांत निःशुल्क शिक्षा, भोजन, जूता-बैग, पुस्तकें प्रदान की जाती है।	कक्षा 01 में प्रवेश करने हेतु बच्चे की उम्र 06 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। वर्तमान में आंगनवाड़ी बाल वाटिका में नामांकित विद्यार्थी कक्षा 1 में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।	राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 में प्रवेश प्रतिवर्ष माह अप्रैल में शुरू होता है। प्रवेश करने के दौरान बच्चे का जन्मप्रमाण/जन्मपत्र का पंजीकृत अभिलेख, आंगनवाड़ी का अभिलेख, ग्राम पंचायत/परिवार रजिस्टर, अभिभावक/माता-पिता द्वारा बच्चे की आयु के सम्बन्ध में दिया गया घोषणा-पत्र में से कोई एक अभिलेख मान्य है, यदि कोई अन्य स्कूल से आता है तो संबंधित स्कूल छोड़ने की टी0सी0 अनिवार्य होगी।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

माध्यमिक शिक्षा विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	आवासीय– राजीव गांधी नवोदय विद्यालय/ राजीव गांधी अभिनव विद्यालय	कक्षा 6 से 12 तक छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा (रहन–सहन, आवास, भोजन) एवं इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में कुल सीटों का 50 प्रतिशत बालिकाओं एवं 50 प्रतिशत बालकों के लिए आरक्षित है तथा इनकी सीटों में 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं 20 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। इन सीटों पर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, दिव्यांगजन, महिला आदि आरक्षण अनुमन्य है। इनमें प्रवेश कक्षा 6 के लिए होता है।	उत्तराखण्ड में कक्षा 5 में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राएं। जिस स्कूल से वह पढ़ा है उस स्कूल से कक्षा 3 एवं 4 पास किया हो तथा कक्षा 5 में उसी स्कूल में अध्ययनरत हो।	प्रवेश हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी परीक्षा बोर्ड रामनगर द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है जिस हेतु बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष माह सितम्बर से दिसम्बर तक विज्ञप्ति के माध्यम से विद्यालयों से आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाइट https://ubse.uk.gov.in/ से डाउनलोड की जा सकती है। आवेदन पत्र के साथ विद्यार्थी का फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, सामान्य आदि वर्गों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (E.B.C), आय प्रमाण पत्र, तथा कक्षा 3, 4 उत्तीर्ण होने का अंक पत्र एवं कक्षा 5 का प्रवेश पत्र संलग्न कर अध्ययनरत स्कूल में जमा करेंगे। सम्बन्धित स्कूल द्वारा सभी आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाते हैं। आवेदन पत्र जमा करने के बाद विद्यार्थी का प्रवेश पत्र स्कूल में प्राप्त होता है तथा माह फरवरी में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता है। परीक्षा मेरिट में आने के बाद विद्यालय विद्यार्थी को बुलाता है तथा विद्यार्थी कक्षा 6 में आवासीय–राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी अभिनव विद्यालय में प्रवेश करता है।
2	पण्डित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार	राज्य स्तर पर सर्वोत्कृष्ट परिणाम देने वाले 3 विद्यालयों को इन्टर स्तर पर क्रमशः रू० 15.00 लाख, रू० 8.00 लाख व रू० 3.00 लाख तथा हाईस्कूल स्तर पर क्रमशः रू० 8.00 लाख, रू० 4.00 लाख एवं रू० 2.00 लाख पुरस्कार एवं इन्टर स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को क्रमशः रू० 21 हजार, रू० 15 हजार एवं रू० 11 हजार पुरस्कार तथा चतुर्थ से दसवें स्थान तक के छात्र छात्राओं को रू० 5100 का पुरस्कार प्रदान किया	उत्तराखण्ड बोर्ड हाईस्कूल एवं इन्टर स्तर पर सर्वोत्कृष्ट परिणाम देने वाले 03 हाईस्कूल एवं 03 इन्टर स्तर के विद्यालयों को नकद प्रदान किया जाता है। उत्तराखण्ड बोर्ड परिषदीय परीक्षा के टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले हाईस्कूल एवं इन्टर के छात्र– छात्राओं को नकद पुरस्कार मिलता है।	माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड बोर्ड का परीक्षा परिणाम आने पर, बोर्ड से सूची प्राप्त करता है तथा बोर्ड के टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले हाईस्कूल एवं इन्टर के छात्र–छात्राओं को दी जाने वाली धनराशि की स्वीकृति जारी कर मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करते हैं। संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, स्कूलों को उनकी संख्या के अनुसार ड्राफ्ट देते हैं एवं स्कूल विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते हैं अथवा कोई बड़ा पुरस्कार समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को धनराशि ड्राफ्ट के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। इसमें विद्यार्थी को कोई आवेदन नहीं करना पड़ता

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		जाता है तथा हाईस्कूल स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 15 हजार, रू0 11 हजार, एवं रू0 5 हजार पुरस्कार तथा चतुर्थ से दसवें स्थान तक के छात्र-छात्राओं को रू0 5100 का पुरस्कार प्रदान किया जाता है।		है।
3	बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल योजना)	कक्षा 9 में रू0 2850 प्रति बालिका की दर से। मैदानी क्षेत्रों के लिए साईकिल एवं पर्वतीय क्षेत्र में रू0 2850 की एफ.डी. के माध्यम से।	उत्तराखण्ड बोर्ड के अधीन राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्रायें।	उत्तराखण्ड बोर्ड के अधीन राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त (अशा0) माध्य0 विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या प्राप्त कर विद्यालयों को साईकिल/एफ.डी. प्रदान करता है वहीं विद्यालय अध्ययनरत बालिकाओं को साईकिल/एफ.डी. उपलब्ध कराता है। इसमें विद्यार्थी कोई आवेदन नहीं करता।
4	डॉ. शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति	SCERT उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राओं के घोषित परिणाम में 100 सर्वोच्च स्थान प्राप्त छात्र-छात्राओं में से गढ़वाल मण्डल के 50 एवं कुमाऊं मण्डल के 50 छात्र-छात्राओं को रू0 1500.00 प्रतिमाह की दर से 10 माह।	इस परीक्षा में वह विद्यार्थी शामिल होंगे जो, उत्तराखण्ड राज्य में संचालित राजकीय, स्थानीय निकाय या राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों को (छोड़कर) की कक्षा 8 में नियमित छात्र-छात्रा के रूप में अध्ययनरत हों।	इन छात्रवृत्ति परीक्षाओं में प्रतिभाग करने हेतु विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष माह सितम्बर-अक्टूबर में आवेदन-पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा विद्यालयी शिक्षा विभाग की वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in एवं SCERT उत्तराखण्ड की वेबसाइट scert.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र की फोटो प्रति भी मान्य है।
5	श्रीदेव सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति	SCERT उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राओं के घोषित परिणाम के आधार पर डॉ. शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति के उपरान्त बाकी छात्र-छात्राओं का प्रति विकासखण्ड से 05 छात्र-छात्रायें (95X5=475) को योग्यतानुसार छात्रवृत्ति हेतु होगी रू0 1000.00 प्रतिमाह 10 माह।	कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत (आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कक्षा 09 से 12 तक 4 वर्ष हेतु दिया जायेगा।	परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन/परीक्षा शुल्क देय नहीं है। आवेदन पत्र भरते हुए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, कक्षा 7 का अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा फॉर्म में सही जानकारी लिखनी होगी एवं फॉर्म अध्ययनरत स्कूल के प्रधानाचार्य से चेक करना होगा। प्रधानाचार्य फॉर्म में भरे दस्तावेजों एवं स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर फोटो एवं फॉर्म पर संस्तुति देंगे तथा फॉर्म को सील कर, अनुमानित तिथि 12 नवम्बर तक, खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे/ जमा करने के उपरान्त खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रवेश पत्र जारी करते हैं। विद्यार्थी प्रवेश पत्र स्कूल/खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिवर्ष जनवरी माह में परीक्षा आयोजित होती है। सफल होने के

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी को सूचित किया जाता है और विद्यार्थी के आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाता विद्यालय में जमा करेगा तथा विद्यार्थी को छात्रवृत्ति खाते में वितरित कर दी जाती है।
6	आर०आई०एम०सी० [illegible] छात्रवृत्ति (सैनिक छात्रवृत्ति)	रू0 1000.00 प्रतिमाह की दर से छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देय है।	राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में अध्ययनरत उत्तराखण्ड राज्य के छात्र/ छात्राएं	विद्यार्थी RIMC में प्रवेश करने के उपरान्त, कॉलेज के प्रधानाचार्य/कॉलेज को छात्रवृत्ति हेतु अनुरोध पत्र के साथ आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं आधार लिंक बैंक खाता के प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए जमा करता है तथा RIMC उत्तराखण्ड के स्थायी छात्र-छात्राओं का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को प्रेषित करता है। निदेशालय प्रस्ताव के आधार पर कॉलेज को धनराशि उपलब्ध कराता है तथा कॉलेज प्रतिमाह रू0 1000/- छात्र-छात्रा को अध्ययनरत होने तक उपलब्ध कराता है।
7	प्रदेश के बाहर स्थित सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति	रू0 12000/- तक मासिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी को पूर्ण छात्रवृत्ति 40,000 वार्षिक। रू0 12,001 से 15,000/- तक मासिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी को 30,000 वार्षिक। रू0 15,001 से 18,000/- तक मासिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी को 20,000 वार्षिक। रू0 18,001 से 22,000/- तक मासिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी को 10,000 वार्षिक।	प्रदेश के बाहर स्थित सैनिक स्कूलों में कक्षा 6-12वीं तक के उत्तराखण्ड मूल के अध्ययनरत विद्यार्थी। परिवार की आय के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है। रू0 22,000- मासिक आय से ऊपर वाले परिवार के विद्यार्थी को यह छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं है।	विद्यार्थी राज्य के बाहर स्थित सैनिक स्कूल में अध्ययनरत होगा, उस स्कूल में छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देकर एवं प्रार्थना पत्र के साथ परिवार का आय प्रमाण पत्र (तहसील से निर्गत वैध प्रमाण पत्र), विद्यार्थी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाते का प्रमाण जमा करेगा। राज्य के बाहर स्थित सभी सैनिक स्कूल, प्रार्थना पत्रों को सैनिक स्कूल सोसाइटी में प्रेषित करेंगे एवं सैनिक स्कूल सोसाइटी सभी प्रार्थना पत्रों को एकत्रित कर प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को भेजेगा तथा शासन, सैनिक स्कूल सोसाइटी के माध्यम से सम्बंधित विद्यालयों को धनराशि आवंटित करता है एवं विद्यालय, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराती है।
8	मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (जूनियर स्तर)	कक्षा 06 में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को रू0 600 प्रतिमाह 01 वर्ष हेतु। कक्षा 07 – रू0 700 प्रतिमाह 01 वर्ष हेतु। कक्षा 08 – रू0 800 प्रतिमाह 01 वर्ष हेतु।	राज्य के राजकीय विद्यालय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (केन्द्रीय व नवोदय विद्यालयों को छोड़कर) में कक्षा 5 [illegible] में उत्तीर्ण किया हो एवं कक्षा 6 में अध्ययनरत हो।	छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष माह जून-जुलाई में आवेदन-पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा विद्यालयी शिक्षा विभाग की वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in, एवं SCERT उत्तराखण्ड की वेबसाइट scert.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन भी

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3	[illegible] हेतु आवासीय छात्रावास कुल 13 छात्रावास देहरादून (विकासनगर), अल्मोड़ा, हल्द्वानी, [illegible], हरिद्वार (भगवानपुर), [illegible], पौड़ी (श्रीनगर), पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर [illegible], [illegible], [illegible])	छात्रावासों में निवासित सभी बच्चे औपचारिक शिक्षा हेतु निकटवर्ती विद्यालयों में नामांकित किये जाते हैं। छात्रावास में अन्तर्गत आवासीय सुविधाएं निःशुल्क रूप से प्रदान की जाती हैं। बच्चों को रू0 200/- प्रतिमाह का Stipend भी दिया जाता है।	उम्र 6 से 14 वर्ष की आयु के ऐसे बालक-बालिकाओं को निःशुल्क छात्रावास की सुविधा दी जाती है जो बीपीएल श्रेणी अथवा जिनके परिवार की वार्षिक आय रू0 55,000/- से कम हो अथवा एससी/ एसटी/ ओबीसी/ तथा अल्पसंख्यक समुदाय से हों। अथवा ऐसे बालक-बालिकाओं के माता-पिता अथवा माता-पिता में से कोई एक जीवित न हो, अथवा विद्यालय से बाहर बालक-बालिका हो, अथवा कूड़ा बीनने वाले/ भीख मांगने वाले बच्चे, शहरी अभावग्रस्त एवं कमजोर वर्ग के बच्चे।	शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व छात्रावास वार्डन/ खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना अधिकारी द्वारा प्रचार प्रसार करते हुए रिक्त सीटों के सापेक्ष आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप समग्र शिक्षा की वेबसाइट https://ssa.uk.gov.in/ से डाउनलोड करके छात्रावास वार्डन से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज होने आवश्यक हैं - अनाथ/ [illegible]/ कूड़ा बीनने की स्थिति में बच्चों के सम्बन्ध में दस्तावेज [illegible] रूप से प्रस्तुत करना है। अन्य बच्चों की स्थिति में बच्चे का फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण। माता-पिता/ अभिभावक का आधार कार्ड। बीपीएल/ राशन कार्ड/ प्रमाण-पत्र / राशन कार्ड। (बीपीएल/ एपीएल होने की दशा में अथवा रू0 55,000/- तक की वार्षिक आय प्रमाण पत्र। आवेदन पत्र के साथ उक्त समस्त दस्तावेज, माता-पिता / स्वयं सम्बन्धित छात्रावास में जमा कर सकते हैं तथा चयन समिति द्वारा सभी मामलों को देखकर एवं छात्रावास की सीटों की रिक्तता के आधार पर छात्रावास में बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।
4.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009	अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के अलाभित एवं कमजोर वर्ग के ग्रामीण एवं शहरी बच्चों को निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा, यथा पुस्तकें, गणवेश एवं [illegible] सुविधा भी प्रदान किया जाता है। निजी विद्यालयों की प्रवेश स्तर की कक्षा में कुल सीटों की 25 प्रतिशत सीटें शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत अलाभित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।	कमजोर वर्ग के बच्चे- जिनके माता-पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 55,000 या उससे कम है अथवा बीपीएल कार्ड धारक हैं। अलाभित वर्ग के बच्चे-SC, ST व ऐसे ऐसे बच्चे जो ओबीसी जाति के और [illegible] से हों एवं माता-पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख हो। अनाथ बच्चे। शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे। HIV AIDS+ बच्चे अथवा HIV AIDS+ माता-पिता आश्रित बच्चे। दिव्यांग माता-पिता या कुष्ठ रोग	सर्वप्रथम माह फरवरी-मार्च में विज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन बच्चे के माता-पिता/ स्वयं https://rte121c-ukd.in/ uttarakhand पोर्टल पर अथवा साइबर कैफे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व एवं अलाभित/ कमजोर वर्ग निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं - 1-बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, माता/ पिता का आधार कार्ड, बीपीएल प्रमाण पत्र/ आय प्रमाण पत्र (जो अधिकतम 3 वर्ष पुराना हो)। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पिता की दशा में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, HIV AIDS के सम्बन्ध प्रमाण पत्र, अनाथ प्रमाण पत्र इत्यादि। 2-बच्चे/ अभिभावक द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र पूर्ण करने पर, पोर्टल पर सम्बन्धित बच्चे/ अभिभावक की आवासीय वार्ड में स्थित विद्यालयों की सूची दिखती है और उन्हें निकटवर्ती विद्यालयों का चयन करना पड़ता है उसके उपरान्त फार्म ऑनलाइन जमा करने के बाद प्रिंटआउट निकाले सभी दस्तावेजों को (जो आवश्यक होता है) प्राप्त

उच्च शिक्षा विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / अभ्यर्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राज्य के मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता योजना।	₹ 50,000/- प्रति अभ्यर्थी को प्रदान किया जाता है।	राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह 'क' एवं 'ख' की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल हुए 100 अभ्यर्थी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह 'क' एवं 'ख' की प्रारम्भिक परीक्षा एवं आर्म्ड फोर्सेज तथा इण्डियन मेडिकल सर्विस, इण्डियन फॉरेस्ट सर्विस, इण्डियन इंजीनियरिंग सर्विस आदि के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में सफल समस्त अभ्यर्थी। उत्तराखण्ड के स्थायी या मूल निवासी हों। स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाएं उत्तराखण्ड में स्थित [illegible] (राजकीय/अशासकीय) उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित शिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रू0 5 लाख से अधिक न हो। राज्य एवं केन्द्र सरकार की किसी अन्य समान योजना का लाभ न लिया गया हो। ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं किसी नौकरी/ व्यवसाय (मुक्त) में हों अथवा उनके माता/पिता किसी नौकरी/व्यवसाय में कार्यरत हों, लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे।	राज्य लोक सेवा आयोग, [illegible] लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह 'क' एवं 'ख' की प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर एवं आर्म्ड फोर्सेज की लिखित परीक्षा पास होने के प्रतिमाह के भीतर अभ्यर्थी आवेदन करना उच्च शिक्षा विभाग https://he.uk.gov.in/ की वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न होंगे:- आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हाईस्कूल/इण्टर/स्नातक/स्नातकोत्तर/समकक्ष शिक्षा प्रमाण पत्र, प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण का विवरण एवं प्रवेश पत्र। आर्म्ड फोर्सेज की स्थिति में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र। उक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में प्रेषित करना होगा। [illegible] में आवश्यक है। [illegible] आवेदन हेतु प्रक्रिया निर्धारित है। आवेदन पत्रों की निदेशालय स्तर पर प्रारम्भिक जाँच के उपरान्त गठित समिति द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम 100 अभ्यर्थियों एवं संघ लोक सेवा आयोग तथा आर्म्ड फोर्सेज में सभी अभ्यर्थियों को [illegible] के [illegible] धनराशि प्रदान की जाती है।
2	एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0, बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0 में शामिल अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन योजना।	50,000/- प्रति अभ्यर्थी	जिन अभ्यर्थियों का चयन एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0, बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 में हुआ हो एवं [illegible] में प्रवेश लेकर अध्ययनरत हो, अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी या मूल निवासी हो तथा प्रशिक्षण एवं [illegible] पूर्ण किया हो, पात्र होंगे।	अभ्यर्थी सेवा में शामिल होने एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त आवेदन करना। आवेदन पत्र उच्च शिक्षा विभाग https://he.uk.gov.in/ की वेबसाइट से डाउनलोड होगा तथा आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न होगा:- अभ्यर्थी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, यदि प्रशिक्षण के उपरान्त [illegible] प्राप्त हो गयी है तो तत्सम्बन्धी प्रमाण

खेल विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/हकदारी	आवेदन/चयन प्रक्रिया
1.	**खेल प्रतियोगिता करने एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन**	विभाग द्वारा प्रचलित खेलों में निम्नानुसार क्रियान्वयन किया जाता है – **समस्त जनपदों में आवासीय प्रशिक्षण शिविरों का संचालन** (जैसे– फुटबॉल, एथलेटिक्स, आर्चरी, वालीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, कुश्ती, खो–खो, कराटे, कबड्डी, जूडो, ताईक्वांडो, बास्केटबॉल, हैण्डबॉल, वू–शु, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वेटलिफ्टिंग, जिम्नास्टिक्स) जिसमें न्यूनतम शुल्क लेकर प्रशिक्षण दिया जाता है। **स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्पोर्ट्स हॉस्टल संचालन।** (संचालित खेल–फुटबॉल, एथलेटिक्स, आर्चरी, वालीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती एवं क्रिकेट) जिसमें न्यूनतम शुल्क लेकर प्रवेश दिया जाता है। राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रू0 500/– तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर रू0 300/– का पुरस्कार दिया जाता है।	राज्य के 08 से 18 वर्ष तक आयु के युवा खिलाड़ी। सीनियर 18 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी।	समस्त जनपदों में आवासीय प्रशिक्षण शिविरों के संचालन हेतु जनपद स्तर पर ट्रायल आयोजन वर्ष में मार्च माह में विज्ञप्ति जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय से जारी कर प्रवेश–प्रपत्र पर आवेदन ऑफलाइन प्राप्त किये जाते हैं जिन्हें जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है। प्रतिवर्ष चयन ट्रायल्स माह अप्रैल/मई में सम्पन्न किये जाते हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्पोर्ट्स हॉस्टल हेतु चयन जनपद स्तर पर प्रारम्भिक चयन/ट्रायल्स आयोजित कराये जाते हैं, चयनित होने पर फाईनल ट्रायल्स राज्य स्तर पर आयोजित कराकर मेरिट लिस्ट के आधार पर रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रवेश दिया जाता है। जनपद स्तर पर संचालित आवासीय प्रशिक्षण शिविरों व एक दिवसीय खिलाड़ियों हेतु प्रारूप (**चार्ट संलग्न**) भरना होगा।
2.	**खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने**	जिन खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट सफलता अर्जित की जाती है, उन्हें एवं उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार की धनराशि प्रदान की जाती है। न्यूनतम रू0 10,000/– से लेकर अधिकतम रू0 2.50 करोड़ तक की धनराशि पुरस्कार प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। पुरस्कार	राज्य के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने वाले खिलाड़ी एवं उनके प्रशिक्षक।	**01 जनवरी से 30 जून** तक के खेलों के लिए जुलाई में एवं **01 जुलाई से 31 दिसम्बर** तक के खेलों के पुरस्कार वितरण हेतु माह जनवरी में ऑनलाइन आवेदन (फॉर्म में ...) खेल निदेशालय द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र के साथ खिलाड़ी को आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट साईज फोटो, प्रतियोगिता जिसमें पदक प्राप्त किया है, उसका सम्पूर्ण

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन/चयन प्रक्रिया
	पर नकद पुरस्कार धनराशि	**विवरण विभाग की वेबसाईट http://sports.uk.gov.in में भी उपलब्ध है।**		विवरण एवं प्रमाण–पत्र, उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, प्रशिक्षक का 01 वर्षीय खेल डिप्लोमा या समकक्ष अथवा 06 सप्ताह का सर्टिफिकेट अथवा सम्बंधित खेल के राष्ट्रीय संघ के प्रशिक्षक का प्रमाण–पत्र, रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर प्रशिक्षक के प्रशिक्षण से सम्बंधित विवरण (जिनके द्वारा खिलाड़ी का नियमित रूप से मैडल प्राप्ति से एक वर्ष पूर्व से कम से कम 180 दिन अथवा अधिक अवधि तक प्रशिक्षण दे चुके हो), प्रशिक्षक का बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड। नेशनल स्कूल गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा, विश्व/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता/चैम्पियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ियों को उच्च शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा, खेलो इण्डिया, भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता/राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव के पदक विजेता खिलाड़ियों को युवा कल्याण विभाग द्वारा तथा अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताएं/विश्व पुलिस/फायर गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड पुलिस विभाग से खेल प्रमाण–पत्रों को सत्यापित कराना अनिवार्य होगा तथा आवेदन प्रारूप को विभाग/संस्था/मान्यता प्राप्त राज्य क्रीड़ा संघ की संस्तुति करके खेल निदेशालय को निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। खेल निदेशालय द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरान्त पुरस्कार धनराशि खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक को प्रदान की जाती है।
3.	**राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार**	राज्य के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता प्रदान करने पर **खेल रत्न** (01 खिलाड़ी–रू0 3.00 लाख), **हिमालय रत्न** (05 खिलाड़ी–रू0 1.00 लाख प्रति खिलाड़ी) एवं **द्रोणाचार्य**	राज्य के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने वाले खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक।	आवेदन वर्ष में एक बार आमंत्रित किये जाते हैं जिसमें मानकानुसार अर्ह खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन/चयन प्रक्रिया
		पुरस्कार (02 ओलंपिक–रू0 3.00 लाख प्रति प्रतिभाग) प्रदान किया जाता है।		
4	मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी सम्मान छात्रवृत्ति योजना	08 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष P-SAT (Physical and Sports Aptitude Test) के आधार पर चयन कर प्रति जनपद 150–150 बालक–बालिकाओं 08 से 09 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 09 से 10 वर्ष के 25–25 खिलाड़ियों, 10 से 11 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 11 से 12 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 12 से 13 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 13 से 14 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी को रू0 1500 प्रतिमाह एक वर्ष तक (छात्रवृत्ति) दी जाती है।	आयु 08 से 14 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाएं उत्तरप्रदेश राज्य के स्थायी निवासी हों। (Physical and Sports Aptitude Test) शारीरिक दक्षता (Strength, Flexibility, Endurance, Speed, Coordination etc) आदि के परीक्षा हेतु में विभिन्न चरणों के बाद अंतिम रूप से जिला स्तरीय प्रतियोगिता में मेरिट के आधार पर चयनित होकर प्राप्त करने वाले बालक एवं बालिकाएं ही छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।	खेल निदेशालय द्वारा विज्ञापन के माध्यम से चयन का कार्यक्रम समाचार पत्रों में माह अप्रैल में प्रकाशित किया जायेगा। चयन प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 15 मई से 15 जून के मध्य सम्पन्न करा ली जाती है और चयन एवं ट्रायल्स की जानकारी संबंधित जिला क्रीड़ाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। प्रत्येक विद्यालय (राजकीय/अशासकीय/प्राइवेट आदि) से अधिकतम 02 बालक/बालिकाएं प्रत्येक आयुवर्ग में प्रतिभाग कर सकेंगे। इन बालक–बालिकाओं का चयन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा स्वयं किया जायेगा। विद्यालय स्तरीय चयन हेतु (Physical and Sports Aptitude Test) की बाध्यता नहीं होगी, फिर भी विद्यालय समय–समय पर माध्यम से एवं इस प्रकृति की जानकारी दी जायेगी, ताकि खिलाड़ियों का प्रारम्भिक स्तर पर जानकारी मिल सके। आगे की प्रक्रिया – जनपदों द्वारा ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर निम्नवत चयन प्रक्रिया कराई जाती है।

क्र. सं.	स्तर	प्रतिभागी स्रोत	आगे भेजा जाना हेतु चयनित संख्या
1	न्याय पंचायत/नगर पंचायत	प्रत्येक विद्यालय से – 02 बालक एवं 02 बालिकाएं प्रतिभागी	विकासखण्ड स्तर हेतु– 02 बालक एवं 02 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग
2	नगर पालिका/नगर निगम	प्रत्येक विद्यालय से 02 बालक एवं 02 बालिकाएं प्रतिभागी	जनपद स्तर हेतु– (क) नगर पालिका से– 02 बालक एवं 02 बालिका प्रति आयु वर्ग (जिन नगरों में एक से अधिक नगर पालिका हैं) प्रति नगर पालिका– 02 बालक एवं 02 बालिका प्रति आयुवर्ग (ख) नगर निगम से 04 बालक एवं 04 बालिका प्रति आयु वर्ग
3	(क) प्रत्येक विकासखण्ड से	न्याय पंचायत/नगर पंचायत से – 02 बालक एवं 02 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग	जनपद स्तर हेतु– विकास खण्ड से –04 बालक एवं 04 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग, प्रति विकास खण्ड– 02 बालक एवं 02 बालिका प्रति आयुवर्ग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन/चयन प्रक्रिया
				शारीरिक क्षमता के परीक्षण हेतु 06 प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। (1. 30 meter flying Run, 2. standing broad jump, 3. forward bend & reach, 4. 6X10 shuttle run, 5. medicine ball put, 6. 600 meter run.) जिला स्तर की चयन समिति द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग में मेरिट के आधार पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 25 छात्र एवं 25 छात्राओं की अंतिम सूची जारी की जायेगी, जो खेल छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। छात्रवृत्ति खिलाड़ियों को डी.बी.टी. के माध्यम से उनके खाते में दी जाती है। उल्लेखनीय – खेल विभाग के पोर्टल पर अभ्यर्थियों का पंजीकरण करना अनिवार्य है, जिसका आवेदन प्रारूप खेल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन प्रारूप के साथ खिलाड़ी को आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता एवं पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य होता है।
5.	खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	14 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष P-SAT (Physical and Sports Aptitude Test) के आधार पर चयन कर प्रति जनपद 100–100 बालक– बालिकाओं का चयन कर प्रतिमाह रू0 2000/– छात्रवृत्ति एवं वर्ष में एकबार रू0 10,000/– खेल उपकरण हेतु प्रदान किया जाता है।	राज्य के आयुवर्ग 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ी। अन्य पात्रता क्रमांक–4 के अनुसार। प्राथमिकता के आधार पर निम्न खेलों में ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है – (1) एथलेटिक्स (2) बैडमिंटन (3) बॉक्सिंग (4) भारोत्तोलन (5) कबड्डी (6) फुटबॉल (7) वॉलीबॉल (8) बास्केटबॉल (9) हॉकी (10) टेबल टेनिस (11) कराटे (12) जूडो	इसमें विद्यालय/न्याय पंचायत स्तर से चयन नहीं होता है। खिलाड़ी जनपद स्तर से सीधे नगरपालिका, नगर निगम/ जिला में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करता है तथा मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है। अन्य प्रक्रिया क्रमांक–4 के अनुसार।
6.	राजकीय सेवाओं में आउट ऑफ टर्न सेवायोजन/	अन्तर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत राजपत्रित /अराजपत्रित पदों (लेवल–5 से लेवल–10 तक) पर आउट ऑफ टर्न	अन्तर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय खेलों यथा– ओलम्पिक /पैराओलम्पिक खेल, विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स	शासनादेश संख्या–728/VI-3/2023-33(7)2014 दिनांक 14.09.2023 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार खेल निदेशालय द्वारा सम्बन्धित विभागों से रिक्तियां प्राप्त करके उन खिलाड़ियों की नियुक्ति किये जाने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा तथा सम्बन्धित श्रेणी

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू0–सर्क)

क्र	विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	E-Content का विकास एवं प्रसारण	ऑनलाईन शिक्षा प्रदाता कम्पनियों यथा (बायजूस, वेदान्तु जैसे कोचिंगों) के भी उपलब्ध की ई–पाठ्य सामग्रियों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र–छात्राओं को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों में पाठ्यक्रम निःशुल्क ऑनलाइन/ऑफलाइन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।	प्रदेश के समस्त छात्र–छात्रायें	विद्यार्थी यूसर्क की वेबसाइट usearc.in पर जाकर कुछ ई–सामग्रियों को देख सकते हैं। परन्तु पूरे कोर्स हेतु यूसर्क के पोर्टल से Vidya saar एप डाउनलोड कर अपना नाम पंजीकृत कर निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं तथा जहां इंटरनेट नहीं है, ऐसे विद्यालयों में यूसर्क द्वारा विद्यालय में एक पेनड्राइव प्रदान की जाती है जिससे विद्यार्थियों को पूरा कोर्स ऑफलाईन माध्यम से पढ़ाया जा सकता है।
2	STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics) प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं संचालन।	प्रदेश के समस्त जनपदों के माध्यमिक एवं डिग्री स्तर के विद्यार्थियों को विज्ञान प्रयोगात्मक स्तर से सुदृढ़ीकरण तथा Hands-on-Activities हेतु विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र–छात्राओं हेतु प्रायोगिक विज्ञान हेतु अध्ययन प्रयोजन में 41 स्टेम लैब स्थापित की जा चुकी हैं जिसमें छात्र–छात्रायें विज्ञान संबंधी प्रयोग करते हैं।	STEM प्रयोगशाला वाले विद्यालय के साथ ही निकट क्षेत्र के अन्य विद्यालय के छात्र–छात्रायें	STEM प्रयोगशाला वाले विद्यालय के समस्त छात्र–छात्रायें स्कूल में स्थापित प्रयोगशालाओं में प्रयोग कर सकते हैं तथा जिन विद्यालयों में प्रयोगशाला न हो वह ऐसे नजदीकी विद्यालय से सम्पर्क कर लाभ उठा सकते हैं।
3	विभिन्न क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन।	प्रदेश में विज्ञान शिक्षा एवं विज्ञान के अनुप्रयोगों द्वारा उनके लाभों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु छात्र–छात्राओं, अध्यापकों तथा आमजन तक वैज्ञानिक सोच का विकास एवं वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से कार्यक्रमों के आयोजन की श्रृंखला का प्रसार विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम के माध्यमों तथा यूसर्क विज्ञान चेतना केन्द्रों (जोकि राज्य में वर्तमान में कुल 200 हैं) व उच्च शिक्षा में कार्यरत यूसर्क नोडल अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है।	समस्त छात्र छात्रायें एवं आमजन	आउटरीच कार्यक्रमों की कोई अवधि निर्धारित नहीं है कुछ कार्यक्रम एक दिवसीय, कुछ बहुदिवसीय होते हैं। प्रतिभाग करने के लिए सर्वप्रथम यू–सर्क द्वारा गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन मांगे जाते हैं तथा उसके उपरान्त समस्त छात्र छात्रायें प्रतिभाग कर सकती हैं। ऑफलाईन माध्यम से आयोजित कार्यक्रमों में आयोजन स्थल के आसपास के विद्यालयों के छात्र–छात्रायें तथा आमजन कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं। विस्तृत सूचना सम्बन्धित आयोजन स्थल संस्था अथवा यू–सर्क विज्ञान चेतना केन्द्रों द्वारा दी जाती है।
4	Experiential Learning के अन्तर्गत वैज्ञानिक स्किल ट्रेनिंग तथा एप्लीकेशन [illegible]	प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोगात्मक रूप से प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान करने हेतु विभिन्न विषयों पर निःशुल्क आवासीय One week Hands-on training (Certificate programme) प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रदेश के सभी [illegible]	प्रदेश के समस्त वैज्ञानिक संस्थानों (निजी और राजकीय क्षेत्रों) के छात्र	इसमें आवेदन करने हेतु संबंधित छात्र–छात्रायें को अपने कॉलेज/विश्वविद्यालय के माध्यम से आवेदन गूगल फॉर्म के माध्यम से यू–सर्क में जमा करने हैं। यू–सर्क द्वारा चयन प्रक्रिया (प्रवेश सम्बन्धी शैक्षिक स्तर एवं योग्यता) पूर्ण कर [illegible]

उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञानधाम (U-COST)

क्र	कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	आंचलिक विज्ञान केंद्र	आंचलिक विज्ञान केन्द्र, झाझरा देहरादून में घूमने एवं प्रयोग हेतु आगन्तुकों हेतु अधिकतम शुल्क रू0 110, पब्लिक स्कूलों हेतु रू0 30 (छात्र संख्या 25 से अधिक) एवं सरकारी विद्यालय हेतु रू0 35 (छात्र संख्या 25 से अधिक) है। [illegible] हेतु निःशुल्क एवं [illegible] आवश्यकता पर विचार किया जा सकता है। स्कूली छात्र-छात्राओं हेतु [illegible] की व्यवस्था है। केन्द्र के अन्दर कई वैज्ञानिक गतिविधियों/ [illegible] को [illegible] माध्यम से प्रदर्शित किया गया है ताकि आम व्यक्ति भी विज्ञान को आसानी से समझ सकें।	राज्य और बाहरी राज्यों के सभी आगन्तुक।	आंचलिक विज्ञान केन्द्र, झाझरा देहरादून की स्थापना राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से की गयी है जो कि 2016 से क्रियाशील है। विज्ञान और विज्ञान आधारित गतिविधियों में रुचि रखने वाले छात्र और अन्य लोग न्यूनतम निर्धारित शुल्क देकर केंद्र का भ्रमण कर सकते हैं। साथ ही आंचलिक विज्ञान केन्द्र की ईमेल rscdehradun@gmail.com पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।
2	आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स	यूकॉस्ट, आंचलिक विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा इंटेल के सहयोग से एआई और यूथ के तहत एआई स्किलिंग लैब की स्थापना की गई है। जिसमें राज्य के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी एआई आधारित लैब आयोजित कर प्रयोग कर सकते हैं।	कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्राएं (सरकारी/निजी सभी स्कूलों के)	शिविर और प्रशिक्षण के लिए स्कूल अपना पंजीकरण करायें। (google) जानकारी प्राप्त करने के लिए पंजीकरण एआई पंजीकरण फॉर्म भरकर और ई-मेल यानी rscdehradoon@gmail.com और cc में rscdoonai@gmail.com पर सूचित किया जा सकता है। पंजीकरण फॉर्म के अलावा कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
3	राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस	राज्यभर के बाल वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान आधारित शोध परियोजना को प्रदर्शित करने एवं वैज्ञानिक चेतना को विकसित करने का विशेष अवसर प्रदान करना। विजेता छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।	राज्यभर के सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों के कक्षा [illegible] से [illegible] तक के छात्र एवं छात्राएं।	राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन विद्यालयी शिक्षा विभाग के माध्यम से करवाया जाता है। [illegible] का आयोजन सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा करवाया जाता है। आयोजन के दौरान विद्यार्थियों का फोटो, [illegible] शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता की आवश्यकता होती है। [illegible] के सभी छात्र एवं छात्राएं प्रतिभाग कर सकते हैं। [illegible] छात्र-छात्राएं [illegible] राज्य स्तर पर प्रतिभाग करते हैं एवं अंत में राज्य के चयनित छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रतियोगिता का कोई भी शुल्क नहीं होता है।

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		जिला अस्पताल रूद्रप्रयाग 10. उप जिला अस्पताल नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल 11. उप जिला अस्पताल खटीमा ऊधम सिंह नगर 12. जिला अस्पताल उत्तरकाशी 13. जिला अस्पताल पौड़ी गढ़वाल 14. दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून। राज्य के 05 डायलिसिस केंद्रों (कोरोनेशन अस्पताल, देहरादून, मेला अस्पताल, हरिद्वार, बेस अस्पताल, हल्द्वानी, नैनीताल, बेस अस्पताल, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, जिला अस्पताल, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर में राज्य के आयुष्मान कार्डधारक रोगियों, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के बी0पी0एल0 कार्ड धारक रोगियों को निःशुल्क एवं अन्य रोगियों को निम्नलिखित रियायती दरों पर डायलिसिस सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। रू0 1028/- प्रति डायलिसिस सेशन की दर से मेला अस्पताल, हरिद्वार, बेस अस्पताल, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल एवं जिला अस्पताल, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर डायलिसिस केंद्रों में। रू0 1290/- प्रति डायलिसिस सेशन की दर से कोरोनेशन अस्पताल, देहरादून एवं बेस अस्पताल, हल्द्वानी नैनीताल डायलिसिस केंद्रों में।		जो कॉलम 3 में अंकित है, में रोगियों को डायलिसिस उपचार की सुविधा वर्तमान में प्रदान की जाती है।
13.	निःशुल्क रक्त	योजना के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती समस्त रोगियों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जाता है।	राजकीय चिकित्सालय में भर्ती समस्त रोगी जिन्हें रक्त की आवश्यकता हो।	रक्त की आवश्यकता होने पर राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती रोगी को राजकीय रक्तकोषों द्वारा रक्त निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। राज्य की कुल 23 चिकित्सा इकाईयों में रोगियों को निःशुल्क रक्त की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 1. जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा 2. उप-जिला चिकित्सालय रानीखेत 3. जिला चिकित्सालय बागेश्वर 4. जिला चिकित्सालय चमोली 5. जिला चिकित्सालय चम्पावत 6. दून चिकित्सालय 7. राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून 8. उप-जिला चिकित्सालय ऋषिकेश 9. जिला चिकित्सालय हरिद्वार 10. उप-जिला चिकित्सालय रूड़की 11. जिला चिकित्सालय नैनीताल 12. बेस चिकित्सालय हल्द्वानी 13. सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज 14. जिला चिकित्सालय पौड़ी 15. बेस चिकित्सालय कोटद्वार 16. श्रीनगर

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				परिसर में उत्पाद बिक्री को प्रतिबंधित करने के साथ 13 जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के अन्तर्गत कार्यशाला तैनात हैं।
18.	राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम **(NPCB)**	समस्त जिला चिकित्सालयों व अनुबन्धित गैर सरकारी चिकित्सालयों के माध्यम से नेत्र रोग से सम्बन्धित मरीजों की सर्जरी का उपचार प्रदान किया जाता है। वृद्ध नागरिकों व स्कूली बच्चों को राजकीय चिकित्सा इकाई के माध्यम से स्क्रीनिंग कर निःशुल्क चश्मों का वितरण किया जाता है।	नेत्र रोग से सम्बन्धित समस्त व्यक्ति।	नेत्र रोग से सम्बन्धित सर्जरी रोगियों द्वारा नजदीकी चिकित्सा इकाई में पंजीकरण कराकर तैनात दृष्टिमितिक के माध्यम से स्क्रीनिंग के पश्चात मुख्य चिकित्सा इकाई में उपचार लाभ लिया जा सकता है।
19.	राष्ट्रीय पैलिएटिव केयर कार्यक्रम **(NPPC)**	राज्य के जिला चिकित्सालयों में स्थापित पैलिएटिव केयर वार्ड में प्रशिक्षित चिकित्सकों व स्टाफ नर्सों के माध्यम से असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को दर्द प्रबन्धन व देखभाल प्रदान की जाती है। पैलिएटिव वार्ड में निम्न बिमारियों से ग्रसित असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों का दर्द प्रबन्धन व देखभाल प्रदान की जाती है:- Cancer, Heart Disease, Lung Disease, Kidney Failure, Chronic Liver Disease, Rheumatoid Arthritis, Neurological Diseases, Congenital Anomalies, Dementia HIV AIDS, ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) इत्यादि अथवा कोई भी Chronic Disease जिसकी उपचार सहित Restriction हो एवं सामान्य जीवन व्यतीत करने में असमर्थ हो या जीवन के अन्तिम क्षण से गुजर रहा हो।	असाध्य रोगों से पीड़ित समस्त व्यक्ति।	राज्य के संबंध जिला चिकित्सालयों में पंजीकरण करवाकर प्रशिक्षित चिकित्सकों व स्टाफ नर्सों के माध्यम से उपचार प्राप्त किया जा सकता है। जनपद के 08 जिला चिकित्सालयों में नैनीताल, उधमसिंहनगर, चम्पावत, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग एवं बागेश्वर पैलिएटिव वार्ड क्रियाशील हैं तथा 04 जनपदों- पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टिहरी, उत्तरकाशी में वार्ड का स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।
20.	राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम **(NPHCE)**	जिरियाट्रिक वार्ड का मुख्य उद्देश्य है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध नागरिक, चिकित्सालय में भर्ती होने हेतु आता है तो उसको जिरियाट्रिक वार्ड में बेड उपलब्ध कराया जायेगा। समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क फिजियोथेरेपी प्रदान की जाती है।	सामान्य 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के व्यक्ति।	राज्य के समस्त जनपदों के जिला चिकित्सालयों में 10 बैड्स स्थापित जिरियाट्रिक वार्ड में प्रशिक्षित चिकित्सकों/ स्टाफ नर्सों द्वारा वृद्ध नागरिकों की विशेष देखभाल की जाती है। राज्य के समस्त जिला चिकित्सालयों में पंजीकरण कराकर प्रशिक्षित चिकित्सकों व स्टाफ नर्सों के माध्यम से उपचार प्राप्त किया जा सकता है।
		राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाएं		
1	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना)	उत्तराखण्ड राज्य में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितम्बर 2018 एवं अटल आयुष्मान 25 दिसम्बर 2018 से लागू है। बीमारी की स्थिति में चिकित्सालय में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष रू0 5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत परिवार का उत्तराखण्ड में	किसी भी नजदीकी जनसेवा केन्द्रों/सूचीबद्ध केन्द्रों/योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में निवास आवेदन पत्र द्वारा आवश्यक दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बने राशन कार्ड, परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड आदि के सत्यापन कर आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है।

	समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
काउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु :–** **15 % केन्द्रीय कोटे हेतु** अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित मेडिकल काउन्सिलिंग कमेटी द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग के माध्यम से। **85% राज्य कोटे हेतु** कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। सेन्ट्रल पूल कोटे की सीट पर भारत सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालय द्वारा सीट आवंटन किया जाता है। **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु** समय–समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय (केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु)	हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता, ई–मेल आई.डी.	न्यू सेन्ट्रल जेल टाउन, सुद्धोवाला, शीशमबाड़ा, देहरादून–248011 Website- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com
परास्नातक पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	एम0डी0/एम0एस0, पोस्ट डिप्लोमा डी0एन0बी0, पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डी0एन0बी0, पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा
नियामक परिषद	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	• एम0डी0/एम0एस0 – (03 वर्ष) • पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा – (02 वर्ष) • पोस्ट डिप्लोमा डी0एन0बी0 – (02 वर्ष) • पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डी0एन0बी0 – (03 वर्ष)
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित **नीट पी0जी0** प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	भारत सरकार/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
वर्तमान में संचालित संस्थान	**राजकीय मेडिकल कॉलेज :–** 1. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल। 2. राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी। 3. राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून। **निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज :–** 1. हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेंज, देहरादून। 2. श्री गुरू राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईसेंज, देहरादून।

	विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय/ संस्था (केवल राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु)	1. **एम०डी०/एम०एस० पाठ्यक्रम हेतु** हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून 2. **पोस्ट डिप्लोमा डी०एन०बी० /पोस्ट एम०बी०बी०एस० डी०एन०बी०/पोस्ट एम०बी०बी०एस० डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु** आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता एवं ई-मेल आई०डी०	**हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।** न्यू सेन्ट्रल टाउन टाउन, बाँधा खाला, धोलमकाला, देहरादून-248011, Website - www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com **आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली।** मेडिकल एन्क्लेव, अन्सारी नगर, महात्मा गांधी मार्ग, रिंग रोड, नई दिल्ली- 110029, Website - www.natboard.edu.in,

2. डेन्टल पाठ्यक्रम :-

स्नातक पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	बी०डी०एस०
नियामक परिषद	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	5 वर्ष (4 वर्ष + 01 वर्ष की अनिवार्य रोटेट्री इन्टर्नशिप)
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित **नीट यू०जी०** प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	भारत सरकार/भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
वर्तमान में संचालित संस्थान	**निजी डेन्टल संस्थान:-** 1. सीमा डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ऋषिकेश। 2. उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून।
सीटों का विभाजन	**राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु** –50% राज्य कोटा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटा
शिक्षण शुल्क	**राज्य स्थित निजी डेन्टल कॉलेजों हेतु** उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियमन) अधिनियम, 2006 (संशोधित) अधिनियम, 2015 एवं 2016 के अन्तर्गत गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क।
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
काउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु** 50% राज्य कोटे तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय	हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता ई-मेल आई.डी.	न्यू सेन्ट्रल टाउन टाउन, बाँधा खाला, धोलमकाला, देहरादून-248011 Website - www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com
परास्नातक पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	एम०डी०एस०
नियामक परिषद	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	एम०डी०एस० – 03 वर्ष

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखण्ड

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/आवश्यकी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम **(PMEGP)**	विनिर्माण क्षेत्र के लिये रू0 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिये रू0 10 लाख तक की परियोजनाओं हेतु बैंकों से ऋण के रूप में वित्त पोषण किया जाता है। सामान्य श्रेणी हेतु (स्वयं का योगदान–10 प्रतिशत तथा मार्जिन मनी(सब्सिडी) दर शहरी क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत)। विशेष श्रेणी हेतु (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्तराखण्ड शारीरिक रूप से विकलांग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र (सरकार द्वारा सूचित किए गये के अनुसार)) हेतु स्वयं का योगदान 5 प्रतिशत तथा मार्जिन मनी (सब्सिडी) दर शहरी क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिशत।	आवेदक की उम्र 18 वर्ष और इससे अधिक हो। आय की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। रू0 5 लिए लागत की लागत वाली परियोजना के लिये कोई शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं। विनिर्माण क्षेत्र की रू0 10 लाख से अधिक लागत तथा सेवा क्षेत्र में रू0 5 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिये एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र है। परिवार में स्वयं और पति/पत्नी शामिल है।	योजना का संचालन भारत सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। आवेदन करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल www.kviconline.gov.in तथा PMEGP-E-PORTAL से आवेदन किया जाता है। ऑनलाईन माध्यम से ही इन आवेदन बैंकों को ऋण स्वीकृति हेतु अग्रसारित किये जाते हैं। योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं जिला उद्योग केन्द्रों के द्वारा किया जाता है। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज–आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (जहाँ आवश्यक हो), विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र (जहाँ आवश्यक हो), ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र (ग्राम प्रधान द्वारा), शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट, ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो), अन्य कोई लागू दस्तावेज (जिन्हें स्कैनकर ऑनलाईन पोर्टल पर ही अपलोड किया जाता है)। लाभार्थियों का चयन राज्य/जिला स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंकों द्वारा किया जायेगा। लाभार्थियों को 100 अंकों का स्कोरिंग मापदण्डों के आधार पर इसका मूल्यांकन प्रशिक्षित बैंक से वित्त पोषण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रेषण किया जाता है। स्वीकृत परियोजना 3 वर्ष के निरन्तर संचालित रहने के पश्चात ही निर्धारित मार्जिन मनी समायोजन अनुमन्य होगा।
2.	**खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना**	गांधी जयन्ती से 28 जनवरी तक खादी वस्त्रों पर 10 प्रतिशत छूट ग्राहक को दी जाती है।	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) से पंजीकृत उत्तराखण्ड के उत्पादन/बिक्री केन्द्रों को दी जाती है, इनके द्वारा सम्बन्धित ग्राहकों को दी जाती है।	खादी ग्रामोद्योग के उत्पादन/बिक्री केन्द्रों पर समस्त उपभोक्ताओं को वस्त्रों की खरीद पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

पर्यटन विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम- स्टे) विकास योजना	प्रदेश के स्थायी/मूल निवासियों को होम-स्टे निर्माण हेतु ऋण लिये जाने पर पर्वतीय क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 15.00 लाख तक की प्रथम पाँच वर्षों में ऋण के ब्याज देय ब्याज का अधिकतम रू0 1.50 लाख तथा मैदानी क्षेत्र हेतु 25% अधिकतम रू0 7.5 लाख तक की प्रथम पाँच वर्षों हेतु रू0 1.00 लाख अनुदान धनराशि भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। ऋण लेते समय लाभार्थी का अंशदान 12.50 प्रतिशत होता है। ऋण लेने पर ही सब्सिडी दी जाती है। नये गृह आवास के निर्माण के अतिरिक्त पुराने भवनों की आंतरिक साज-सज्जा, उनका विस्तार/ नवीनीकरण/ सुधार एवं शौचालयों के निर्माण के लिये तदनुसार धनराशि/सब्सिडी दी जाती है।	यह लाभ नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होमस्टे बनाने पर अनुदान दिया जाता है। आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। भवन स्वामी को चयनित आवासीय भवन में निवास करते हुए अतिथियों हेतु न्यूनतम एक एवं अधिकतम 6 कक्षों का निर्माण कर सकता है। होम स्टे बनने पर इन भवनों में गृह आवास की मान्यता हेतु उसका पंजीकरण उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के अन्तर्गत कराना आवश्यक होगा। पारम्परिक/पहाड़ी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।	आवेदक ऑनलाईन tourism.uk.gov.in > दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना में आवेदन करेगा। आवेदन करने के दौरान पंजीकरण हेतु आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नम्बर अनिवार्य है। इसके उपरान्त सम्पत्ति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।), स्थायी निवास प्रमाण पत्र, भूमि/भवन स्वामित्व प्रमाण पत्र, योजना का आगणन, नगरपालिका में जमीन न होने सम्बन्धी प्रमाण द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, अग्निशमन एवं फायर/अग्निशमन विभाग की एनओसी, प्राधिकृत विभाग/संस्था द्वारा नक्शा पास तथा अनु0 जाति/अनु0 जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)। अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला पर्यटन विकास अधिकारी के पास जायेगा। जि0प0वि0अ0 जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आयोजित करने हेतु तिथि नियत करेगा तथा उस तिथि को सम्बन्धित आवेदक को इण्टरव्यू हेतु बुलाया जाता है। जिलाधिकारी के समक्ष इण्टरव्यू होता है। समिति द्वारा सही पाये जाने पर प्रस्ताव उस बैंक को भेजा जाता है जहाँ से आवेदक लोन लेना चाहता है। बैंक को प्रस्ताव ऑनलाइन जाता है जिस बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया अपनायी जाती है। ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में बैंक पर्यटन अधिकारी को अवगत कराता है तथा सम्बन्धित आवेदक के खाते में सूचना

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राष्ट्रीय बायो एनर्जी कार्यक्रम	बायोगैस संयंत्रों से प्राप्त गैस का उपयोग कुकिंग के लिए किया जा सकता है तथा उच्च कोटि की खाद (स्लरी खाद) प्राप्त की जा सकती है। निम्नानुसार अनुदान देय होगा– 1 घनमीटर –रू0 17,000/– 2–4 घनमीटर –रू0 22,000/– 6 घनमीटर –रू0 29,250/– 8–10 घनमीटर –रू0 34,500/– 15 घनमीटर –रू0 63,250/– 20–25 घनमीटर –रू0 70,400/– छोटे बायोगैस संयत्र में अनुमानित लागत रू0 40,000.00 लगभग व्यय होती है तथा विभाग से रू0 22,000.00 का अनुदान दिया जाता है।	व्यक्ति के पशुपालक ग्रामीण स्तर की योजना हेतु पात्र होंगे। बायोगैस संयंत्र हेतु लाभार्थी का पशुपालक होना आवश्यक है। बायोगैस लगाये जाने हेतु 4X3=12 वर्ग मी0 भूमि तथा 03 पशुओं की आवश्यकता होगी।	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के पोर्टल https://biogas.mnre.gov.in/ पर ऑनलाईन या सम्बद्ध जनपदीय उरेडा कार्यालय के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। योजना की स्वीकृति के लिये ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं बैंक खाते की आवश्यकता होगी। पी0सी0बी0 की एन0ओ0सी0 या अन्य किसी विभाग की एन0ओ0सी0 की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाईन आवेदन न कर पाने की स्थिति में ऑफलाईन भी आवेदन जमा कर सकता है। उरेडा का सम्बद्ध जनपदीय कार्यालय सहयोग करेगा।
2.	मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना	योजना के अन्तर्गत पात्र आवेदकों/लाभार्थियों को 20/25/50/100 एवं 200 कि0वा0 क्षमता की सौर परियोजनाओं का आवंटन कर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है। 20 किलोवाट हेतु रू0 10 लाख एवं 25 किलोवाट हेतु 12.50 लाख तथा 300 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी। 50 किलोवाट हेतु 700–1000 वर्ग मी0 अनुमानित लागत रू0 25.00 लाख है। 100 किलोवाट हेतु 1500–2000 वर्ग मी0 अनुमानित लागत रू0 50.00 लाख। 200 किलोवाट हेतु 3000–4000 वर्ग मी0 अनुमानित लागत रू0 100.00 लाख। चयनित लाभार्थियों को उत्तराखण्ड राज्य/जिला सहकारी बैंकों से 8 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। योजनान्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा एम0एस0एम0ई0 नीति–2023 के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ/प्रोत्साहन देय है। स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की क्षमता से उत्पादित विद्युत को यू0पी0सी0एल0 द्वारा 25 वर्षों के लिये क्रय किया जायेगा। विक्रय की गयी विद्युत को टैरिफ दरों के अनुसार	उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे तथा 01 परिवार के केवल 01 ही व्यक्ति को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जाता है। उरेडा द्वारा प्रचलित UREDA पॉलिसी के अन्तर्गत प्लान्ट लगाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत डेवलपर आईडी द्वारा इंडिविजुअल के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकास पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के नाम से इस योजना के अन्तर्गत आवेदन अनुमन्य नहीं होगी।	योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल www.msy.uk.gov.in पर आवेदन किया जायेगा। आवेदन हेतु स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आवेदन शुल्क, सम्बन्धित भूमि विवरण संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तदोपरान्त पोर्टल पर प्राप्त आवेदन को यू0पी0सी0एल0 को TFR हेतु प्रेषित किया जायेगा। यू0पी0सी0एल0 द्वारा उक्त कार्यवाही के उपरान्त आवेदन की सूचना उरेडा को उपलब्ध कराई जाती है जिसके उपरान्त जनपदीय कार्यालय द्वारा आवंटन समिति के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति उपरान्त उरेडा द्वारा आवेदक को सोलर पावर प्लान्ट का आवंटन किया जाता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		पूर्वोत्तर/उत्तराखण्ड द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा।		
3.	**ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना**	एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार की रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना के अन्तर्गत ही मात्र आवासीयों को राज्य सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के रूप में 01 किलोवाट से 03 किलोवाट तक की क्षमता वाले संयन्त्र हेतु रू0 17000.00 प्रति किलोवाट की दर से एवं 03 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की क्षमता के संयन्त्र हेतु रू0 51,000.00 निश्चित राशि अनुदान के रूप में अनुमन्य किया गया है। आवासीय और ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से उत्पादित विद्युत को पूर्वोत्तर/उत्तराखण्ड द्वारा नेट मीटरिंग के आधार पर उपभोक्ता के विद्युत बिल में समायोजित किया जायेगा।	सम्पूर्ण राज्य के घरेलू श्रेणी हेतु उपभोक्ताओं जिनके द्वारा एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार द्वारा संचालित "ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना" के अन्तर्गत एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार के वेबसाइट पोर्टल https://solarrooftop.gov.in पर आवेदन किया गया हो एवं संयन्त्र स्थापना सम्बन्धित निर्धारित समस्त औपचारिकताएं/निर्देश को पूर्ण कर चुके हों।	एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार द्वारा जिन उपभोक्ताओं को अनुदान का भुगतान किया गया हो, उनके द्वारा जिला परियोजना कार्यालय में इसकी स्वीकृति सम्बन्धी दस्तावेज सहित आधार कार्ड/बैंक खाता की प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ जमा करने पड़ते हैं। सत्यापन के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान प्रदान किया जायेगा।
4.	**Grid Connected Rooftop Phase-II** योजना, **MNRE** भारत सरकार द्वारा संचालित	घर की छत पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने से अपने विद्युत बिल की बचत को सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित विद्युत के उपयोग से कम कर सकते हैं तथा शेष विद्युत को ग्रिड में प्रवाहित कर उसके सापेक्ष भुगतान प्राप्त कर उपभोक्ता अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। एकल घरेलू उपभोक्ताओं हेतु भारत सरकार द्वारा 3KW क्षमता तक सोलर प्लांट हेतु रू 17662/KW एवं तदुपरान्त 10KW क्षमता तक रू 8831/KW का अनुदान सीधे उपभोक्ता को उनके खाते में दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी 3KW क्षमता तक के सोलर प्लांट हेतु रू 17000/KW का अनुदान अनुमन्य किया गया है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन हेतु 10 KW क्षमता तक रू 8831/KW का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।	एकल घरेलू उपभोक्ता एवं हाउसिंग सोसाइटी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन।	MNRE भारत सरकार के पोर्टल www.solarrooftop.gov.in पर पंजीकरण उपरान्त ऑनलाइन आवेदन किया जाता है जिस हेतु UPCL द्वारा NOC भी ऑनलाइन ही जारी की जाती है। उपभोक्ता द्वारा UPCL से किसी भी पंजीकृत वेंडर के माध्यम से सोलर प्लांट स्थापित कराया जा सकता है। प्लांट स्थापना के उपरान्त UPCL द्वारा Net Meter स्थापित कर प्लांट को ग्रिड से जोड़ दिया जाता है एवं समस्त सम्बन्धित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड कर दिये जाते हैं। अंत में उपभोक्ता द्वारा अपने बैंक एकाउंट का विवरण उक्त पोर्टल पर अपलोड किया जाता है जिससे अनुदान की धनराशि सीधे अवमुक्त की जाती है।

******

ग्राम्य विकास विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)**	ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। योजना में एक परिवार को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। कुशल श्रमिक को लोक निर्माण विभाग के प्रचलित SOR के अनुसार मजदूरी दी जाती है जो वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों में रू० 450 –800/– प्रतिदिन के बीच है। अकुशल श्रमिक को 1 अप्रैल 2022 से रू० 230/– प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है।	जॉब कार्ड धारक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य	**जॉब कार्ड हेतु आवेदन एवं प्राप्ति**: कोई भी ग्रामीण परिवार, जो अकुशल श्रम करने का इच्छुक हो, जॉब कार्ड हेतु आवेदन कर सकता है। जॉब कार्ड बनाने हेतु ग्राम पंचायत/विकासखण्ड कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होता है। आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड/बैंक पासबुक/वोटर आईडी/आधार कार्ड नहीं होने पर राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होती है। सत्यापन समिति द्वारा आवेदन सही एवं सत्यापित पूर्ण पाये जाने पर 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। एक जॉब कार्ड में परिवार के 6 सदस्य दर्ज हो सकते हैं। कार्य की मांग: जॉब कार्ड प्राप्त हो जाने के उपरान्त जॉब कार्ड में दर्ज कोई भी सदस्य निर्धारित प्रारूप में ग्राम पंचायत/विकासखण्ड कार्यालय में कम से कम 14 दिन के अवधि कार्य की मांग कर सकता है। यदि मांग किए जाने के 15 दिन तक कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक विकासखण्ड कार्यालय में जाकर बेरोजगारी भत्ते की मांग कर सकता है।
2	**दीनदयाल अन्त्योदय–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)**	योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं को संगठित कर स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाये जाते हैं ताकि वह आजीविका में सुधार के लिए स्वयं के माध्यम से कार्यों को शुरू कर सकें। समूह बनाने के बाद समूह सदस्यों को प्रशिक्षण/क्षमता संवर्धन विभाग द्वारा दी जाती है। स्वयं सहायता समूह बनाने के उपरान्त उनका बैंक खाता खोला जाता है तथा प्रत्येक समूह को न्यूनतम 1.5 लाख कैश क्रेडिट लिमिट बैंक द्वारा दी जाती है, जिससे समूह जब भी कोई कार्य करना चाहें, उसके धनराशि कभी भी ऋण के रूप में ले सकता है। सरकार द्वारा समूह को	सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना –2011 सर्वे (SECC-2011) एवं सहभागिता के आधार पर गरीबों का चयन किया जाता है तथा समूह बनाने उनकी प्राथमिकता दी जाती है। कुछ वर्ग के गरीब महिलाओं, दलित और आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्येक ग्राम में एक से अधिक समूह बना सकते हैं। सदस्यों की उम्र 18–60 वर्ष के बीच हो। प्रत्येक वर्ग की महिलाएं (सर्वेक्षण क्षेत्र की दशा में	**समूह बनाने की प्रक्रिया**– ग्राम में सीआरपी (Community Resource Person) के माध्यम से ग्राम स्तर पर जाकर गरीब महिलाओं/परिवारों को समूह से जुड़ने हेतु प्रेरित किया जाता है तथा समूह में काम करने हेतु इच्छुक होने तथा बैठकों में समय देने के लिए तैयार होने पर उनका समूह गठित किया जाता है। समूह हेतु पहाड़ी इलाकों में कम से कम 5 महिलाओं और मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 10 महिलाओं का होना अनिवार्य है। इसके उनके आधार कार्ड, मतदाता-पत्र, समूह की महिला का नाम ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। उसके बाद समूह की बैठक आयोजित करने पर एक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। समूह गठित होने पर विभाग द्वारा भारत सरकार के एनआरएलएम पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जाती है। इसके बाद समूह सदस्यों को, किस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। तथा

		ऋण लेने पर ऋण ब्याज की धनराशि पर सब्सिडी दी जाती है।	8–10 तथा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में 5–10 महिलाएं)	की समूह के सदस्यों द्वारा एक निर्धारित धनराशि भी समूह के खाते में जमा की जाती है। समूह की साप्ताहिक बैठक का दिन एवं समय भी निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक समूह में छोटी–छोटी गतिविधियों के संचालन हेतु रिवाल्विंग फण्ड एवं सामुदायिक निवेश निधि दिया जाता है। समूह को वित्तीय सेवाओं के लिए बैंक या वित्तीय संस्था से जोड़ा जाता है। समूह का खाता खोलने, बैंक से जोड़ने के दौरान मिशन वित्तीय तार्किक सहयोग करते हैं।
3	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY)	ग्रामीण गरीब युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों जैसे tourism & hospitality, retail, logistics, banking, electronics इत्यादि में निःशुल्क प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के दौरान आवासीय एवं भोजन व्यवस्था, यूनिफार्म एवं किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं तथा प्रशिक्षण के उपरान्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।	ग्रामीण युवा जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष हो। महिला, जनजातीय समूह, पीडब्ल्यूडी और अन्य विशेष समूहों के लिये 45 वर्ष तक की आयुसीमा निर्धारित है। बीपीएल/पीडीएस कार्डधारक परिवार अथवा पीआईपी में शामिल परिवार। मनरेगा मजदूर परिवारों के ऐसे युवा जिन्होंने विगत वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिन काम किया हो। अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारक परिवार। एनआरएलएम स्वयं सहायता समूह के परिवार। एस.ई.सी.सी.–2011 के तहत चिन्हित Auto included परिवार। लाभार्थियों के चयन हेतु मानक निर्धारित किया गया है।	आवेदन हेतु इच्छुक व्यक्ति www.kaushalpanjee.nic.in पर जाकर candidate registration अथवा पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आयु/जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, बीपीएल/राशन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र/दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि हो तो) की आवश्यकता होती है तथा इसमें उम्मीदवार को प्रवेश परीक्षा पास नहीं करनी होती है। विभाग के पास ऑनलाइन सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा विभाग अपने स्तर से चयनित आवेदक को प्रशिक्षण हेतु पत्र जारी कर रहा है जो सुचारू पत्राचार करते हैं। आवेदकों को निःशुल्क प्रशिक्षण राज्य में अथवा राज्य के बाहर भी दिया जा सकता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 माह से 09 माह तक हो सकती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त जिस संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह चयनित व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करायेगा।
4	प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (PMAY-G)	ग्रामीण पात्र लाभार्थियों को आवास बनाने हेतु 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थी अपनी इच्छा से शौचालय निर्माण हेतु रु0 12,000/– की धनराशि मनरेगा/स्वच्छ भारत मिशन से एवं 90 मानव दिवस का श्रम रोजगार मनरेगा से प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा आवास पूर्ण होने पर	“सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना –2011 सर्वे”(SECC-2011) एवं ग्राम सभा द्वारा प्रतीक्षा सूची से आवास हेतु पात्र लाभार्थी का चयन।	योजना अन्तर्गत ब्लाक में आवेदन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। समय–समय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवास हेतु “सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना –2011 सर्वे” के आधार पर पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया। एसईसीसी 2011 सर्वे में छूटे हुए ऐसे परिवार जो पीएमएवाई–जी आवास की पात्रता धारित करते थे ऐसे परिवारों हेतु भारत सरकार द्वारा जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक आवास

सहकारिता विभाग

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना	योजनान्तर्गत **कृषि कार्य** हेतु रू0 1.00 लाख तथा **कृषितेत्तर कार्य** (यथा पशुपालन, पुष्प, मुर्गी पालन, मत्स्य, जड़ी-बूटी, मसाला, [illegible], पुष्प उत्पादन, औद्यानिकी/कृषि यन्त्रीकरण, कृषि-प्रसंस्करण, जैविक खेती, डेयरी, सब्जी उत्पादन, पॉली-हाउस आदि) हेतु रू0 3.00 लाख तक एवं **स्वयं सहायता समूह** को रू0 5.00 लाख तक का **ब्याज रहित ऋण** दिया जाता है।	सामान्य, लघु, सीमान्त कृषकों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार के सदस्य एवं स्वयं सहायता समूह जो उस क्षेत्र की सहकारी समिति के सदस्य अथवा जिला सहकारी बैंक के खाता खाताधारक हो। परिवार के एक सदस्य को ही उक्त योजना का लाभ दिया जायेगा। (लघु कृषक का तात्पर्य उन कृषकों से है जिनके पास 5 एकड़ तक असिंचित भूमि अथवा 2.50 एकड़ तक सिंचित भूमि उपलब्ध हो। **सीमान्त कृषक** का तात्पर्य उन कृषकों से है जिनके पास 2.50 एकड़ तक असिंचित भूमि अथवा 1.25 एकड़ तक सिंचित भूमि उपलब्ध हो।) योजना का लाभ सहकारी बकायेदार सदस्यों को नहीं दिया जायेगा। वर्तमान में योजना में कृषकों के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं है।	रू0 1 लाख से 3 लाख तक का ऋण हेतु आवेदक को सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक है तथा सीधे बैंक से ऋण लेने की स्थिति में बैंक का नाममात्रिक सदस्य बनना होगा। आवेदक सम्बन्धित बैंक/समिति से आवेदन प्राप्त कर सकेगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदक का फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं कार्य योजना, खतौनी, नाम/खाता का विवरण तथा यदि कहीं से ऋण लिया हो तो उसकी जानकारी उल्लिखित करेगा। आवेदक के पास उपलब्ध भवन/अचल सम्पत्ति जैसे जमीन, जमानतदार आदि। ऋण लेने हेतु 2 जमानतियों का होना आवश्यक है जिनकी भूमि/अचल सम्पत्ति का विवरण भी मांगा जाता है। आवेदन पत्र के साथ पर्याप्त जमानती प्रमाण पत्र/खाता खतौनी, किसान कार्ड [illegible] कार्य सम्बन्धित बैंक/समिति में जमा करना है। तत्पश्चात समिति/शाखा स्तरीय समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन कर उन्हें योजना में आच्छादित कर ऋण प्रदान किया जाता है। रू0 5 लाख तक के ऋण हेतु समूह द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट/प्रस्ताव जमा करना पड़ता है तथा यह ऋण व्यक्तिगत न दिया जाकर समूह को दिया जाता है। समूह का सहकारी बैंक में खाता होना अनिवार्य है। योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित योजना से आच्छादित क्रिया-कलापों हेतु पंजीकृत होना चाहिए। उक्त योजनान्तर्गत वितरित अल्पकालीन ऋण रू0 1 लाख (फसली ऋण) हेतु भुगतान की अवधि ऋण वितरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक, मध्यकालीन ऋण रू0 3 लाख हेतु भुगतान की अवधि ऋण वितरण की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक भुगतान करना होगा तथा इस हेतु भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। योजनान्तर्गत ऋण वितरण का लक्ष्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिसूचित शासन के स्तर से निर्धारित किया जाता है। ऋण लेने के पश्चात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित फसलों हेतु स्वीकृत किये गये अल्पकालीन कृषि ऋणों का अनिवार्य बीमा कराया जाना आवश्यक होगा। कृषि ऋणों का बीमा सहकारी बैंक स्वयं करवाता है। यदि किसी कृषक को किसी वर्ष ऋण नहीं मिलता है तथा उसे आगामी वर्ष में यदि आवश्यकता हो तो आगामी वर्ष में बिना उसके पूर्व में प्रेषित आवेदन को ही स्वीकार करेगा। **सहकारी समिति में सदस्य बनने की प्रक्रिया**-इच्छुक आवेदनकर्ता सम्बन्धित समिति कार्यालय में सदस्यता हेतु आवेदन पत्र भरते हुए रू0 100/- सदस्यता शुल्क के रूप

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/आच्छादन	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	प्राकृतिक आपदाओं जैसे –बारिश, ओलावृष्टि, अकाल, बिजली, बाढ़, सूखा, कीट, रोगों, चक्रवात एवं भूस्खलन से फसलों की बुवाई से कटाई तक नुकसान की भरपाई की जाती है। फसल कटाई के 14 दिन बाद तक (चक्रवात, चक्रवाती बारिश, बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि) आपदा से हुए नुकसान पर भी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता दी जाती है। आगजनी से होने वाला फसल नुकसान इस योजना में सम्मिलित नहीं है। क्षतिपूर्ति बीमित क्षेत्रफल का भुगतान और बीमित धनराशि पर निर्भर करता है। प्रीमियम की धनराशि–रबी में किसान को अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है तथा खरीफ की फसलों पर अधिकतम 2 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है। अन्य शेष धनराशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।	खेती करने वाले प्रदेश के सभी ऋणी और गैर ऋणी किसानों के साथ–साथ बटाईदार किसान (जो किसी अन्य की खेती पर खेती करते हों) इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान निम्न फसलों का बीमा करा सकते हैं :– 1. खरीफ–धान, मण्डुवा (समस्त जनपद) 2. रबी–गेहूं (समस्त जनपद), मसूर (जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा पिथौरागढ़)	फसल बीमा करने हेतु संबंधित पात्र किसान PMFBY वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर पंजीकरण कर सकता है जिसके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, खतौनी तथा नवीन बुवाई प्रमाणपत्र, बटाईदार होने की स्थिति में इकरारनामा/एफिडेविट अपलोड करने होंगे। यदि स्वयं आवेदन नहीं कर सकते हों तो जन सेवा केन्द्र (CSC)/ सहकारी बैंक/पोस्ट ऑफिस/ बीमा कम्पनी एजेन्ट के माध्यम (AIDE एप) द्वारा दस्तावेजों को ले जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के उपरान्त किसान को बीमित धनराशि के सापेक्ष प्रीमियम धनराशि भुगतान करनी होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल नुकसान होने पर 72 घण्टों के भीतर बीमा कम्पनी क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लि. (टोल फ्री नं.– 18005723013) एवं अपने जनपद के कृषि एवं राजस्व विभाग को सूचित करें। इसके उपरान्त प्रथम तीनों विभागों द्वारा जांच की जाती है। जांच में नियमानुसार फसल क्षति पाये जाने पर भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाता है। बीमा का लाभ लेने

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शामिल	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		(see table below)	पात्र किसान का नाम खतौनी प्रपत्र/ जमीन के राजस्व अभिलेखों में अंकित हो।	किसान को SMAM के पोर्टल http:// agrimachinery.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नम्बर, बैंक खाता तथा जमीन संबंधी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र (यदि किसी जाति विशेष से हो) अपलोड करने होते हैं। सभी दस्तावेज उसी जनपद के होने चाहिए जिस जनपद में कृषि जमीन हो। यदि किसान को ऑनलाइन आवेदन नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में कृषि विभाग के विकासखण्ड स्तर के अधिकारी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पंजीकरण संख्या/ प्रमाण संबंधित किसान को प्राप्त होता है। फिर किसान कृषि विभाग के अन्तर्गत पैनल फर्मों से जो वेबसाइट में उल्लिखित हों, उनसे संबंधित यंत्र खरीदेगा, उसके बिलों को जो पंजीकरण संख्या प्राप्त हुई है उसी में अपलोड करेगा। तत्पश्चात कृषि विभाग के कार्मिकों द्वारा बिलों की जांच की जाती है तत्पश्चात डीबीटी के माध्यम से अनुदान की धनराशि का भुगतान सीधे कृषक के खाते में किया जाता है। योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन में "पहले आओ पहले पाओ" की व्यवस्था

क्र	यंत्र का नाम	अनुदान की सीमा पुरुष/महिला/लघु एवं सीमान्त एवं अन्य कृषकों के लिए एस.सी./एस.टी. को अनुदान
1	पॉवर टिलर 8 बीएचपी से कम	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
2	पॉवर टिलर 8 बीएचपी एवं अधिक	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
3	[illegible] 2 बीएचपी से कम	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
4	[illegible] 2 बीएचपी से अधिक	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
5	[illegible] 5 बीएचपी से अधिक	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
6	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
7	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
8	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
9	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
10	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
11	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
12	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
13	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
14	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
15	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
16	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				प्लान के कार्ययोजना के अनुसार लक्ष्य जनपद स्तर को उपलब्ध करा दिए जाते हैं। राज्य पोषित-योजनाओं में सम्बन्धित आवेदन, उ०प्र०उद्यान के उपलब्ध स्तर, तथा जनपद से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरान्त शासनादेश जारी करके जनपदों को लक्ष्य/बजट आवंटन स्वीकृति/कार्यादेश प्रदान किया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं पुस्तक में अंकित कराया जाता है, उसके उपरान्त कृषक सम्बन्धित उ०प्र०उद्यान के [illegible] को 80 प्रतिशत सब्सिडी पर [illegible] सकता है। सम्बन्धित योजना में सामग्री का [illegible] शर्तों के आधार कृषक की उपलब्धता पर किया जाता है।
3	सब्जी बीजकल वितरण	कृषकों को सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सीजन के अनुसार सब्जियों के बीज 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर उपलब्ध कराये जाते हैं। कृषक को मौसमी सब्जी उगाने से लगभग 02 माह पूर्व आवेदन करना होता है। (उदाहरण स्वरूप लौकी के बीज का पैकेट रू0 200/- का है तो किसान को सम्बन्धित उ०प्र०उद्यान में रू0 100/- जमा करने होते हैं तथा रू0 100/- की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को पूरा बीज रू0 100/- में मिल जाता है।)	कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। (अधिकतम 02 हैक्टेयर भूमि)	सम्पूर्ण प्रक्रिया (जनपद स्तर विभाग) के अनुसार है। यहां पर कृषक को मौसमी सब्जी बीज उपलब्ध कराये जाते हैं।
4	मसाला बीजकल वितरण	कृषकों को मसाला उत्पादन में बढ़ावा देने हेतु मसाला बीज एवं कन्द (अदरक, हल्दी, लहसुन) एवं [illegible] 50 प्रतिशत [illegible] अधिकतम रू0 [illegible] हजार प्रति हैक्टेयर के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं। यह बीज अधिकतम 04 हैक्टेयर तक की जमीन हेतु ही उपलब्ध कराये जाते हैं। उदाहरण: लहसुन-अदरक 01 किलो रू0 200/- का है तो किसान को सम्बन्धित उ०प्र०उद्यान में रू0 100/- जमा करने होते हैं तथा रू0 100/- की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उतना कन्द	कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक हो।	सम्पूर्ण प्रक्रिया (जनपद स्तर विभाग) के अनुसार है। यहां पर कृषक को मसाला बीज एवं कन्द उपलब्ध कराये जाते हैं। हल्दी, अदरक के लिए फरवरी-मार्च माह में उद्यान स्तर पर जनपद में आवेदन कर देना चाहिए। अन्य फसलों के लिए भी बुआई की तिथि से 01 माह पूर्व आवेदन कर देना चाहिए।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अहर्ताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		रू0 100/— में मिल जाता है।)		
5	पुष्प क्षेत्रफल विस्तार	कृषकों को पुष्प उत्पादन में बढ़ावा देने हेतु पुष्प रोपण सामग्री (कन्द/पौधे/बीज) कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता (अधिकतम 04 हैक्टेयर) तक उपलब्ध करायी जाती है। अर्थात खुले पुष्प अधिकतम 20 हजार तक की पुष्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। कटफ्लावर पुष्प अधिकतम 50 हजार तक की पुष्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। कन्दयुक्त पुष्प अधिकतम 75 हजार तक की पुष्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। (जैसे गेंदे के बीज 1 किलो रू0 200/— का है तो किसान को सम्बन्धित ... में रू.100/— जमा करने होंगे है तथा रू0 100/— की सब्सिडी सरकार प्रदान करती है और किसान को उक्त बीज रू0 100/— में मिल जाता है।)	कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक	सम्पूर्ण प्रक्रिया जिला स्तर विभाग के अनुसार है, यहां पर कृषक को पुष्प रोपण सामग्री (कन्द/पौधे/बीज) उपलब्ध कराये जाते हैं।
6	मशरूम उत्पादन	मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत क्षेत्र हेतु किसान/ मशरूम उत्पादन हेतु इच्छुक व्यक्ति के लिए 40 प्रतिशत राजसहायता की धनराशि दी जाती है। मशरूम उत्पादन इकाई की स्थापना अधिकतम 20 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना अधिकतम 20 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। स्पॉन उत्पादन इकाई की स्थापना अधिकतम 15 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। शुद्ध सरकार एवं राजकीय क्षेत्र (सरकारी विभाग, संस्थानों/ कृषि/ औद्यानिक विश्वविद्यालय आदि) हेतु 100 प्रतिशत धनराशि की दर सहायता दी जाती है।	मशरूम उत्पादन हेतु इच्छुक कृषक कृषक के पास अपनी जमीन/लीज की जमीन होना अनिवार्य है। एक किसान को 01 ही यूनिट मिलता है। ऋण न लेने की स्थिति में राजसहायता/ सब्सिडी देने का प्राविधान नहीं है।	इस योजना का लाभ लेने हेतु सर्वप्रथम आवेदक आवेदन पत्र/प्रपत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाइट [illegible] से डाउनलोड करेगा अथवा सम्बन्धित जनपद के उद्यान कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आवेदन प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तावित कृषक तैयार करना चाहे (प्रोजेक्ट) बनाने में ... जनपद ... एवं ... मशरूम ... के विभागीय अधिकारी का सहयोग प्राप्त कर सकता है। उसके उपरान्त प्रस्ताव इसी कार्यालय में जमा करना पड़ता है। उसके बाद इच्छुक किसान को बैंक में लोन हेतु आवेदन करना पड़ता है, जिसमें बैंक को जमीन संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकखाता, मशरूम कार्य करने से मिलनी आय होने का विवरण, कितना व्यय होगा का विवरण, आय के अन्य स्रोतों का विवरण एवं जमीन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ते हैं। बैंक द्वारा सभी प्रक्रिया अपनाकर ऋण स्वीकृत करता है। ऋण स्वीकृति के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित कागजातों सहित जिला/मुख्य उद्यान विकास अधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करना पड़ता है। आवेदन के साथ भू-अभिलेख, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल/राशन कार्ड

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/आवश्यकताएँ	आवेदन प्रक्रिया एवं भुगतान प्रक्रिया
				की दस्तावेज अपलोड करने होते है। आवेदन प्रस्तुत करने में दिक्कत होने पर संबंधित उद्यम/कृषि केन्द्र उद्यमी की सहायता करते है। इसी प्रक्रिया में आवेदन ... जमा करना होगा। परियोजना में आवेदन करने से पूर्व उद्यमी/संस्था बैंक से ऋण संबंधी सहमति प्रस्तुत करेगा। उद्यम/कृषि केन्द्र संबंधित प्रस्तावों को सीधे मिशन निदेशालय को प्रेषित किये जाते है एवं निदेशालय द्वारा प्रस्तावों को स्वीकृत करने के उपरान्त उद्यमी को स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं पुस्तिका से अवगत कराया जाता है। कुल लागत के बीच उद्यमी को ऋण स्वीकृत आवश्यक होता है जिसमें विभागीय अधिकारी भी सहयोग करते है। ऋण स्वीकृति के उपरान्त सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होती है। विभागीय अधिकारियों की तकनीकी सहायता एवं उपस्थिति में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाती है। कार्य पूर्ण होने के बाद विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण के उपरान्त अनुदान राशि उद्यमी के ऋण खाते में भुगतान की जाती है।
12	टपक सिंचाई (ड्रिप) सिस्टम	पौधों की आवश्यकतानुसार ड्रिप सिंचाई, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, रेन गन के माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने हेतु सिंचाई संयंत्रों की स्थापना की जाती है। इसके अन्तर्गत 4 हैक्टेयर तथा अधिकतम 08 हैक्टेयर के क्षेत्र हेतु **45 से 55 प्रतिशत राजसहायता/सब्सिडी** अनुदान देय है। राज्य के कृषकों को टॉप अप के रूप में **25 प्रतिशत अतिरिक्त राजसहायता/ सब्सिडी अनुदान प्रदान की जा रही है।**	कृषकों की स्वयं की भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक	ई-मित्र केन्द्र या कृषक स्वयं पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जमीन के स्वामित्व दस्तावेज तथा कोटेशन एवं गारंटी इसके अतिरिक्त सीमा की जमीन हेतु मिट्टी का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नं. भी आवश्यक होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑनलाइन है।
13	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME)	छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों (जैसे पापड़, मुरब्बा, अचार, बेकरी, कन्फेक्शनरी, डेयरी प्रोडक्ट, मसाले प्रोडक्ट आदि) की स्थापना हेतु पैसा-पात्र लागत के लिए **35 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 10 लाख** प्रति इकाई अनुदान/सब्सिडी भुगतान की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए **कुल 35 प्रतिशत सब्सिडी के अतिरिक्त 25 प्रतिशत** की भुगतान की जाती है। **पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15 लाख**	मौजूदा या नये सूक्ष्म खाद्य उद्यम जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार के साथ प्रोपराइटर/ भागीदार फर्म/ एफपीओ/एनजीओ/सहकारिता/एसएचजी/ प्राइवेट लि. कंपनी	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा भारत सरकार के पोर्टल https://pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन करना होता है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नं. संबंधित उद्यमी/संस्था की प्रमाणित सदस्यों का निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, बैंक खाता, प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के उपरान्त आवेदन पत्र संबंधित जनपद के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन को प्राप्त होता है, संबंधित अधिकारी किसान/उद्यमी/संस्था से बात कर प्रस्ताव तैयार करवायेगा तथा ऑनलाइन ही बैंक को प्रेषित होगा। बैंक से ऋण स्वीकृत होने पर संबंधित उद्यमी/किसान प्रसंस्करण इकाई निर्माण का कार्य शुरू करेगा तथा कार्य विभागीय

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3	जड़ी–बूटी उत्पाद की निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण	कृषिकरण से उत्पादित औषधीय व सगन्ध उत्पाद की निकासी के सरलीकरण के उद्देश्य से यह नीति प्रतिपादित की गयी है। अपनी नाप भूमि से उत्पादित औषधीय व सगन्ध उत्पाद को कृषक वन विभाग द्वारा संचालित मण्डियों अथवा किसी अन्य क्रेता को बेच सकते हैं। इस व्यवस्था से कृषिकरण से उत्पादित औषधीय व सगन्ध पादपों के उत्पाद की निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण हुआ है।	नाप भूमि में औषधीय व सगन्ध पादपों का उत्पादन कर रहे काश्तकार लाभान्वित होंगे तथा वैधानिक रूप से नाप भूमि में औषधीय व सगन्ध पादपों का उत्पादन कर रहे काश्तकार पात्र होंगे।	कृषक के पास संस्थान द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। पंजीकरण प्रपत्र की छायाप्रति सहित कृषक को संस्थान द्वारा प्राधिकृत सहयोगी संस्था, भेषज विकास इकाई को आवेदन करना होगा, भौतिक सत्यापन के उपरान्त रवन्ना जारी किया जाता है।
4	निर्यात के लिए औषधीय पादप उत्पादकों को वैधानिक उत्पादन प्रमाण पत्र (legal production Certificate) LPC जारी करना।	कतिपय संकटग्रस्त व साइटीस (CITES) प्रजातियों के उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध है किन्तु नाप भूमि में वैधानिक रूप से उत्पादित संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे कुठ, कुटकी इत्यादि के निर्यात में सुविधा प्रदान करना इस नीति का उद्देश्य है।	स्वयं की नाप भूमि में संकटग्रस्त पादपों जैसे कुठ, कुटकी इत्यादि का वैधानिक कृषिकरण कर रहे काश्तकार पात्र होंगे।	कृषक द्वारा किसी आयातक की मांग का पत्र संलग्न करते हुए जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र व भेषज विकास इकाई द्वारा जारी रवन्ना संलग्न कर जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान को आवेदन किया जाता है संस्थान द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी से अनुरोध कर वन विभाग, भेषज विकास इकाई एवं जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन के उपरान्त संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को LPC जारी करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है तदक्रम में वन विभाग द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत LPC जारी की जाती है।

*****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPT

उद्यान विभाग (उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/आवश्यकता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जनपदों में चाय विकास कार्यक्रम	• उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा बहुतायत मात्रा में पलायन कर जाने के कारण अधिकांश रूप से काश्तकारों की भूमि निष्प्रयोज्य/बंजर पड़ी रहती है, जिसमें चाय विकास कार्यक्रम संचालित करने से इस भूमि का सदुपयोग किया जा सकता है। • बोर्ड द्वारा संचालित चाय विकास योजना एक रोजगारपरक योजना है, जिसके अन्तर्गत चाय बागानों में काश्तकारों/श्रमिकों को चाय प्लान्टेशन के पश्चात पाँच वर्षों तक बोर्ड द्वारा उपरोक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। बागान से पर्याप्त मात्रा में हरी पत्तियाँ प्राप्त होने पर उनकी बिक्री कर काश्तकार चाय बागान से अपनी आजीविका चला सकता है। • वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों एवं बन्दरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जबकि चाय पौधों को बन्दर व जंगली जानवरों द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। • पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध न होने के कारण अन्य फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि चाय बागानों में प्रारम्भिक वर्षों में ही सिंचाई की आवश्यकता होती है, प्रतिकूल मौसम का चाय बागानों पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। • एक बार चाय पौधरोपण के उपरान्त उचित देखरेख से 100 वर्षों तक चाय पौधों से उत्पादन किया जा सकता है। चाय पौधों पर ओलावृष्टि के बाद एक सप्ताह तक ही उत्पादन पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। • वनों का अन्धाधुन्ध कटान, आपदा व भारी वर्षा से भू-स्खलन का खतरा बना रहता है, जबकि चाय पौध रोपित क्षेत्रों में भू-स्खलन का कोई खतरा नहीं होता है, यानी चाय बागान भू-स्खलन रोकने में सहायक सिद्ध होते हैं। • चाय पौधरोपण पर्यावरण सुरक्षा एवं खूबसूरती में अद्भुत सूक्ष्म उद्योग है। • चाय बागानों में स्थानीय व्यक्तियों विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार प्राप्त होता है। • चाय उद्यान स्थानीय काश्तकारों के आर्थिक स्रोत हेतु सुदृढ़ साधन बन सकता है। • चाय विश्व में सर्वाधिक पेय पदार्थ है, जिस कारण इसकी माँग हमेशा बनी रहती है, जिससे इसके विपणन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। • प्रति हेक्टेयर औसतन 15000 चाय पौध रोपित की जाती है, जिससे भूमि कटाव भी रुकता है। • वर्तमान में बोर्ड द्वारा 8 जनपदों के 32 विकास खण्डों में 1372 है0 क्षेत्रफल में	• काश्तकार के पास चाय की नाप भूमि उपलब्ध हो। • चिन्हित क्षेत्र के अन्तर्गत 20 किमी0 की परिधि में कम से कम 60 हैक्टेयर चेक प्लान्टेशन हेतु भूमि उपलब्ध हो। • चिन्हित भूमि के अंतर्गत प्रारम्भिक स्तर पर चाय पौध नर्सरी स्थापना हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हो।	• वर्तमान में बोर्ड द्वारा अल्मोड़ा संभाग के अन्तर्गत विकास खण्डों को चिन्हित किया जा रहा है, जहाँ पर काश्तकारों की माँग के अनुसार लगभग 60 से 100 हैक्टेयर जमीन चाय बागान हेतु उपलब्ध हो। • काश्तकार द्वारा अपनी नाप भूमि की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा को चाय प्लान्टेशन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त बोर्ड द्वारा काश्तकार की भूमि का मृदा परीक्षण करवाया जाता है। मृदा परीक्षण में भूमि चाय प्लान्टेशन हेतु उपयुक्त पाये जाने पर विकास खण्ड के ग्राम समस्त आवेदनों को सम्मिलित करते हुए कार्ययोजना तैयार कर जिला प्रशासन/शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। जिला प्रशासन/शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त क्षेत्र में चाय प्लान्टेशन का कार्य आरम्भ किया जाता है। • उपलब्ध भूमि का मृदा मानक 4.5 से 6. 30 प्रतिशत तक होना चाहिए जिसकी जाँच बोर्ड द्वारा अपनी मृदा प्रयोगशाला में करवाई जाती है। • काश्तकार की नाप भूमि में ही बोर्ड द्वारा चाय प्लान्टेशन किया जाता है। • काश्तकार द्वारा छोड़ी गई अनुपयोगी भूमि के अतिरिक्त बंजर व निष्प्रयोज्य भूमि में भी चाय प्लान्टेशन किया जा सकता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		4011 काश्तकारों से भूमि लीज पर लेकर चाय बागान विकसित किये गये हैं। • वर्तमान में बोर्ड के अन्तर्गत 3100 श्रमिक नियोजित कार्यरत हैं, जिसमें 2279 महिला श्रमिक कार्यरत हैं।		
2	टी टूरिज्म	• बोर्ड द्वारा वर्तमान में चाय बागान घोड़ाखाल (नैनीताल), चम्पावत व कौसानी (बागेश्वर) में टी टूरिज्म से सम्बंधित गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, जिससे निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त हो रहे हैं। • राज्य में भ्रमण करने वाले पर्यटकों द्वारा अन्य स्थानीय स्थलों का भ्रमण करने के साथ-साथ बोर्ड द्वारा संचालित चाय बागानों, चाय फैक्ट्रियों का भी भ्रमण किया जा रहा है। • बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों से बोर्ड द्वारा न्यूनतम प्रवेश शुल्क प्राप्त किया जा रहा है। • पर्यटकों से प्राप्त प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि, उन्हीं बागान में टी टूरिज्म को विकसित करने में व्यय की जा रही है। • बोर्ड द्वारा बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को बागान भ्रमण एवं चाय बेचकर लगभग प्रतिवर्ष 78.00 लाख की आय अर्जित की जा रही है। • पर्यटक सीजन में प्रतिदिन लगभग 300–400 पर्यटकों द्वारा चाय बागानों व चाय फैक्ट्रियों का भ्रमण किया जा रहा है। • बोर्ड द्वारा संचालित टी टूरिज्म से स्थानीय स्तर पर छोटे कैफे/ढाबा व स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।	• टूरिज्म के क्षेत्र में अनुभव के साथ 3 वर्ष के अनुभव प्राप्त फर्मों/व्यक्तियों का ई-निविदा के माध्यम से चयन किया जाता है। • चयनित फर्म/व्यक्ति के साथ 3 वर्ष का अनुबन्ध सम्पादित किया जाता है।	• बोर्ड द्वारा चाय बागान चम्पावत में टी टूरिज्म हेतु निर्मित टी कॉटेजेज व टूरिस्ट हॉस्टल को ई-निविदा के माध्यम से चयनित फर्मों को लीज के आधार पर संचालित करवाया जा रहा है। • चाय बागान घोड़ाखाल के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से टी कैफेटेरिया का संचालन करवाया जा रहा है। • जनपद-बागेश्वर में जिला प्रशासन द्वारा चाय विकास बोर्ड की भूमि में स्थापित चाय फैक्ट्री के समीप टी कैफेटेरिया का निर्माण कर बोर्ड को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं, जिसको लीज के आधार पर संचालित करने हेतु ई-निविदा की कार्यवाही की जा रही है।
3	चाय फैक्ट्रियों की स्थापना	बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में 5.60 लाख हरी पत्तियों को प्रसंस्कृत करते हुए 1.25 लाख चाय निर्मित की गयी है। वर्तमान में बोर्ड के अन्तर्गत निम्न जनपदों के अन्तर्गत चाय की चाय फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई हैं:- 1. चाय फैक्ट्री घोड़ाखाल (नैनीताल) – जैविक 2. चाय फैक्ट्री चम्पावत – जैविक 3. चाय फैक्ट्री नौटी (चमोली) – जैविक 4. चाय फैक्ट्री कौसानी (बागेश्वर)–अजैविक 5. चाय फैक्ट्री हरिनगरी (रुद्रप्रयाग)– अजैविक 6. राज्य के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा वर्तमान में निम्न जनपदों में छोटी चाय फैक्ट्रियाँ स्थापित की जानी प्रस्तावित है :- • चाय फैक्ट्री [illegible] (अल्मोड़ा) • चाय फैक्ट्री [illegible] (पिथौरागढ़)	बोर्ड द्वारा स्थापित एवं चाय फैक्ट्रियों को [illegible] के पीपीपी मोड/निजी क्षेत्र में संचालित करवाया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु प्रस्ताव/नीति तैयार की जा रही है।	बोर्ड द्वारा स्थापित चाय फैक्ट्रियों में स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को कार्यनियोजित कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन काश्तकारों द्वारा बागान स्वामित्व प्राप्त कर स्वयं संचालित किये जा रहे हैं उन काश्तकारों से रू0 40.00 प्रतिकिलोग्राम की दर से हरी पत्तियों क्रय कर फैक्ट्री को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका भुगतान मासिक आधार पर काश्तकारों के बैंक खातों में बोर्ड स्तर से किया जा रहा है।

******

सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई, देहरादून

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	सगन्ध जागरूकता कार्यक्रम	सगन्ध पौधों एवं उसकी खेती से होने वाले लाभ की जानकारी प्रशिक्षण/भ्रमण तथा जागरूकता। कृषि जलवायु के अनुसार फसलों की जानकारी देना।	इच्छुक व्यक्ति	सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) द्वारा जनपद स्तर पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में कोई भी व्यक्ति जिसकी सगन्ध खेती से सम्बन्धित जानकारियाँ अथवा खेती का इच्छुक हो, प्रतिभाग कर सकता है।
2.	सगन्ध कृषक पंजीकरण।	सगन्ध पौधा केन्द्र द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु कृषकों का सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) में पंजीकरण अनिवार्य है। पंजी० के उपरान्त कैप द्वारा कृषकों को समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान सुविधाएं, तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण, उत्पाद की बिक्री आदि सुविधाएं दी जाती हैं।	जिन कृषकों के नाम पैतृक/राजस्व कृषि भूमि है अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु भूमि लीज पर ली गयी हो, तथा संबंधित कृषकों का सगन्ध खेती में रुचि अनिवार्य है।	सगन्ध कृषिकरण लाभ लेने से पूर्व कृषक को कैप कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में निदेशक, कैप को आवेदन करना होगा। पंजीकरण का प्रारूप कैप की वेबसाइट https://www.capuk.in/index.php/ services से डाउनलोड कर सकता है या कैप कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण पत्र के साथ भू-अभिलेख, आधार कार्ड, खतौनी उसके साथ में जमा करेगा या क्षेत्रीय अधिकारी को देगा, इसके बाद कैप के क्षेत्रीय अधिकारी संबंधित व्यक्ति की सगन्ध खेती का स्थलीय निरीक्षण करेगा एवं पंजीकरण हेतु संस्तुति करेगा। संस्तुति के उपरान्त निदेशक, कैप द्वारा पंजीकरण किया जाता है तथा कृषक को पंजीकरण संख्या आवंटित करते हुए संबंधित कृषक को पंजीकरण प्रपत्र की प्रति डाक द्वारा/कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
3.	सगन्ध कृषिकरण	निःशुल्क बीज पौध सामग्री दी जाती है– प्रति कृषक 05 नाली (0.1 हे0) क्षेत्रफल हेतु निःशुल्क बीज-पौध सामग्री कृषक के निकटवर्ती नोडल/कैप कार्यालय तक पहुंचायी जाती है। निःशुल्क तकनीकी सहायता/जानकारी/मार्गदर्शन।	जिन कृषकों के नाम पैतृक/राजस्व कृषि भूमि है अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु भूमि लीज पर ली गयी हो तथा सगन्ध खेती के इच्छुक हों।	जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कृषिकरण हेतु कृषक निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र के नाम से प्रार्थना पत्र लिखेगा या कैप मुख्यालय में आकर प्रार्थना पत्र देगा। प्रार्थना पत्र के साथ भू-अभिलेख, आधार कार्ड एवं मोबाइल नम्बर संलग्न करेगा। इसके बाद कैप का क्षेत्रीय अधिकारी संबंधित व्यक्ति की जमीन की स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा संबंधित क्षेत्र की कृषि जलवायु के आधार पर फसल चयन कर संस्तुति निदेशक, कैप को प्रस्तुत करेगा। इसके उपरान्त निदेशक, कैप द्वारा संबंधित आवेदक के लिये उपलब्धता के आधार पर बीज/पौध सामग्री उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। जिला समन्वयक, जनपद के सभी किसानों की डिमांड बनाकर निदेशक को प्रेषित करते हैं। संस्तुति के उपरान्त कृषक हेतु गुणवत्तायुक्त बीज

				पौध सामग्री प्राप्त कर, कृषक द्वारा प्रस्तावित भूमि में निर्धारित सगन्ध फसलों तक कैप, पौध सामग्री पहुँचायी जाती है।
4.	कृषिकरण अनुदान योजना	कृषक द्वारा स्वयं के व्यय पर चयनित 09 फसलों (लेमन ग्रास–सिट्रोनेला, पामारोजा, तुलसी आदि) डेमस्क गुलाब, मिन्ट (जापानी मिन्ट की प्रोसेसिंग), जिरेनियम, कालाजीरा, रोजमेरी, तिमरु, पचौली की खेती करने पर किसी एक कृषक को दिया अनुदान की वित्तीय **सीमा रू. 1.00 लाख या अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्रफल के कृषिकरण के लिए देय अनुदान धनराशि (पौधों की प्रतिशतता के आधार पर) में से जो भी कम हो, अनुमन्य होगी।**	जिन कृषकों के पास रजिस्टर्ड कृषि भूमि है अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु भूमि लीज पर ली गयी हो। अनुदान हेतु चयनित 09 प्रजातियों का स्वयं के व्यय पर कृषिकरण किया हो।	अनुदान योजना में कृषिकरण हेतु कृषक निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र के नाम से प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप मुख्यालय में आवेदन प्रार्थना पत्र देगा। प्रार्थना पत्र के साथ भू-अभिलेख, आधार कार्ड एवं मोबाइल नम्बर संलग्न करेगा। इसके बाद कैप द्वारा क्षेत्रीय समिति की प्रस्तावित भूमि का स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा प्रस्तावित क्षेत्र की भूमि उपयुक्तता के आधार पर अनुदान हेतु चयनित 9 सगन्ध फसलों में से उपयुक्त फसलों का चयन कर संस्तुति निदेशक कैप को प्रस्तुत करेगा। स्वीकृति उपरान्त कृषक चयनित प्रजातियों का स्वयं के व्यय पर कृषिकरण कार्य शुरू करेगा। सगन्ध कृषिकरण प्रारम्भ करने के 3 माह के अन्तर्गत कृषक को कैप कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। पंजीकरण प्रक्रिया क्रमांक 1 में अंकित है। कृषक पंजीकरण-प्रपत्र/पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के 6 माह के भीतर कैप कार्यालय में अनुदान की प्रथम किश्त हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा तथा आवेदन पत्र के साथ कि पूरा विवरण संलग्न करेगा। प्रारूप कैप की वेबसाइट www.capuk.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन के उपरान्त जिला समन्वयक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कृषक के खेत का स्थलीय निरीक्षण, कृषक की उपस्थिति में किया जाता है तथा मौके पर उपलब्ध पौधों के आधार पर अनुदान की संस्तुति की जाती है। इसके उपरान्त निदेशक स्तर पर अनुदान स्वीकृत समिति के द्वारा प्राप्त अनुदान प्रस्तावों पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जाती है। बाद में कैप द्वारा सीधे कृषक के खाते में स्वीकृत धनराशि को प्रथम किश्त के रूप में 75 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है तथा सगन्ध खेती करने के तीसरे वर्ष में शेष 25 प्रतिशत धनराशि पौध जीवितता के आधार पर भुगतान की जाती है। शेष 25 प्रतिशत के लिए भी कृषक प्रतिशतानुसार आवेदन करना होगा।
5.	मनरेगा के अंतर्गत सगन्ध कृषिकरण	मनरेगा के अन्तर्गत सगन्ध कृषिकरण करने हेतु खेतों की तैयारी आदि पर मजदूरों द्वारा किये जाने वाले कार्य की मजदूरी का भुगतान ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जाता है तथा नियमानुसार	ग्रामीण क्षेत्रों में सगन्ध कृषिकरण के इच्छुक कृषक जिन कृषकों के पास रजिस्टर्ड कृषि	सगन्ध कृषि के इच्छुक किसानों को ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित कर, खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कैप कोऑर्डिनेटर को प्रस्ताव देना होगा। प्रस्ताव आने के बाद संबंधित कलस्टर का विस्तृत इस्टीमेट/आगणन कैप द्वारा बनाया जाता है जिसे आगणन खण्ड विकास अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को प्रेषित

PROGRAMME IMPLEMENTATION

		की मजदूरी का भुगतान नहीं करना पड़ता है। कैप द्वारा कृषक को निःशुल्क पौध सामग्री। निःशुल्क तकनीकी सहयोग/परामर्श/अनुश्रवण किया जाता है।	भूमि है अथवा 10 वर्ष की लीज हेतु भूमि लीज पर ली गयी हो।	किया जाता है। प्रस्ताव को उनके द्वारा स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति के उपरान्त फार्म विकास अधिकारी द्वारा कैप कार्यालय से पौध सामग्री की मांग की जाती है। कैप द्वारा चयनित किसानों को पौध सामग्री निकटतम स्थल/सड़क मार्ग तक निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है तथा पौध रोपण के दौरान तकनीकी सहयोग किया जाता है। स्वीकृत कार्य प्रस्ताव द्वारा क्लस्टर के अन्तर्गत फार्म डेमो सम्बन्धित कार्य इच्छुक कृषक के खेत में करवाया जाता है।
6.	राज्य में सगन्ध पौधों की खेती कर रहे किसानों/संस्थाओं/समूहों को उनके उत्पाद की तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की सहायता।	सगन्ध पौधों के तुड़ाई उपरान्त तथा प्रसंस्करण हेतु आसवन यंत्र/उपकरण, आसवन यूनिट आदि की स्थापना पर रू. 15 लाख तक की लागत पर पर्वतीय क्षेत्रों में **75 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनुदान** धनराशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। क्लस्टर के अन्य कृषकों को आसवन (प्रसंस्करण) की सुविधा। कृषकों में उद्यमिता का विकास।	कृषक/संस्था/समूह कैप में पंजीकृत हो। क्लस्टर में सगन्ध/वन उपज आदि अभावानुसार/आवश्यकतानुसार सगन्ध कृषित क्षेत्रफल हो।	कटाई/तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन हेतु किसान द्वारा निर्धारित प्रारूप(प्रसंस्करण) आसवन इकाई संबंधी आवेदन पत्र कैप वेबसाइट/क्षेत्रीय कार्मिक से प्राप्त किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ फोटो, भूमि अभिलेख/पट्टा सम्बन्धी प्रमाण पत्र, कैप में पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र, आसवन इकाई का विवरण देना होगा। कृषक/संस्था/समूह द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र को निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र में जमा करेगा/क्षेत्रीय कार्मिक को देगा। उसके बाद विभाग स्तर/संस्था स्तरीय निरीक्षण करके संस्तुति प्रदान करता है तथा निरीक्षण के उपरान्त संबंधित कृषक को आसवन इकाई स्थापना की अनुमति निदेशक कैप द्वारा लिखित में दी जाती है तथा कृषक उसके बाद अपने आसवन संयंत्र आदि की स्थापना कैप द्वारा अनुमति पत्र के साथ मानक विशिष्टियों के अनुसार स्थल पर करेगा। स्थापना के उपरान्त अनुदान/सहायता निर्गत करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र, जोकि कैप की वेबसाइट से/क्षेत्रीय कार्मिक से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ बिल, कृषक फोटो, आसवन इकाई की जियो-टैगिंग सम्बन्धी दस्तावेज, बैंक खाता विवरण के साथ आसवन इकाई/तकनीकी सहायक की संस्तुति सहित निदेशक कैप को देगा। उसके बाद निदेशक स्तर से गठित मूल्यांकन समिति द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जाता है। समिति की रिपोर्ट एवं सत्यापन की संस्तुति के उपरान्त निदेशक, कैप द्वारा अनुमन्य धनराशि का भुगतान किसान के खाते में किया जाता है।
7.	गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट	कृषक को उनके सगन्ध/वाष्पशील तेल के गुणवत्ता परीक्षण शुल्क पर 50 प्रतिशत छूट। कृषकों को उनके तेल की गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर तेल का बाजार में उचित मूल्य मिलने में सहायता	सगन्ध खेती कर रहे पंजीकृत कृषक।	कृषक द्वारा उत्पादित तेल का सैम्पल निर्धारित शुल्क सहित कैप को उपलब्ध कराना होगा जिसकी परीक्षण उपरान्त कृषकों को गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी। कृषक को सैम्पल के साथ कैप कार्यालय आना अनिवार्य है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

4	महिला बकरी पालन	चार महिलाओं को 12 से 15 माह तक की बकरियों की एक इकाई (03 मादा 01 नर) उपलब्ध करायी जाती है। योजना की पूर्ण लागत रू. 38,000.00 राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।	परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित, अकेली रह रही एवं अत्यन्त गरीब महिला इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगी।	चयन प्रक्रिया "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जाता है।
5	कुक्कुट ईकाई की स्थापना	परियोजना में प्रत्येक किसान 3 वर्षों में प्रतिवर्ष 750 चूजों का पालन करेगा। 500 चूज [illegible] पशुपालन विभाग राज्य सेक्टर के बजट से MPACS के माध्यम से उपलब्ध करायेगा व अतिरिक्त 250 चूजों का वहन किसान स्वयं वहन करेगा। सहकारिता विभाग [illegible] शेड व चूजों के पालन-पोषण हेतु उपलब्ध करायेगा।	लाभार्थी का सहकारी समिति एम-पैक्स का सदस्य होना अनिवार्य है। महिला लाभार्थी को वरीयता। लाभार्थी पर एम-पैक्स या किसी भी बैंक का ऋण नहीं होना चाहिए तथा न ही बकायादार होना चाहिए। [illegible] कल्याण योजना का [illegible] पास हो। साथ उम्मीदवार की [illegible] जमीन या पट्टे की जमीन होनी चाहिए।	लाभार्थी को [illegible] सहकारिता विभाग व पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से चयन करेगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन संबंधी खाता खतौनी/[illegible]/पट्टे संबंधी दस्तावेज, किसी बैंक से बकायेदार न होने का प्रमाण पत्र [illegible] संलग्न करना होगा।
6	डेयरी फार्म की स्थापना	रू. 15 प्रति [illegible] अनुदान 2 भैंस हेतु कुल सब्सिडी रू. 48,000.00 प्रति लाभार्थी शाला निर्माण हेतु रू. 15,000.00 अनुदान प्रति लाभार्थी कुल सब्सिडी रू. 60,000.00 प्रति लाभार्थी। न्यूनतम 500 [illegible] के साथ इकाई लागत 3.06 लाख आती है।	किसी श्रेणियों के लिए उपलब्ध है। महिला/[illegible] को वरीयता। अपनी जमीन या पट्टे की जमीन। [illegible] होना चाहिए।	पशुचिकित्सा अधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी लाभार्थी की पहचान करेगा तथा आवेदनों को एकत्रित करेगा। आवेदन के साथ लाभार्थी को आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होंगे। पशुचिकित्सा अधिकारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा। पशुपालक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक में जमा करेगा। सभी आवेदन मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे। जनपदीय कार्यकारी समिति जांच करने के पश्चात चयन कर सब्सिडी का भुगतान करेगी।
7	पशुपालकों को लिए [illegible] सीमेन हेतु अनुदान	पशुपालकों को लिए [illegible] (सेक्स सार्टेड सीमेन) के माध्यम से गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान के [illegible] हेतु 400/- प्रति डोज अनुदान	समस्त गाय/भैंस पालक	निकटतम पशुचिकित्सालय, पशुसेवा केन्द्र, [illegible] केन्द्र पर सम्पर्क करने के उपरान्त उनके कृत्रिम गर्भाधान सम्पन्न की जाती है। पशुपालक को कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ता है।

वन विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	महिला नर्सरी	[illegible]	महिला, स्वयं सहायता समूह [illegible]	[illegible]
2.	[illegible] समूह हमारा वृक्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	हमारा पेड़ हमारा धन	[illegible]	[illegible]	[illegible]

स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड

	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण–शौचालय निर्माण)	शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग के उपरान्त प्रोत्साहन धनराशि रू0 12000 प्रति शौचालय प्रति लाभार्थी परिवार को दिया जाता है।	शौचालय विहीन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों तथा गरीबी रेखा से ऊपर वाले अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जन जातियों, लघु एवं सीमान्त किसानों, वासभूमि वाले भूमिहीन श्रमिकों, शारीरिक रूप से विकलांग, महिला प्रमुख परिवार।	लाभार्थी द्वारा शौचालयों के निर्माण हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत के माध्यम अथवा स्वयं ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन माध्यम से जनपद स्तरीय जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। तदोपरान्त जनपदीय इकाई द्वारा सक्षम स्तर से मानकों का परीक्षण कर आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों में बी०पी०एल० परिवार द्वारा बी०पी०एल० कार्ड/ए०पी०एल० के मामले में राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, आवेदन पत्र पर लाभार्थी की पासपोर्ट साइज फोटो तथा ए०पी०एल० परिवार द्वारा बी०पी०एल०/ए०पी०एल० को छोड़ कर उपरोक्त श्रेणियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त किसान, वासभूमि वाले भूमिहीन श्रमिकों, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला प्रमुख परिवार होने के प्रमाण का दस्तावेज तथा बैंक पासबुक की फोटोकॉपी संलग्न किया जाना होता है। ऑफ–लाईन आवेदन पत्र पर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक है। तदोपरान्त जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई स्तर पर सत्यापन उपरान्त परियोजना प्रबन्धक द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऑन–लाईन आवेदन भारत सरकार की वेबसाइट sbm.gov.in पर किया जा सकता है जिसमें आवेदनकर्ता का आधार संख्या एवं बैंक की पासबुक का पृष्ठ संलग्न किया जाना होता है।
2	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण–अपशिष्ट प्रबन्धन)	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों तथा सार्वजनिक सुविधाएं, कम्पोस्ट, कम्पोस्ट पिट, कूड़ा संग्रहण केन्द्र तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण ग्राम पंचायत में आवश्यकतानुसार, प्रभावी एवं स्थायी स्वच्छता के लिए [illegible] के माध्यम से कराये जाते हैं जिसकी लागत रू0 3.00 लाख है। (70% स्वच्छ भारत मिशन तथा 30% 15वें वित्त आयोग) ग्राम पंचायतों को देती है।	ग्राम पंचायत द्वारा जनपदीय इकाई को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के साथ सीधा आवेदन पत्र के रूप में आवेदन किया जा सकता है। इस हेतु कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है।	सम्बन्धित कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत से प्रस्ताव जनपदीय इकाई को प्राप्त होता है जो कि इकाई स्तर से भारत सरकार के मानकों का परीक्षण करने के उपरान्त स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों तथा सार्वजनिक सुविधाएं, कम्पोस्ट, कम्पोस्ट पिट, कूड़ा संग्रहण केन्द्र हेतु प्रत्येक गांव की आबादी के अनुसार प्रति व्यक्ति की दर से मानक निम्नानुसार निर्धारित है – 1. **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों हेतु**– 5000 तक की आबादी वाले ग्राम में– 60 रू0 प्रति व्यक्ति एवं 5000 से अधिक आबादी वाले ग्राम में– 45 रू0 प्रति व्यक्ति। 2. **तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों हेतु**– 5000 तक की आबादी वाले ग्राम में – 280 रू0 प्रति व्यक्ति एवं 5000 से अधिक आबादी वाले ग्राम में – 660 रू0 प्रति व्यक्ति। उपरोक्त गतिविधियों हेतु न्यूनतम रू0 एक लाख प्रति ग्राम। 3. **अभिसरण (70 स्वच्छ भारत मिशन तथा 30 15वां वित्त आयोग)।** 4. **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन–रू0 16 लाख प्रति विकासखण्ड।** 5. **गोबरधन योजना– रू0 50 लाख (प्रति जनपद में 01 गोबरधन इकाई हेतु)** गोबरधन योजना के बजट का भुगतान कार्यदायी संस्था के रूप में चयनित ग्राम पंचायत को किया जाता है। वर्तमान में एक जनपद में एक सामुदायिक या क्लस्टर गोबरधन संयंत्र का निर्माण कराया जाता है।

****

राजस्व विभाग

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/स्वीकृति प्रक्रिया
1.	स्थाई निवास प्रमाण पत्र	उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होने को प्रमाणित करता है तथा राज्य की सेवाओं में प्रतिभाग करने एवं व्यवसाय/ प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य/ सेना में भर्ती आदि हेतु।	उत्तराखण्ड के ऐसे स्थाई निवासी परिवार जिनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने से पूर्व 15 साल निवास सम्बन्धित उपयोगी दस्तावेज भी साक्ष्य होंगे।	वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ पर ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, जहां आवेदन करने हेतु सम्बन्धित मोबाइल नम्बर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। उसके उपरान्त संबंधित व्यक्ति का नाम तथा अन्य विवरण भरा जाता है। जिससे लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है, तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र पर चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज मांगे जाते हैं:- **अनिवार्य दस्तावेज-** भूमि की रजिस्ट्री/खतौनी/स्वयं या परिवार की (निवास से सम्बन्धित दस्तावेज जिसमें 15 साल निवास की पुष्टि होती हो), आधार कार्ड एवं मोबाइल नम्बर, शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर (नगर निकाय क्षेत्र के आवेदकों जहाँ पर परिवार रजिस्टर नहीं होता है, हेतु आवश्यक नहीं)। **वैकल्पिक दस्तावेज**-हाउस टैक्स एवं बिजली बिल या पानी बिल और ईमेल आईडी। जैसे ही आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाता है उसके पश्चात सीधे ऑनलाईन उप जिलाधिकारी/तहसीलदार के पास जाता है जहां से राजस्व उप निरीक्षक को जांच आख्या लगाने हेतु भेजा जाता है, जांच सही पाये जाने के उपरान्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन/डिजिटल प्रमाण पत्र 15 दिन के भीतर निर्गत किया जाता है। जिसका मैसेज मोबाइल फोन में या ईमेल में आ जाता है।
2.	उत्तरजीवी/पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र	संबंधित सदस्य मृतक का उत्तरजीवी/ आश्रित है, उसको प्रमाणित करने हेतु इस प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग जमीन सम्बन्धी	उत्तराखण्ड के ऐसे स्थाई निवासी, जो मृतक के आश्रित हों।	समस्त आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया "स्थायी निवास प्रमाण पत्र" के अनुसार होगी परन्तु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं:- आवेदक का एवं समस्त परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, आवेदक का मोबाईल नम्बर, मृतक अंकित होने संबंधी साक्ष्य एवं मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड एवं वोटर आईडी। आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त 10 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन/डिजिटल उत्तरजीवी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता / जानकारी	आवेदन प्रक्रिया एवं सत्यापन / संस्तुति प्रक्रिया
	3. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र राज्य की सेवाओं हेतु। (अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र 03 वर्ष के लिए वैध होता है।)	का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित प्रमाण पत्र जाति प्रमाणित करने हेतु अनिवार्य है।	उत्तराखण्ड राज्य में ओ0बी0सी0 के रूप में अधिसूचित जाति/ वर्ग के व्यक्ति। उत्तराखण्ड में 1985 से निवासरत/ निवास कर रहे हों, ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे।	फिर या पानी बिल, हाउस टैक्स रसीद आदि। आवेदन के उपरान्त 15 दिन के भीतर तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन/ डिजिटली हस्ताक्षरित जाति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।
	4. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र भारत सरकार की सेवाओं हेतु (एक क्रीमी लेयर की श्रेणी में न आने तक वैध होता है।)	भारत सरकार की सेवाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु	भारत सरकार के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूची में ओ0बी0सी0 के रूप में अधिसूचित जाति/ वर्ग के व्यक्ति; उत्तराखण्ड में 1985 से निवासरत/ निवास कर रहे हों, ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे।	समस्त आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया उपरोक्त प्रमाण पत्र के अनुसार होगी तथा निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं –परिवार के सदस्यों/ आवेदक की भूमि रजिस्ट्री/ खतौनी की प्रति (1985 से निवासरत/ निवास कर रहे के सम्बन्धित दस्तावेज), अथवा कोई परिवार रजिस्टर की नकल, जिसमें निवास अंकित, जहाँ पर परिवार रजिस्टर नहीं होता है वहाँ आवेदकों हेतु आवश्यक नहीं, आय का प्रमाण–पत्र। वैकल्पिक दस्तावेज–बिजली बिल या पानी बिल, हाउस टैक्स रसीद आदि। आवेदन के उपरान्त 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन/ डिजिटली अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी किया जाता है।
18.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र (EWS) (यह प्रमाण पत्र जिस वित्तीय वर्ष में जारी किया गया है, उसी वित्तीय वर्ष तक के लिए वैध होता है।) वित्तीय वर्ष–दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होता	राज्य की सामान्य जाति के नागरिकों को राजकीय सेवाओं, शैक्षिक संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य है।	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी जोकि सामान्य जाति/ सामान्य जाति प्रमाण पत्र धारक हों। ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति जिनके परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय रू0 8.00 लाख से कम हो, आरक्षण के इस प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में चिन्हित हैं। परिवार की आय में सभी स्रोतों से अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय पेशा आदि से	आवेदक के अपणी सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ या ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर/ ई–डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है। उक्त आवेदन करने हेतु सामान्य मोबाइल नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है। इसके उपरान्त सम्बन्धित व्यक्ति का स्थायी निवास पाया जाता है। जिसमें दस्तावेज अपलोड एवं कार्यवाई अपेक्षित होता है। एवं विभिन्न विभागों की सूची निर्धारित होती है जिसमें सत्यापन निवास प्रमाण पत्र होता है तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र पर प्राप्त करके आवेदन करते हैं। ऑनलाइन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :– आवेदक का आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सामान्य जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, पहचान पत्र, आयकर रिटर्न/ आय प्रमाण पत्र, खाता खतौनी की प्रति, परिवार रजिस्टर की नकल/ निवास अवधि का प्रमाणक, स्वघोषणा पत्र। जैसे ही आवेदक द्वारा ऑनलाइन किया जाता है उसकी सूचना सीधे ऑनलाइन तहसीलदार के पास जाता है, वहाँ से राजस्व उप निरीक्षक को जाँच कराये जाने हेतु भेजा जाता है तथा राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा संबंधित क्षेत्र के अभिलेख अभिलेखों की जाँच आदि की जांच हेतु भेजते

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, पालंग हिल्स, पी०आ०–कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड। https://urtsc.uk.gov.in

क्र०	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया, चयन/संस्तुति प्रक्रिया
1.	सेवा का अधिकार	सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत, राजकीय विभागों द्वारा दी जाने वाली नागरिक केन्द्रित सेवाएं जिन्हें अधिसूचित किया गया है, उदा० स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि, हेतु समयावधि निर्धारित की गयी है जो जन–केन्द्रित सेवाओं की प्रकृति एवं उनके विभाग पर आधारित है। केवल सेवाएं आवेदन की तिथि से ही प्रदान कराई जा सकती है और किसी सेवा के विषय में कुछ विलम्ब करने की भी सम्भावना होती है। निर्धारित समय के भीतर सेवा उपलब्ध न कराये जाने पर संबंधित विभागीय अधिकारी/अधिकारी पर शास्ति लगाये जाने का प्रावधान भी अधिनियम में किया गया है। जैसे राजस्व विभाग द्वारा स्थायी निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र आदि के मामलों में अधिसूचना द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि स्थायी निवास प्रमाण, जाति प्रमाण–पत्र आदि किस अधिकारी द्वारा कितने समय में जारी किया जायेगा। इसमें जन सामान्य को सेवा देने वाले अधिकारी एवं सेवा हेतु लगने वाले समय की स्पष्ट जानकारी दी जाती है।	राज्य के समस्त नागरिक	यदि पदाभिहित अधिकारी नियमित समय–सीमा के अंतर्गत सेवा प्रदान करने में विफल हुआ है अथवा उसने आवेदन को त्रुटिपूर्ण/त्रुटिवश निरस्त/खारिज किया है, तो आवेदक संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष सेवा प्रदान करने की नियमित अवधि समाप्त होने के बाद अपील दाखिल कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी अपील को ग्राह्य करते हुए आदेश पारित कर सकेगा अथवा पदाभिहित अधिकारी को एक अवधि के भीतर, जैसी वह विहित करे, सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करेगा। वह अपील को लिखित रूप में खारिज करने के आदेश पारित कर सकता है। परन्तु इस दशा में वह खारिज करने के कारणों से आवेदक को संसूचित करेगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील निर्णीत करेगा। आदेश से सन्तुष्ट न होने पर आवेदक सेवा का अधिकार आयोग में अपील प्रस्तुत कर सकता है। द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी (उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग) द्वारा अपील प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील निर्णीत की जायेगी। सेवा को उपलब्ध कराने में असफल होने पर आयोग स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। आयोग के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु आयोग की वेबसाइट, टोल फ्री नम्बर 18002709813 एवं व्हाट्स एप नं० 7617579050, 7617579040, 7617579041, 7617579071 पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

****

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>योजना/ कार्यक्रम का नाम</th><th>लाभ</th><th>पात्रता</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td>4.</td><td>प्रतिरक्षण कार्यक्रम</td><td>कई जानलेवा बीमारियों से शिशुओं के बचाव हेतु सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यू0आई0पी0) के अन्तर्गत निःशुल्क टीकाकरण निम्नवत निर्धारित शेड्यूल में किया जाता है–
<table>
<tr><th colspan="3">National Immunization Schedule</th></tr>
<tr><th>Vaccine</th><th>Dose</th><th>Vaccination Age</th></tr>
<tr><td>BCG</td><td>1 dose</td><td>At birth, Upto one year</td></tr>
<tr><td>OPV</td><td>5 doses</td><td>At birth, 6 week, 10 week, 14 week and 16-23 months</td></tr>
<tr><td>FIPV</td><td>3 doses</td><td>6 week, 14 week, & 9 month</td></tr>
<tr><td>Hepatitis-B</td><td>1 dose</td><td>At birth</td></tr>
<tr><td>Pentavalent</td><td>3 doses</td><td>6 week, 10 week, 14 week</td></tr>
<tr><td>RVV</td><td>3 doses</td><td>6 week, 10 week, 14 week</td></tr>
<tr><td>PCV</td><td>3 doses</td><td>6 week, 10 week, 14 week</td></tr>
<tr><td>MR</td><td>2 doses</td><td>9 month & 16-23 month</td></tr>
<tr><td>JE (In endemic districts only)</td><td>2 doses</td><td>9 month & 16-24 month</td></tr>
<tr><td>DPT</td><td>2 doses</td><td>16-23 month & 5-6 year</td></tr>
<tr><td>Td</td><td>2 doses</td><td>10 year & 16 year</td></tr>
</table></td><td>0–18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे जिनको टीकाकरण की आवश्यकता हो।</td><td>टीकाकरण की सुविधा समस्त सामु0स्वा0 केन्द्र, प्रा0स्वा0 केन्द्र, उपकेन्द्र, प्रसवोत्तर केन्द्र, नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है जिसका लाभ 0–18 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चे पंजीकरण कराकर प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण हेतु बच्चे को संबंधित राजकीय चिकित्सालयों में ले जाना पड़ता है तथा बच्चे का जन्म संबंधी प्रमाण/एएनएम द्वारा जारी कार्ड की आवश्यकता होती है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम</td><td>बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 0–5 वर्ष तक के बच्चों को चिकित्सा सेवाएं एस0एन0सी0यू0, एन0बी0एस0यू0 एवं एन0आर0सी0 के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही आशा/आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/ANM द्वारा Vitamin A, IFA Syrup 0-5 Month तक के बच्चों को निःशुल्क वितरित की जाती है।</td><td>0–5 वर्ष तक के बच्चे</td><td>राज्य के जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एस0एन0सी0यू0, एन0बी0एस0यू0 एवं एन0बी0सी0सी0 संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में पंजीकरण कराकर सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>किशोर स्वास्थ्य परामर्श क्लीनिक</td><td>किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक में निःशुल्क परामर्श प्रदान की जाती है।</td><td>राज्य के समस्त किशोर (10 से 19 वर्ष)</td><td>राज्य के 13 जिला चिकित्सालयों, 02 उप जिला चिकित्सालयों तथा 46 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पंजीकरण कराने पर निःशुल्क परामर्श प्रदान किया जाता है।</td></tr>
</table>

PRO... IMPLEMENTATION DEPA...

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
7.	स्नातक अध्ययन [illegible] निःशुल्क वितरण	राज्य के सभी राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को [illegible] निःशुल्क वितरण का कार्य विद्यालयों के प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है।	छात्र या छात्रा	समस्त राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में पंजीकृत छात्र–छात्राओं को उक्त योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
8.	सैनिटरी नैपकिन वितरण	किशोरियों को [illegible] स्वच्छता की आदत विकसित करने हेतु [illegible] रु 6/– भुगतान करने पर सैनिटरी नैपकिन आशा द्वारा प्रदान किया जाता है।	राज्य की 10 से 19 वर्ष की समस्त किशोरियां	सैनिटरी नैपकिन सभी आशाओं के पास उपलब्ध होते हैं।
9.	निःशुल्क जांच योजना	जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क जांचें प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत 266 जांचें निःशुल्क की जाती हैं।	राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में पंजीकरण करने के उपरांत कोई भी निःशुल्क जांच करवा सकता है।	राज्य के जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जांच उपलब्ध है। इन चिकित्सा इकाईयों में निर्धारित समय, जो कि उक्त चिकित्सालय के CMS/Hospital incharge द्वारा निर्धारित किया जाता है, के पश्चात् आने वाले रोगियों की अनुबंधित फर्म के कार्मिक द्वारा निःशुल्क जांचें की जाती है।
10.	**108,** आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा	किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना में मरीजों को चिकित्सालय तक पहुंचाना तथा प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस सेवा का लाभ [illegible] एम्बुलेंसों के माध्यम से राज्य वासियों को दिया जा रहा है।	दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति एवं आपातकालीन सेवा हेतु।	108 नम्बर पर कॉल करके सेवाओं का लाभ निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
11.	खुशियों की सवारी सेवा	गर्भवती महिलाओं को प्रसव के उपरान्त नवजात शिशु सहित निःशुल्क चिकित्सालय से घर तक पहुंचाना। गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व जांच हेतु घर से चिकित्सालय तक आने–जाने की निःशुल्क सुविधा 102 वाहनों के माध्यम से प्रदेश में उपलब्ध कराई जा रही है।	गर्भवती महिलाएं एवं 0 से 1 वर्ष तक के नवजात शिशु हेतु।	102 नम्बर पर कॉल करके सेवाओं का लाभ निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
12.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम	राज्य में निम्नलिखित [illegible] डायलिसिस केंद्रों पर सभी को निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 1. बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा 2. जिला चिकित्सालय, बागेश्वर 3. ट्रामा सेंटर चिकित्सालय, [illegible] 4. जिला चिकित्सालय, [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible] 7. श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, पौड़ी गढ़वाल 8. जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ 9.	बीपीएल/[illegible] रोगी [illegible] एवं अन्य रोगी।	जनपद के निकटतम डायलिसिस केंद्र में [illegible] पोर्टल पर रजिस्टर कराने पर रजिस्टर किये गये रोगी डायलिसिस उपचार हेतु पात्र हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने हेतु रोगी को आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं [illegible] ओ.टी.पी. भेजा जायेगा, की आवश्यकता पड़ती है। रजिस्टर्ड किये गये रोगी डायलिसिस उपचार हेतु पात्र हो जाते हैं। राज्य की [illegible] चिकित्सा इकाईयों

सीटों का विभाजन	**राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु** • एम०डी०/एम०एस० (50% राज्य कोटा तथा 50 % केन्द्रीय कोटा) • पोस्ट डिप्लोमा डी०एन०बी० (50% राज्य कोटा तथा 50 % केन्द्रीय कोटा) • पोस्ट एम०बी०बी०एस० डी०एन०बी० (50% राज्य कोटा तथा 50 % केन्द्रीय कोटा) • पोस्ट एम०बी०बी०एस० डिप्लोमा (50% राज्य कोटा तथा 50 % केन्द्रीय कोटा) **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु** समय-समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार
शिक्षण शुल्क	**राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम०डी०/एम०एस० (क्लीनिकल विषयों) हेतु :-** 1. बॉण्डेड छात्रों हेतु :- रू० 60,000/- (प्रतिवर्ष) 2. नॉन बॉण्डेड छात्रों हेतु – रू० 5 लाख/- (प्रतिवर्ष) **राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम०डी०/एम०एस० (नॉन-क्लीनिकल विषयों) हेतु** :- रू० 01 लाख/- (प्रतिवर्ष) **राजकीय मेडिकल कॉलेजों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु** :- भारत सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (बॉण्ड अनिवार्य) राजकीय मेडिकल कॉलेजों में छात्रों हेतु रियायती दरों पर मेडिकल शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु अनिवार्य सेवा सम्बन्धी बॉण्ड सुविधा मात्र एम०डी०/एम०एस० (क्लीनिकल विषयों) में ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध है। **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु** समय-समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
काउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु** **1. एम०डी०/एम०एस० हेतु** **50% केन्द्रीय कोटे हेतु** अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित मेडिकल काउन्सिलिंग कमेटी द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग के माध्यम से। **50% राज्य कोटे हेतु** कुलपति, हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **2. पोस्ट डिप्लोमा डी०एन०बी०/पोस्ट एम०बी०बी०एस० डी०एन०बी०/पोस्ट एम०बी०बी०एस० डिप्लोमा** **50% केन्द्रीय कोटे हेतु** अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग के माध्यम से। **50% राज्य कोटे हेतु** कुलपति, हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु** समय-समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार कुलपति, हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा

अनुलग्नक–1

श्रेणीवार जनपदों का वर्गीकरण

1	श्रेणी ए	• जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र
2	श्रेणी बी	• जिला अल्मोड़ा का सम्पूर्ण क्षेत्र • जिला पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के सभी पहाड़ी विकास खंड (श्रेणी 'बी +' के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर) • जिला नैनीताल और देहरादून के सभी पहाड़ी विकासखंड (श्रेणी 'बी +' के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर)
3	श्रेणी बी+	• जिला पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखंड के कोटद्वार, सिगड्डी और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र • जिला टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखंड के ढालवाला, मुनि की रेती, तपोवन और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र • जिला नैनीताल का कोटाबाग विकासखंड • जिला देहरादून के कालसी विकासखंड के मैदानी क्षेत्र
4	श्रेणी सी	• जिला देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर और डोईवाला विकासखंडों में समुद्र तल से 650 मीटर ऊपर स्थित क्षेत्र • जिला नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी विकास खंड
5	श्रेणी डी	• जिला हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर का सम्पूर्ण क्षेत्र • जिला देहरादून और नैनीताल का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी 'बी', 'बी +' और 'सी' श्रेणी में शामिल नहीं है)

अनुलग्नक–2

स्टार्टअप की परिभाषा

उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के अधीन एक इकाई को "स्टार्टअप" माना जाएगा, यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है– ऐसी विधिक इकाईयां, जिनका पंजीकृत कार्यालय उत्तराखण्ड में हो:

- विधिक अस्तित्व वाली इकाई के गठन एवं स्थापना की अवधि इसके निगमन की तारीख से दस वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए, और
- निगमन / पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी विधिक इकाई का कारोबार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक का नहीं हुआ हो, और
- किसी मौजूदा व्यवसाय को विभाजित करके या पुनर्निर्माण करके इकाई का गठन नहीं किया जाना चाहिए और यह पारिवारिक व्यवसाय या समूह का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए और
- इकाई को उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम करना चाहिए, या यदि वह रोजगार सृजन या धनोपार्जन की उच्च क्षमता वाला एक मापनीय व्यवसाय मॉडल हो, या समय–समय पर भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्टअप्स के मानदण्डों के अनुसार

पशुपालन विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	बकरी पालन	इच्छुक लाभार्थियों को बकरी पालन एक इकाई (10 मादा 01 नर) 10 से 14 माह तक की उपलब्ध कराकर बकरी पालन से स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना का कुल लागत रू. 70,000.00 में से 90 प्रतिशत धनराशि रू. 63,000.00 राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है तथा 10 प्रतिशत धनराशि रू. 7,000.00 लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है।	सामान्य, अनुसूचित जाति व जनजाति के SECC वर्ग के इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।	इच्छुक लाभार्थी को ग्राम सभा की खुली बैठक में अपना नाम दर्ज करना होगा। प्रस्ताव पारित होने के उपरांत लाभार्थी अपना प्रस्ताव संबंधित क्षेत्र के पशुचिकित्सा अधिकारी/ पशुधन प्रसार अधिकारी/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को देगा अथवा ग्राम पंचायत स्तर पर जमा कर देगा। ग्राम स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के उपरांत जिला स्तरीय समिति द्वारा अंतिम चयन किया जाता है तथा इसके उपरांत पशुपालन विभाग को भेजा जाता है। चयन के उपरांत लाभार्थी को बकरी खरीदने हेतु एक से दो माह में सीधा धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से प्रदान की जाती है। आवेदन के साथ आवेदक को आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होंगे।
2	भेड़ पालन	भेड़ पालन हेतु एक इकाई (10 मादा 01 नर) 10 से 14 माह तक की उपलब्ध कराकर भेड़ पालन से स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना की कुल लागत रू. 70,000.00 में से 90 प्रतिशत धनराशि रू. 63,000.00 राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है तथा 10 प्रतिशत धनराशि रू. 7,000.00 लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है।	अनुसूचित जाति व जनजाति के SECC वर्ग के इच्छुक लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया क्रमांक–1 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार है। बकरी के स्थान पर भेड़ दिये जाते हैं।
3	गौ पालन	गौ पालन की योजना में संपूर्ण पालन तक की एक दुधारू गाय उपलब्ध कराना। योजना की कुल लागत रू. 40,000.00 में से 90 प्रतिशत धनराशि रू. 36,000.00 राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है तथा 10 प्रतिशत धनराशि रू. 4000.00 लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है।	अनुसूचित जाति व जनजाति के SECC वर्ग के इच्छुक लाभार्थी	**आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया क्रमांक 1 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार है। बकरी के स्थान पर गाय दी जाती है।** इस योजना में विभाग द्वारा धनराशि गाय खरीदने हेतु डी०बी०टी० के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

डेयरी विकास विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	राज्य समेकित सहकारी विकास योजना तथा गंगा गाय महिला डेयरी योजना।	दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को गाय/भैंस खरीदने हेतु विभिन्न ऋण दिया जाता है। **सामान्य जाति के सदस्यों हेतु :-** 02, 03 एवं 05 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापना (पशु क्रय, बीमा, परिवहन व्यय, कैटल शेड लागत सहित, मिल्क कैन आदि) हेतु 50 अनुदान एवं 40 प्रतिशत ऋण जिला सहकारी बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है तथा शेष 10 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। डेयरी विभाग द्वारा 2 पशुओं हेतु रू 80,000/- तीन पशुओं हेतु रू 1,23,250/- एवं पांच पशुओं हेतु रू 2,03,625/- की अनुदान की दी जायेगी। **अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला सदस्यों (किसी भी जाति की) हेतु-** 02, 03 एवं 05 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापना (पशु क्रय, बीमा, परिवहन व्यय, कैटल शेड लागत सहित, मिल्क कैन आदि) के लिये 75 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत ऋण जिला सहकारी बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है। डेयरी विभाग द्वारा 2 पशुओं हेतु रू 1,20,000/- तीन पशुओं हेतु रू 1,84,875/- एवं पांच पशुओं हेतु रू 3,05,438/- धनराशि की दी जायेगी। पशुपालन	दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों अथवा जो सदस्य नहीं है उनको सदस्य बनाकर गाय (12 ली0/दिन) एवं भैंस (10 ली0/दिन) क्रय हेतु ऋण एवं अनुदान दिया जाता है। सामान्य जाति एवं अनुसूचित/जनजाति/महिला सदस्य पात्र होंगे। गाय/भैंस का क्रय राज्य के बाहर से किये जाने की व्यवस्था है। पशुपालन 2 पशु खरीदने के लिये तथा सब्सिडी प्राप्त करने हेतु ऋण लेना अनिवार्य है।	आवेदक समिति का सदस्य होना अनिवार्य है। संबंधित ग्राम पंचायत/ग्रामीण क्षेत्र में 18 वर्ष से ऊपर का सदस्य, नजदीकी समिति सचिव के पास रू0 25.00 का सदस्यता शुल्क जमा करके कभी भी सदस्यता ली जा सकती है इसके लिए पशुपालक होना अनिवार्य नहीं है। आवेदक आवेदन पत्र दुग्ध सहकारी समिति अथवा नजदीकी जिला सहकारी बैंक से प्राप्त करेगा। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो, सहकारी समिति की सदस्य संख्या पत्र/अचल सम्पत्ति/जमीन प्रमाण पत्र, उक्त व्यवस्था न होने पर 02 जमानती जो दुग्ध समिति के सदस्य हों की जमानत उपलब्ध करानी जायेगी। किसी संस्था से ऋण लिया हो तो उसका विवरण, कितने पशु लेने हैं का विवरण के साथ दुग्ध सहकारी समिति में जमा करना होगा। उसके उपरांत समिति सचिव प्रस्तावित करते हैं। तथा प्रबंधक/प्रधान प्रबंधक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 एवं सहायक निदेशक डेयरी द्वारा जांच के उपरान्त संस्तुति दी जाती है। संस्तुति के उपरान्त आवेदन पत्र बैंक में प्रस्तुत किया जाता है बैंक द्वारा समस्त दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त लाभार्थी का मानक के अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाता है तथा ऋण धनराशि लाभार्थी के खाते में वितरित की जाती है। धनराशि प्राप्त होने के बाद, दुग्ध सहकारी समिति/डेयरी विभाग की क्रय समिति द्वारा संबंधित लाभार्थी को पशु उपलब्ध कराया जाता है तथा राज्य के बाहर विभाग के अंतर्गत सूचीबद्ध डेयरी फार्मों से पशु खरीदने हेतु क्रय

पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड

दिनांक 22 अगस्त 23 को पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक ।

सुदूर क्षेत्र विकास खण्ड देवाल के मेल ग्राम पंचायत में बीडीसी की बैठक का आयोजन

पंचायती राज विभाग

क्र.	प्रमाण पत्र/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया/संस्तुति प्रक्रिया
1	जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र	जन्मतिथि को प्रमाणित करने का मूल प्रमाण पत्र है। इसका उपयोग आधार कार्ड बनाने से लेकर आयु प्रमाणित करने, स्कूल में एडमिशन के दौरान, छात्रवृत्ति के दौरान, परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाने हेतु एवं अन्य राजकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज है।	उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्में समस्त व्यक्ति जिनका जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र न बना हो, इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए पात्र होंगे।	जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु बच्चे के माता-पिता/अभिभावक/आवेदक को अपणिसरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। **बच्चे का जन्म होने पर, जन्म होने की तिथि से 30 दिन के भीतर आवेदन करने पर,** जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम पर जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में बच्चे का नाम तथा बच्चे के अस्पताल द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज कार्ड, पत्र/आशा द्वारा जारी प्रमाण पत्र लेकर के साथ, माता-पिता का आधार कार्ड आवेदन के दौरान अपलोड करना होगा। आवेदन के उपरांत संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 03 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। बच्चे का जन्म होने के 30 दिन के बाद और 01 वर्ष के भीतर आवेदन करने पर, प्रार्थना पत्र सब-रजिस्ट्रार के नाम एक एवं नोटराइज्ड शपथ पत्र, सब-रजिस्ट्रार के नाम लिखना होगा तथा जन्म की पुष्टि के लिए अस्पताल का डिस्चार्ज कार्ड, माता-पिता का आधार कार्ड आदि से संबंधित साक्ष्य संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 07 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। **बच्चे के जन्म होने पर, 01 वर्ष तक भी प्रमाण-पत्र न बनाने की स्थिति में** 01 वर्ष के उपरान्त कभी भी आवेदन करने पर प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी के नाम लिखना होगा तथा नोटराइज्ड शपथ पत्र (एफिडेविट) के साथ लिखना होगा तथा अस्पताल/आशा द्वारा जारी प्रमाण पत्र लेकर के साथ, माता-पिता का आधार कार्ड आदि से संबंधित साक्ष्य संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 15 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित आवेदक को अपणिसरकार पोर्टल की आईडी से स्वयं ही प्रमाण पत्र आ जाता है तथा जिन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन किया हो, वह संबंधित सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं।
2	मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र	किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की तिथि को प्रमाणित करने का मूल	उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में	मृत्यु पंजीकरण एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु मृतक के माता-पिता/अभिभावक/आश्रित को अपणिसरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से

PROGRAMME IMPL

क्र.	प्रमाण पत्र/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया/संस्तुति प्रक्रिया
		प्रमाण पत्र है। इसका उपयोग आश्रितों द्वारा पेंशन योजनाओं, जमीनी इन्तखाबों में नाम कटाने एवं अन्य वैधिक लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज है।	मृत हुए व्यक्ति/व्यक्तियों के आश्रित जिनके परिवार के सदस्यों का मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र न बना हो, इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए पात्र होंगे।	ऑनलाइन आवेदन करना होगा। **मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृत्यु होने की तिथि से 30 दिन के भीतर आवेदन करने पर,** जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम पर मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में श्मशान स्लीप/लकड़ी खरीद की मूल स्लीप, आवेदक का आधार कार्ड, मृतक का आधार कार्ड, प्रधान/सभासद के द्वारा जारी प्रमाण, आवेदन के दौरान अपलोड करने होंगे। आवेदन के उपरान्त संबंधित जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरान्त एवं जांच में सही पाये जाने पर 03 दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। **मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने के 30 दिन के बाद और 01 वर्ष के भीतर, आवेदन करने पर,** आवेदन पत्र (तहसीलदार के नाम) लिखना होगा तथा श्मशान/कब्रिस्तान की लकड़ी की खरीद आदि की मूल स्लीप, आवेदक का पहचान पत्र, पते से सम्बन्धित साक्ष्य, मृतक का आधार कार्ड, प्रधान/सभासद द्वारा जारी प्रमाण पत्र सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरान्त संबंधित जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरान्त एवं जांच में सही पाये जाने पर 07 दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। **मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने पर, 01 वर्ष तक भी प्रमाण पत्र न बनाने की स्थिति में 01 वर्ष के उपरान्त, कभी भी आवेदन करने पर,** आवेदन पत्र (उप–जिला मजिस्ट्रेट के नाम), शपथ पत्र (उप–जिला मजिस्ट्रेट के नाम) फोटोयुक्त, स्वप्रमाणित आधार कार्ड (आवेदक), मृतक (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/खतौनी/परिवार रजिस्टर कॉपी), पते से सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरान्त संबंधित जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरान्त एवं जांच में सही पाये जाने पर 15 दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित आवेदक की अपणिसरकार पोर्टल की आईडी में प्राप्त हो जाता है तथा जिन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन किया हो, वह संबंधित सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं।
3	परिवार रजिस्टर	परिवार रजिस्टर परिवार की पहिचान को प्रमाणित करने का मूल अभिलेख है जिसका उपयोग जाति प्रमाण पत्र एवं विभिन्न पेंशन योजनाओं	उत्तराखण्ड राज्य के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में निवास कर रहे स्थायी निवासी, परिवार रजिस्टर में	परिवार रजिस्टर में नाम जोड़ने, पृथक्करण करने, संशोधित करने एवं परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति को अपणिसरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। **परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल हेतु आवेदन करने पर** प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम लिखना होगा तथा आवेदन करने के दौरान प्रार्थना पत्र, आईडी प्रूफ (आधार/वोटर कार्ड) संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरान्त 03 दिन के

क्र.	प्रमाण पत्र/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया/संस्तुति प्रक्रिया
		निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है।	नाम जोड़ने, पृथक्करण करने, संशोधित करने एवं परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।	भीतर परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है। **परिवार पृथक्करण हेतु** प्रार्थना पत्र संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम लिखना होगा। आवेदन के दौरान प्रार्थना पत्र, नोटरीकृत शपथ पत्र-जिसमें परिवार पृथक्करण का उल्लेख हो, भूमि रजिस्ट्री की प्रति (15 वर्ष से लगातार निवास की पुष्टि), नवीनतम बिजली/पानी का बिल, आईडी युक्त ग्राम प्रधान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। आवेदन के उपरांत 03 दिन के भीतर परिवार पृथक्करण संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है। **परिवार संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र** संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम लिखना होगा। आवेदन के दौरान प्रार्थना पत्र, आईडी युक्त ग्राम प्रधान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत 03 दिन के भीतर परिवार संशोधन संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है।
4	निजी भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण पूर्व अनुमति आवश्यक है।	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ऐसे परिवार जो अपना मकान बनाना चाहते हों।	पात्र व्यक्ति को अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान रजिस्ट्री कागज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दाखिल खारिज प्रमाण पत्र, आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत 03 दिन के भीतर प्रमाण पत्र संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है।
5	शौचालय प्रमाण-पत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में किसी परिवार का शौचालय होने को प्रमाणित करता है, जिससे वह स्वच्छता एवं अन्य योजनाओं में शौचालय निर्माण के आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके।	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ऐसे परिवार जो अपना शौचालय निर्माण करवाना चाहते हों।	पात्र व्यक्ति को अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय घर के कागज, आवेदक के घर में शौचालय नहीं होने पर ग्राम प्रधान द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भूमि के स्वामित्व का कागज या नवीनतम बिल, आवेदक का फोटो (शौचालय के निकट) संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत 03 दिन के भीतर प्रमाण पत्र संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है।

****

क्र0	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
		प्रवासी वेतन योजनाओं आदि में होता है।		
3.	पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र	रोजगार / विभिन्न राजकीय सेवाओं / सेवा में भर्ती आदि हेतु	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया 'स्थाई निवास प्रमाण पत्र' के अनुसार होगी परन्तु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :– **अनिवार्य दस्तावेज**–पहाड़ी क्षेत्र की सूची (राज्य शासन द्वारा प्रमाणित), निवास से सम्बंधित दस्तावेज जिससे पर्वतीय क्षेत्र में निवास होने की पुष्टि होती हो / स्थाई निवास प्रमाण पत्र, भूमि रजिस्ट्री / खतौनी की प्रति, आधार कार्ड, शिक्षा सम्बंधित दस्तावेज। **वैकल्पिक दस्तावेज** –बिजली बिल या पानी बिल, राशन कार्ड / परिवार रजिस्टर (पारिवारिक सदस्यों के विवरण हेतु) आवेदन के उपरान्त 15 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
4.	चरित्र प्रमाण पत्र (ठेकेदारी / सामान्य हेतु)	ठेकेदारी व्यवसाय एवं बैंक खाते खोलने / नौकरी / अन्य व्यवसाय हेतु।	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया 'स्थाई निवास प्रमाण पत्र' के अनुसार होगी परन्तु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं – आधार कार्ड, वोटर आईडी, स्थाई निवास प्रमाण पत्र। आवेदन के उपरान्त 15 दिन के भीतर चरित्र प्रमाण–पत्र (ठेकेदारी / सामान्य हेतु) जारी किया जाता है।
5.	हैसियत प्रमाण पत्र	ठेकेदारी व्यवसाय व व्यावसायिक लाईसेंस हेतु (आवेदन के आधार पर)	उत्तराखण्ड राज्य में भूमि / भवन सम्पत्ति के आधार पर	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया उपरोक्त क्रमांक–1 'स्थाई निवास प्रमाण पत्र' के अनुसार होगी परन्तु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं –भूमि रजिस्ट्री / खतौनी (नवीनतम), नगर निगम / PWD का मूल्यांकन, पहचान पत्र / आधार कार्ड तथा मौजूदा पता निवास का प्रमाण तथा बिजली बिल / हाउस टैक्स रसीद / पानी बिल / वोटर आईडी आदि। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।
6.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र	विभिन्न राजकीय सेवाओं में आरक्षण एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों में आरक्षण हेतु संबंधित प्रमाण पत्र आवश्यक है।	उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया उपरोक्त क्रमांक–1 'स्थाई निवास प्रमाण पत्र' के अनुसार होगी परन्तु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं – स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन पट्टा, आवेदक का आधार कार्ड तथा पहचान पत्र, निवास का प्रमाण, स्वतंत्रता सेनानी कार्ड। आवेदन प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।
7.	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का परिचय पत्र जारी	उत्तराखण्ड राज्य के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के प्रथम	राज्य की सीमा में स्थायी रूप से निवास करने वाले स्वतन्त्रता	राज्य के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन समुचित साक्ष्य सहित प्रस्तुत करने पर परिचय पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र पर ऑफलाइन जारी किये जाते हैं। यह परिचय पत्र

परिवहन विभाग

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>परिवहन सेवा का नाम</th><th>लाभ</th><th>पात्रता/लाभार्थी</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td>1</td><td>वाहनों का पंजीयन कार्य</td><td>वाहन के पंजीयन के उपरान्त सार्वजनिक स्थान पर वाहन का संचालन किया जा सकता है।</td><td>भारत के समस्त नागरिक</td><td>
1. आवेदन–वाहन विक्रय करने वाले अधिकृत डीलरशिप द्वारा वाहन स्वामी के निवास या कारोबार के स्थान से संबंधित संभागीय/उपसंभागीय कार्यालय में किया जाता है।
2. आवेदन का माध्यम– वाहन पंजीयन हेतु फार्म–20 में ऑनलाईन पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice में डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आवेदन किया जाता है।
3. आवश्यक प्रपत्र/प्रक्रिया पंजीयन हेतु आवेदन के साथ निम्न प्रपत्र आवश्यक है –
1. विक्रय पत्र प्रारूप–21 में।
2. वैध बीमा प्रमाण पत्र।
3. निवास का प्रमाण (आधार/निर्वाचक पहचान पत्र/बीमा प्रमाण पत्र/पासपोर्ट/पे–स्लिप)।
4. अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।
5. प्रारूप–22 में विनिर्माता द्वारा जारी सड़क उपयुक्तता प्रमाण पत्र।
6. निर्धारित फीस एवं मोटरयान कर।
आवेदनों की संवीक्षा संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालय में की जाती है एवं समस्त प्रविष्टियां उपयुक्त पाए जाने पर वाहन का पंजीयन अनुमोदन किया जाता है। पंजीयन उपरान्त पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित डीलरशिप को उपलब्ध कराया जाता है जहां से वाहन स्वामी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
4. फीस–(नियम 81 के अंतर्गत)
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>वाहन का प्रकार</th><th>पंजीयन शुल्क (रू० में)</th><th>नवीनीकरण शुल्क (रू० में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मोटर साईकिल</td><td>300</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>थ्री–व्हीलर</td><td>600</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>हल्का मोटर यान</td><td>1000</td><td>5000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>मध्यम माल/यात्री वाहन</td><td>1000</td><td>8000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>भारी माल/यात्री वाहन</td><td>1500</td><td>8000</td></tr>
</table>
नोट– पंजीयन के समय पंजीयन फीस के अतिरिक्त वाहन की श्रेणी हेतु निर्धारित मोटरयान कर भी देय होगा।
5. वैधता–निजी वाहनों हेतु–पंजीयन तिथि से 15 वर्ष
व्यवसायिक वाहनों हेतु–फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता तक।
6. नवीनीकरण–नवीनीकरण हेतु आवेदन फार्म 25 में ऑनलाईन मोड के माध्यम से
</td></tr>
</table>

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार वेबसाइट- https://psc.uk.gov.in

क्र	सेवा का नाम	प्रश्न	मानक/ [illegible]	आवेदन प्रक्रिया, चयन/ संस्तुति प्रक्रिया
1	[illegible] "ग" व "घ" की सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु [illegible] लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से संबंधित।	राज्य के किसी भी [illegible] [illegible]	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग [illegible] (क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य [illegible] (ख) अभ्यर्थी [illegible]	आयोग द्वारा [illegible] https://psc.uk.gov.in/ [illegible]

क्र	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल	क्र	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल
	2- उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा। 3- भेषज विकास इकाई (उद्यान विभाग), उत्तराखण्ड।		
[illegible]	**पशुपालन विभाग** कार्यालय– पशुपालन निदेशालय, पशुधन भवन, मोथरोवाला, देहरादून। दूरभाष नं–0135-[illegible] ईमेल–dirahuk@gmail.com	[illegible]	**डेयरी विभाग** कार्यालय–निदेशक, डेरी विकास [illegible] दूरभाष नं–[illegible] ईमेल–ukdpdairy@gmail.com
[illegible]	**शिक्षा विभाग** कार्यालय–निदेशालय, [illegible], देहरादून दूरभाष नं–0135-[illegible] ईमेल– [illegible]11@gmail.com	[illegible]	**मत्स्य विभाग** कार्यालय–निदेशक मत्स्य [illegible], देहरादून ईमेल–[illegible] fisheriesuk@gmail.com
[illegible]	**वन विभाग** कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखण्ड 85, राजपुर रोड, देहरादून दूरभाष नं–0135-[illegible] ईमेल–[illegible]@gmail.com [illegible]@gmail.com [illegible]2017@gmail.com	[illegible]	**आवास विभाग** कार्यालय– उत्तराखण्ड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, आवास विभाग, [illegible] देहरादून। दूरभाष नं–0135-[illegible] ईमेल– [illegible]@gmail.com
[illegible]	**शहरी विकास विभाग** कार्यालय– शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड 31/62, राजपुर रोड, देहरादून। दूरभाष नं–0135-[illegible] ईमेल–urbanuk@gmail.com	[illegible]	**स्वजल परियोजना** कार्यालय– परियोजना प्रबंधन इकाई, [illegible], देहरादून। दूरभाष नं–0135-[illegible] ईमेल–pmu_uttaranchal@rediffmail.com
[illegible]	**पेयजल विभाग** कार्यालय–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन, बी ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून। दूरभाष नं–0135 [illegible] ईमेल–pmu_uttranchal@rediffmail.com, [illegible]@gmail.com	[illegible]	**पंचायती राज विभाग** कार्यालय– निदेशालय, [illegible] देहरादून। दूरभाष नं–0135-[illegible] ईमेल–director.pr.uk@gmail.com
[illegible]	**राजस्व विभाग** कार्यालय–राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, [illegible] रोड, [illegible], देहरादून, दूरभाष नं–0135-[illegible] ईमेल–[illegible]@gmail.com	[illegible]	**परिवहन विभाग** कार्यालय– परिवहन आयुक्त कार्यालय, [illegible] सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड दूरभाष नं–0135-[illegible] ईमेल–transportdeptuk@gmail.com
[illegible]	**आधार केन्द्र** कार्यालय–भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), क्षेत्रीय कार्यालय–दिल्ली [illegible], नई दिल्ली ईमेल– [illegible]@gmail.com, [illegible]@uidai.net.in	[illegible]	**निर्वाचन आयोग** कार्यालय–[illegible] निर्वाचन आयोग, [illegible] देहरादून दूरभाष नं–0135 [illegible], ईमेल– [illegible] मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून–[illegible], ईमेल– [illegible]@gmail.com
[illegible]	**सूचना प्रौद्योगिकी विभाग** कार्यालय– सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडा), सूचना प्रौद्योगिकी भवन, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। दूरभाष नं–0135 [illegible] ईमेल–[illegible]@nic.in	[illegible]	**कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी)** कार्यालय– [illegible], देहरादून। ईमेल– sandeep.kumar@csc.gov.in
[illegible]	**[illegible] विकास अभिकरण** कार्यालय– उत्तराखण्ड [illegible] विकास अभिकरण, [illegible] देहरादून। दूरभाष नं–0135-[illegible]। ईमेल–info@ureda.in	[illegible]	**आपदा विभाग** कार्यालय–यू०एस०डी०एम०ए०, सचिवालय परिसर, 4-सी सुभाष रोड, देहरादून। दूरभाष नं–0135-[illegible] ईमेल–usdmauttarakhand@gmail.com
[illegible]	**उत्तराखण्ड सूचना आयोग**, [illegible] भवन, [illegible] रोड, [illegible], देहरादून, उत्तराखण्ड।	[illegible]	**उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग**, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार https://psc.uk.gov.in
[illegible]	**उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग**, [illegible], [illegible], देहरादून। वेबसाइट– https://sssc.uk.gov.in/		

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

1905	सी०एम० हेल्पलाईन
155368	आयुष्मान हेल्पलाईन
1364	पर्यटन हेल्पलाईन
1078	आपदा प्रबन्धन सेवायें
1064	एन्टी करप्शन हेल्पलाइन
1098	चाईल्ड हेल्पलाईन
181	महिला हेल्पलाईन (आपातकालीन/गैरआपातकालीन परिस्थितियों हेतु)
112	आपातकालीन सेवा
104	स्वास्थ्य हेल्पलाईन
1551	किसान कॉल सेंटर
1800117800	मन की बात (सुझाव व विचार प्रेषित करने हेतु)
18002709818	सेवा का अधिकार आयोग
100	पुलिस
101	अग्नि
1514	नेशनल करियर सर्विस
14599	कॉमन सर्विस सेंटर
1072	रेलवे दुर्घटना आपातकालीन सेवा
1073	रोड दुर्घटना आपातकालीन सेवा
18008909715	वन विभाग

PROGRAM

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/हितग्राही	आवेदन/चयन प्रक्रिया
	खिलाड़ियों को नौकरी	नियोजन/नौकरी प्रदान की जाती है।	ओलम्पिक/पैरालम्पिक, कॉमनवेल्थ/इंडियनगेम्स, नेशनल गेम्स में पदक विजेता राज्य के खिलाड़ी। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिन्टन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कैनोइंग एवं क्याकिंग, साइक्लिंग, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, गोल्फ, हैण्डबॉल, हॉकी, जूडो, रोईंग, शूटिंग, टेनिस, सेलिंग, टेबिल टेनिस, ताईक्वांडो, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, [illegible], क्रिकेट, कबड्डी, [illegible], खो-खो एवं मल्लखम्ब। मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी एवं अर्हताप्राप्त खिलाड़ी द्वारा जिस वर्ष एवं जिस प्रतियोगिता के लिये नियोजन हेतु आवेदन किया गया है, उस वर्ष एवं उस प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व नेशनल गेम्स में किया गया हो, तभी मान्य किया जायेगा।	के खिलाड़ियों से सीधे आवेदन निदेशक, खेल निदेशालय कार्यालय में प्राप्त होने पर समिति द्वारा 03 माह में परीक्षण/विचार करते हुए अपनी अनुशंसा प्रदान की जावेगी। खेल विभाग द्वारा समिति की अनुशंसा को सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किया जावेगा। चयनित पदक विजेता खिलाड़ियों को अनुशंसित पद पर नियुक्ति 04 माह की अवधि में सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रदान की जावेगी। नियोजन हेतु खिलाड़ियों को पद के साथ अनुसार शैक्षणिक अर्हता धारित होनी चाहिए परन्तु भर्ती किए जाने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों को शैक्षणिक/अनिवार्य अर्हताओं में छूट अथवा शिथिलीकरण किये जाने का समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जावेगा। पदक विजेता द्वारा नियुक्ति के समय पद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं की गयी है तो सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त नियुक्ति किये जा रहे पदक विजेता खिलाड़ी को 04 वर्ष का समय उक्त अनिवार्य अर्हता अर्जित किये जाने हेतु प्रदान किया जायेगा। पदक विजेता खिलाड़ी [illegible] के [illegible] द्वारा [illegible] वर्ष एवं [illegible] द्वारा [illegible] वर्ष के भीतर खेल कार्यालयों में आवेदन करना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ पदक विजेता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित करने होंगे। प्रतियोगिता सम्पन्न होने की तिथि से 12 माह की अवधि तक [illegible] वर्ष पूर्व के तथा उसके पश्चात 06 वर्ष पूर्व के पदक विजेता खिलाड़ी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
२	विभाग के अन्तर्गत कॉन्ट्रेक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति	विभाग द्वारा 42 माह के कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर खेल प्रशिक्षक नियुक्त किये जाते है, जिन्हें न्यूनतम रू0 12,000/- से अधिकतम रू0 48,000/- तक का मानदेय दिया जाता है।	राज्य के खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक। खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक की न्यूनतम आयु 21 एवं अधिकतम 70 वर्ष। कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षक हेतु मूल/	जिला खेल अधिकारी कार्यालय/खेल निदेशालय द्वारा माह मार्च, अप्रैल में खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला जाता है जिसमें ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन लिया जाता है। प्रशिक्षक को आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, शैक्षणिक योग्यता, खेल योग्यता/ खिलाड़ी/पुरस्कार

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू-सैक)

क्र	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	रिमोट सेंसिंग व जी0आई0 एस0 एप्लीकेशन पर ट्रेनिंग/क्षमता विकास कार्यक्रम/शोध कार्य	➤ केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित वैज्ञानिक शोध परियोजनाओं में शोधार्थियों को चयन कर रिमोट सेंसिंग व जी आई एस एप्लीकेशन कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण निःशुल्क होता है। चयनित शोधार्थियों (JRF/SRF/Project scientist) को सम्बन्धित वित्त पोषित संस्था द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत fellowship (HRA सहित) प्रदान की जाती है। भोजन व आवास की व्यवस्था शोधार्थियों द्वारा स्वयं की जाती है।	➤ भारत में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर (मुख्यतः विज्ञान वर्ग) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी।	➤ परियोजना में आवश्यकता होने पर यू-सैक के पोर्टल (www.u-sac.in) पर सूचना प्रकाशित की जाती है तथा निर्धारित अवधि में वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाता है। जिस हेतु विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उत्तीर्ण (प्रथम श्रेणी) एवं अन्य शैक्षिक उपलब्धियों, अनुभव आदि की छायाप्रति प्रमाण पत्र, परिचय पत्र/आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो प्रमाण पत्र साथ लाने होते हैं। इंटरव्यू में सफल होने पर शोधार्थियों को शोध मानदेय (fellowship) दिया जाता है।
		➤ राज्य में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर अंतिम छमाही/वर्ष के विद्यार्थियों को Dissertation व स्नातक के विद्यार्थियों को internship कार्य के माध्यम से रिमोट सेंसिंग व जी आई एस एप्लीकेशन कार्य हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उपरोक्त प्रशिक्षण निःशुल्क होता है। इस अवधि में भोजन व आवास की व्यवस्था विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की जाती है।	➤ भारत में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों (प्राइवेट/सरकारी/कॉलेज) के स्नातकोत्तर (मुख्यतः विज्ञान वर्ग) अंतिम छमाही/वर्ष के विद्यार्थी।	➤ विश्वविद्यालय के कुलपति/डीन/रजिस्ट्रार/विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर (मुख्यतः विज्ञान वर्ग) अंतिम छमाही/वर्ष के छात्र/छात्राओं के पक्ष में यू-सैक के निदेशक को सीधे में Dissertation/internship के लिए अनुरोध पत्र दिया जाता है। जिस हेतु निदेशक यू-सैक को प्राप्त छात्र/छात्राओं के पक्ष में पत्र प्रेषित कर व निदेशक यू-सैक की सहमति आदि के आधार पर प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाता है। प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण के लिए प्रशिक्षणार्थी को आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र की आवश्यकता होती है।
		➤ आवश्यकतानुसार समय-समय पर विभिन्न रेखीय विभागों के लिए रिमोट सेंसिंग व जी आई एस में क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उपरोक्त हेतु रिमोट सेंसिंग व जी0आई0 एस0 में आयोजित क्षमता विकास कार्यक्रम हेतु	➤ केन्द्र सरकार के कार्मिक व राज्य के विभिन्न रेखीय विभाग के कार्मिक।	➤ विभागीय कार्मिक अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से यू-सैक के निदेशक को अनुरोध पत्र प्रेषित करेंगे। यू-सैक द्वारा समय-समय पर रेखीय विभागों हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं जिसमें विभागाध्यक्ष द्वारा अधिकृत विभिन्न स्तर के

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)	निःशुल्क प्रसव की सुविधा जिसके अन्तर्गत नॉर्मल डिलीवरी/ सिजेरियन ऑपरेशन, दवाईयों एवं अन्य वस्तुएं (जैसे ग्लूकोज बोतल तथा अल्ट्रासोनोग्राफी आदि) खान-पान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा (आवश्यकता होने पर) दी जाती है। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन सुविधा (सामान्य प्रसव में 3 दिन तथा सिजेरियन प्रसव में 7 दिन तक) तथा घर से चिकित्सालय तक जाने की सुविधा, यदि अस्पताल द्वारा अन्यत्र रैफर किया जाता है तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जाने तथा घर वापस आने के लिए निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा दी जाती है। बीमार नवजात शिशु के लिए (जन्म से बाद एक वर्ष तक) निःशुल्क उपचार, दवाईयाँ, जांचें तथा निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा (आवश्यकता होने पर), रैफर किये जाने के समय एक संस्थान से दूसरे संस्थान जाने तथा घर वापस आने के लिए निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा।	गर्भवती महिलाओं को किसी सरकारी चिकित्सालय में प्रसव पूर्व (ANC)/ प्रसवोत्तर (PNC) जाँच कराने वाली तथा सभी गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु (जन्म के बाद एक वर्ष तक) को यह सुविधा दी जाती है।	गर्भवती महिला/ नवजात शिशु (जन्म के बाद एक वर्ष तक) का किसी भी सरकारी चिकित्सालय में पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण कराने की प्रक्रिया एवं प्रमाणीकरण– जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के आधार से पंजीकरण की कोई प्रक्रिया नहीं है। प्रदेश की किसी भी गर्भवती महिला को पंजीकरण करने के उपरान्त प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में यह सेवा प्रदान की जाती है। गर्भवती महिलाओं का RCH पोर्टल https://rch.nhm.gov.in/RCH/ पर पंजीकरण आशा/ एएनएम/ ऑपरेटर द्वारा किया जाता है तथा उनके द्वारा RCH ID एवं MCP Card ANM कार्यकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है जिससे गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था का सम्पूर्ण विवरण होता है।
2.	जननी सुरक्षा योजना (JSY)	गर्भवती महिलाओं को राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सालय में प्रसव कराने पर शहरी क्षेत्र की महिला को रू0-1000 एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला को रू0-1400 की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है।	गर्भवती महिलाएं	सरकारी चिकित्सालयों में पंजीकरण कराकर वहां प्रसव कराने पर प्रसवोपरांत प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। पंजीकरण की प्रक्रिया– आशा कार्यकर्ता के माध्यम से अथवा आशा कार्यकर्ता न होने की दशा में गर्भवती महिलाएं स्वयं भी अपना पंजीकरण प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में करवा सकती हैं जिसके लिए गर्भवती महिला का बैंक खाता, आधार संख्या, मोबाईल नंबर आदि देना होता है। प्रसव कराने के उपरान्त अधिकतम एक माह के भीतर धनराशि का भुगतान महिला के खाते में हो जाता है।
3.	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)	सरकारी चिकित्सालयों में प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं एवं उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच के दौरान ANC से सम्बन्धित सेवाएं, जांचें एवं Ultrasound की सुविधा सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क प्रदान की जाती है।	गर्भवती महिलाएं	गर्भवती महिलाओं को सरकारी चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दिन पंजीकरण कराने पर यह सुविधा प्रदान की जाती है। पंजीकरण सम्बन्धित चिकित्सालय में एएनएम/ आशा/ सीएचओ द्वारा किया जाता है तथा पंजीकरण हेतु महिला का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अनिवार्य होता है।

उद्यान विभाग (जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल, गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखण्ड)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हतायें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रदेश में जड़ी–बूटी कृषि कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु सामग्री का वितरण, विशेष घटक–अनुसूचित जनजाति के कृषकों अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों एवं बी०पी०एल० कृषकों को औषधीय पादपों के बीज/पौध 50 प्रतिशत तक तथा अन्य पादपों के बीज/पौध को 50 प्रतिशत तक निःशुल्क वितरित करने की योजना स्टेट सेक्टर में समस्त इच्छुक काश्तकारों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। जड़ी–बूटी के कृषिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु जड़ी–बूटी के पौधशाला सामग्री–निवेशों आदि पर 50 प्रतिशत राज सहायता प्रदान करना।	औषधीय पादप अतीस, कुटकी, कूठ, जटामांसी, चिरायता, वन ककड़ी, [illegible] तथा [illegible] की 50 प्रतिशत तक बीज/पौध तथा औषधीय एवं सगन्ध पादपों [illegible] को 50 प्रतिशत तक निःशुल्क बीज/पौध वितरित कर कृषकों को औषधीय व सगन्ध पादपों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रदेश के कृषकों को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान सुविधा उपलब्ध कराना, तकनीकी जानकारी सुलभ कराना, प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, [illegible] व्यवस्था का लाभ देना एवं कृषिकरण कार्य का अभिलेखीकरण/डाटा बेस तैयार करना।	प्रदेश के जिन काश्तकारों के पास सिंचित/असिंचित नाप भूमि उपलब्ध है तथा वे जड़ी–बूटियों के कृषिकरण के इच्छुक हों, वे इसके पात्र होंगे।	कृषकों का चयन भौतिक सत्यापन के उपरान्त प्रत्येक जनपद में संचालित विकासखण्ड में तैनात जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान के सम्बन्धित सहायक द्वारा किया जाता है। इच्छुक कृषक को बीज/पौध प्राप्त करने के लिए भूमि का विवरण एवं आधार कार्ड की छाया प्रति जमा कर चयनित कृषकों की सूची में अपना नाम दर्ज कराना होता है।
2	जड़ी–बूटी कृषकों का पंजीकरण	औषधीय एवं सगन्ध पादपों की कृषिकरण कर रहे कृषकों को पंजीकरण [illegible] तथा कृषिकरण के उत्पादित जड़ी–बूटी की निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण एवं इन जड़ी–बूटी के उचित विपणन को निश्चित करना।	औषधीय व सगन्ध पौध उत्पादक काश्तकार पात्र माने जाते हैं जो नाप भूमि में खेती करते हैं। संस्थान अथवा जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा प्रोत्साहित काश्तकार या किसी अन्य संस्था/संस्थान/विभाग/स्वयं सेवी संस्था द्वारा प्रोत्साहित कृषक पात्र होते हैं।	संस्थान के सम्बन्धित सहायक द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरान्त वास्तविक कृषिकरण क्षेत्र का पंजीकरण किया जाता है, सम्बन्धित सहायक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पंजीकरण प्रपत्र तैयार कर आवेदक के आधार कार्ड एवं भूमि का विवरण संलग्न कर निदेशक जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान को प्रेषित किया जाता है। निदेशक की अनुमति के उपरान्त सम्बन्धित जिला कार्यालय द्वारा पंजीकरण किया जाता है।

राजकीय विभाग, बोर्ड, आयोग, केन्द्र, संस्थान, संगठन व निगमों के नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल

क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल	क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल
१.	समाज कल्याण विभाग कार्यालय–निदेशालय, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल दूरभाष न0–05946 [illegible], फैक्स न0–05946–[illegible] ई-मेल–directorsocialwelfare@gmail.com	२.	सैनिक कल्याण विभाग कार्यालय– सैनिक कल्याण निदेशालय, [illegible] रोड [illegible], देहरादून। दूरभाष न0–0135–274[illegible] Email-dir_Soldierwel-uk@nic.in
३.	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग कार्यालय– निकट नन्दा की चौकी, [illegible] देहरादून दूरभाष न0–0135–2776[illegible]–14, ई-मेल–dir.icds.ua@gmail.com	४.	महिला कल्याण विभाग कार्यालय– निकट नन्दा की चौकी [illegible] देहरादून दूरभाष न0–0135–[illegible], ई-मेल– ukchief@gmail.com
५.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय–उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम [illegible] देहरादून। दूरभाष न0–0135[illegible] ई-मेल–[illegible]@gmail.com	६.	श्रम विभाग कार्यालय– श्रम आयुक्त/मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड श्रम भवन, कार्यालय श्रम विभाग हल्द्वानी, नैनीताल दूरभाष न0–05946-224214, 282805 ई-मेल–uklabour11@gmail.com
७.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड कार्यालय–[illegible] देहरादून ई-मेल– ukbocw@gmail.com	८.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कार्यालय–[illegible] खाद्य [illegible] नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले उत्तराखण्ड [illegible] देहरादून। दूरभाष न0–0135–[illegible] ई-मेल– foodcommfcs@gmail.com
९.	गृह विभाग कार्यालय–महानिदेशक पुलिस, उत्तराखण्ड देहरादून। दूरभाष न0–0135–2712685, 2712231 ई-मेल– dgc-police-ua@nic.in	१०.	न्याय विभाग (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) कार्यालय–Member Secretary UKSLSA ई-मेल–slsa-uk@nic.in
११.	बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय– निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून। दूरभाष न0–0135–2781[illegible] ई-मेल–[illegible]2017@gmail.com [illegible]@yahoo.in	१२.	माध्यमिक शिक्षा विभाग कार्यालय– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून। दूरभाष न0–0135–2781[illegible] ई-मेल–[illegible]@gmail.com, [illegible]@gmail.com समग्र शिक्षा कार्यालय– समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग रायपुर देहरादून। दूरभाष न0–0135–[illegible] ईमेल एवं spd-ssa-uk@nic.in
१३.	उच्च शिक्षा विभाग कार्यालय– उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड [illegible] हल्द्वानी नैनीताल। दूरभाष न0–05946–[illegible], [illegible] ई-मेल– hedegreeplan@gmail.com highereducation.director@gmail.com, [illegible]@gmail.com	१४.	संस्कृत शिक्षा विभाग कार्यालय– संस्कृत शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी परिसर, हरिद्वार (संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार) दूरभाष न0–0135–[illegible] ई-मेल– registrar@[illegible].ac.in [illegible]2011@gmail.com उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार ई-मेल–[illegible]2002@gmail.com
१५.	संस्कृति एवं धर्मस्व कार्यालय–निदेशालय संस्कृति एवं धर्मस्व उत्तराखण्ड [illegible] देहरादून दूरभाष न0–0135[illegible], ई-मेल–directorculture@gmail.com	१६.	तकनीकी शिक्षा विभाग कार्यालय– तकनीकी शिक्षा निदेशालय [illegible] श्रीनगर (गढ़वाल) [illegible] दूरभाष न0–01346–[illegible] ई-मेल– [illegible]-uk@nic.in
१७.	[illegible] विभाग एवं [illegible] विभाग कार्यालय– उत्तराखण्ड [illegible] देहरादून ई-मेल– info.[illegible]@gmail.com	१८.	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग कार्यालय– निदेशालय युवा कल्याण एवं पी0आर0डी0 उत्तराखण्ड देहरादून। दूरभाष न0–0135–[illegible], [illegible] ई-मेल–ykprd.uk@gmail.com
१९.	खेल विभाग	२०.	उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू-सैक)

क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल	क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल
	कार्यालय– खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कैम्पस, रायपुर, देहरादून। दूरभाष नं0–0135–2781414 ईमेल– directorgame1@gmail.com		कार्यालय– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखण्ड [illegible] देहरादून। दूरभाष नं0–0135–2782003, ईमेल–[illegible]@gmail.com **उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू–सर्क)** कार्यालय– [illegible] देहरादून, उत्तराखण्ड। दूरभाष नं0–0135–[illegible], ईमेल–u_sarc@rediffmail.com **विज्ञानधाम–(यू–कॉस्ट)** कार्यालय– महानिदेशक उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद विज्ञान धाम, [illegible] देहरादून। दूरभाष नं0–0135–[illegible] ईमेल– ucost@ucost.in, amit.ucost@gmail.com
[illegible]	**उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद, कृषि विभाग** कार्यालय– उत्तराखण्ड [illegible] बायोटेक्नोलॉजी, [illegible] [illegible] उत्तराखण्ड। दूरभाष नं0–[illegible] ईमेल–[illegible]@rediffmail.com, directorucb@gmail.com	[illegible]	**चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा** कार्यालय– [illegible] उत्तराखण्ड, [illegible] देहरादून। दूरभाष नं0–0135–[illegible] ईमेल–[illegible]@uk.gov.in, [illegible]@gmail.com [illegible]@gmail.com
[illegible]	**होम्योपैथिक विभाग** कार्यालय– [illegible] देहरादून। दूरभाष नं0–0135–[illegible] ईमेल–[illegible]@yahoo.com	[illegible]	**आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग** कार्यालय– आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाएं, [illegible] [illegible] देहरादून। दूरभाष नं0–0135–[illegible] ईमेल– [illegible]@gmail.com
[illegible]	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग** कार्यालय– उद्योग निदेशालय [illegible] देहरादून दूरभाष नं0–0135–[illegible] ईमेल– [illegible]@doiuk.org	[illegible]	**खादी ग्रामोद्योग बोर्ड** कार्यालय– उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, [illegible] देहरादून, उत्तराखण्ड ईमेल– [illegible]@gmail.com
[illegible]	**पर्यटन विभाग** कार्यालय– [illegible] उत्तराखण्ड पर्यटन भवन, [illegible] [illegible] देहरादून दूरभाष नं0–[illegible] ईमेल– [illegible]@gmail.com	[illegible]	**ऊर्जा विभाग (उरेडा)** कार्यालय–[illegible] [illegible] देहरादून। दूरभाष नं0–0135–[illegible] ईमेल–[illegible]@gmail.com, [illegible]@gmail.com, [illegible] कार्यालय–[illegible] देहरादून। ईमेल–[illegible]
[illegible]	**सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग** कार्यालय–महानिदेशालय, सूचना भवन, [illegible] देहरादून, उत्तराखण्ड दूरभाष नं0–0135–[illegible] ईमेल–[illegible]@gmail.com, [illegible]@nic.in	[illegible]	**खाद्य [illegible] विभाग** कार्यालय–[illegible] उत्तराखण्ड। दूरभाष नं0–[illegible]. ईमेल– [illegible]103@gmail.com
[illegible]	**सहकारिता विभाग** कार्यालय–[illegible] देहरादून। ईमेल–[illegible]@gmail.com	[illegible]	**कृषि विभाग** कार्यालय–कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, कृषि भवन [illegible] [illegible] देहरादून, दूरभाष नं0–0135–[illegible] ईमेल–[illegible]@gmail.com, [illegible]@nic.in
[illegible]	**उद्यान विभाग** कार्यालय–उद्यान एवं [illegible] विभाग, उद्यान भवन, [illegible] [illegible]। दूरभाष नं0–[illegible], ईमेल– [illegible]@gmail.com 1- [illegible] उत्तराखण्ड।	[illegible]	**[illegible] केन्द्र (सीप)** कार्यालय– [illegible] देहरादून। दूरभाष नं0–0135 [illegible], ईमेल–[illegible]@gmail.com